35वीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

35TH ANNUAL REPORT 2022-23

आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA

हरित ऊर्जा के साथ समृद्धि को बढ़ावा

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अभिदृष्टि
VISION

- पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ एक विश्वस्तरीय ऊर्जा इकाई स्थापित करना।
- A world class energy entity with commitment to environment and social values.

मिशन
MISSION

- ऊर्जा संसाधनों की दक्षतापूर्वक योजना बनाना, उनका विकास तथा प्रचालन करना।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करना।
- सीखने एवं नवोन्मेषीकरण की कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- पारस्परिक विश्वास द्वारा स्टेकहोल्डरों के साथ सतत मूल्य आधारित संबंध स्थापित करना।
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन करना।

- To plan, develop and operate energy resources efficiently.
- To adopt state of the art technologies.
- To achieve performance excellence by fostering work ethos of learning and innovation.
- To build sustainable value based relationship with stakeholders through mutual trust.
- To undertake rehabilitation and resettlement of project affected persons with human face.

1000 मे.वा. टिहरी एचपीपी का रात्रि दृश्य

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की 35वीं वार्षिक आम बैठक
25 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुई

टिहरी एचपीपी पावर हाउस

विषय सूची

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल 5
- कॉर्पोरेट जानकारी 7
- परियोजना विवरण 8
- अध्यक्ष का अभिभाषण 11
- टीएचडीसीआईएल की 35वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस 14
- हमारी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति 25
- प्रमुख वित्तीय निष्पादन विशेषताएं 27
- निदेशकों का संक्षिप्त विवरण 31
- व्यवसाय सततता रिपोर्ट–सतत रीति में पूंजी सृजन–2022–23 34
  - वित्तीय पूंजी 35
  - सामाजिक और संबंध पूंजी 38
  - प्राकृतिक पूंजी 40
  - बौद्धिक पूंजी 42
  - मूर्त पूंजी 43
  - मानव पूंजी 48

निदेशकों की रिपोर्ट 2022-23 और इसके अनुलग्नक

- निदेशकों की रिपोर्ट 2022–23 52
  एमजीटी–7 का सार (वार्षिक विवरणी) लिंक
- कॉर्पोरेट सुशासन की रिपोर्ट (अनुलग्नक–I) 76
  सीईओ/सीएफओ प्रमाणन 93
  कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी प्रमाणपत्र 94
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (अनुलग्नक–II) 95
- प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक–III) 108
- ऊर्जा सरंक्षण के उपाय, प्रौद्योगिकी अनुकूलन, समामेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय (अनुलग्नक–IV) 122
- व्यापार उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट (अनुलग्नक–V) 128
- सचिवीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट (अनुलग्नक–VI) 154

वित्तीय विवरण 2022-23

एकल स्टैंडअलोन

1. वित्तीय विवरण 2022–23 158
2. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 218
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 229

समेकित

4. वित्तीय विवरण 2022–23 232
5. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 296
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 303

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल
- कॉर्पोरेट जानकारी
- परियोजना विवरण
- अध्यक्ष का अभिभाषण
- हमारी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति
- मुख्य वित्तीय निष्पादन विशेषताएं
- निदेशकों का संक्षिप्त विवरण
- व्यवसाय सततता रिपोर्ट 2022-23 सतत रीति में पूंजी सृजन

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजीव कुमार विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कार्यात्मक निदेशक

श्री जे. बेहेरा
निदेशक (वित्त)

श्री शैलेन्द्र सिंह
निदेशक (कार्मिक)
06.06.2023 से

श्री भूपेन्द्र गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
09.06.2023 से

नामित निदेशक

श्री जीतेश जॉन
आर्थिक सलाहकार,
विद्युत मंत्रालय,
भारत सरकार के
नामिती निदेशक

श्री अनिल गर्ग
प्रमुख सचिव (सिंचाई
एवं जल संसाधन विभाग)
उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक
(26.04.2022 से)

श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य
नामिती निदेशक
एनटीपीसी लिमिटेड

श्री जयकुमार श्रीनिवासन
नामिती निदेशक
एनटीपीसी लिमिटेड
(17.08.2022 से)

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती सजल झा
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.
स्वतंत्र निदेशक

श्री केसरीदेवसिंह डी झाला
स्वतंत्र निदेशक

निदेशक मंडल - सेवानिवृत्त

श्री अनिल कुमार गौतम
नामिती निदेशक
एनटीपीसी लिमिटेड
(31.05.2022 तक)

कॉर्पोरेट जानकारी

पंजीकृत कार्यालय

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
सीआईएन : यू45203यूआर1988जीओआई009822
भागीरथी भवन (टॉप टेरेस)
भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल–249001
संपर्क नं. (0135) 2473403, 2439309
वेबसाइट : www.thdc.co.in

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सुश्री रश्मि शर्मा
गंगा भवन, प्रगतिपुरम
बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201
संपर्क नं. (0135) 2439309 एवं 2473403
ई–मेलः csrksh@thdc.co.in

कारपोरेट कार्यालय

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
गंगा भवन, प्रगतिपुरम
बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201
उत्तराखंड

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड,
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर–बी,
प्लॉट नं. 31–32, फाइनेन्सियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,
हैदराबाद–500032, तेलंगाना
दूरभाष : +91–40–33211000
ई–मेल : venu.sp@kfintech.com

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
अजय सेठ, 1 मैत्री विहार, हरिद्वार बाईपास रोड,
देहरादून

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स आर. एम. बंसल एंड कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कानपुर
मैसर्स बलविंदर एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, चंडीगढ़
मैसर्स रमानाथ अय्यर एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली
मैसर्स संजय गुप्ता एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली
मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, पुणे
मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

डिबेंचर ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड
छठां तल, दि आईएलएंडएफएस फाइनेंसियल सेंटर,
प्लॉट सी–22, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा ईस्ट, मुम्बई–400051

सूचीबद्ध बांड

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड

डिपोजिटरी

सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.
पंजीकृत कार्यालयः मैराथन फ्यूचरेक्स,
25वां तल, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल
(ईस्ट) मुम्बई–400013

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि.
ट्रेड वर्ल्ड, ए–विंग, चौथा तल,
कमला मिल्स कंपाउंड,
सेनापति बापत मार्ग,
लोअर परेल, मुंबई – 400013

बैंकर्स/ वित्तीय संस्थाएं

1. पंजाब नेशनल बैंक
2. बैंक ऑफ बड़ौदा
3. भारतीय स्टेट बैंक
4. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
5. विश्व बैंक
6. जम्मू और कश्मीर बैंक
7. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8. आरईसी लिमिटेड
9. एक्सिस बैंक
10. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

केयर रेटिंग्स लिमिटेड
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लि.
आईसीआरए लिमिटेड

सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स
डी–427, दूसरा तल, पालम एक्सटेंशन,
रामफल चौक, सेक्टर–7, द्वारका, नई दिल्ली–110075

परियोजना विवरण

टीएचडीसीआईएल की कार्यशील परियोजनाएं (1587 मेगावाट)	
जल विद्युत	• उत्तराखंड में 1000 मेगावाट की टिहरी एचपीपी परियोजना • उत्तराखंड में 400 मेगावाट की कोटेश्वर एचईपी परियोजना • उत्तर प्रदेश में 24 मेगावाट की ढुकवां लघु एचईपी परियोजना
पवन ऊर्जा	• गुजरात के पाटन में 50 मेगावाट की परियोजना • गुजरात के द्वारका में 63 मेगावाट की परियोजना
सौर ऊर्जा	• केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना
टीएचडीसीआईएल की निर्माणाधीन परियोजनाएं(2784 मेगावाट)	
जल विद्युत	• उत्तराखंड में 1000 मेगावाट की टिहरी पीएसपी परियोजना • उत्तराखंड में 444 मेगावाट की विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी परियोजना
ताप विद्युत	• उत्तर प्रदेश में 1320 मेगावाट की खुर्जा एसटीपीपी परियोजना
कोयला खदान	• मध्य प्रदेश में अमेलिया कोयला खदान (खुर्जा एसटीपीपी के लिए कोयला लिंकेज) 5.6 एमटीपीए
संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से सौर ऊर्जा पार्कों का विकास	
टुस्को लिमिटेड	• झांसी में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क • ललितपुर में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क • चित्रकूट में 800 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क
ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड	• राजस्थान में 10000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क

400 मे. वा.कोटेश्वर एचईपी का एरियल दृश्य

श्री आर.के. सिंह, माननीय केन्द्रीय मंत्री (विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)
1000 मेगावाट, टिहरी पीएसपी में रोटर लोअरिंग समारोह का उद्घाटन करते हुए

अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय हितधारकगण,

यह बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है कि मैं 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के लिए आपके समक्ष अध्यक्षीय अभिभाषण प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आपके साथ लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ–साथ वार्षिक लेखा परीक्षित लेखा साझा करने में हर्ष हो रहा है।

एक और उल्लेखनीय प्रगति के वर्ष के बाद आपको संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 हमारी कंपनी के लिए कई मोर्चों पर महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ उल्लेखनीय रहा है।

अपने स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो के विस्तार पर हमारा अटूट फोकस हमें निरंतर सफलता की ओर अग्रसर कर रहा है। हम स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में योगदान देते हुए अपने ग्राहकों और भागीदारों के सहयोग से नई तकनीकों को अपनाने में सक्रिय रहे हैं। इसने हमें रूफटॉप सोलर, ईवी बिजनेस और पंप स्टोरेज प्लांट जैसे उपभोक्ता–केंद्रित व्यवसायों में अपनी नेतृत्व स्थिति बनाए रखते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में और भी बड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार किया है।

आपके हार्दिक समर्थन से, हमारी कंपनी ने अपने आधार को सुदृढ़ किया है और तेजी से विकासशील संगठन के रूप में उभर रही है।

विकास दृष्टिकोण:

वर्ष 2024–25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और वर्ष 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के भारत के प्रयास ने देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और पेरिस समझौते के दौरान निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने पर नए सिरे से जोर दिया है।

हरित क्रांति लाने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें 280 गीगावाट सौर ऊर्जा और 140 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है।

भारत अब वर्ष 2030 तक अपनी संचयी विद्युत स्थापित क्षमता का लगभग 50% गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मई 2023 तक, बड़े जलविद्युत और परमाणु संयंत्रों को छोड़कर, भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 126.77 गीगावाट तक पहुंच गई, जो देश की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता का 30% है।

नीति आयोग द्वारा विकसित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (आईईएसएस) 2047 टूल के अनुमानों के अनुसार, ग्रिड को प्रभावी ढंग से संतुलित करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती पहुंच को समायोजित करने के लिए भारत को वर्ष 2047 तक न्यूनतम 75 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी। जो पंप भंडारण सहित ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियां भारत के भविष्य के ऊर्जा परिदृश्य में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि टीएचडीसीआईएल उत्तराखंड के टिहरी में केंद्रीय क्षेत्र में 1,000 मेगावाट क्षमता का पहला पंप भंडारण संयंत्र चालू करने के अंतिम चरण में है। टिहरी पंप भंडारण संयंत्र (4X250 मेगावाट) की पहली दो इकाइयां वित्त वर्ष 2023–24 में और शेष दो इकाइयां जून–2024 तक चालू हो जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल राज्यों में 12,555 मेगावाट की संभावित स्थापित क्षमता वाली 10 पंप स्टोरेज परियोजनाओं की शुरुआत का संकेत दिया है। हम परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और अन्य राज्यों में भी पंप भंडारण परियोजनाओं की संभावना तलाशने की प्रक्रिया में हैं। टीएचडीसीआईएल ने केरल में पंप भंडारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 24.01.2023 को केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

हमारा संगठन हर नई तकनीक का पता लगाने के लिए आपके सराहनीय समर्थन के साथ अथक प्रयास कर रहा है जो वर्ष 2070 तक निवल–शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में योगदान दे सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अद्यतन संस्करण में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, संरक्षण और संयम की परंपराओं और मान्यताओं को समाविष्ट करते हुए जीवन–यापन के एक स्वस्थ और सतत तरीके को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरआरईसीएल) के साथ साझेदारी में ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की है। इस संयुक्त उद्यम का लक्ष्य राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क विकसित करना है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य निष्पादन विशेषताएं

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सतत प्रदर्शन किया है और अपनी सुदृढ़ अवसंरचना में सुधार किया है। हमारे कर्मचारियों का समर्पण और हमारे हितधारकों का सहयोग, हमें भविष्य में उद्देश्यों से अधिक की प्राप्ति करने का विशाल आत्मविश्वास प्रदान करता है।

हमारे कार्य–निष्पादन की कुछेक मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- हमने 3,207.54 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 4,615.02 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्य को लगभग 43.9% से अधिक कर लिया है।
- हमारे वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 4,935.48 एमयू की कुल संचयी उत्पादन के साथ प्रचालन संयंत्रों ने ऊर्जा उत्पादन में असाधारण प्रदर्शन हासिल किया, जो पिछले नौ वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है।
- टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी ने क्रमशः 84.09% और 68.62% के संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) हासिल किए, जो 80% और 68% के मानक आंकड़ों से अधिक हैं।

यूनिट # 1, टिहरी पीएसपी की पैकेजिंग

- टिहरी पीएसपी की पहली इकाई (4X250 मेगावाट) को दिनांक 30.03.2023 को सफलतापूर्वक बॉक्स–अप किया गया।
- खुर्जा एसटीपीपी की पहली इकाई का बॉयलर हाइड्रो परीक्षण दिनांक 15.03.2023 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ।
- अमेलिया कोयला खदान से कोयले की निकासी दिनांक 18.02.2023 को निर्धारित समय से पहले शुरू हो गई, और हम विद्युत मंत्रालय/कोयला मंत्रालय द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार पहले ही 0.3 मिलियन टन से अधिक कोयला निकासी कर चुके हैं।
- अमेलिया कोयला खदान में भी राजस्व उत्पन्न करना शुरू हो गया है क्योंकि एनटीपीसी संयंत्रों को निर्धारित समय से पहले कोयला प्रेषण शुरू हो गया है।
- वीपीएचईपी में टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से खनन शुरू हो गया है।
- वर्ष 2022–23 के दौरान सकल बिक्री 1,974.30 करोड़ रुपये और निवल लाभ 670.57 करोड़ रुपये रहा।
- केरल राज्य में इडुक्की पंप स्टोरेज और पल्लीवासल पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए पीएफआर की तैयारी के लिए दिनांक 24.01.2023 को केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से उत्तराखंड में जल विद्युत की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए दिनांक 06.03.2023 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- कंपनी ने अप्रतिभूत कॉरपोरेट बॉन्ड सीरीज–VIII जारी करके सफलतापूर्वक निधियां जुटाई हैं, जिसका कुल निर्गम आकार 763 करोड़ रुपये है, और प्रति वर्ष 7.76% की कूपन दर पर 10 वर्ष की मियाद है। निर्गम को आधार निर्गम आकार से 9 गुना ज्यादा अभिप्राप्त (सब्सक्राइब) किया गया था। कंपनी को 763 करोड़ रुपये के कुल निर्गम आकार के सापेक्ष 2588 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं, जो कंपनी में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
- दिसंबर–22 में टिहरी झील में तीन दिवसीय एशियाई रैंकिंग चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालीफाइंग ओपन कैनो स्प्रिंट वरिष्ठ पुरुष और महिला चैंपियनशिप–2022 (टिहरी वॉटर स्पोर्ट्स कप) का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
- क्षमता निर्माण पहल और एचआरडी केंद्र, ऋषिकेश की बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करके इसे एक लाभ केंद्र में बदलने के लिए एनएसबी (एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हमने पहले ही कार्यक्रमों को क्रियान्वित करके राजस्व अर्जित करना शुरू कर दिया है।
- राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क के विकास के लिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरआरईसीएल) के साथ साझेदारी में ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया।

चल रही परियोजनाएं:

टीएचडीसीआईएल, पूरे भारत और विदेशों में नवीकरणीय परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाएं तलाशकर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में गहन रूप से विस्तार कर रहा है। अनेक चुनौतियों के बावजूद, हमारा हालिया विकास हमें आपको यह आश्वस्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि टीएचडीसीआईएल का विकास और समृद्धि जारी रहेगा।

वर्ष 2026 तक कम से कम 4,351 मेगावाट क्षमता स्थापित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमारी परियोजनाएं जारी हैं जो अच्छी प्रगति कर रही हैं। इसके संबंध में कुछ अद्यतन जानकारी निम्नानुसार हैं:

- **टिहरी पीएसपी:** सभी मोर्चों पर कार्य कमीशनिंग के उन्नत चरण में हैं, और दो इकाइयों के मार्च 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।
- **वीपीएचईपी:** विभिन्न उपायों को लागू करने के बाद, परियोजना प्रगति पर है, और पहली इकाई मार्च 2026 तक चालू होने की संभावना है।
- **खुर्जा एसटीपीपी:** प्रमुख संयंत्र पैकेज पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं, और कार्य उल्लेखनीय प्रगति पर है। पहली इकाई फरवरी 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

1320 मे. वा. खुर्जा एसटीपीपी का एरियल दृश्य

- **अमेलिया कोयला खदान:** कोयले की निकासी दिनांक 18.02.2023 को निर्धारित समय से पहले शुरू हुई, साथ ही वाणिज्यिक कोयला प्रेषण भी शुरू हुआ।

अमेलिया कोयला खदान से कोयला रैक का डिस्पेच

- हमारे चल रहे प्रयासों में उत्तर प्रदेश राज्य में टुस्को लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से 2,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क का विकास भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के विकास के लिए "ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड" नाम से एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में, हम कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के महत्व को समझते हैं और हमने अपनी कंपनी प्रायोजित सोसायटी, सेवा–टीएचडीसी के माध्यम से अपने प्रचालन क्षेत्रों में व्यापक गतिविधियां शुरू

की हैं। हम मानते हैं कि मात्र कंपनी द्वारा प्रदान की गई सीएसआर निधियां सभी हितधारकों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इस चुनौती से निपटने के लिए, हमने विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के विभागों और एजेंसियों के साथ साझेदारी परियोजनाएं शुरू की हैं, जिससे हमारे प्रचालन क्षेत्रों में समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कृषि, वाटरशेड विकास और स्वास्थ्य क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अतिरिक्त निधियां जुटाई जा सकीं।

कुछ उल्लेखनीय सीएसआर पहलों में टिहरी और देहरादून जिलों के दूरदराज के इलाकों में एलोपैथी और होम्योपैथी औषधालय का संचालन, वंचित बच्चों के लिए स्कूलों का संचालन, स्वास्थ्य उपकरण का वितरण, शौचालयों का निर्माण, स्कूलों में परिवेशी जल कियोस्क की स्थापना, स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, स्ट्रीट लाइट की स्थापना और वर्षा जल संचयन टैंकों का निर्माण शामिल है।

कॉर्पोरेट सुशासन परिपाटियां

टीएचडीसीआईएल में, हमारा मानना है कि हितधारकों के विश्वास को बनाने और बनाए रखने के लिए सुदृढ़ कॉर्पोरेट अभिशासन महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता, समानता, अखंडता, जवाबदेही और सामाजिक जिम्मेदारी हमारे कॉर्पोरेट अभिशासन ढांचे के मूल सिद्धांत हैं। हम यह सुनिश्चित करते हुए सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करते है कि हमारी कॉर्पोरेट सुशासन परिपाटियां उच्चतम मानक की हैं।

मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी कंपनी ने 'कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों' के अनुपालन के लिए लगातार "उत्कृष्ट" रेटिंग हासिल की है। हम हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करने और प्रभावी संचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस उद्देश्य से, हमने एक व्हिसलब्लोअर नीति स्थापित की है जो हितधारकों को कथित कदाचार या गलत काम के बारे में चिंताएं, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है, उठाने में सक्षम बनाती है। हम निवेशकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सेबी, स्कोर्स की वेब–आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली का भी उपयोग करते हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी निवेशक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रतिबद्धता - आत्मनिर्भर भारत

भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाना है। हालाँकि, वर्तमान परिदृश्य से पता चलता है कि भारत अपनी खपत का 90% तेल और 80% औद्योगिक कोयला आयात करता है। वैश्विक ऊर्जा बाजारों में कीमत और आपूर्ति की अस्थिरता भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालती है और अर्थव्यवस्था–व्यापी मुद्रास्फीति में योगदान करती है। सरकार ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बिजली, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो सामूहिक रूप से 80% से अधिक ऊर्जाखपत के लिए जिम्मेदार हैं।

टीएचडीसीआईएल सरकार की पहल के साथ जुड़ी हुई है और नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित हाइड्रोजन में निवेश करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर–जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, वर्ष 2040 तक 80% और वर्ष 2047 तक 90% स्वच्छ ग्रिड का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य हाइब्रिड, फ्लोटिंग सोलर, हाइड्रोजन ईंधन परियोजनाओं में अवसरों का लाभ उठाना और ईवी चार्जिंग स्टेशनों को सुदृढ़ करना है। इन उद्देश्यों के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल उत्तराखंड में हमारे ऋषिकेश कार्यालय परिसर में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और हाइड्रोजन ईंधन सेल–आधारित माइक्रो–ग्रिड के लिए एक प्रायोगिक परियोजना स्थापित कर रही है। इस प्रायोगिक परियोजना से प्राप्त अनुभव व्यावसायिक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करेगा। हमने पेट्रोल/डीजल वाहनों के अपने आंतरिक बेड़े को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना का पता लगाने की भी योजना बनाई है।

दायरे का विस्तार : टीएचडीसीआईएल का भविष्य

विद्युत अवसंरचना किसी देश की आर्थिक वृद्धि और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, हम स्थापित उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता को समझते हैं। टीएचडीसीआईएल में, हम उत्तराखंड और देश भर के अन्य जल–समृद्ध राज्यों में और अधिक जलविद्युत परियोजनाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम विविधता के साथ पारंपरिक और गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न रूपों का उपयोग कर रहे हैं।

हमें अपने दायरे का विस्तार करने और एक ऐसी कंपनी बनने पर गर्व है जो सभी प्रकार की ऊर्जा को पूरी तरह से अपनाती है। पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन परिपाटियों पर हमारा फोकस यह सुनिश्चित करता है कि हम उद्देश्यपूर्ण सीएसआर गतिविधियों और पहलों के माध्यम से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, मूल्य–आधारित और सशक्त समाज के निर्माण में योगदान दें। प्रबंधन की सर्वोच्च प्राथमिकता चल रही परियोजनाओं का समय पर निष्पादन है, और हम वर्ष 2026 तक 4,351 मेगावाट और वर्ष 2030 तक 6,000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे पूरा करने के लिए, हमने जैविक और अजैविक दोनों विकास के लिए अतिप्रेरक कार्यनीति तैयार की है।

आभार

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने सभी हितधारकों, व्यापार भागीदारों, ग्राहकों, एनटीपीसी, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, का उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

कंपनी के प्रदर्शन में सुधार के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के बहुमूल्य योगदान और सुझावों के लिए मैं विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं टीएचडीसी की पूरी टीम के प्रयासों और समर्पण के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने कंपनी को विद्युत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था बनाने के लिए अथक कार्य किया है। आपकी ओर से, मैं आने वाले वर्षों में उनके निरंतर समर्थन और समर्पण की कामना करता हूँ।

टीएचडीसीआईएल परिवार के एक हिस्से के रूप में, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारी कंपनी अथक परिश्रम करती रहेगी और आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। टीम टीएचडीसीआईएल के असाधारण ज्ञान और कौशल के साथ, मुझे विश्वास है कि प्रत्येक कर्मचारी भविष्य में हमारे प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए "पावर सोल्जर" के रूप में काम करेगा।

मैं आपके, अपने शेयरधारकों के निरंतर विश्वास, भरोसे और समर्थन के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। मैं हमारे संविदाकारों, आपूर्तिकर्ताओं और बैंक एवं वित्तीय संस्थानों, जिन्होंने हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, की सराहना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

ह०/–
(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.09.2023

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
सीआईएन: यू45203यूआर1988जीओआई009822
पंजीकृत कार्यालय: भागीरथी भवन (शीर्ष तल), भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल - 249001
दूरभाष: 0135 2439309, वेबसाइट: www.thdc.co.in, ई-मेल: csrksh@thdc.co.in

सूचना

एततद्वारा यह **सूचना** दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य संव्यवहार के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 को अपराह्न 01:00 बजे टीएचडीसीआईएल, नई दिल्ली कार्यालय में की जानी निर्धारित है:

सामान्य व्यवसाय

1. **31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडएलोन और समेकित वित्तीय विवरण, उन पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना तथा, इस संबंध में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।**

   ''संकल्प लिया जाना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडएलोन और समेकित वार्षिक लेखाओं, सभी अनुसूचियों और अनुलग्नकों, जो वार्षिक लेखाओं का भाग है, और कॉर्पोरेशन की लेखांकन नीतियों, नकदी प्रवाह विवरण, और सभी अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट को बैठक के समक्ष रखा गया और एततद्वारा अनुमोदित और अंगीकार किया जाए।

2. **वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना तथा, इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।**

   ''संकल्प लिया जाना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के लिए धारा 139 के अधीन नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक निम्नानुसार नियत किया जाए:

i) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क ₹ 13,10,000/– (तेरह लाख दस हजार रुपये मात्र)।

ii) तिमाही खातों की समीक्षा, कर लेखापरीक्षा, अन्य सांविधिक प्रमाण पत्र आदि के लिए शुल्क सहित अन्य सभी कार्यों के लिए पारिश्रमिक सांविधिक लेखापरीक्षा करने के लिए संदेय शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए।

iii) टीए/डीए और छिट–पुट व्यय को मौजूदा शर्तों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

iv) यथादेय जीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।''

3. **अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश घोषित करना तथा, इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।**

''इक्विटी शेयरधारकों, अर्थात् एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार उनकी इक्विटी शेयरधारिता के अनुपात में इक्विटी शेयरों पर वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 171.44 करोड़ रूपये के अंतिम लाभांश को **अनुमोदित करने का संकल्प लिया जाता है''**

''इक्विटी शेयरधारकों, अर्थात् एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार उनकी इक्विटी शेयरधारिता के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 350.00 करोड़ रूपये के अंतरिम लाभांश के भुगतान की **पुष्टि करने का प्रस्ताव किया जाता है''**

विशेष व्यवसाय:-

4. **श्री शैलेन्द्र सिंह (डीआईएन: 10191941) को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, पारित करना:**

''संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, श्री शैलेन्द्र सिंह (डीआईएनः 10191941), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 06 जून, 2023 के आदेश संख्या 14–11/24/2020–एचआई (254784) के माध्यम से निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया गया था, को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया जाए।

5. **श्री भूपेन्द्र गुप्ता (डीआईएन: 06940941) को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, पारित करना:**

''संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, श्री भूपेन्द्र गुप्ता (डीआईएन:06940941), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 06 जून, 2023 के आदेश संख्या 14–11/24/2020–एचआई (254784) के माध्यम से निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया था, को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया जाए।

6. **वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या उसके बिना, एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

''यथासंशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 और अन्य लागू उपबंधों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के उपबंधों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए, निदेशक मंडल की 238वीं बैठक में यथाअनुमोदित, लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की निम्नुसार **अभिपुष्टि करने का संकल्प** किया जाता हैः–

क्र. सं.	लेखापरीक्षक का नाम (मैसर्स)	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तावित इकाई	शुल्क
01	बंधोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, कोलकाता	टिहरी एचपीपी	75,000/– रूपये और लागू कर
02	बलविंदर एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, चंडीगढ़	कोटेश्वर एचईपी	75,000/– रूपये और लागू कर
03	रामनाथ अय्यर एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	पवन विद्युत परियोजनाएं	70,000/– रूपये और लागू कर
04	नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, हैदराबाद	ढुकवां एचपीपी	40,000/– रूपये और लागू कर
05	धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, पुणे	सौर विद्युत संयंत्र	40,000/– रूपये और लागू कर
06	मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	सभी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के समेकन के लिए प्रमुख लागत लेखापरीक्षक	75,000/– रूपये और लागू कर

उपरोक्त के अलावा, मूल रसीद/वाउचर की प्रस्तुति के अध्यधीन कंपनी के नियमों के अनुसार यात्रा, आवास और भोजन व्ययों की प्रतिपूर्ति ईओआई के अनुसार की जाएगी।

7. **निजी प्लेसमेंट के आधार पर 3000 करोड़ रुपये तक के कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गत करने की मंजूरी देना, जिन्हें उपयुक्त किश्तों में जारी किया जाएगा और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना, एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:**

''संकल्प लिया जाता है कि कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका और आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 (1) और किसी भी अन्य लागू वैधानिक उपबंध (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 71 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसार, और कंपनी के अंतर्नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, कंपनी के निदेशक मंडल को निर्गम के समय, विचरण, निर्गम से हुए आय के उपयोग और उससे संबंधित या परिणामी अन्य सभी संबद्ध मामलों सहित ऐसी शर्तों और निबंधनों, जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए और कंपनी के हित में हो, पर निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रतिभूत/अप्रतिभूत कॉर्पोरेट बांड जारी करने के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने के लिए अधिकृत करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन दिया जाए।

इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को समय–समय पर, ऐसे बांडों के निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य और चीजें, जो आवश्यक समझे जाए, जिनमें अंकित मूल्य, निर्गम मूल्य, निर्गम आकार, अवधि, समय, राशि, प्रतिभूति, कूपन/ब्याज दर, प्रतिलाभ, सूचीकरण, आबंटन और बांड जारी करने के अन्य नियम और शर्तें, जो यह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक समझे, निर्धारित करना शामिल है, किंतु इन तक ही सीमित नहीं है, करने या प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत किया जाए।

8. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि के आधिक्य में बोर्ड की उधार लेने की शक्तियों को अनुमोदित करना और, इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना, एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:**

''संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे नियम और शर्तों पर और ऐसी प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, जो निदेशक मंडल उचित समझे, समय–समय पर कोई धनराशि या धनराशियां, जो कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि (व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले अस्थायी ऋणों के अलावा) के साथ, कंपनी की तत्समय संदत्त पूंजी के और इसकी मुक्त आरक्षित निधि के कुल योग से अधिक हो सकती है, उधार लेने के लिए कंपनी की सहमति दी जाए, परंतु बोर्ड द्वारा उधार ली गई कुल धनराशि किसी भी समय दिनांक 31.03.2023 को टीएचडीसीआईएल की संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि अर्थात् 20428 करोड़ रुपये से 10000 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी।''

टीएचडीसीआईएल के निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

ह॰/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

सेवा में :

- टीएचडीसीआईएल के सभी शेयरधारकगण
- टीएचडीसीआईएल के सभी निदेशक
- सांविधिक लेखा परीक्षक – मेसर्स एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार
- सचिवीय लेखा परीक्षक– मैसर्स अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
- डिबेंजर ट्रस्टी – विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विशेष व्यवसाय के संबंध में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसके साथ संलग्न है।
2. सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 भी कंपनी की वेबसाइट **www.thdc.co.in** पर उपलब्ध होगी।
3. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार कोई सदस्य स्वयं के स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने का हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो। प्रभावी होने के लिए, विधिवत पूर्ण किए गए प्रॉक्सी फॉर्म को वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से कम–से–कम कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। रिक्त प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है।
4. कंपनी की बैठक में या उसमें पेश किए जाने वाले किसी प्रस्ताव पर मतदान देने का हकदार प्रत्येक सदस्य, बैठक के शुरू होने के निर्धारित समय से चौबीस घंटे पहले और बैठक के समापन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए, कंपनी के कार्य–समय के दौरान किसी भी समय दर्ज किए गए प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा, बशर्ते कंपनी को निरीक्षण करने के आशय के लिए कम से कम तीन दिन का लिखित नोटिस दिया गया हो।
5. निदेशक मंडल ने 11 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार उनकी इक्विटी शेयरधारिता के अनुपात में इक्विटी शेयर धारकों को 350 करोड़ रूपये के अंतरिम लाभांश की घोषणा की।
6. सभी स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता (लिस्टिंग) शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही, डिपॉजिटरी अर्थात् सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड दोनों को वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया गया था।
7. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है।
8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कार्यसाधक संख्या (कोरम) का अभिनिश्चय करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में आयोजित विभागीय कार्यक्रम में श्री आर. के. विश्नोई अ. एवं प्र. नि. टीएचडीसीआईएल, श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त), टीएचडीसीआईएल, श्री शैलेन्द्र सिंह, निदेशक (कार्मिक), टीएचडीसीआईएल एवं श्री भूपेन्द्र गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसीआईएल

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित विवरण में सूचना में दिए गए विशेष व्यवसायों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्दिष्ट किया गया है:

मद संख्या 4:

श्री शैलेन्द्र सिंह (डीआईएन:10191941) को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त करना।

श्री शैलेन्द्र सिंह (डीआईएनः 10191941) को 06 जून, 2023 के विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या 14–11/24/2020–एचआई (254784) दिनांक 06 जून, 2023 के माध्यम से कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने दिनांक 06.06.2023 से टीएचडीसीआईएल में निदेशक (कार्मिक) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

निदेशक (कार्मिक) के रूप में श्री शैलेन्द्र सिंह की नियुक्ति को विनियमित करने वाले नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

इससे पहले, वह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न अनुसूची 'क' पीएसयू, एसजेवीएनएल में कॉर्पोरेट कार्यालय, शिमला में मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) और एचआर विभाग के प्रमुख के पद पर थे। उन्होंने सरकारी कॉलेज, शिमला से अंग्रेजी (ऑनर्स) में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। श्री सिंह ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री पूरी की है।

श्री शैलेन्द्र सिंह को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प से, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित और हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 5:

श्री भूपेन्द्र गुप्ता (डीआईएन: 06940941) को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करना।

श्री भूपेन्द्र गुप्ता (डीआईएन:06940941) को 06 जून, 2023 के विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या 14–11/24/2020–एचआई (254784) दिनांक 06 जून, 2023 के माध्यम से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने दिनांक 09.06.2023 से टीएचडीसीआईएल में निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

निदेशक (तकनीकी) के रूप में श्री भूपेन्द्र सिंह की नियुक्ति को विनियमित करने वाले नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

टीएचडीसीआईएल में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वह भूटान में पुनातसांगचू जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण में निदेशक (तकनीकी) के पद पर थे। इससे पहले, उन्होंने आरईसी की दो सहायक कंपनियों, नामतः आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में प्रचालन प्रमुख के रूप में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। श्री गुप्ता ने ऑपरेशन मैनेजमेंट में एमबीए के साथ इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वर्ष 2007 में आरईसी लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में 12 वर्षों तक विभिन्न पदों पर काम किया और 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्लांट, भारत में अब तक चल रही सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना, के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरण की योजना, निर्माण और कमीशनिंग की जिम्मेदारी में शामिल रहे। उन्होंने लगभग 3 वर्षों (2002 से 2005 तक) के लिए 1020 मेगावाट ताला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के साथ प्रतिनियुक्ति पर भूटान में भी काम किया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प से, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित और हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 6:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों (कोस्ट ऑडिटर्स) के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना

बोर्ड ने 25 सितम्बर, 2023 को आयोजित निदेशक मंडल की 238वीं बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को संदेय पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने की सिफारिश की। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया गया और अनुमोदित किया गया और तदोपरांत, शेयरधारकों द्वारा इसकी अभिपुष्टि की जाएगी।

निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों को उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है।

बोर्ड ने लागत लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार अनुशंसित किया है:

क्रमांक	लागत लेखा परीक्षक का नाम (मैसर्स)	लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तावित यूनिट	शुल्क
01	बंधोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, कोलकाता	टिहरी एचपीपी	75,000/– रुपए और लागू कर
02	बलविंदर एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, चंडीगढ़	कोटेश्वर एचईपी	75,000/– रुपए और लागू कर
03	रामनाथ अय्यर एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	पवन ऊर्जा परियोजनाएं	70,000/– रुपए और लागू कर
04	नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, हैदराबाद	ढुकवां एसएचपी	40,000/– रुपए और लागू कर
05	धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, पुणे	सौर ऊर्जा संयंत्र	40,000/– रुपए और लागू कर
06	मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	सभी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों को समेकित करने के लिए प्रमुख लागत लेखा परीक्षक	75,000/– रुपए और लागू कर

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से निम्नलिखित संकल्प को पारित करते हुए वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने का अनुरोध किया जाता है:

"यथासंशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपनी 238वीं बैठक में यथाअनुमोदित लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की निम्नानुसार अभिपुष्टि करने का संकल्प लिया जाता है:–

क्रमांक	लागत लेखा परीक्षक का नाम (मैसर्स)	लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तावित यूनिट	शुल्क
01	बंधोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, कोलकाता	टिहरी एचपीपी	75,000/– रुपए और लागू कर
02	बलविंदर एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, चंडीगढ़	कोटेश्वर एचईपी	75,000/– रुपए और लागू कर
03	रामनाथ अय्यर एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	पवन ऊर्जा परियोजनाएं	70,000/– रुपए और लागू कर
04	नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, हैदराबाद	ढुकवां एसएचपी	40,000/– रुपए और लागू कर
05	धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, पुणे	सौर ऊर्जा संयंत्र	40,000/– रुपए और लागू कर
06	मैसर्स आर जे गोयल एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	सभी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों को समेकित करने के लिए प्रमुख लागत लेखा परीक्षक	75,000/– रुपए और लागू कर

उपरोक्त के अलावा, मूल रसीद/वाउचर की प्रस्तुति के अध्यधीन कंपनी के नियमों के अनुसार यात्रा, आवास और भोजन व्ययों की प्रतिपूर्ति ईओआई के अनुसार की जाएगी।

मद संख्या 7:

निजी प्लेसमेंट के आधार पर 3000 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट बांड्स को उपयुक्त किश्तों में निर्गत करने के लिए अनुमोदन:

1. कंपनी के निदेशक मंडल ने 25 सितम्बर, 2023 को आयोजित अपनी 238वीं बैठक में उपयुक्त अंशों में दस से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तनीय बांड जारी करके 3000 करोड़ रुपए तक की राशि जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अधिकतम सीमा के अध्यधीन, विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से शुरू होकर एक वर्ष के पूरा होने तक की अवधि के दौरान या वित्तीय वर्ष 2023–24 में अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक, जो भी पहले हो, उपयुक्त अंशों में 10 से 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड जारी करके 3000 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने के लिए कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन प्रार्थित है।
3. निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त विशेष संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है।

एक एकीकृत व्यापार की योजना के रूप में, कंपनी द्वारा हाइड्रो, थर्मल और नवीकरणीय क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि के लिए सभी अवसरों की खोज की गई है। कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं प्रचालनाधीन, निर्माणाधीन और जांचाधीन हैं। वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार हैं:

1. प्रचालनात्मक परियोजनाएं -

कंपनी की इस प्रकार की छह प्रचालनात्मक परियोजनाएं–टिहरी चरण–I 1000 मेगावाट, कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट, ढुकवां एसएचईपी 24 मेगावाट, पवन परियोजनाएं–पाटन 50 मेगावाट, द्वारका 63 मेगावाट और कासरगोड सौर परियोजना 50 मेगावाट हैं। परियोजना–वार बकाया ऋण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	परियोजना का नाम	वित्तीय संस्था का नाम	राशि पर बकाया के रूप में 31.08.2023 के अनुसार	अनुसूचित चुकौती
1.	पाटन	बॉन्ड सीरीज–I	74.00	03.10.2026 को बुलेट भुगतान
2.	द्वारका	बॉन्ड सीरीज–I	165.00	03.10.2026 को बुलेट भुगतान
3.	ढुकवां	बॉन्ड सीरीज–I	121.00	03.10.2026 को बुलेट भुगतान
		बांड सीरीज–II	80.00	05.09.2029 को बुलेट भुगतान
4.	कासरगौड सौर परियोजना	बॉन्ड सीरीज– IV	102.00	20.01.2031 को बुलेट भुगतान

उपरोक्त के अलावा, कोटेश्वर परियोजना की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अगस्त 2023 के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी से 500 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण/500 करोड़ रुपये का मांग ऋण, कुल 1000 करोड़ रुपये का लाभ उठाया गया है।

प्रचालन से उत्पन्न नकदी का उपयोग मौजूदा ऋण की बकाया चुकौती के साथ–साथ चल रही के लिए इक्विटी की ओर वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी ने पीएनबी/एसबीआई/बीओबी/एचडीएफसी बैंक से ओडी सीमा / डब्ल्यूसीएल का लाभ उठाया है।

2. निर्माण परियोजनाएं -

क. टिहरी पीएसपी - टिहरी पीएसपी को पूरा करने की अनंतिम अनुमानित लागत 6406.33 करोड़ रुपये है और इसे 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात में वित्तपोषित किया जाना है। कंपनी को निवेश अनुमोदन के अनुरूप भारत सरकार (अब मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड) से 372.95 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार से 124.32 करोड़ रुपए का इक्विटी योगदान प्राप्त हुआ था। शेष इक्विटी का वित्तपोषण आंतरिक उपार्जन के माध्यम से किया जा रहा है।

ऋण भाग के लिए, निधियों की व्यवस्था बॉन्ड निर्गम श्रृंखला II, III, IV, V, VI और VII से प्राप्त निधियों से की गई है, जिसकी कुल राशि 3150.00 करोड़ रुपये है। कंपनी ने पीएसपी परियोजना के आंशिक रूप से वित्तपोषण और पहले से ही किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पीएनबी से भी 700 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण का लाभ उठाया है। दिनांक 31.08.2023 तक की स्थिति के अनुसार, पीएनबी का बकाया ऋण 104.58 करोड़ रूपए है।

ख. वीपीएचईपी परियोजना - वीपीएचईपी परियोजना को पूरा करने की अनंतिम अनुमानित लागत 4335.10 करोड़ रुपये है और इसे 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात में वित्तपोषित किया जाना है। कंपनी को निवेश अनुमोदन के अनुरूप भारत सरकार (अब मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड) से 188.00 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार से 71.36 करोड़ रुपए का इक्विटी योगदान प्राप्त हुआ था। शेष इक्विटी का वित्तपोषण नई इक्विटी /आंतरिक उपार्जन के माध्यम से किया जा रहा है।

परियोजना के ऋण हिस्से के लिए, विश्व बैंक से 648 मिलियन अमरीकी डालर के वित्तपोषण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वर्ष 2019–20 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने उच्च डॉलर की परिवर्तन दर के कारण 100 मिलियन अमरीकी डालर का अभ्यर्पण किया है और वित्त वर्ष 2022–23 में अन्य 100 मिलियन अमरीकी डालर का भी अभ्यर्पण किया है, जिसे विश्व बैंक ने स्वीकार कर लिया। दिनांक 31.08.2022 स्थिति के अनुसार विश्व बैंक का बकाया ऋण 232.28 मिलियन यूएसडी है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पीएनबी से भी 500 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण का लाभ उठाया है। दिनांक 31.08.2023 तक की स्थिति के अनुसार, बकाया ऋण 475 करोड़ रूपए है।

ग. खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान - दिसंबर 2017 पीएल पर 12676.58 करोड़ रुपये, जिसमें वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निर्धारित प्रचालन के साथ खुर्जा एसटीपीपी के कार्यान्वयन के लिए 11089.42 करोड़ रुपये और अमेलिया कोयला खदान के विकास के लिए 1587.16 करोड़ रुपये शामिल हैं, के व्यय के लिए दिनांक 08.03.2019 के पत्र के माध्यम से 1320 मेगावाट की खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के निवेश के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा मंजूरी और संसूचना दी गई थी।

टीएचडीसीआईएल ने पहली निकासी की तारीख अर्थात् 11.01.2022 से 10 वर्ष की चुकौती अवधि के लिए कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से 2500 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लिया है। इस ऋण की निधि का उपयोग खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के लिए किया गया है। इसके अलावा, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय के लिए 2500

करोड़ रुपये का सावधि ऋण–II भी स्वीकृत किया गया है और 31.08.2023 तक उपरोक्त सावधि ऋण के सापेक्ष 1675 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई है। ऋण की चुकौती अवधि पहली निकासी की तारीख अर्थात् 21.02.2023 से 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि के बाद 10 वर्ष है।

इसके अतिरिक्त, बांड निर्गम श्रृंखला I, III, IV, V, VI और VII से प्राप्त निधि में से कुल 2558.00 करोड़ रुपये का उपयोग खुर्जा परियोजना और अमेलिया कोयला खदान के लिए किया गया है।

3. बॉन्ड उधारियां -

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016–17 से 2022–23 के दौरान कुल 6250 करोड़ रुपये की श्रृंखला I से VII निर्गत की है। उपरोक्त बांड श्रृंखला के सापेक्ष निधि का उपयोग इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

बांड श्रृंखला	बांड का आकार	बांड आय का उपयोग					
		पवन परियोजनाएं	ढुकवां परियोजना	टिहरी पीएसपी	खुर्जा एसटीपीपी	अमेलिया कोयला खादान	कासरगोड सौर परियोजना
I	600.00	239.00	121.00		240.00		
II	1500.00		80.00	1420.00			
III	800.00			200.00	600.00		
IV	750.00			500.00	23.00	125.00	102.00
V	1200.00			300.00	900.00		
VI	800.00			550.00		250.00	
VII	600.00			180.00	240.00	180.00	
कुल	**6250.00**	**239.00**	**201.00**	**3150.00**	**2003.00**	**555.00**	**102.00**

टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 13.09.2023 को बॉन्ड श्रृंखला VIII भी निर्गत की है और 7.76% प्रति वर्ष की दर से 763 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

4. केपेक्स आवश्यकता:

आरबीई 2023–24 और बीई 2024–25 के अनुसार, कैपेक्स की अनुमानित राशि क्रमशः 4877.22 करोड़ रुपये और 3440.96 करोड़ रुपये (सहायक कंपनियों के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय को छोड़कर) है, जिसमें निर्माणाधीन परियोजनाओं की कैपेक्स आवश्यकता शामिल है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

कैपेक्स आवश्यकता

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पीएसपी	वीपीएचईपी*	खुर्जा	अमेलिया	अन्य	कुल	वीपीएचईपी के अलावा कैपेक्स	ऋण आवश्यकता कॉलम संख्या 8 का 70%
1	2	3	4	5	6	7	8= (7-3)	9
2023-24	929.49	763.06	2847.11	324.42	13.14	4877.22	4114.16	2879.91
2024-25	356.75	1279.44	1273.95	313.43	217.40	3440.96	2161.52	1513.06
					कुल	**8318.18**	**6275.69**	**4392.97**

*विश्व बैंक के साथ समझौता।

4392.97 करोड़ रुपये की उपरोक्त ऋण आवश्यकता के सापेक्ष, 763 करोड़ रुपये के लिए बॉन्ड श्रृंखला VIII निर्गत की गई है और चालू वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान अब तक बैंक ऑफ बड़ौदा से सावधि ऋण–II से 1150 करोड़ रुपये लिया गया है। 2479.97 करोड़ रुपये के शेष ऋण की आवश्यकता है।

प्रस्ताव

1. ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और जारी निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं भावी योजनाओं की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दस से पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए निजी प्लेसमेंट के आधार पर, उपयुक्त अंशों में प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड जारी करके 3000 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने का प्रस्ताव है। बांड की प्रकृति अर्थात् प्रतिभूत/अप्रतिभूत का निर्णय जारी करने के समय प्रतिभूति की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। अनंतिम निबंधन पत्र अनुलग्नक निम्नानुसार है:

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के प्रस्तावित बांड के लिए अनंतिम निबंधन पत्र*

निर्गमकर्ता	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
लिखत का प्रकार	डिबेंचरों की प्रकृति में प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, गैर–संचयी, कर योग्य बांड।
लिखत की प्रकृति	प्रतिभूत/अप्रतिभूत
जारी करने का तरीका	निजी प्लेसमेंट
सूचीकरण (स्टॉक एक्सचेंजों जहां इसे सूचीबद्ध किया जाएगा के नाम सहित सूचीकरण के लिए समयसीमा)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) लिमिटेड के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) खंड पर प्रस्तावित।
निर्गम का आकार	उपयुक्त किश्तों में 3000 करोड़ रूपये तक
ओवरसब्सक्रिप्शन प्रतिधारित करने के विकल्प (राशि)	हाँ, ग्रीन शू विकल्प के साथ
निर्गम के उद्देश्य	पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करने सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं की ऋण आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करना।
पुट कॉल ऑप्शन	आवश्यकता के आधार पर
कूपन दर	निर्धारित की जानी है
कूपन भुगतान आवृत्ति	वार्षिक
कूपन भुगतान तिथियां	आवंटन तिथि की वर्षगांठ की तिथि
कूपन प्रकार	नियत
कूपन रीसेट प्रक्रिया (दरों, स्प्रेड, प्रभावी तिथि, ब्याज दर कैप और फ्लोर आदि सहित)	कोई नहीं
दिन गणना आधार	वास्तविक
निर्गम राशि	1,00,000 रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य पर
अवधि	10 से 15 वर्ष
प्रतिदान राशि	1 लाख रूपये प्रत्येक के सममूल्य पर
प्रतिदान प्रीमियम/छूट	शून्य
लिखत जारी करने का तरीका	डीमैट
लिखत व्यापार का तरीका	डीमैट

* उपरोक्त निबंधन समय–समय पर जारी किए जाने वाले सेबी विनियमनों के अध्यधीन हैं।

2. बांडों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग निर्माणाधीन परियोजनाओं की ऋण आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करना शामिल है।

निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कुल 3000 करोड़ तक के बांड जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प लिया जाना है कि कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका और आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 (1) और किसी भी अन्य लागू वैधानिक उपबंधों (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 71 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसार, और कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, कंपनी के निदेशक मंडल को निर्गम के समय, विचरण, निर्गम से हुए आय के उपयोग और उससे संबंधित या परिणामी अन्य सभी संबद्ध मामलों सहित ऐसी शर्तों और निबंधनों, जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए और कंपनी के हित में हो, पर निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रतिभूत/अप्रतिभूत कॉर्पोरेट बांड जारी करने के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने के लिए अधिकृत करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन दिया जाए:

इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया जाना है कि बोर्ड समय–समय पर, ऐसे बांडों के निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य और चीजें, जो आवश्यक समझे जाए, जिनमें अंकित मूल्य, निर्गम मूल्य, निर्गम आकार, अवधि, समय, राशि, प्रतिभूति, कूपन/ब्याज दर, प्रतिलाभ, सूचीकरण, आबंटन और बांड जारी करने के अन्य नियम और शर्तें, जो यह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक समझे, निर्धारित करना शामिल है, किंतु इन तक ही सीमित नहीं है, करने या प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत होगा।"

मद संख्या 8:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि के आधिक्य में बोर्ड की उधार लेने की शक्तियों को अनुमोदित करना

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसार, किसी कंपनी का निदेशक मंडल ऐसी स्थिति में धनराशि उधार लेने की शक्ति का प्रयोग करेगा, जहां उधार ली जाने वाली धनराशि और कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि, किसी विशेष संकल्प द्वारा कंपनी की सहमति से व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋण के अलावा, उसकी संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि के कुल योग से अधिक होगी।

उपरोक्त खंड के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार "अस्थायी ऋण" पदों से मांग पर या ऋण की तारीख से छह महीने के भीतर चुकाए जाने वाले ऋण जैसे कि अल्पकालिक ऋण, नकद ऋण व्यवस्था, बिलों की छूट और सीजनल प्रकृति के अन्य अल्पकालिक ऋण जारी करना अभिप्रेत हैं, लेकिन इसमें पूंजीगत प्रकृति के वित्तीय व्यय के उद्देश्य से जुटाए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

इस संबंध में, 27.09.2014 को आयोजित 26वीं एजीएम में कंपनी के शेयरधारकों ने निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित किया है:–

"संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे नियम और शर्तों पर और ऐसी प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, जो निदेशक मंडल उचित समझे, समय–समय पर कोई धनराशि या धनराशियां, जो कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि (व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले अस्थायी ऋणों के अलावा) के साथ, कंपनी की तत्समय संदत्त पूंजी के और इसकी मुक्त आरक्षित निधि के कुल योग से अधिक हो सकती है, उधार लेने के लिए कंपनी की सहमति दी जाए, परंतु बोर्ड द्वारा उधार ली गई कुल धनराशि किसी भी समय दिनांक 31.03.2014 को टीएचडीसीआईएल की संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि अर्थात् 17330 करोड़ रुपये (लगभग) से 10000 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी।"

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180 (1)(ग) के अनुरूप, दिनांक (13.09.2023) को चालू उधारियां इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपये में)

क्रम	विवरण	13.09.2023 को शेष
1.	बांड (श्रृंखला I से VIII के माध्यम से निर्गत)	7013.00
2.	पंजाब नेशनल बैंक (टीएल–1)	104.58
3.	पंजाब नेशनल बैंक (टीएल–2)	475.00
4.	पंजाब नेशनल बैंक (एसटीएल)	500.00
5.	विश्व बैंक (आईबीआरडी)	1602.17
6.	बीओबी (टीएल–1)	2312.50
7.	बीओबी (टीएल–2)	1675.00
8.	बीओबी (मांग ऋण)	500.00
	कुल	**14182.25**

वर्तमान में (13.09.2023 को) कुल बकाया उधार 14182.25 करोड़ रुपये है। हमारी निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित उधार पर विचार करते हुए, 27.09.2014 को हुई बैठक में शेयरधारकों द्वारा पहले से स्वीकृत उधार सीमा आने वाले वर्षों में समाप्त हो सकती है।

वर्तमान में 31.03.2023 तक कंपनी का निवल मूल्य (संदत्त पूंजी+मुक्त आरक्षित निधि) 10428.78 करोड़ रुपये है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए शेयरधारक से दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार 10428.78 करोड़ रुपये के निवल मूल्य पर विचार करने और दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसीआईएल की संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से 10,000 करोड़ रुपए अधिक की उधार पर विचार करते हुए उधार लेने की सीमा को 20428 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की मंजूरी देने और निम्नलिखित संकल्प को पारित करने का अनुरोध किया जाता हैः

"संकल्प लिया जाना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे नियम और शर्तों पर और ऐसी प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, जो निदेशक मंडल उचित समझे, समय–समय पर कोई धनराशि या धनराशियां, जो कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि (व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले अस्थायी ऋणों के अलावा) के साथ, कंपनी की तत्समय संदत्त पूंजी के और इसकी मुक्त आरक्षित निधि के कुल योग से अधिक हो सकती है, उधार लेने के लिए कंपनी की सहमति दी जाए, परंतु बोर्ड द्वारा उधार ली गई कुल धनराशि किसी भी समय दिनांक 31.03.2023 को टीएचडीसीआईएल की संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि अर्थात् 20428 करोड़ रुपये से 10000 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी।"

प्रॉक्सी फॉर्म

कंपनी का नाम : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: भागीरथी भवन (टॉप टेरेस), भागीरथी पुरम, टिहरी (गढ़वाल)–249001, उत्तराखंड

सदस्य का नाम		
पंजीकृत पता		
ई-मेल		

मैं, ... टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का सदस्य होने के नाते, 25 सितम्बर, 2023 को अपराह्न 01:00 बजे आयोजित की जाने वाली कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक और इसके किसी स्थगन के संबंध में नीचे उल्लिखित निम्नलिखित संकल्पों में भाग लेने और मतदान करने के लिए .... के श्री .... को (उनके न हो सकने पर) .... के श्री .... को एतदद्वारा अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ।

साधारण व्यापार

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और अंगीकार करना।

2. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

3. बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और वर्ष 2022–23 के लिए अंतिम लाभांश घोषित करना।

विशेष व्यापार

4. श्री शैलेन्द्र सिंह (डीआईएनः 10191941) को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त करना।

5. श्री भूपेन्द्र गुप्ता (डीआईएनः 06940941) को कंपनी में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करना।

6. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना।

7. निजी प्लेसमेंट आधार पर उपयुक्त किश्तों में 3000 करोड़ रुपये तक के कॉरपोरेट बांड के निर्गम को मंजूरी देना

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(ग) के तहत संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित से अधिक में बोर्ड की उधार लेने की शक्ति को अनुमोदित करना।

मैंने दिनांक .... 2023 को साक्षी के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए।

हितधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रॉक्सी फॉर्म के प्रभावी होने के लिए, इसे बैठक के आरम्भ होने से पहले कम–से–कम 48 घंटे पूर्व विधिवत भरा जाना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

हमारी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति

टीएचडीसीआईएल ने पिछले दो दशकों में अपने अस्तित्व को एकल परियोजना संगठन से राष्ट्रव्यापी कंपनी तक विस्तारित किया है। एक प्रतिबद्ध कार्यबल के सहयोग से हमारी सुविचारित योजना प्रक्रिया, हमारे कार्यनीतिक रोडमैप के निर्बाध कार्यान्वयन में सहायता करती है, और स्थायी परिणामों को सुनिश्चित करती है। वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल का पोर्टफोलियो एक संपूर्ण बास्केट है जिसमें बेस लोड के लिए ताप विद्युत, ग्रिड स्थिरता के लिए जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पवन और सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण और शीर्ष विद्युत के लिए पीएसपी शामिल है।

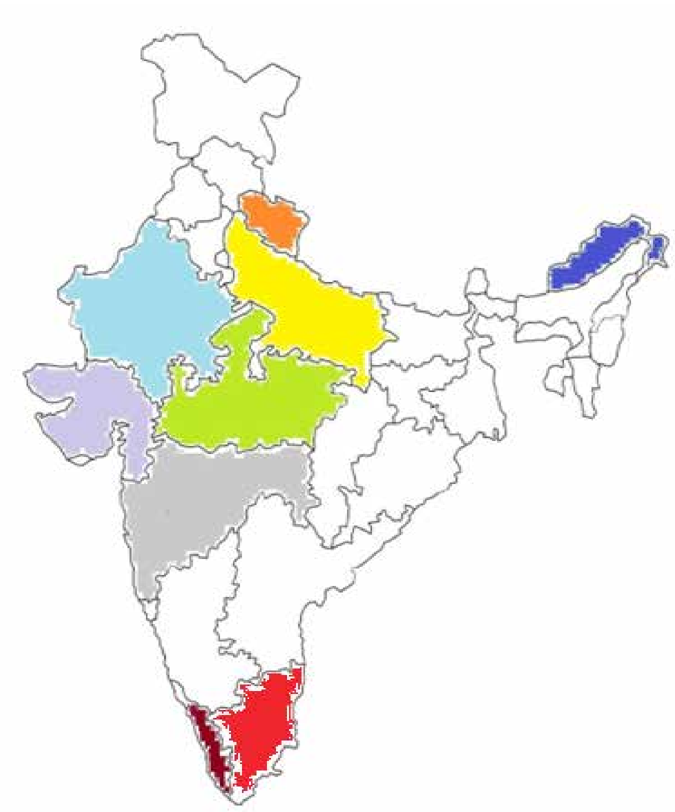

उत्तराखंड

1. टिहरी एचपीपी 1000 मेगावाट
2. कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट
3. टिहरी पीएसपी 1000 मेगावाट
4. विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी 444 मेगावाट
5. झेलम तमक एचईपी 108 मेगावाट
6. बोकांग बेलिंग 165 मेगावाट
7. ऊर्थरिंग सोबला 280 मेगावाट
8. तमक लता 190 मेगावाट
9. नंदप्रयाग लंगासु एचईपी 100 मेगावाट

राजस्थान

संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से 10000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्कों का विकास

अरुणाचल प्रदेश

1. कलई–II एचईपी 1200 मेगावाट
2. डेमवे लोअर एचईपी 1750 मेगावाट

गुजरात

1. पाटन पवन ऊर्जा परियोजना 50 मेगावाट
2. देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना 63 मेगावाट

महाराष्ट्र

कुल 6 पीएसपी अर्थात् हुम्बर्ली बिमरानी पीएसपी 1000 मेगावाट, गडगाडी खेरावाड़ी पीएसपी 600 मेगावाट, अरुणा पीएसपी 1950 मेगावाट, खरारी पीएसपी 1250 मेगावाट, मोरावाडी पीएसपी 690 मेगावाट और अरुणा कोलंब पीएसपी 1200 मेगावाट पर काम किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश

1. ढुकवां एसएचपी 24 मेगावाट
2. खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट
3. संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्कों का विकास
4. निम्नलिखित 3 फ्लोटिंग सौर परियोजना पर कार्य चल रहा है:

i. माताटीला बांध और जलाशय 500 मेगावाट

ii. जामिनी बांध और जलाशय 25 मेगावाट

iii. अर्जुन सागर बांध और जलाशय 15 मेगावाट

मध्य प्रदेश

अमेलिया कोयला खदान, सिंगरौली

तमिल नाडु

तमिलनाडु राज्य में नल्लार 2700 मेगावाट पर प्रक्रिया चल रही है।

केरल

1. कासरगोड 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना,
2. दो पीएसपी नामतः इडुक्की 300 मेगावाट और पल्लीवासल 600 मेगावाट पर प्रक्रिया चल रही है।

राष्ट्रव्यापी उपस्थिति बनाने के कार्यनीतिक आशय के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल देश भर में हाइड्रो, नवीकरणीय ऊर्जा और थर्मल परियोजनाओं को विकसित करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य सरकार की एजेंसियों और अन्य सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

ऊपर दर्शाई गई परियोजनाओं में प्रचालनात्मक परियोजनाएं, निर्माणाधीन परियोजनाएं और वे परियोजनाएं शामिल हैं जो मंत्रालयों/राज्य सरकारों में प्रक्रियाधीन हैं।

विद्युत उत्पादन में विविधीकरण

नवीकरणीय ऊर्जा की हमारी हिस्सेदारी बढ़ाने की अकांक्षा के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल ने भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और किफायती विद्युत द्वारा संचालित ऊर्जा विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। टीएचडीसीआईएल देश के कुछेक ऐसे पीएसयू में से एक है, जिनके परियोजना पोर्टफोलियो में हाइड्रो, हाइड्रो (पम्प स्टोरेज संयंत्र) ताप, सौर, पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं।

टीएचडीसीआईएल, सभी सस्ती कीमतों पर 24X7 बिजली उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। पिछले कुछ वर्षों में, टीएचडीसीआईएल ने ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा को लगातार बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास किए हैं। टीएचडीसीआईएल ने राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क के विकास के लिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरआरईसीएल) के साथ साझेदारी में ट्रेडको लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का निगमन किया है। टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड में अप्रयुक्त विद्युत क्षमता के तेजी से विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए यूजेवीएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त के अलावा टीएचडीसीआईएल ने ऋषिकेश में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की है।

टीएचडीसीआईएल ने सक्रिय कदम उठाए हैं और दो उच्च क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं, अर्थात् 1200 मेगावाट कलई–II और 1750 मेगावाट डेमवे–लोअर के आवंटन के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ बातचीत की है। टीएचडीसीआईएल ने महाराष्ट्र में छह और उत्तराखंड में एक पंप स्टोरेज विद्युत संयंत्र (पीएसपी) विकसित करने के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की तैयारी शुरू कर दी है। टीएचडीसीआईएल ने केरल राज्य में इडुक्की पंप स्टोरेज (300 मेगावाट) और पल्लीवासल पंप स्टोरेज परियोजना (600 मेगावाट) के लिए पीएफआर की तैयारी के लिए दिनांक 24.01.2023 को केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

आईडब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश द्वारा टीएचडीसीआईएल को आबंटित कुल 2563 मेगावाट की 6 फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी और अब उत्तर प्रदेश में विभिन्न जलाशयों पर विकास के लिए 3 व्यवहार्य परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है।

जल विद्युत संयंत्र	टिहरी एचपीपी 1000 मेगावाट, कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट और ढुकवां एसएचपी 24 मेगावाट प्रचालनात्मक जलविद्युत परियोजनाएं हैं। विष्णुगाड़ पीपलकोटी (444 मेगावाट) की पहली इकाई के मार्च–2026 तक चालू होने की उम्मीद है।
पंप स्टोरेज संयंत्र	टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) की पहली इकाई के मार्च–2024 तक चालू होने की उम्मीद है।
पवन ऊर्जा	63 मेगावाट द्वारका और 50 मेगावाट पाटन प्रचालनात्मक पवन ऊर्जा संयंत्र हैं।
सौर ऊर्जा पार्कों का विकास	संयुक्त उद्यम कंपनी टुस्को लिमिटेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में तीन सौर ऊर्जा पार्क निर्माणाधीन हैं। राजस्थान राज्य में 10000 मेगावाट के सौर विद्युत पार्क के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल के बीच ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) का निगमन किया गया है।
ताप विद्युत	खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) की पहली इकाई के फरवरी–2024 तक चालू होने की उम्मीद है।
सौर ऊर्जा	50 मेगावाट कासरगोड सौर संयंत्र, प्रचालनात्मक सौर परियोजना है।
ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र	टीएचडीसीआईएल ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित माइक्रो–ग्रिड स्थापित करने की योजना बनाई है।

प्रमुख वित्तीय निष्पादन विशेषताएं

मुख्य वित्तीय जानकारी

(राशि करोड़ रुपए में)

			2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19*
क		**राजस्व**					
	1	प्रचालन से राजस्व	1974.3	1921.49	1796.01	2123.10	2449.26
	2	अन्य आय	29.35	305.85	705.92	282.26	394.09
	3	सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	10.47	16.24	18.80	63.74	69.15
	4	घटाएः सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	10.47	16.24	18.80	63.74	69.15
	5	**कुल राजस्व**	**2003.65**	**2227.34**	**2501.93**	**2405.36**	**2843.35**
ख		**व्यय**					
	6	कर्मचारी हितलाभ व्यय	336.74	354.11	388.78	360.30	411.83
	7	उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	428.2	287.06	230.33	239.33	209.78
	8	प्रावधान	0.00	0.00	0.25	0.00	49.85
	9	असाधारण मदें	0.00	0.00	35.65	0.00	0.00
	10	**कुल व्यय**	**764.94**	**641.17**	**655.01**	**599.63**	**671.46**
	11	**सकल लाभ (पीबीआईटी) (5-10)**	**1238.71**	**1586.17**	**1846.92**	**1805.73**	**2171.89**
	12	मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	273.90	302.65	317.33	576.10	555.00
	13	**सकल लाभ (पीबीआईटी) (11-12)**	**964.81**	**1283.52**	**1529.59**	**1229.63**	**1616.89**
	14	वित्त लागत	181.37	134.11	181.93	240.34	199.54
	15	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष लाभ में निवल संचलन और कर पूर्व लाभ (13-14)**	**783-44**	**1149-41**	**1347-66**	**989-29**	**1417-35**
	16	आय कर	136.55	189.34	229.60	163.12	306.59
	17	आस्थगित कर परिसंपत्ति	17.10	35.57	68.48	-53.02	-66.76
	18	**विनियामक आस्थगित लेखा षेश में निवल संचालन से पूर्व अवधि के लिए लाभ**	629-79	924-50	1049-58	879-19	1177-52
	19	विनियामक आस्थगित लेखा शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन	43.30	-29.72	42.83	41.06	12.39
	20	**सतत परिचालन अवधि के लिए लाभ (18+19)**	**673.09**	**894.78**	**1092.41**	**920.25**	**1189.91**
	21	अन्य व्यापक आय	-1.87	1.59	0.23	-12.47	-2.99
	22	ओसीआई पर आय कर–आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	-0.65	0.55	0.08	-4.35	-1.04
	23	**कुल व्यापक आय (20+21+22)**	**670.57**	**896.92**	**1092.72**	**903.43**	**1185.88**
ग		**परिसंपत्तियां**					
	24	मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति (निवल ब्लॉक)	6183.15	6343.72	6562.21	6592.19	6830.99
	25	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	13990.63	9447.39	6414.30	4989.80	4544.34
	26	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	404.53	411.72	410.50	380.71	0.00
	27	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	32.00	36.12	39.25	38.90	40.79
	28	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	818.54	836.29	871.31	939.71	891.04
	29	गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल	17.56	43.21	32.49	24.55	67.85
	30	अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	2101.50	2042.24	1906.22	1582.89	1209.42
	31	चालू परिसंपत्तियां	1555.29	1823.72	2303.52	2813.65	1905.59
	32	विनियामिक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	133.42	98.69	169.72	186.22	87.81
	33	सहायक कंपनी में निवेश	25.90	14.80	7.40		

	34	कुल परिसंपत्तियां	25262.52	21097.90	18716.92	17548.62	15577.83
घ		**देयताएं**					
	35	इक्विटी शेयर पूंजी	3665.88	3665.88	3665.88	3665.88	3654.88
		अन्य इक्विटी					
	36	आरक्षित और अधिशेष	6780.92	6655.77	6269.19	5884.53	5120.18
	37	अन्य व्यापक आय	-18.02	-15.50	-17.64	-17.94	-1.12
	38	कुल अन्य इक्विटी	6762.90	6640.27	6251.55	5866.59	5119.06
	39	दीर्घ अवधि उधारियां	10289.09	6653.98	5014.22	3946.70	2652.01
	40	गैर–चालू पट्टा देयताएं	35.73	29.99	9.19	10.26	0.00
	41	अन्य दीर्घ अवधि देयताएं और प्रावधान	1343.97	1155.09	1015.01	1038.20	1325.17
	42	लघु अवधि उधारियां	948.32	926.10	700.00	1115.06	1218.40
	43	दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता	386.15	426.63	533.51	595.15	544.37
	44	पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता	3.39	4.17	4.06	5.62	0.00
	45	अन्य चालू देयताएं	1329.63	1080.59	973.27	686.53	493.97
	46	विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	497.46	515.20	550.23	618.63	569.97
	47	कुल देयताएं	25262.52	21097.90	18716.92	17548.62	15577.83
	48	निवल मूल्य (35+38)	10428.78	10306.15	9917.43	9532.47	8773.94
	49	नियोजित पूंजी (48+43+42+39+28)	21233.80	17476.57	15293.85	14249.67	12297.68
	50	लाभांश	547.94	508.20	707.75	126.00	423.12
	51	मूल्य वर्धित (11)	1238.71	1586.17	1846.92	1805.73	2171.89
	52	कर्मचारियों की संख्या	1563	1644	1736	1835	1891
	53	शेयरों की संख्या (राशि लाख में) (प्रति शेयर 1000/– रु. के सम मूल्य पर)	3.67	3.67	3.67	3.67	3.65
ङ		**अनुपात**					
		प्रति शेयर अर्जन (रू. 1000/– शेयर की कीमत) जिसमें विनियामक अस्थगित लेखा शेष में निबल संचालन शामिल है। (रू. में)	183.61	244.08	297.99	251.22	326.35
		चालू अनुपात {31/(41+43+44+45)}	0.58	0.75	1.04	1.17	0.84
		इक्विटी पर ऋण (39+42+43/48)	1.11	0.78	0.63	0.59	0.50
		नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (पीबीआईटी/नियोजित पूंजी) (13+9/49)	4.54%	7.34%	10.23%	8.63%	13.15%
		निवल मूल्य पर प्रतिलाभ	6.49%	8.85%	11.23%	10.05%	13.77%
		कुल व्यापक आय का प्रचालनों से राजस्व से अनुपात (23/1)	33.96%	46.68%	60.84%	42.55%	48.42%
		प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु. में) (48/53)	2844.82	2811.37	2705.33	2600.32	2400.61
		मूल्य वर्धित प्रति कर्मचारी (करोड़ रु में) (51/52)	0.80	0.97	1.06	0.98	1.15
		प्रति शेयर लाभांश (रु. में) (प्रत्येक 1000 रु. का शेयर)	149.47	138.63	193.06	34.37	115.77
च		**प्रचालन निष्पादन**					
		उत्पादन (एम.यू.)	4936.28	4670.80	4565.36	4526.85	4687.18

* टिप्पणी: आंकड़े पुनः कथित वित्तीय विवरणों के आधार पर हैं।

प्रमुख वित्तीय प्रदर्शन चार्ट

निवल मूल्य की तुलना में उधारियां

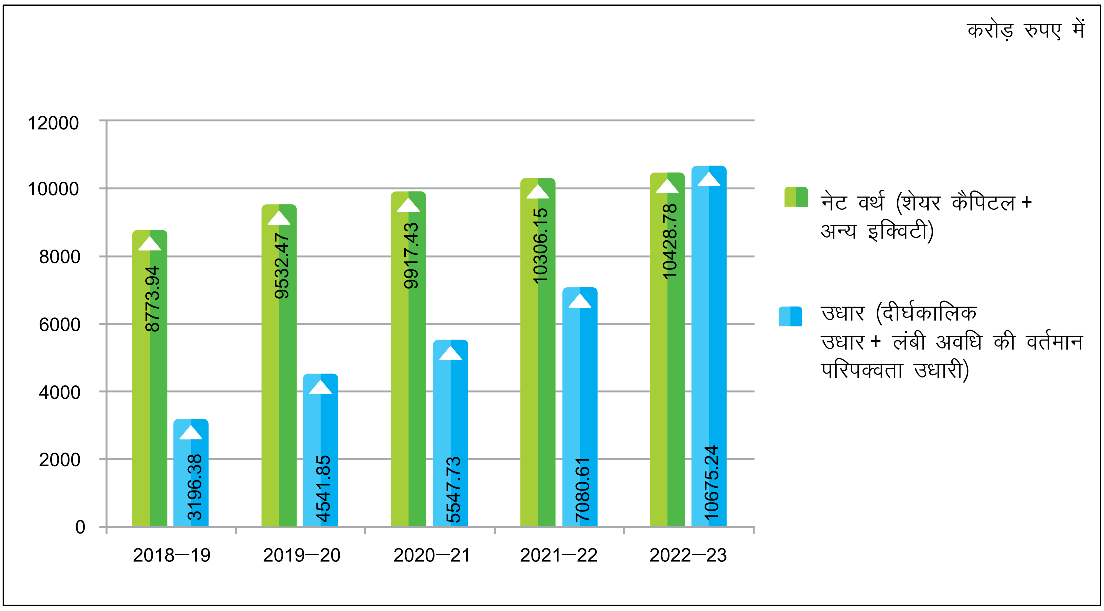

कुल राजस्व की तुलना में कुल व्यापक आय

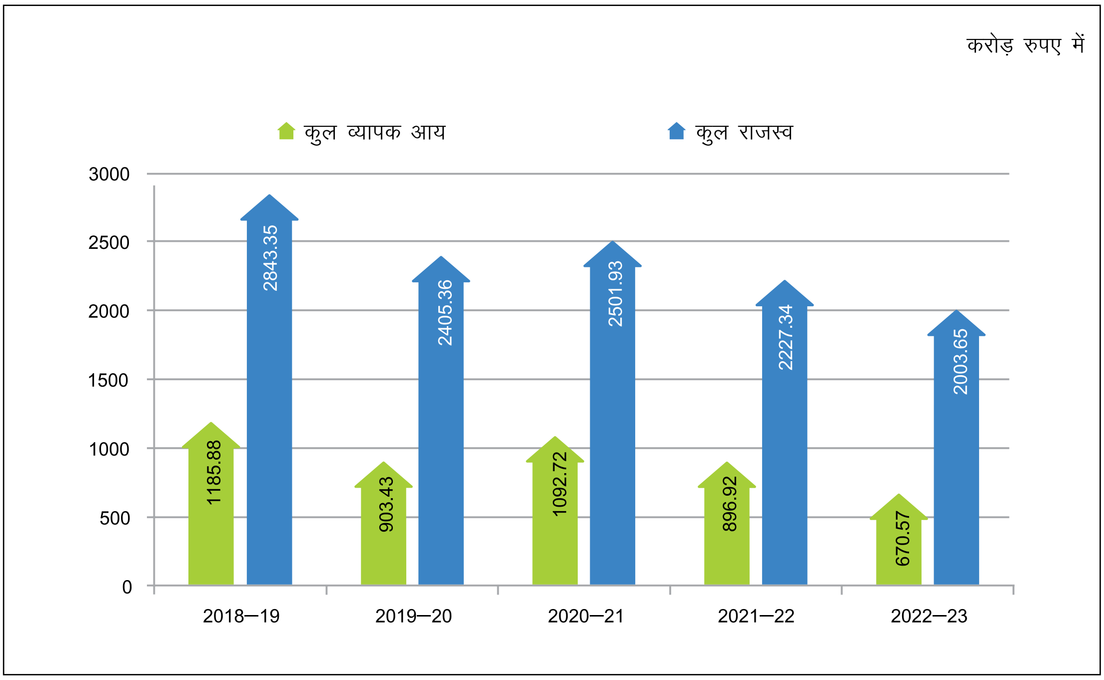

लाभांश भुगतान

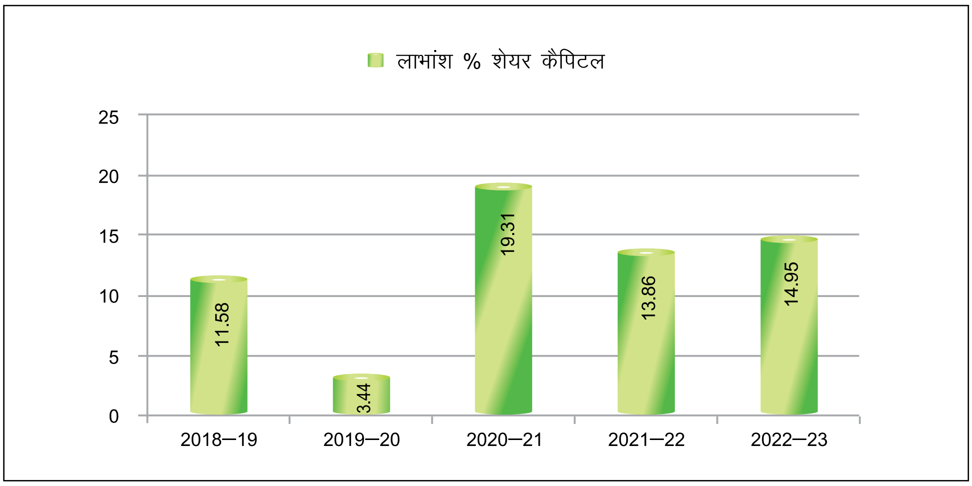

प्रचालन से राजस्व का ब्यौरा

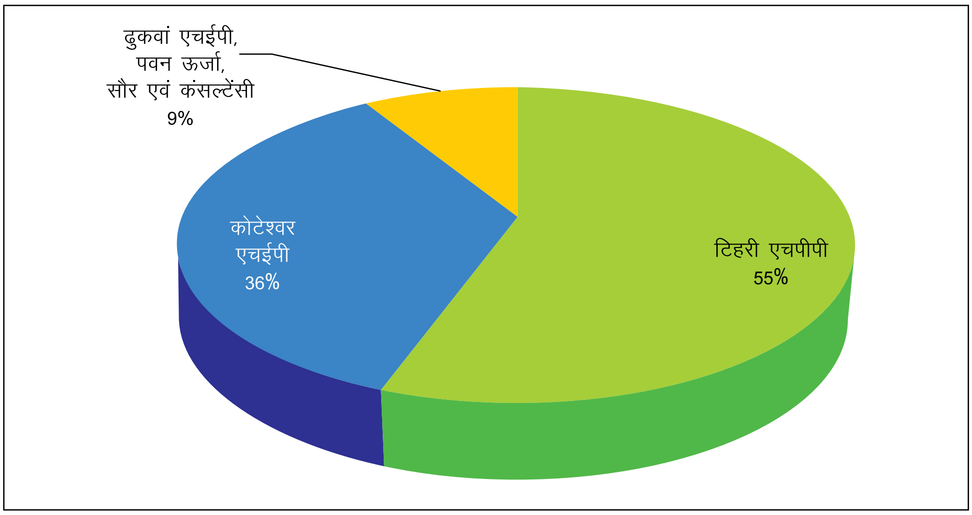

राजस्व का वितरण

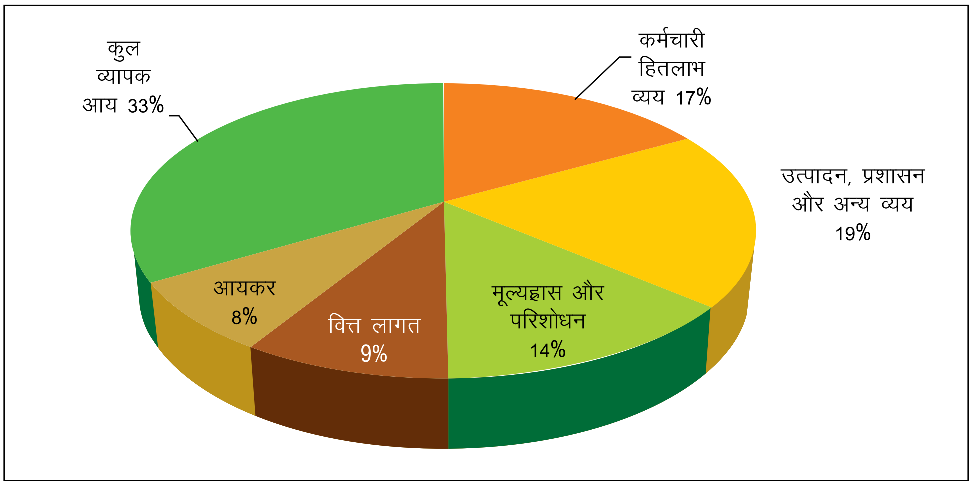

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री राजीव कुमार विश्नोई

श्री राजीव कुमार विश्नोई दिनांक 06.08.2021 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है। इससे पूर्व, श्री विश्नोई दिनांक 01.09.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। आपने यह रेखांकित किया कि टीएचडीसीआईएल को गतिशील समकालीन विद्युत परिदृश्य में विद्युत क्षेत्र की एक समयोचित/अनुभवी कंपनी के रूप में परिवर्तित करना उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आपने प्रचालनात्मक के साथ–साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं में संस्थागत नूतन हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। आपको दिनांक 01.09.2022 से एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।

श्री विश्नोई को हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर के डिजाइन, अभियांत्रिकी एवं निर्माण में 36 वर्षों से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। आप वर्ष 1989 में अभियंता के रूप में टीएचडीसी में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर कार्य किया और वर्ष 2013 में आप महाप्रबंधक के स्तर पर पदोन्नत हुए और इसके बाद वर्ष 2016 में आप कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए। डिजाइन विभाग के प्रमुख के साथ–साथ आपने विष्णुगाड़–पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) 444 मेगावाट के कार्यपालक निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। टिहरी, कोटेश्वर और विष्णुगाड़ पीपलकोटी जलविद्युत परियोजनाओं में कार्य करते हुए आपने विभिन्न प्रतिष्ठित उपलब्धियां हासिल की हैं।

श्री विश्नोई, बिट्स पिलानी से सिविल अभियांत्रिकी में ऑनर्स ग्रेजुएट हैं और आपके पास एमबीए की योग्यता भी है और आपने मास्को विश्वविद्यालय रूस से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एवं हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन के डिजाइन एवं निर्माण में प्रोफेशनल अपग्रेडेशन कार्यक्रम में भी भाग लिया है।

आप, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम (आई.सी.ओ.एल.डी) की बांधों की भूकंपीय सुरक्षा पर बनी तकनीकी समिति में वर्तमान में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आपने स्पोकेन (यूएस), वांशिंगटन डीसी (यूएस), पीटर्सबर्ग (रूस), चेंगुडु (चीन), बीजिंग (चीन), पोर्टो कोंरेस (ग्रीस), एंटेल्या (टर्की), ओट्टावा (कनाडा), सिंगापुर और नेपाल जैसे विभिन्न देशों में उल्लेखनीय व्याख्यान भी दिए हैं।

श्री जितेश जॉन

श्री जितेश जॉन, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय को 21 जून, 2021 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप भारतीय आर्थिक सेवा (2001 बैच) से हैं। आप विद्युत मंत्रालय में, योजना, परियोजना निगरानी, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित मामलों को देखते हैं। इस असाइनमेंट से पहले आपने योजना आयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में कार्य किया है और अवसंरचना में पीपीपी, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और वित्तीय बाजारों के विकास जैसे क्षेत्रों में कार्य किया है। श्री जितेश ने लोयोला कॉलेज, चेन्नई से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (एमए) किया है। आपने आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, आरएमआईटी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया और मैरीलैंड विश्वविद्यालय, यूएसए में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है।

श्री अनिल गर्ग

श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 26.04.2022 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप भारत प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के अधिकारी हैं और प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में नियुक्ति से पहले आप यूपीएसआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

श्री गर्ग थापर विश्वविद्यालय, पटियाला से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक हैं। वर्ष 1996 में आईएएस अधिकारी बनने के बाद, आपने इलाहाबाद में संयुक्त मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, आबकारी आयुक्त, राजमार्ग विभाग, गौतमबुद्धनगर, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ और आयुक्त, राजस्व विभाग, लखनऊ के रूप में और अन्य प्रतिष्ठित कार्यालयों में कार्य किया है। श्री अनिल गर्ग को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में विज्ञान, प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, आपको मनरेगा कार्यों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह और एक जिला एक उत्पाद, राजस्व संग्रह आदि के लिए अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। श्री अनिल गर्ग को राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

श्री जे. बेहेरा

श्री जे. बेहेरा दिनांक 16.08.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) कार्यभार संभाले हुए हैं। आप कॉमर्स में स्नातक हैं और भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट के सदस्य हैं। आपको टीएचडीसी के वित्त एवं लेखा विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में 33 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। आपको कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ–साथ परियोजना स्थलों में भी कार्य का लंबा अनुभव है। आप गत चार वर्ष से कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी और प्रमुख

प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के पद पर कार्यरत रहे हैं। आपके नेतृत्व में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) विकसित एवं कार्यान्वित हुई तथा आपने वित्त एवं लेखा विभाग की गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने टीएचडीसी के पहली बार बांड जारी करने एवं पवन विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

श्री शैलेन्द्र सिंह

श्री शैलेन्द्र सिंह ने 06 जून, 2023 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले, आप, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन मिनी रत्न अनुसूची 'ए' पीएसयू, एसजेवीएनएल में कॉर्पोरेट कार्यालय, शिमला में मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख का पद संभाल रहे थे।

श्री शैलेन्द्र सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिमला के प्रतिष्ठित सेंट एडवर्ड स्कूल से पूरी की। आपने गवर्नमेंट कॉलेज, शिमला से अंग्रेजी (ऑनर्स) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री सिंह ने वर्ष 1989 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री पूरी की।

श्री शैलेन्द्र सिंह ने वर्ष 1992 में कार्यकारी प्रशिक्षुओं के पहले बैच में एसजेवीएनएल में अपने करियर की शुरुआत की। आपके पास मानव संसाधन के सभी क्षेत्रों में 30 से अधिक वर्षों का समृद्ध और विविध अनुभव है और आपने दो प्रमुख हाइड्रो पावर स्टेशन, 1500 मेगावाट एनजेएचपीएस और 412 मेगावाट आरएचपीएस में एक साथ कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ–साथ मानव संसाधन प्रमुख के रूप में भी काम किया है। विभिन्न उन्नत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे एमिटी, न्यूयॉर्क (यूएसए) में आयोजित ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लंदन (यूके) में मानव संसाधन कार्यों का आधुनिकीकरण और एएससीआई, हैदराबाद आदि में विभिन्न नेतृत्व और प्रबंधन कार्यक्रमों में आपका विशाल अनुभव है।

एसजेवीएनएल में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने पूरे संगठन में एसएपी ईआरपी आधारित एचआर मॉड्यूल का कार्यान्वयन, सामरिक हस्तक्षेप के रूप में संतुलित स्कोर कार्ड का कार्यान्वयन, विभिन्न एल एंड डी हस्तक्षेपों के माध्यम से पूरे संगठन के लिए कर्मचारी विकास को आगे बढ़ाना जैसी बहुत–सी एचआर पहलों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया और संगठन के मीडिया आउटरीच में वृद्धि की है।

श्री भूपेन्द्र गुप्ता

श्री भूपेन्द्र गुप्ता ने 09 जून, 2023 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। टीएचडीसीआईएल में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, आप भूटान में पुनातसांगचू जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण में निदेशक (तकनीकी) के पद पर थे। इससे पहले, आपने आरईसी की दो सहायक कंपनियों, नामतः आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में प्रचालन प्रमुख के रूप में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। आरईसी में अपने कार्यकाल के दौरान, आप विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के निष्पादन, परियोजना प्रबंधन, संविदा प्रबंधन और परामर्श की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

श्री गुप्ता के पास लगभग 32 वर्षों का समृद्ध और विशाल कार्य अनुभव है, जिसमें से लगभग 29 वर्षों तक आपने विद्युत क्षेत्र में काम किया है और बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के साथ–साथ पारेषण/वितरण परियोजनाओं की योजना/डिजाइन/निष्पादन/संविदा और परियोजना प्रबंधन और ओएंडएम की जिम्मेदारी संभाली।

श्री गुप्ता ने ऑपरेशन मैनेजमेंट में एमबीए के साथ इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वर्ष 2007 में आरईसी लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, आपने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में 12 वर्षों तक विभिन्न पदों पर काम किया और 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्लांट के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की योजना, निर्माण और कमीशनिंग की जिम्मेदारी निभाई। यह भारत में अब तक संचालित सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है। आपने पहले लगभग 3 वर्षों (2002 से 2005 तक) के लिए 1020 मेगावाट ताला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के साथ प्रतिनियुक्ति पर भूटान में भी कार्य किया था।

श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य

श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य को दिनांक 26.08.2020 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया। आप जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक है। आपने एमडीआई, गुड़गांव से प्रबंधन में परा स्नातक डिप्लोमा भी किया है। श्री भट्टाचार्य ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज के नौंवें बैंच के रूप में वर्ष 1984 में एनटीपीसी में कार्यभार ग्रहण किया और आपकी शुरूआती तैनाती कोरबा में हुई। आपने अपने करिअर की शुरूआत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में की। इसके बाद आपने 1600 मेगावाट के फरक्का एसटीटीपी विद्युत संयंत्र प्रचालन और अनुरक्षण, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण, पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया। आपने एनटीपीसी के उर्ध्वाधर और क्षैतिज व्यवसाय विविधीकरण तथा अजैविक मार्ग से विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में एनटीपीसी के व्यापार विकास कार्य में आपका शानदार करिअर रहा है जिसमें मुख्य बल कोलडैम का अधिग्रहण कर जल–विद्युत में एनटीपीसी के विविधीकरण तथा विद्युत वितरण के व्यापार के लिए सहायक कंपनी एनईएससीएल स्थापित करने पर रहा है। आप बंगलादेश स्थित 1320 मेगावाट की मैत्री विद्युत परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम बनाने और

परियोजना की अवधारणा तैयार करने में आपकी अग्रणी भूमिका रही। एनटीपीसी में निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व आपने प्रबंध निदेशक और सीईओ (बंगलादेश भारत मैत्री विद्युत कंपनी लिमिटेड) कार्यकारी निदेशक (व्यापार विकास) और कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं) एनटीपीसी के रूप में काम किया है।

श्री जयकुमार श्रीनिवासन

श्री जयकुमार श्रीनिवासन को दिनांक 17.08.2022 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप वाणिज्य स्नातक और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक सहयोगी सदस्य हैं। श्री जयकुमार श्रीनिवासन के पास वित्त, लेखा, कराधान, वाणिज्यिक, विद्युत विनियमन, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, परियोजना विकास आदि के क्षेत्र में राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में विद्युत और खनन क्षेत्र में 31 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें 8 वर्ष का बोर्ड स्तर का अनुभव शामिल है। श्री जयकुमार श्रीनिवासन ने दिनांक 21. 07.2022 को निदेशक (वित्त), एनटीपीसी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। निदेशक (वित्त), एनटीपीसी लिमिटेड के रूप में नियुक्ति से पहले, आपने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया है। आपने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में भी कार्य किया है, इससे पहले आप महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी (महाजेनको), महाराष्ट्र सरकार की संस्था के निदेशक (वित्त) रहे। आपने महागुज कोलियरी कंपनी लिमिटेड, यूसीएम कोल कंपनी लिमिटेड और महाजेनको की अन्य सहायक कंपनी में अंशकालिक निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

श्रीमती सजल झा

श्रीमती सजल झा को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 10 नवंबर 2021 से 3 वर्ष की अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप मगध विश्वविद्यालय, बिहार से विधि में स्नातक हैं। आप वर्ष 2010 से पटना उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बिहार राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। आप पटना में सामाजिक कार्य और महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। आप बिहार में भाजपा की राज्य सचिव हैं।

डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.

डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 10 नवंबर 2021 से 3 वर्ष की अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर से कृषि विज्ञान में पीएचडी पूरी की है। आपको जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में 31 से अधिक वर्षों का एक विशाल अनुभव है। आप केरल कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट निदेशक और क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आपने केरल कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च कोकोनट मिशन के एसोसिएट निदेशक और प्लांट ब्रीडिंग विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में आपका योगदान अनुकरणीय है।

श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला (दिनांक 11.07.2023 तक)

श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में दिनांक 28.03.2022 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तथापि, आपने दिनांक 11.07.2023 को टीएचडीसीआईएल के स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया। आप हडर्सफील्ड विश्वविद्यालय, यॉर्कशायर, यूके से पर्यटन और अवकाश प्रबंधन में स्नातक हैं। आप विभिन्न स्थानीय संस्थानों के माध्यम से वर्ष 2013 से सामाजिक वानिकी में सक्रिय हैं। वर्ष 2021 में स्थानीय स्तर पर 45000 स्वदेशी पेड़ लगाने की नवीनतम परियोजना की है। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रारूपों में क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे हैं। आप भारत में सक्रिय कुछ सामाजिक संस्थानों में भी प्रमुख पदों पर आसीन हैं। आप स्पोर्ट्स एकेडमी, वांकानेर के अध्यक्ष भी हैं। यह एकेडमी वर्ष 2022 से वांकानेर के वंचित बच्चों के लिए लागतरहित रूप से संचालित होते हैं। आप विभिन्न सामाजिक कार्य संस्थानों और सोसायटी में विभिन्न प्रमुख पदों पर भी आसीन हैं।

व्यवसाय सततता रिपोर्ट 2022-23

सतत रीति में पूंजी सृजन

वित्तीय पूंजी

टीएचडीसीआईएल अपने सभी हितधारकों के वित्तीय हितों को महत्त्व देता है और अपने आप को मात्र सांविधिक रूप से न्यूनतम आवश्यकताओं तक ही सीमित न रखते हुए अपने सामाजिक दायित्व पूरा करने के साथ–साथ लाभ अर्जित कर अपनी वित्तीय पूँजी में मूल्य वृद्धि को इष्टतम करने का पूरा प्रयास करता है।

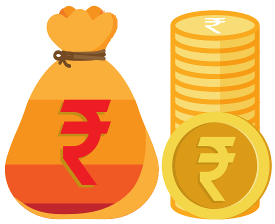

सकल आय
₹ 2003.65 करोड़

कुल व्यापक आय
₹ 670.57 करोड़

निवल मूल्य
₹ 10428.78 करोड़

दिनांक 31.03.2023 को टीएचडीसीआईएल की संदत्त इक्विटी पूंजी ₹ 3665.88 करोड़ है, 31.03.2023 तक आरक्षित निधि ₹ 6762.90 करोड़ है और दीर्घकालिक उधारी ₹ 10675.24 करोड़ है।

वित्तीय पूँजी (₹ करोड़ में)

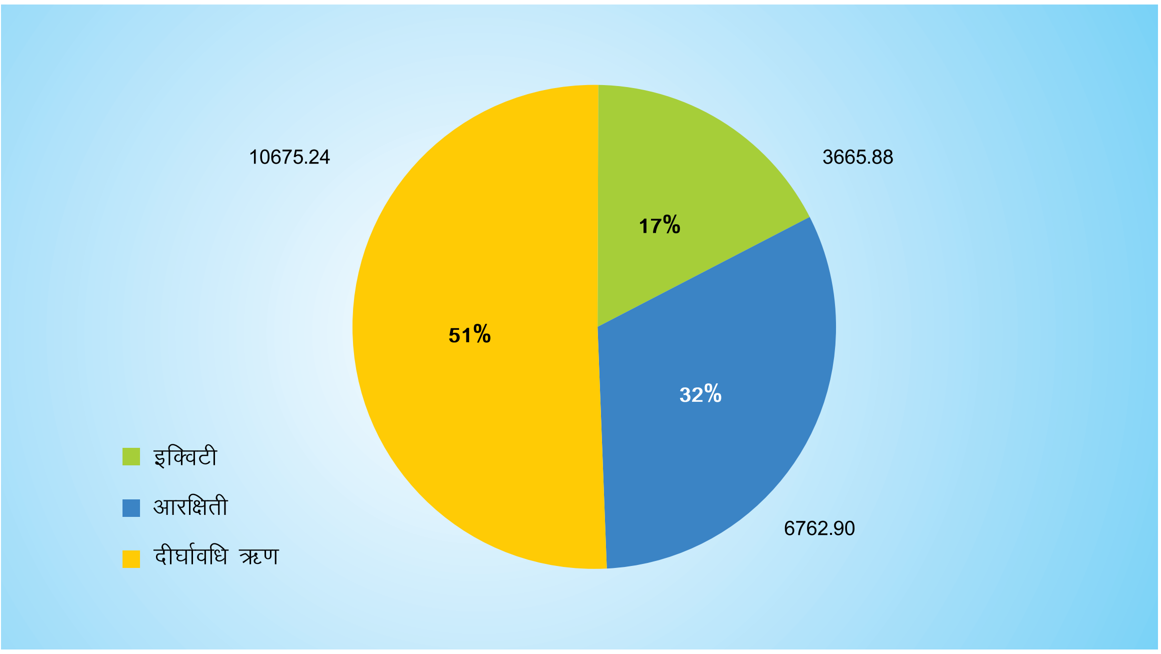

वाणिज्यिक प्रचालन के बाद लाभ के संचयन के माध्यम से उत्पादित वित्तीय पूँजी दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार ₹10,966.20 करोड़ है, इसमें से दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार कर सहित वितरित लाभांश ₹ 4203.30 करोड़ है और प्लाऊ बैक के लिए आरक्षित निधि ₹ 6762.90 करोड़ है।

तुलन पत्र का आकार

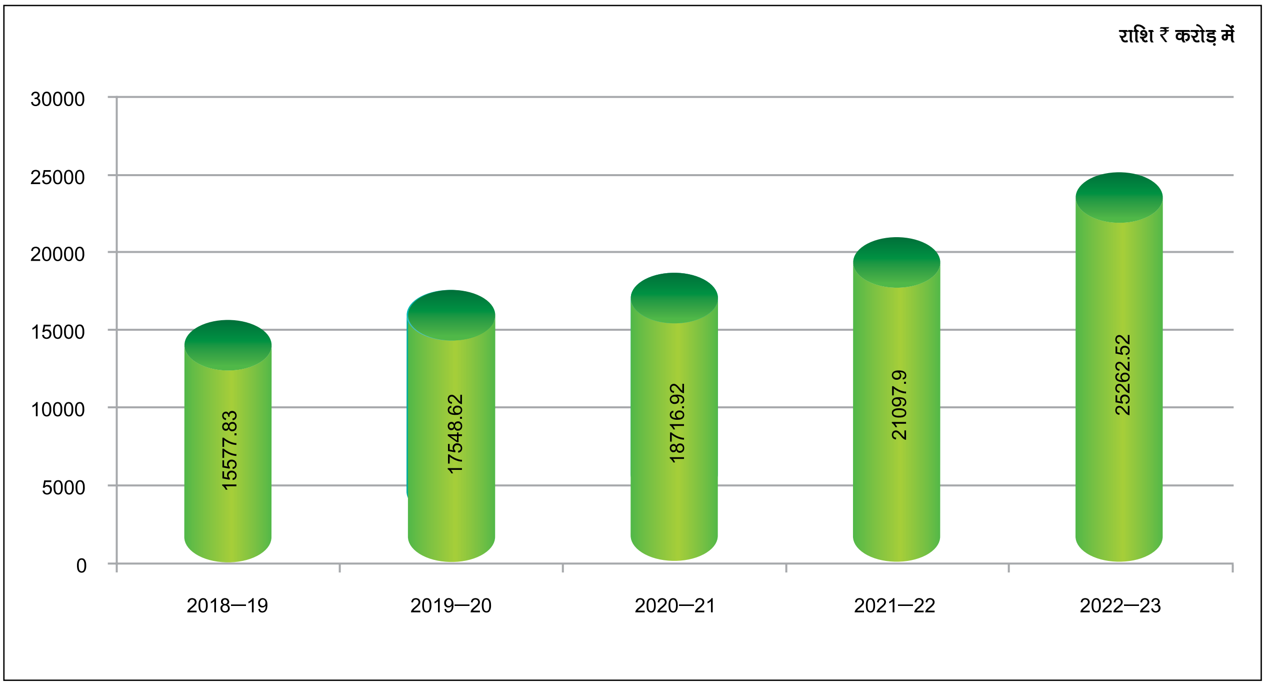

लाभांश का भुगतान

कंपनी, अपने शेयरधारकों को निरंतर उनकी शेयरधारिता के अनुपात में बढ़ती प्रवृत्ति पर लाभांश का भुगतान कर रही है। इसका अनुपात, जो वर्ष 2018–19 में 11.58% था, वर्ष 2022–23 में बढ़कर 14.95% हो गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

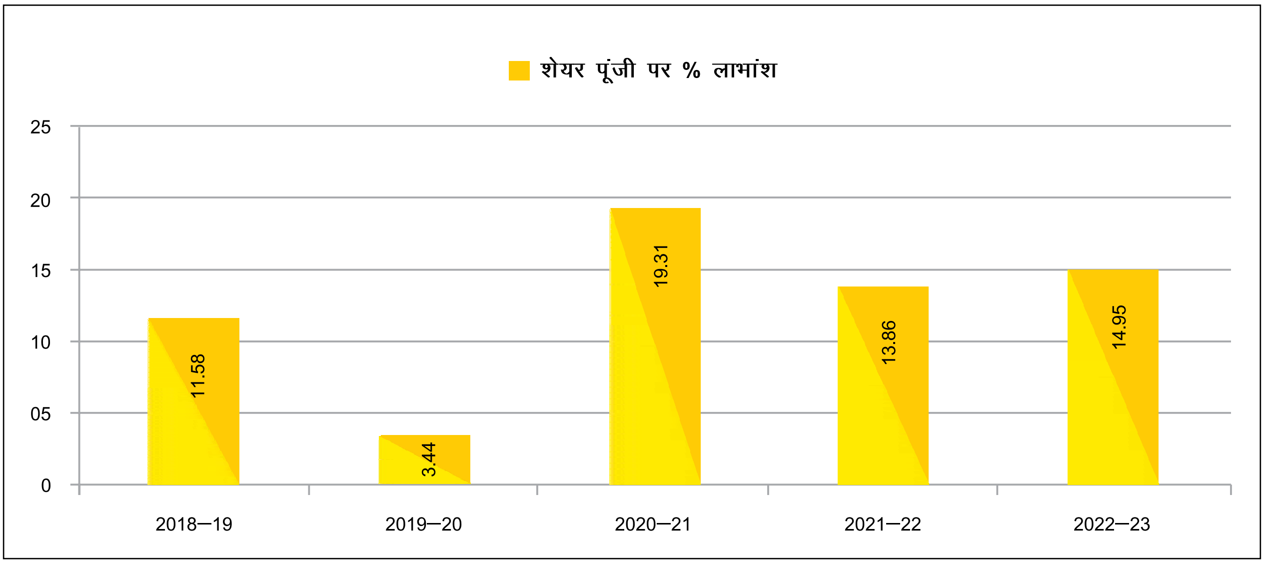

क्रेडिट रेटिंग और वार्षिक निगरानी

टीएचडीसीआईएल के बांड और ऋण की प्रारंभिक क्रेडिट रेटिंग और वित्तीय रेटिंग की वार्षिक निगरानी रेटिंग एजेंसी द्वारा की जाती है। यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर ऋण पूंजी जुटाने में मदद करता है और हमारे हितधारकों को कंपनी के क्रेडिट जोखिम के बारे में जानने में भी मदद करता है। **टीएचडीसीआईएल की प्रारंभिक वर्तमान रेटिंग मैसर्स केयर रेटिंग लिमिटेड और मैसर्स इंडिया रेटिंग्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एए (स्टेबल) है और टीएचडीसीआईएल की वार्षिक निगरानी रेटिंग भी मैसर्स केयर रेटिंग्स, मैसर्स इंडिया रेटिंग्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सीआरएसआईएल द्वारा एए (स्टेबल) है।**

श्रृंखला	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	रेटिंग की पिछली समीक्षा की तिथि
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला I	इंडिया रेटिंग्स	एए (स्टेबल)	14 दिसंबर, 2022
	केयर	एए (स्टेबल)	30 जून, 2023
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला II	इंडिया रेटिंग्स	एए (स्टेबल)	14 दिसंबर, 2022
	आईसीआरए	एए (स्टेबल)	03 जनवरी, 2023
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला III	आईसीआरए	एए (स्टेबल)	03 जनवरी, 2023
	केयर	एए (स्टेबल)	30 जून, 2023
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला IV	आईसीआरए	एए (स्टेबल)	03 जनवरी, 2023
	केयर	एए (स्टेबल)	30 जून, 2023
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला V	इंडिया रेटिंग्स	एए (स्टेबल)	14 दिसंबर, 2022
	केयर	एए (स्टेबल)	30 जून, 2023
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला VI	इंडिया रेटिंग्स	एए (स्टेबल)	14 दिसंबर, 2022
	केयर	एए (स्टेबल)	30 जून, 2023
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला VII	इंडिया रेटिंग्स	एए (स्टेबल)	14 दिसंबर, 2022
	केयर	एए (स्टेबल)	30 जून, 2023

डिस्कॉम्स से बकाया राशि की त्वरित वसूली:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 2347.45 करोड़ रुपये की वसूली की थी। आत्मानिर्भर भारत विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज के सापेक्ष अधिकांश लाभार्थियों द्वारा अधिकाधिक संवितरण तथा विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार) नियम, 2021, जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि में पर्याप्त कमी आई, के लिए विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के सापेक्ष विलंबित भुगतान अधिभार बकाया राशि के संवितरण के कारण वसूली अधिक रही।

इसके अलावा, भुगतान सुरक्षा तंत्र के अनुपालन में लगभग सभी लाभार्थियों ने मासिक ऊर्जा बिलों का भुगतान निर्धारित समय के भीतर कर दिया था, जिससे वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान डिस्कॉम से वसूली की राशि में वृद्धि हुई।

नई पहलें 2022-23

टीएचडीसीआईएल बांड श्रृंखला VI और VII का निर्गम: टीएचडीसीआईएल ने 7.60% प्रति वर्ष की कूपन दर पर 800 करोड़ रुपये की टीएचडीसीआईएल बांड श्रृंखला–VI और 7.88% प्रति वर्ष की कूपन दर पर 600 करोड़ रुपये की बांड श्रृंखला–VII (अप्रतिभूत) को सफलतापूर्वक जारी किया है। दोनों ही निर्गमों को मूल आकार के लगभग 10 गुना पर ओवरसब्सक्राइब किया गया था और इस प्रकार, कंपनी के निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जो टीएचडीसीआईएल में हमारे हितधारकों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कंपनी की कैपेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2500 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बिना किसी कार्यनीतिक प्रीमियम के एक माह का एमसीएलआर, इसके लिए ब्याज दर है। ब्याज दर को अंतिम रूप प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से दिया गया था। उपरोक्त निधि का उपयोग खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान की कैपेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला-VII (अप्रतिभूत) जारी करने के दौरान श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त) एवं टीएचडीसीआईएल के अधिकारी

सामाजिक और संबंध पूंजी

सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में, टीएचडीसीआईएल ने सदैव दीर्घकालिक समग्र विकास कार्यक्रम, जिसमें सतत आजीविका के लिए ग्रामीण समुदायों का सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण और पारिस्थितिकीय बहाली शामिल है, कार्यान्वित कर, छोटे स्तर पर हितधारकों की आवश्यकताओं के समाधान के बजाय समग्र विकास दृष्टिकोण से संबंधित सीएसआर कार्यक्रमों को अपनाया है। सभी सीएसआर हस्तक्षेप सामाजिक, आर्थिक पारिस्थितिकीय विकास और लक्षित समुदाय के जीवन में सतत परिवर्तन क्षेत्रों पर विचार कर किए गए थे, जो टीएचडीसीआईएल के सीएसआर अभिचिह्नित प्रक्षेत्रों, जो उन उद्देश्यों के नाम पर हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) और उसके बाद की कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली, 2014 के अनुपालन में तैयार की गई इसकी सीएसआर नीति में "टीएचडीसी सहृदय" (मानव हृदय वाला कॉर्पोरेट) शीर्षक वाले अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, से स्पष्ट है। सीएसआर से जुड़े 7 चिन्हित क्षेत्रों में मोटे तौर पर वे गतिविधियां शामिल हैं जो अधिनियम की अनुसूची–VII में सूचीबद्ध हैं, इस प्रकार हैं:

1. टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य) – पोषण, स्वास्थ्य स्वच्छता और पेय जल परियोजनाएं
2. टीएचडीसी जागृति (उज्ज्वल भविष्य के लिए पहलें) – शिक्षा संबंधी पहलें
3. टीएचडीसी दक्ष (कौशल) – आजीविका सृजन और कौशल विकास संबंधी पहलें
4. टीएचडीसी उत्थान (प्रगति) – ग्रामीण विकास
5. टीएचडीसी समर्थ (सशक्तता) – सशक्तता से जुड़ी पहलें
6. टीएचडीसी सक्षम (सक्षम) – बुजुर्गों और भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों की देखभाल
7. टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण) – पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहलें
8. टीएचडीसी विरासत (संस्कृति) – कला एवं संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधियां
9. टीएचडीसी क्रीड़ा (खेल–कूद) – खेल–कूद संवर्धन गतिविधियां

सीएसआर गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में नियमित रूप से संवाद और संप्रेषण करने के लिए टीएचडीसीआईएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर संप्रेषण रणनीति है।

सीएसआर पर हमारा व्यय

टीएचडीसीआईएल, अपनी सीएसआर और सततता योजना को अपनी व्यावसायिक योजनाओं और कार्यनीतियों के साथ एकीकृत करता है। गतिविधियों की योजना बहुत पहले से बनाई जाती है, आबंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधनों की मात्रा के पूर्वानुमान के साथ और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समयावधि वाले विभिन्न उपलब्धि–चरण (माइलस्टोन) पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सांविधिक अनुपालन के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली कुल राशि, पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत है:

- पूर्ववर्ती 03 वित्त वर्षों का औसत निवल लाभ : 118045 लाख रुपये
- वित्त वर्ष 2022–23 का सीएसआर बजट : 2361 लाख रुपये
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अतिरिक्त सीएसआर व्यय को सेट–ऑफ : 51.74 लाख रुपए'
- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान वास्तविक सीएसआर व्यय : 2210.80 लाख रुपये
- जारी परियोजनाओं के संबंध में वित्त वर्ष 2022–23 अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि : 98.46 लाख रुपए

* टीएचडीसीआईएल ने वित्त वर्ष 2021–22 में किए गए शेष अतिरिक्त सीएसआर व्यय (77.23 लाख रुपये) के सापेक्ष 31.74 लाख रुपये की अव्ययित राशि दर्ज की है, कुल 51.74 लाख रुपये (20.00 लाख रुपये, 31.74 लाख रुपये) की राशि को वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान वित्त वर्ष 21–22 में किए गए अतिरिक्त सीएसआर व्यय से सेटऑफ कर दिया गया है।

प्रमुख पहलें

क. स्वास्थ्य

अच्छा स्वास्थ्य लगभग हर उस चीज को प्रेरित करता है जो लोग चाहते हैं जैसे–रोग–मुक्त होना और गरीबी, भूख से छुटकारा पाना, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कार्य करना, शिक्षा प्राप्त करना, सीखना, बिना किसी भेदभाव के व्यवहार, अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम होना और एक सुरक्षित वातावरण में रहना। टीएचडीसीआईएल प्रतिष्ठित अस्पतालों और संस्थाओं के साथ विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों तथा जागरूकता अभियान के माध्यम से लगातार समाधान और स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीएचडीसीआईएल के समुदायोन्मुख कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं:

चिन्यालीसौड, टिहरी गढ़वाल में निर्मल आई इंस्टीट्यूट के माध्यम से नेत्र शिविर

1. **एलोपैथिक औषधालय का संचालन:** टीएचडीसीआईएल, शहीद भगत सिंह (सायंकालीन) कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से

दीनगांव टिहरी गढ़वाल में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी

एलोपैथिक औषधालय का संचालन कर रहा है जो टिहरी जिले के दूरस्थ क्षेत्र में दीनगांव ग्राम में अवस्थित है। इसमें नाममात्र शुल्क पर परामर्श व निःशुल्क औषधियां प्रदान की जाती हैं। सभी बुनियादी सुविधाओं (यथा एमबीबीएस डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और बुनियादी पैथोलॉजिकल टेस्ट, एक्स–रे, ईसीजी, कॉल करने पर एम्बुलेंस सुविधा और माइनर ओटी) उपलब्ध हैं। यह एलोपैथिक औषधालय आसपास के लगभग 40 गांवों की लगभग 15000 आबादी को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।

2. **होम्योपैथी औषधालय का संचालन:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, होम्योपैथी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है। भारत सरकार अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के साथ–साथ होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक रही है। सरकार के निर्देशों के अनुसार, देश के प्रत्येक पीएचसी में मौजूदा एलोपैथिक चिकित्सा कर्मियों के साथ एक आयुष डॉक्टर होना चाहिए। उत्तराखंड आयुष नीति 2018 का विजन कथन ''उत्तराखंड को स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन के लिए पसंदीदा आयुष गंतव्य राज्य के रूप में ब्रांड करना'' है। इसे ध्यान में रखते हुए, टीएचडीसीआईएल, ऋषिकेश टिहरी जिले में 4 होम्योपैथी औषधालय का संचालन करता है, जो नाममात्र शुल्क पर परामर्श और औषधि प्रदान करती है। होम्योपैथिक प्रणाली में आमतौर पर त्वचा रोग, जोड़ों के दर्द, कॉर्न (असमान इलाके में चलने के कारण), श्वास रोग, और स्त्री रोग संबंधी समस्याओं सहित अन्य रोगों के लिए बहुत प्रभावी उपचार व्यवस्था है। यह उपचार, एलोपैथिक उपचार की तुलना में काफी सस्ता है और जीर्ण रोगों के लिए प्रमाणित है। प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया पर निर्भर होम्योपैथी को पहाड़ी लोगों के बीच उच्च स्तर की स्वीकृति प्राप्त है। चूंकि सामान्यतया चिकित्सकों की कमी होती है, होम्योपैथिक चिकित्सक ऐसे स्थानों पर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं, जहां कोई चिकित्सक मौजूद नहीं हो सकता है।

प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल में होम्योपैथिक डिस्पैन्सरी

3. **मल्टीस्पेशिएलिटी चिकित्सा शिविर:** टीएचडीसी प्रत्येक वर्ष परियोजना प्रभावित क्षेत्रों और पुनर्वास स्थलों के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मल्टीस्पेशिएलिटी चिकित्सा शिविर भी आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, निर्मल आई इंस्टीट्यूट, ऋषिकेश के सहयोग से परियोजना प्रभावित गांवों और पुनर्वास स्थल पर 2 नेत्र शिविर आयोजित किए गए। प्रायोगिक परियोजनाओं की सफलता पर, सीमा डेंटल कॉलेज, ऋषिकेश के सहयोग से टिहरी जिले में 2 दंत चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए गए।

ख. शिक्षा और आजीविका विकास

वंचित/अल्प सुविधा प्राप्त समुदायों को शिक्षा प्रदान करने उच्च और तकनीकी शिक्षा केन्द्र स्थापित करने और व्यावसायिक शिक्षा, अवसंरचनात्मक सहायता देने के लिए कारगर हस्तक्षेप किए गए हैं। शिक्षा प्रक्षेत्र में किए गए मुख्य हस्तक्षेपों में से एक निम्नलिखित है:

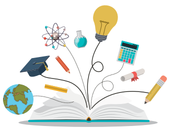

1. **वंचित/कमजोर वर्गों के लिए स्कूलों का संचालन:** टीएचडीसीआईएल, वंचित/कमजोर वर्गों के लिए टिहरी जिले के भागीरथीपुरम और कोटेश्वर में दो स्कूल तथा देहरादून जिले के ऋषिकेश में एक स्कूल का संचालन कर रहा है। इन स्कूलों में लगभग 909 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं जिनमें 50 प्रतिशत लड़कियां हैं जिन्हें निःशुल्क वर्दी, किताबें और लेखन सामग्री, बस सेवा आदि तथा 6–7 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय वाली ''नैवेद्यम'' स्कीम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन दिया जाता है।

कोटेश्वर परियोजना में आस-पास के गांवों के बच्चों के लिए टीएचडीसी का स्कूल

2. **कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रायोजित करना:** स्थानीय क्षेत्र के युवाओं और निवासियों के बीच आजीविका और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए टीएचडीसीआईएल बहुत–सी गतिविधियां जैसे (i) आईटीआई, एएनएम, जीएनएम, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, व्यावसायिक लेखा में डिप्लोमा, कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सूर्य मित्र, आदि जैसे कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रायोजित करना। (ii) ब्यूटीशियन और सिलाई पर महिलाओं/किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यान्वयन करता है।

ग. पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा

टीएचडीसी, पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन के शमन के प्रयासों में सहायता हेतु बहुत–सी सीएसआर गतिविधियां को भी कार्यान्वयन करता है। टीएचडीसी ने सौर आधारित स्ट्रीट लाइट और एलईडी स्ट्रीट लाइटें संस्थापित की। टीएचडीसी, कीवी और सेब जैसे क्लस्टर आधारित फल फार्मों के विकास को भी बढ़ावा देता है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए टीएचडीसीआईएल ने सरकारी विभाग के साथ अभिसरण में, टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक वर्षा जल संचयन टैंकों का निर्माण किया है। टीएचडीसीआईएल ने एलडीपीई टैंक, चल खल, तालाब, जल रोक बांध आदि के विकास में समुदाय का सहयोग किया है।

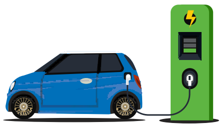

प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेंक

प्राकृतिक पूंजी

विश्व में प्राकृतिक सम्पतियों के ई–भंडार को प्राकृतिक पूंजी के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें भूगर्भ विज्ञान, मृदा, हवा, पानी तथा सभी सजीव प्राणी आते हैं। यह हमारे बाहरी और आंतरिक हितधारकों के साथ–साथ व्यापक समुदाय के लिए मूल्य निर्माण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग या संरक्षण का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त, इसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के हमारे प्रयास शामिल हैं।

अपनी स्थापना के बाद से, टीएचडीसीआईएल ने प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में प्राकृतिक पूंजी को प्राथमिकता दी है। हमारे प्रयासों में पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय शामिल हैं, जिनमें वायुमंडलीय उत्सर्जन, विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, हमने मिट्टी और जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, स्रोत पर अपशिष्ट में कमी, अपशिष्ट का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, और हरित स्थानों के विकास के लिए कार्यनीतियाँ अपनाई हैं।

क. विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और देश के आर्थिक विकास में योगदान

वर्ष 2006–07 से 2022–23 तक, टीएचडीसीआईएल ने जल, पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से कुल 67280.40 मिलियन यूनिट (एमयू) स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करके देश की बिजली आपूर्ति में लगातार योगदान दिया है। इन पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों ने देश की पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हमारी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से बिजली का उत्पादन करके, टीएचडीसीआईएल ने राष्ट्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इन परियोजनाओं ने बिजली की समतुल्य मात्रा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दहन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से तुलना करने पर, टीएचडीसीआईएल की नवीकरणीय ऊर्जा पहल ने संभावित रूप से 2022–23 तक लगभग 34985804.72 मीट्रिक टन कोयला, 680204780.30 हजार क्यूबिक फीट (एमसीएफ) प्राकृतिक गैस या 116395081.10 बैरल पेट्रोलियम की बचत की है।

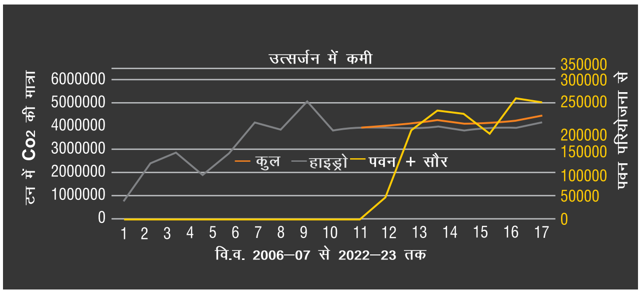

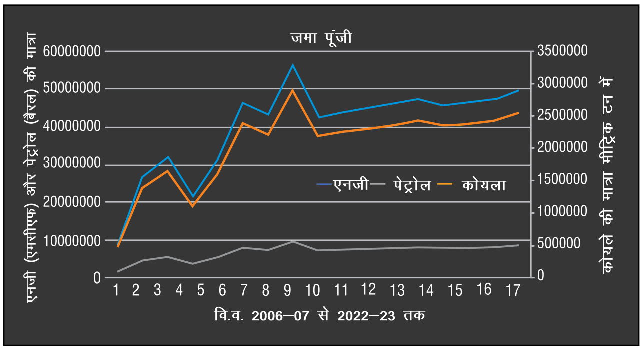

ख. कार्बन सिंक का सृजन: हरित पट्टी

प्राथमिक प्राकृतिक कार्बन सिंक में पादप, महासागर और मिट्टी शामिल हैं। वृक्ष प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जीवनदायी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब वृक्ष समाप्त हो जाते हैं और विघटित हो जाते हैं, तो एकत्रित कार्बन का कुछ हिस्सा मृदा वातावरण में स्थानांतरित हो जाता है।

प्राकृतिक प्रणालियों में वृक्षों के महत्व को पहचानते हुए, टीएचडीसीआईएल वनों और वृक्षों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों में जहां परियोजना गतिविधियों के लिए वन मंजूरी आवश्यक है, टीएचडीसीआईएल वर्ष 1980 के वन संरक्षण (संरक्षण) अधिनियम में उल्लिखित प्रतिपूरक वनीकरण दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है।

टीएचडीसीआईएल द्वारा शुरू की गई कुछेक प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **हरित पट्टी विकास:** आज तक, हमने टिहरी जलविद्युत संयंत्र (एचईपी) के आसपास 1,138 हेक्टेयर भूमि और कोटेश्वर जलविद्युत संयंत्र (केएचईपी) के आसपास 450 हेक्टेयर भूमि पर एक हरित पट्टी विकसित की है।
2. **प्रतिपूरक वनीकरण:** टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स के लिए डायवर्ट की गई वन भूमि के सापेक्ष आवश्यकताओं के अनुसार, ललितपुर जिले, उत्तर प्रदेश में 3,959 हेक्टेयर भूमि, उत्तर प्रदेश के झाँसी में 638.22 हेक्टेयर भूमि और खानपुर वन रेंज, हरिद्वार, उत्तराखंड में 2,716.40 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि और चोपड़ा डंप यार्ड के लिए 9.33 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है।
3. **जलग्रहण क्षेत्र उपचार:** 52,204 हेक्टेयर (44,157 हेक्टेयर वन भूमि और 8,047 हेक्टेयर कृषि भूमि) को कवर करने वाली एक व्यापक जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना लागू की गई है।
4. इसके अतिरिक्त, हम खुर्जा थर्मल पावर प्लांट (केएसटीपीपी) में 400 एकड़ क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हरित पट्टी में बहुस्तरीय व्यवस्था में प्रति हेक्टेयर 2,000–2,500 वृक्ष होंगे, जिनकी ऊंचाई वृक्षारोपण के समय 6–10 फीट होगी।

ग. जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन: औषधीय उदयान, मतस्य प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण

टीएचडीसीआईएल जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए प्रतिबद्ध है और हमने निम्नलिखित गतिविधियां कार्यान्वित की हैं:

- **हर्बल गार्डन:** टिहरी परियोजना के मौजूदा, औषधीय उद्यान के अतिरिक्त, विष्णुगाड़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (वीपीएचईपी) में लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में औषधीय उद्यान विकसित किया गया है। औषधीय उद्यान का विकास किया गया है और इसका अनुरक्षण कार्य हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मंडल गोपेश्वर के परामर्श से किया जाता है। इसमें औषधीय गुण वाले विभिन्न पौधे हैं, जिनमें हरड़ (टर्मिनेलिया चेबुला), लेमन ग्रास (सिम्बोपोगन फेलक्सुसस), सर्पगंधा (रौवोल्फियासर्पेसिआ) और एलोवेरा आदि शामिल हैं। औषधीय उद्यान में विकास और अनुरक्षण के लिए, मार्च, 2023 तक 21.64 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

- **फिश हैचरी:** शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय (डीसीएफआर), भीमताल की अनुशंसाओं के अनुसार, वीपीएचईपी में मत्स्य उत्पत्ति अंडजशाला के निर्माण के लिए कार्रवाई की जा रही है। कोटेश्वर एचईपी में महाशीर मछलियों के लिए ऐसी ही एक मत्स्य उत्पत्ति अंडजशाला पहले से ही कार्यशील है।
- **पर्यावरण प्रबंधन:** आसपास के प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवों और पुरातात्विक संपत्तियों की रक्षा और संरक्षण के लिए टीएचडीसीआईएल के संपूर्ण परियोजना स्थल में एक पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन किया गया है।
- **खुर्जा एसटीपीपी में हरित पट्टी विकास:** खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट (एसटीपीपी) के लिए 400 एकड़ क्षेत्रफल को कवर करते हुए हरित पट्टी विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना को राज्य वन विभाग, उ.प्र. के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। हरित पट्टी के लिए वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है और परियोजना के बाहरी परिधीय क्षेत्र में लगभग 34 हेक्टेयर क्षेत्रफल (लगभग 84 एकड़) में वृक्षारोपण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।

कचरा प्रबंधन प्रथाएं

- **ई-कचरा निपटान:** टीएचडीसीआईएल ने ई–कचरे के निपटान के लिए प्राधिकृत तृतीय पक्ष ई–कचरा हैंडलर के साथ साझेदारी की है जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा ई–कचरे के निस्तारण के लिए अनुमोदित किया गया है।
- **कैंटीन और बागवानी अपशिष्ट का उपयोग:** ऋषिकेश टाउनशिप में कैंटीन और बागवानी गतिविधियों से उत्पन्न कचरे का उपयोग बायोगैस संयंत्र में कुशलतापूर्वक किया जाता है। यह संयंत्र टीईआरआई की पेटेंट तकनीक पर आधारित है जिसे टीम (टेरी एन्हांस्ड एसिडिफिकेशन एंड मिथेनेशन) प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है।

मलबा प्रबंधन

- **जिम्मेदार मलबा निपटान:** मलबे को उच्च बाढ़ स्तर से काफी ऊपर निर्दिष्ट क्षेत्रों में डंप किया जा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल तरीके से गंदगी को संभालने के लिए साइटों पर इंजीनियरिंग और जैविक दोनों उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं।
- **वेटीवर घास रोपण:** वीपीएचईपी के डंपिंग यार्ड में ढलानों को स्थिर करने के लिए, वेटीवर (क्राइसोपोगोन जिजानियोइड्स) घास का रोपण सितंबर 2018 से शुरू किया गया था। यह ढलान स्थिरीकरण के लिए एक उपाय के रूप में कार्य करता है।

पर्यावरणीय की निगरानी

- **नियमित निगरानी:** वायु, जल और शोर की गुणवत्ता की समय–समय पर निगरानी की जाती है। वर्तमान में, वायु, जल और शोर की गुणवत्ता से संबंधित सभी पैरामीटर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित अनुमेय सीमा के भीतर हैं।

वन्य जीव संरक्षण

- **पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण:** टीएचडीसीआईएल आस–पास के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वीपीएचईपी के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समर्पित अनुभाग शामिल है।
- **वनों पर निर्भरता से बचना:** टीएचडीसीआईएल श्रमिक शिविरों को एलपीजी गैसें और मेस सुविधाएं प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य ईंधन के लिए वनों पर उनकी निर्भरता को कम करना और वन्यजीवों के अवैध शिकार को कम करना है।
- **जागरूकता कार्यक्रम:** वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर हितधारकों को शिक्षित करने और संलग्न करने के लिए परियोजना स्थल पर वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

घ. पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी

टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश में 1320 मेगावाट खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एसटीपीपी) के निर्माण और प्रचालन का कार्य सौंपा गया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन–रोजगार (ईआईए–ईएमपी) रिपोर्ट के हिस्से के रूप में, निर्माण गतिविधियों के साथ–साथ विभिन्न पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

वायुमंडल के लिए सुरक्षोपाय:

वायुमंडल पर प्रभाव को कम करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने खुर्जा एसटीपीपी में उन्नत उपकरण और तकनीक परिनियोजित की हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी):** फ्लाई ऐश कणों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 99.89% दक्षता वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) लगाए जाएंगे। प्रीसिपिटेटर्स को सूक्ष्म कणों की सांद्रता को 30 मिग्रा/घ.मी. (mg/Nm3) से कम करने के लिए डिजाइन किया जाएगा।
- लो नाइट्रस ऑक्साइड (NOx) और चयनात्मक उत्प्रेरक नाइट्रस ऑक्साइड (NOx) रिडक्शन: बॉयलरों को लो नाइट्रस ऑक्साइड (NOx) बर्नर से सुसज्जित किया जाएगा और फ्लू गैसों को चयनात्मक उत्प्रेरक नाइट्रस ऑक्साइड (NOx) रिडक्शन एंड फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम के माध्यम से निकाला जाएगा। इन उपायों से नाइट्रस ऑक्साइड (NOx) और सल्फर डाइ ऑक्साइड (SO2) की सांद्रता 100 मिग्रा/घ.मी. (mg/Nm3) से नीचे सीमित होगी।
- **चिमनी की ऊंचाई:** फ्ल्यू गैसों को फिर से गर्म किया जाएगा और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करते हुए, 275 मीटर ऊंचाई वाली चिमनी के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।

ड. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना

खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट (एसटीपीपी):

विद्युत परियोजना से उत्पन्न होने वाला मुख्य ठोस अपशिष्ट राख होता है। प्रभावी राख प्रबंधन के लिए, टीएचडीसीआईएल राख प्रबंधन योजना कार्यान्वित करेगी। इस योजना में फ्लाई ऐश का शुष्क संग्रहण, उपयोग के लिए उद्यमियों को राख की आपूर्ति और अधिकतम सीमा तक राख के उपयोग को बढ़ावा देना और अप्रयुक्त राख का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना शामिल है। टीएचडीसीआईएल ने इन गतिविधियों को सुकर बनाने के लिए खुर्जा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के लिए व्यापक फ्लाई ऐश प्रबंधन योजना विकसित की है।

विष्णुगाड़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (वीपीएचईपी):

1. **घरेलू/नगरपालिका ठोस अपशिष्ट:**

   वीपीएचईपी में श्रमिक शिविर में प्रतिदिन लगभग 30 किलो से भी कम कचरा उत्पन्न होता है। कचरे का पृथक्करण स्रोत पर किया जाता है और ठोस कचरे को 300 संग्रह डिब्बों में एकत्र किया जा रहा है, जिन्हें श्रमिक शिविर और निर्माण स्थलों पर रखा गया है, जिनमें से 250 डिब्बे बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह के लिए हैं और गैर–बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए 50 डिब्बे हैं। बाद में कचरे को अंतिम निपटान के लिए नगर पालिका (स्थानीय नगर पालिका) को सौंप दिया जाता है।

2. **जैव चिकित्सा अपशिष्ट:**

   जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) का सुरक्षित और सतत प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में शामिल सभी लोगों की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है। टीएचडीसीआईएल मानव कल्याण और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2016 के बायो–मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और आगे के संशोधनों का पालन करता है। बीएमडब्ल्यू प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत, जिसमें स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण और अपशिष्ट कटौती शामिल है, को हरित और स्वच्छ परिवेश के निर्माण के लिए कार्यान्वित किया गया है। बायोमेडिकल कचरे को उचित रूप से रंग–कोडित डिब्बे में रखा जाता है और बाद में अंतिम निपटान के लिए विशेषज्ञ एजेंसी, मेसर्स मेडिकल प्रदूषण नियंत्रण समिति को सौंप दिया जाता है।

3. **खतरनाक अपशिष्ट:**

   वीपीएचईपी में खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और आगे के संशोधनों का अनुपालन किया जाता है। उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट में प्रयुक्त टायर और ट्यूब, अपशिष्ट तेल, हाइड्रोलिक तेल, गियर तेल, ग्रीस, बैटरी और तेल युक्त अन्य अवशेष शामिल हैं। सभी अपशिष्ट को लीक प्रूफ बंद पात्र जैसे ड्रम में एकत्र किया जाता है। हाइड्रोलिक तेल और अन्य अपशिष्ट तेल बंद कंटेनरों और खतरनाक अपशिष्ट संग्रह क्षेत्र में संग्रहीत किए जाते हैं। अंत में, समुचित पुनर्चक्रण और निपटान के लिए कचरे को अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता (रिसाइक्लर) मेसर्स श्रुति केमिकल को सौंप दिया जाता है।

बौद्धिक पूंजी

बौद्धिक पूंजी ज्ञान परिसंपत्तियों का ऐसा समूह होता है जो किसी संगठन में होता है और प्रमुख हितधारकों के लिए मूल्य जोड़कर संगठन की प्रतिस्पर्धी स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान देता है।

प्रौद्योगिकीय स्तरोन्न्यन के लिए नूतन उपाय

- टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी।

  उपलब्धता, विश्वसनीयता, मशीनों की कालावधि और संयंत्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए, वर्ष 2011–12 से टिहरी और कोटेश्वर एचईपी के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की स्थिति की निगरानी और नैदानिक परीक्षण मेसर्स सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलोर द्वारा किया जा रहा है।

  वित्त वर्ष 2022–23 में टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी की गई और परीक्षण के परिणामों ने उपस्कर की स्थिति अच्छी होने की पुष्टि की है।

- **ओ एंड एम निगरानी केंद्रों की स्थापना:**

  कॉर्पोरेट कार्यालय में एक रियल टाइम रिमोट एक्सेस ओ एंड एम मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित किया गया है। ओ एंड एम मॉनिटरिंग सेंटर में पाटन डब्ल्यूपीपी, द्वारका डब्ल्यूपीपी और कासरगोड एसपीपी का वास्तविक समय डाटा एक्सेस किया जा रहा है, इससे इन परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी और संपर्क की सुविधा मिलती है।

अनुसंधान और विकास पहलें

नवाचार और निरंतर सुधार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी मजबूत आंतरिक अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधियों द्वारा रेखांकित होती है। इन पहलों का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करना, आवर्ती परियोजना चुनौतियों के लिए अत्याधुनिक समाधान तैयार करना और राष्ट्रीय संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। यह दृष्टिकोण हमारे जल विद्युत स्टेशनों के कुशल और विश्वसनीय प्रचालन और अनुरक्षण को सुनिश्चित करता है।

इन प्रयासों की देखरेख के लिए, ऋषिकेश में हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय में एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास विभाग स्थापित किया गया था। चल रही अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में कई क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक उत्कृष्टता की हमारी खोज में योगदान देता है। हमारे वर्तमान अनुसंधान एवं विकास फोकस की एक झलक निम्नानुसार है:

1. **भूकंपीय अध्ययन और नेटवर्क संवर्द्धन:** हम टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास एक सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क के माध्यम से एक सचेत भूकंपीय अध्ययन कर रहे हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग मोशन एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क की स्थापना से समर्थित किया जाता है। इन प्रयासों से प्राप्त अंतर्दृष्टि न केवल भूकंपीय गतिविधि के बारे में हमारी समझ को मजबूत करती है बल्कि संभावित भूकंपीय घटनाओं के विरुद्ध हमारी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में भी सहायता करती है।

2. **उपकरण की उपयोग-अवधि में वृद्धि करना:** हमारे एकाग्रता के प्रमुख क्षेत्रों में से एक में टिहरी और कोटेश्वर विद्युत स्टेशनों पर विद्युत स्टेशन उपकरणों की गिरावट की दर का पता लगाने के लिए आवधिक अध्ययन शामिल है। इन अध्ययनों से प्राप्त सिफारिशें इन महत्वपूर्ण संपत्तियों की उपयोग–अवधि को बढ़ाने और प्रदर्शन को अनुकूलित करने में सहायक हैं। इस संबंध में हमारे प्रयास वित्तीय वर्ष 2022–23 की ओर केंद्रित हैं।

3. **दोलन विश्लेषण और शमन:** हम उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों को प्रभावित करने वाले हाइड्रो जनरेटर में दोलनों का बहुत ही सावधानी से समाधान कर रहे हैं। हमारे विश्लेषण का उद्देश्य इन व्यवधानों को इंगित करना और उनके प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करना है, जिससे हमारी विद्युत पारेषण प्रणालियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

4. **संरचनात्मक अखंडता मूल्यांकन:** एक जारी अध्ययन में अलग–अलग टिहरी जलाशय जल स्तर के संदर्भ में जलमग्न अभिग्रहण संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता की जांच की जाती है। यह अध्ययन, जिसमें निर्माण और लिफ्ट ज्वाइंट पर विशेष ध्यान दिया गया है, इन संरचनाओं की जटिल गतिशीलता के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है।
5. **एकीकृत प्रचालन निर्णय समर्थन:** हमारे अनुसंधान एवं विकास प्रयास टिहरी हाइड्रोपावर कॉम्प्लेक्स के एकीकृत संचालन के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने तक विस्तारित हैं। इस जटिल परिसर में टिहरी हाइड्रो पावर प्लांट, कोटेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट और वैरिएबल स्पीड टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट शामिल हैं। इस प्रणाली का विकास हमें इन परस्पर संबद्ध सुविधाओं में प्रचालन को अनुकूलित करने की सुविधा प्रदान करता है।
6. **संयंत्र नियंत्रण के लिए साइबर सुरक्षा:** हम एक सुदृढ़ और हैक–रोधी हाइड्रो संयंत्र नियंत्रण प्रणाली के विकास में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यह पहल हमारी प्रचालन अवसंरचना को साइबर सुरक्षा खतरों से सुरक्षित रखने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

टीएचडीसीआईएल में हमारे अनुसंधान एवं विकास कार्य तकनीकी उन्नति, प्रचालन उत्कृष्टता और सतत विकास के प्रति हमारे समर्पण का प्रतीक हैं। हम आशा करते हैं कि इन पहलों का हमारे जल विद्युत प्रचालन और व्यापक ऊर्जा परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

टीएचडीसीआईएल में जलाशय संचालन और बाढ़ शमन उपाय

टिहरी जलाशय भरना सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष 21 जून से शुरू होता है, जिससे पूर्ण जलाशय स्तर प्राप्त करने के लिए मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रवाह का उपयोग हो जाता है। एमडीडीएल, ईएल 740 मीटर से इसके एफआरएल, ईएल 830 मीटर तक जलाशय का भरण टिहरी बांध के संचालन एवं अनुरक्षण नियमावली में दिए गए जलाशय नियम वक्र के अनुसार किया जाता है। नियम वक्र, जलाशय को पूर्व–निर्धारित दर पर भरने और सक्रिय मानसून अवधि के दौरान आने वाली बाढ़ के लिए उचित भंडारण स्थान रखने में मदद करता है ताकि, बांध के बहाव के प्रत्यक्ष परिणामों को कम करने के लिए अधिकांश समय, विनियमित/नियंत्रित निस्तारण निर्मुक्त किया जा सके। मानसून की अवधि के दौरान जलाशय में संग्रहीत जल का उपयोग, ग्रिड को शीर्ष समर्थन प्रदान करते हुए कम प्रवाह अवधि के दौरान सिंचाई की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। टिहरी जलाशय के लाइव भंडारण का उपयोग गतिशील जलाशय संचालन मॉड्यूल के आधार पर किया जाता है, ताकि सिंचाई की आवश्यकता, जो फसल पैटर्न द्वारा नियंत्रित होती है, के अनुसार जल निस्तारित करते हुए, वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन का अनुकूलन किया जा सके। सैद्धांतिक रूप से, लाइव भंडारण नवंबर से अगले वर्ष के मानसून की शुरुआत तक सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नदी के प्रवाह में वृद्धि करता है। इसकी स्थापना के बाद से, जलाशय प्रत्येक वर्ष इस आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम रहा है।

टिहरी एचपीपी ई.एल. 830 मी.

इतने बड़े जलाशय के लिए प्रारम्भिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली अनिवार्य है क्योंकि जल को अनियंत्रित तरीके से छोड़े जाने की स्थिति में यह निचली धारा में बड़े पैमाने पर बाढ़ का कारण बन सकती है। टिहरी जलाशय के लिए बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली में अपस्ट्रीम में एक अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली और डाउनस्ट्रीम में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शामिल है। टिहरी बांध में नियंत्रण कक्ष वाले टिहरी जलाशय के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली वर्ष 2016 से क्रियाशील है और वर्तमान में 6 घंटे और 24 घंटे के लीड समय के साथ पूर्वानुमान जारी कर रहा है जो ऊर्जा उत्पादन के साथ–साथ बाढ़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से जलाशय के बेहतर प्रबंधन में भी मदद करता है। कोटेश्वर बांध के अधो–प्रवाह में ऋषिकेश तक आठ स्थानों पर स्पीकर/सायरन से युक्त एक पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस), जो कोटेश्वर बांध और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र, देहरादून के नियंत्रण कक्ष से संचालित होती है, वर्ष 2017 से कार्यशील है। जब बांध से जल निस्तारण किया जाता है तो ईडब्ल्यूएस ध्वनि संदेश और सायरन के माध्यम से नदी के किनारे की आबादी को सतर्क/चेतावनी देने में मदद करती है।

ज्ञान साझाकरण का सशक्तिकरण: सहयोगात्मक ज्ञान डेस्क

सतत प्रगति के क्षेत्र में, प्रभावी ज्ञान प्रबंधन अमूल्य घरेलू ज्ञान को कैप्चर करने, संरक्षित करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निश्चित रूप से, निर्माण और प्रचालन चरणों के दौरान उत्पन्न महत्वपूर्ण ज्ञान, अक्सर व्यवस्थित दस्तावेजीकरण में शामिल किए जाने से रह जाता है, जिससे भविष्य के प्रयासों के अवसर चूक जाते हैं। इसका समाधान करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने अपने वेब पोर्टल पर एक सहयोगात्मक ज्ञान डेस्क की स्थापना करके एक दूरदर्शी यात्रा शुरू की है।

यह गतिशील मंच ज्ञान, अंतर्दृष्टि, प्रमुख अधिगम और उपलब्धियों के आंतरिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देता है। हमारे कर्मचारियों को इस डिजिटल स्थान में शामिल होने का विशेषाधिकार प्राप्त है, जहां वे अपने अनुभवों का योगदान कर सकते हैं, प्रक्रिया परिशोधन को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकते हैं और हमारे कार्यबल के सामूहिक ज्ञान आधार को बढ़ा सकते हैं।

उत्कृष्टता विकसित करना: क्वालिटी सर्किल पहल

टीएचडीसीआईएल में, हम कार्यरत कर्मचारियों की परिवर्तनकारी शक्ति और निरंतर सुधार लाने की उनकी क्षमता को पहचानते हैं। इस तलाश में, हम उत्साहपूर्वक क्वालिटी सर्किलों की अवधारणा को अपनाते हैं। यह दूरदर्शी दृष्टिकोण हमारे कर्मचारियों को उनके डोमेन के लिए विशिष्ट चुनौतियों की पहचान करने और सरलतापूर्वक समाधान प्रस्तावित करने में सक्षम बनाता है। इस दृष्टिकोण को अद्वितीय बनाने वाली बात यह है कि इन समाधानों को लागू करने में प्रत्येक कर्मचारी का स्वामित्व होता है, जिससे कौशल विकास को बढ़ावा मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, टीम भावना का पोषण होता है और मूल मान्यताओं को बढ़ावा मिलता है।

एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम, क्वालिटी सर्कल मीट, उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सावधानीपूर्वक चयनित क्वालिटी सर्किल राष्ट्रीय मंच पर टीएचडीसीआईएल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नवाचार और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे समर्पण को प्रदर्शित करते हैं।

सहयोगात्मक ज्ञान साझाकरण और क्वालिटी सर्कल पहलों के इस निर्बाध अंत:क्रिया में, टीएचडीसीआईएल न केवल कॉर्पोरेट आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में साहसिक कदम उठा रहा है, बल्कि सामूहिक सशक्तिकरण और पारस्परिक विकास पर आधारित कार्यबल का पोषण भी कर रहा है।

मूर्त पूंजी

आज की तारीख में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की संस्थापित क्षमता 1587 मेगावाट है जिसमें जल विद्युत से 1424 मेगावाट जल परियोजना (1000 मेगावाट टिहरी एचपीपी, 400 मेगावाट कोटेश्वर एचईपी, 24 मेगावाट ढुकवां एसएचईपी) और 113 मेगावाट पवन परियोजना (50 मेगावाट पाटन परियोजना और 63 मेगावाट द्वारका परियोजना) तथा 50 मेगावाट की कासरगोड़ सौर पार्क परियोजना शामिल है।

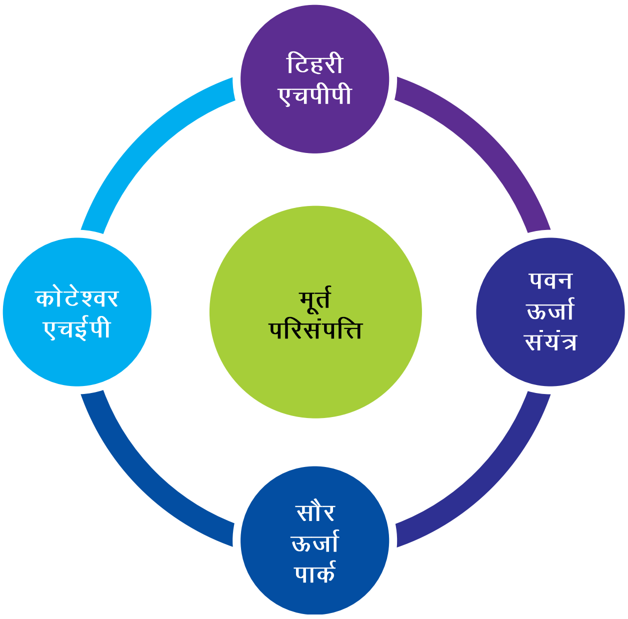

टिहरी विद्युत परिसर (2400 मेगावाट)

टिहरी बांध से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए टिहरी बांध के निचले हिस्से में कोटेश्वर एचईपी का निर्माण किया गया है और अब यह प्रचालन में हैं। टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र जिसके लिए टिहरी ओर कोटेश्वर जलाशय ऊपरी धारा और निचली धारा के रूप में काम करते हैं, निर्माणाधीन है। टिहरी परिसर की ये तीनों समेकित परियोजनाएं बहुत कठिन कार्य हैं क्योंकि इन्हें एक ओर सामाजिक और धार्मिक हितों की रक्षा करनी होती है और दूसरी ओर उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ ग्रिडों को भी आपूर्ति करनी होती है।

टिहरी एचपीपी (4 x 250 मेगावाट)

- भारत का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर ऊंचा अर्थ एंड रॉक फिल डैम टिहरी एचपीपी, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है।
- टिहरी परियोजना एक बहुद्देशीय परियोजना है जो उत्तरी क्षेत्र को विद्युत लाभ, उत्तर प्रदेश को सिंचाई लाभ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश को पेयजल लाभ प्रदान कर रही है।

टिहरी एचपीपी के ईएल 830 मी. पर क्रेस्ट के साथ अनगेटेड शॉफ्ट स्पिलवे

- भंडारण परियोजना होने के नाते, टिहरी बांध ने बाढ़ शमन में मदद की, जिसका प्रदर्शन वर्ष 2010, 2011 और 2013 की बाढ़ों के दौरान किया गया।
- इसके अतिरिक्त, टिहरी के मशीनों के सिंक्रोनस कंडेंसनर मोड में चलाये जाने का प्रावधान है ताकि आवश्यक होने पर रिएक्टिव पावर (वोल्टेज में सुधार के लिए ग्रिड को उपलब्ध करवाया जा सके।
- टिहरी एचपीपी ग्रिड की विद्युत गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा को बनाए रखने में ग्रिड प्रचालन में सहयोग करने के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है और इसमें प्राथमिक रिजर्व सहायक सेवा, माध्यमिक रिजर्व सहायक सेवा, तृतीयक रिजर्व सहायक सेवा, लोड फॉलोइंग के लिए सक्रिय बिजली समर्थन, प्रतिक्रियाशील विद्युत सहायता, ब्लैक स्टार्ट आदि शामिल है।
- वित्त वर्ष 2022–23 में, टिहरी एचपीपी ने अपने निर्धारित लक्ष्य 3192एमयू के सापेक्ष 3284.79एमयू का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। यह पिछले 09 वर्षों में सर्वाधिक उत्पादन है।

टिहरी एचपीपी (4x250 मेगावाट)

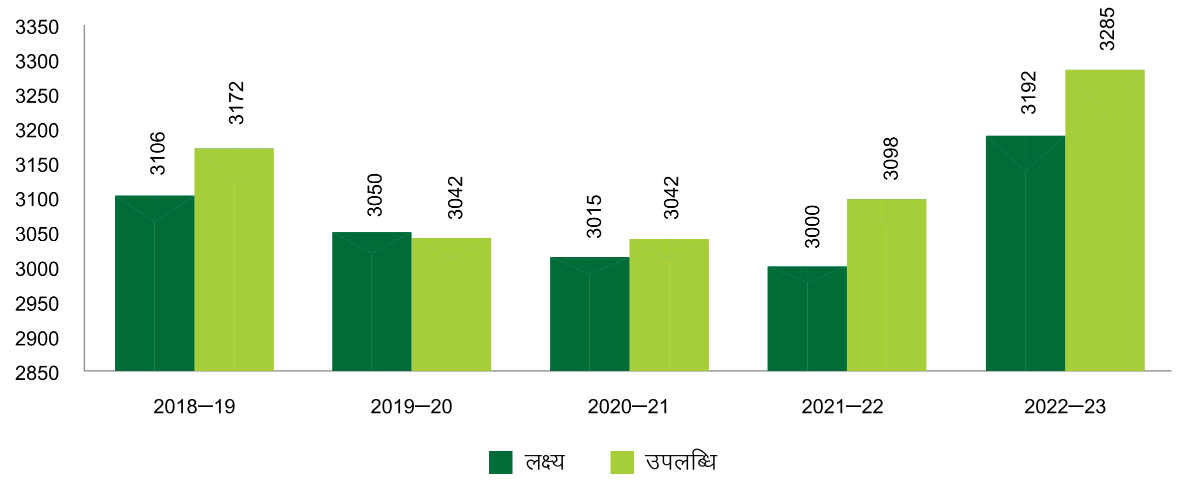

कोटेश्वर एचईपी (4x100 मेगावाट)

टिहरी जलाशय के निचले हिस्से में स्थित 400 मेगावाट के कोटेश्वर विद्युत गृह को अप्रैल, 2012 में ग्रिड की चौथी यूनिट के साथ वाणिज्यिक प्रचालन में घोषित किया गया था। कोटेश्वर विद्युत संयंत्र में ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटी का भी प्रावधान है और ग्रिड फेल होने पर यह ग्रिड को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोटेश्वर एचईपी ग्रिड की विद्युत गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा बनाए रखने में ग्रिड प्रचालन का सहयोग करने के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करने में भी सक्षम है और इसमें प्राथमिक रिजर्व सहायक सेवा, माध्यमिक रिजर्व सहायक सेवा, तृतीयक रिजर्व सहायक सेवा, लोड फॉलोइंग के लिए सक्रिय बिजली समर्थन, प्रतिक्रियाशील विद्युत समर्थन, ब्लैक स्टार्ट आदि शामिल है।

1120 एमयू के लक्ष्य के सापेक्ष 1255.2 एमयू का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया गया, यह पिछले 09 वर्षों में सबसे अधिक उत्पादन है।

कोटेश्वर एचईपी का उत्पादन:

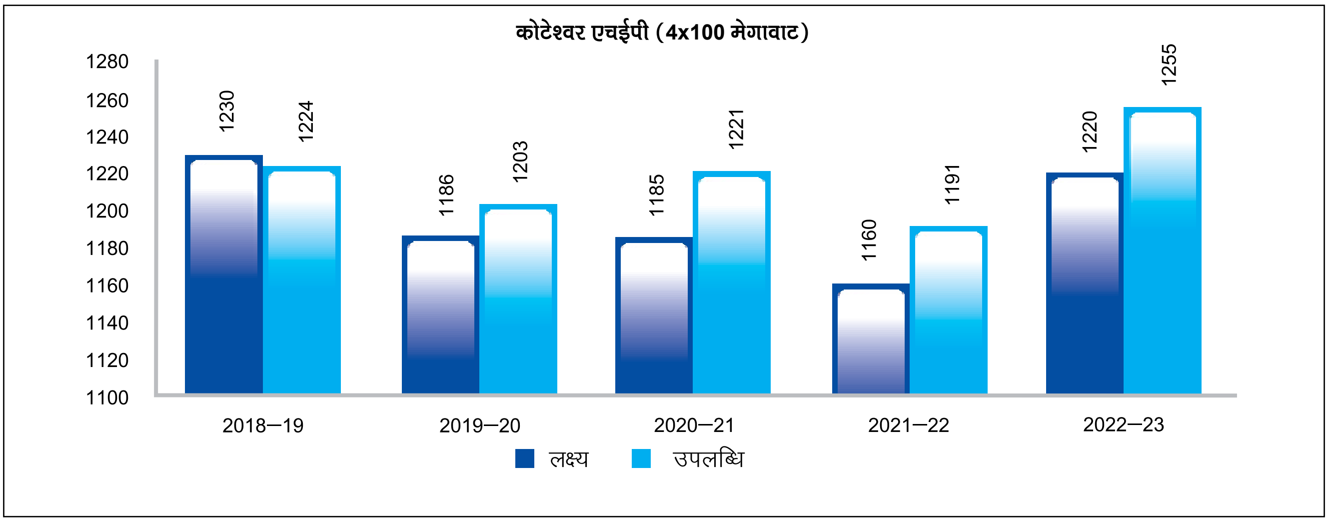

कोटेश्वर एचईपी के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम का दृश्य

ढुकवां एसएचईपी (3x8 मेगावाट)

ढुकवां एसएचईपी का एरियल दृश्य

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की बेतवा नदी पर मौजूदा ढुकवां चिनाई–सह–मृदा बांध के पादाग्र पर ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण किए जाने की परिकल्पना की गई। 24 मेगावाट (3 x 8 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता वाली यह परियोजना बेतवा नदी की विद्युत क्षमता के समग्र विकास का भाग है। परियोजना प्रचालनाधीन है और सभी तीन यूनिटों को दिसम्बर, 2019 में चालू किया गया था।

ढुकवां परियोजना कई रूप में अग्रणी हैं:

क. टीएचडीसी की पहली नहर आधारित परियोजना

ख. टीएचडीसी का पहला पूरी तरह से संस्थागत सिविल डिजाइन

ग. लघु जलविद्युत परियोजना में टीएचडीसी की पहली परियोजना

घ. टीएचडीसी की पहली कपलान टर्बाइन वाली परियोजना

ङ. उत्तराखंड के बाहर टीएचडीसी की पहली जलविद्युत परियोजना

वित्त वर्ष 2022–23 में, ढुकवां एसएचईपी में उत्पादन में 141.56% की रिकॉर्ड वृद्धि हासिल की गई, संयंत्र ने पिछले वर्ष 58.25 एमयू की तुलना में 82.46 एमयू उत्पादन किया है।

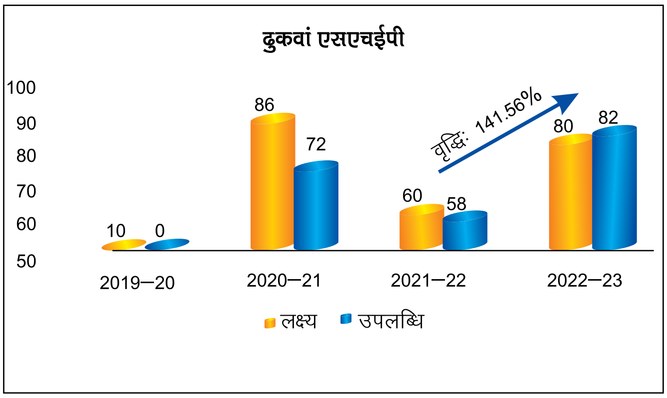

पवन ऊर्जा के अन्य रूपों में विविधीकरण

गुजरात के पाटन जिले में 63 मे.वा. के पवन ऊर्जा परियोजना का 120 मी. ऊंचा हाई ब्रिड टॉवर

पवन ऊर्जा परियोजना:

पाटन पवन ऊर्जा परियोजना (2x25 मेगावाट):

गुजरात के जिला पाटन में स्थित पाटन पवन फार्म की संस्थापित क्षमता 50 मेगावाट है, जिसमें 25 पवन टर्बाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) शामिल हैं, जिनकी प्रत्येक की क्षमता 2 मेगावाट है। ये 25 डब्ल्यूटीजी, गुजरात के पाटन जिले के चार गांवों अर्थात् अमरापुर, वेद, वाहेदपुर और अनवरपुर में स्थापित किए गए हैं। यह परियोजना निर्धारित समय से पहले 29 जून 2016 को चालू हो गई। परियोजना से अपेक्षित वार्षिक उत्पादन 25.22% क्षमता उपयोग कारक के साथ 110.5 एमयू है।

देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना:

कुल स्थापित क्षमता 63 मेगावाट वाली इस परियोजना में 30 पवन टरबाइन जेनरेटर (डब्ल्यटीजी) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 2.1 मेगावाट है। परियोजना 31 मार्च 2017 को चालू की गई थी। परियोजना से वार्षिक अपेक्षित ऊर्जा उत्पादन 26.27% सीयूएफ के साथ 144.9 एमयू है।

पवन ऊर्जा परियोजनाओं से वर्षवार उत्पादन और सीयूएफ

वर्ष	पाटन डब्ल्यूपीपी		देवभूमि द्वारका डब्ल्यूपीपी	
	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	सीयूएफ (प्रतिशत)	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	सीयूएफ (प्रतिशत)
2018-19	108.32	24.73%	182.89	33.14%
2019-20	104.07	23.70%	177.83	32.22%
2020-21	75.64	17.27%	136.44	24.72%
2021-22	77.74	17.75%	156.90	28.43%
2022-23	77.70	17.74%	140.75	25.50%

सौर ऊर्जा

टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 31.12.2020 से केरल के कासरगोड जिले में 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना के प्रारम्भण से सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू किया है जिसे दिनांक 19.02.2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।

केरल के कासरगोड में 50 मे.वा. सौर ऊर्जा परियोजना का दृश्य

कासरगोड एसपीपी का वर्ष–वार उत्पादन:

वर्ष	कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना	
	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	सीयूएफ (प्रतिशत)
2020-21	17.36	15.90%
2021-22	89.11	20.34%
2022-23	94.58	23.47%

खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र (2x660 मेगावाट)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) के लिए सीसीईए द्वारा 07.03.2019 को 11,089.42 करोड़ रुपये (दिसंबर–17 पीएल) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी दी गई थी। संयंत्र से कुल वार्षिक उत्पादन 85% पीएलएफ के अनुरूप 9828 एमयू होगा। इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 09.03.2019 को रखी गई थी।

सभी पैकेज पहले ही एवार्ड किए जा चुके हैं और सभी मोर्चों पर काम तेजी से प्रगति पर है। यूनिट–1 के फरवरी 2024 तक चालू होने की उम्मीद है और परियोजना (दोनों इकाइयां) तय कार्यक्रम के अनुसार अगस्त 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है।

अमेलिया कोयला खदान

खुर्जा एसटीपीपी की ईंधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने टीएचडीसीआईएल को जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में अमेलिया कोयला खदान आवंटित की है। सीसीईए ने अमेलिया कोयला खदान के लिए, 1587.16 करोड़ रुपए (दिसंबर–17 पीएल पर) की अनुमानित लागत पर निवेश अनुमोदित कर दिया था। अमेलिया कोयला खदान में निवल भूगर्भीय भंडार 162.05 मिलियन टन (OC) है, जिसमें से निष्कर्षण–योग्य कोयला भंडार 139.48 मिलियन टन है। अमेलिया कोयला खदान से खुर्जा एसटीपीपी की अधिकतम आवश्यकता के अनुसार 5.6 एमटीपीए कोयले की आपूर्ति की जाएगी। खदान 17.11.22 को खोली गई है और कोयले का उत्पादन निर्धारित समय से छह महीने पहले 18.02.2023 से शुरू हो गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 3 लाख टन कोयला निष्कर्षण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और कोयले की पहली रेक 29.06.23 को सफलतापूर्वक भेजी गई और कुल मिलाकर, जुलाई, 2023 तक 8 रेक (30,000 टन) भेजी गई।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

1. टिहरी पंपड स्टोरेज प्लांट (2x250 मेगावाट)

टिहरी पीएसपी (पंप स्टोरेज प्लांट) भारत में उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित एक निर्माणाधीन जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन परियोजना है। यह देश के केंद्रीय क्षेत्र में पहला पम्पड स्टोरेज संयंत्र है और इसकी क्षमता 1,000 मेगावाट है, जिसमें प्रत्येक 250 मेगावाट की चार इकाइयां शामिल हैं। वर्तमान में सिविल, एचएम और ईएम कार्य तेजी से चल रहे हैं और परियोजना की पहली इकाई के मार्च, 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

2. विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4x111 मेगावाट)

वीपीएचईपी 'रन आफ दि रिवर' परियोजना है। यह परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसमें 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट डैम की परिकल्पना की गई है जो अलकनंदा नदी पर 237 मीटर के सकल शीर्ष का दोहन करेगा। यह 1674 एमयू यूनिट (90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष) का उत्पादन करेगा। परियोजना बैंक के ऋण भाग का वित्तपोषण विश्व बैंक कर रहा है। सिविल और एचएम निर्माण कार्यों तथा ईएम कार्यों में सामंजस्य बिठा कर परियोजना की पहली इकाई के मार्च, 2025 में चालू हो जाने की उम्मीद है।

वीपीएचईपी परियोजना स्थल पर टीबीएम मशीन की असेम्बलिंग का दृश्य

मानव पूंजी

मानव पूंजी व्यक्तियों और समूहों के पास मौजूद अमूर्त सामूहिक संसाधन है। इन संसाधनों में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मौजूद सभी ज्ञान, प्रतिभा, कौशल, क्षमताएं, अनुभव, बुद्धिमत्ता, प्रशिक्षण, निर्णय और बुद्धि–विवेक शामिल है, जिसका संचयी योग अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संगठनों के लिए उपलब्ध एक प्रकार की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक संगठन की सफलता पूर्ण रूप से उसके कार्यबल की योग्यता और प्रेरणा पर आधारित होती है। 'मानव पूंजी' का महत्व उस क्षेत्र में और भी अधिक स्पष्ट है जो स्वाभाविक रूप से उच्च जोखिम, पूंजी गहन और प्रौद्योगिकी–संचालित होता है। हमारी कंपनी अखिल भारतीय परीक्षा 'गेट', यूजीसी नेट, कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से विभिन्न विशेषज्ञतायुक्त क्षेत्रों अर्थात एचआर, इंजीनियरिंग, वित्त, विधि, जनसंचार और पर्यावरण में कार्यपालकों को हायर करती है। संरचित मानव संसाधन विकास की दिशा में कंपनी के प्रयासों में 'क्षमताओं को मजबूत करना' हमेशा फोकस क्षेत्र रहा है।

हमारी मानव पूंजी और उनका सुदृढ़ीकरण

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार, टीएचडीसीआईएल की मानव पूंजी 1563 है जिसमें 780 कार्यपालक, 263 पर्यवेक्षक, 520 कामगार शामिल हैं। एक उच्च गुणवत्तापूर्ण, प्रेरित कार्यबल सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है, इसलिए टीएचडीसी अपने कर्मचारियों को उनकी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

1. **मानव/मेगावाट अनुपात:** मानव/मेगावाट अनुपात में लगातार गिरावट आई है जो जनशक्ति की प्रभावी भागीदारी को दर्शाता है।

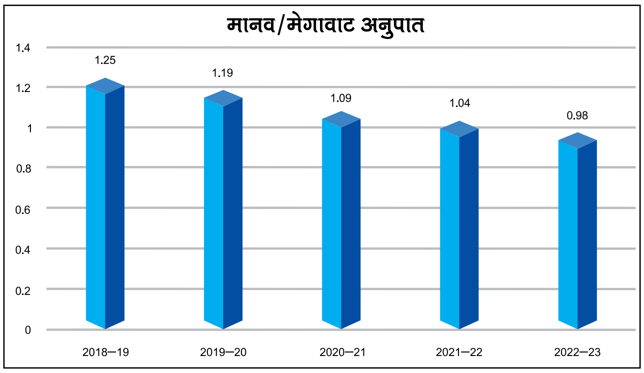

2. **तकनीकी जनशक्ति से गैर-तकनीकी जनशक्ति का अनुपात:** टीएचडीसीआईएल अपने तकनीकी जनशक्ति से गैर–तकनीकी जनशक्ति के अनुपात में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। टिहरी–एचपीपी (1000 मेगावाट) के निर्माण चरण के दौरान स्थानीय लोगों की बड़े पैमाने पर भर्ती की गई और यूपीआईडी कर्मचारियों के बड़े हिस्से को टीएचडीसीआईएल में समामेलित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी से गैर–तकनीकी जनशक्ति अनुपात में कमी आई।

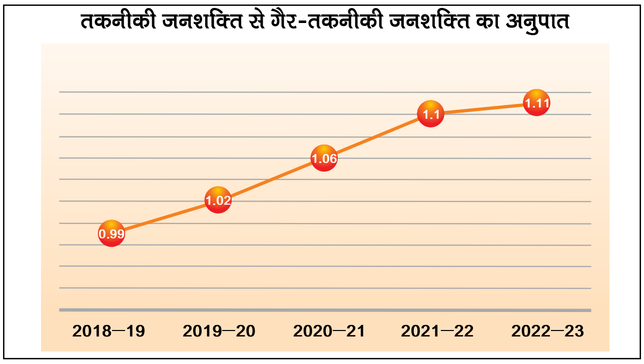

3. **जनशक्ति रूझान:** जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसके परिणामस्वरूप न केवल अनुपात संकुचित हुआ बल्कि उच्च मानव संसाधन लागत में भी योगदान मिला। टीएचडीसीआईएल ने अतिरिक्त जनशक्ति को संबोधित करने और भविष्य के लिए प्रभावी उत्तराधिकार योजना सुनिश्चित करने के लिए अपनी भर्ती कार्यनीति की योजना बनाई। जनशक्ति में गिरावट का रुझान नीचे देखा जा सकता है:

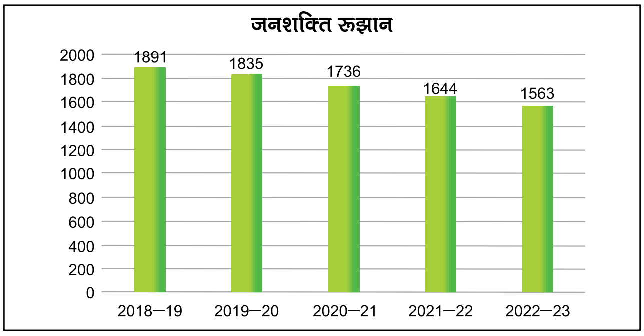

प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन

टीएचडीसी, ज्ञानार्जन पहलों में निवेश करने में दृढ़ विश्वास रखता है और इसके लिए उसके पास एक सुस्पष्ट ज्ञानार्जन विकास प्रणाली है। टीएचडीसी, व्यापार के साथ तालमेल बनाकर अपने कर्मचारियों की क्षमता को सामरिक एचआरडी हस्तक्षेपों के माध्यम से उन्नत करने का प्रयास करता है। कंपनी, अपने व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की विकास योजनाओं को अनुरूप बनाने में सक्षम है, जो संगठन को वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की दक्षताओं को अद्यतन रखने में मदद करती है। ऋषिकेश में स्थित एक उन्नत समर्पित एचआरडी केन्द्र कंपनी की प्रशिक्षण जरुरतों को पूरा करता है। हमारे कर्मचारियों की अंतर्निहित क्षमता, योग्यता और कौशल में सुधार लाने के लिए टीएचडीसीआईएल में आंतरिक विशेषज्ञों और बाहरी प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न कौशल प्रशिक्षण, व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण और पेपर प्रेजेंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मानव संसाधन विकास के लिए प्रतिभा की पुनःपूर्ति और योग्यता अंतराल को पाटना महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। अभिचिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। हमारी कंपनी को इंजीनियरी क्षेत्रों से जुड़े अनेक विषयों अर्थात हाइड्रोलोजी, विद्युत, सिविल, जियोटेक्नीकल डिजाइन और एचार में आंतरिक विशेषज्ञता प्राप्त है। इस वर्ष एएससीआई, हैदराबाद, आईआईएम, आईआईटी, आईआईसीए, एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस, नोएडा, एआईएमए, एनपीटीआई, आईएनसीओएलडी एम/एस ट्रैक्टेबेल इंजीनियरिंग, फ्रांस आदि जैसे प्रमुख संस्थानों के लिए बाहरी नामांकन के अलावा कुल 44 समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर कुल 4032 प्रशिक्षण मानव दिवस प्राप्त किये गये हैं। प्राप्त कुल मानव दिवसों में से, 42% मानव दिवस तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कवर किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण मानव दिवस 2.5 मानव दिवस है।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

टीएचडीसीआईएल का नेतृत्व और भावी नेतृत्व के महत्व में दृढ़ विश्वास है। नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए, कारपोरेट सुशासन आदि लाने के लिए बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण की विशिष्ट जरुरतों को पूरा करने के लिए, कारपोरेट सुशासन, कंपनी विधि और नए अधिनियमों पर आयोजित बाहरी प्रषिक्षण कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशक भी नामित किए जाते हैं।

टीएचडीसीआईएल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक के लिए निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- विद्युत मंत्रालय के लिए क्षेत्र विशिष्ट क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किया गया

- डीपीई द्वारा गैर–सरकारी निदेशक का क्षमता निर्माण
- स्वतंत्र निदेशक के लिए परिचय कार्यक्रम

सोशल मीडिया और सामाजिक संवाद मंचों के माध्यम से कर्मचारियों की संलग्नता

कॉर्पोरेट संचार किसी भी संगठन में एक महत्वपूर्ण विभाग है। किसी संगठन के भीतर अंतरविभागीय तालमेल को बढ़ावा देने में कॉर्पोरेट संचार विभाग एक सर्वोपरि भूमिका निभाता है। टीएचडीसीआईएल इस माध्यम से जनता और हितधारकों तक पहुंचने में सोशल मीडिया की क्षमता को स्वीकार करता है। कर्मचारी जुड़ाव, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और हितधारकों के साथ बातचीत को बढ़ाने के लिए, हमारी कंपनी का कॉर्पोरेट संचार विभाग कंपनी के बाहरी और आंतरिक हितधारकों को शामिल करने, सक्रिय करने, प्रेरित करने और जागरूक करने के लिए टर्नकी प्लेटफॉर्म के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा है। टीएचडीसीआईएल के पास एक सक्रिय और सत्यापित फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल है जो विद्युत मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के फेस बुक पेज और ट्विटर हैंडल से जुड़ा हुआ है। इन प्लेटफार्मों का प्रयोग हमारे हितधारक कर्मचारियों के मध्य सूचनाओं के प्रसार के लिए किया जाता है जो इन डिजिटल मंचों पर लगातार अपने विचारों को साझा करते हैं और प्रतिपुष्टि (फीडबैक) देते हैं। इस प्रकार ये सोशल मीडिया हैंडल, ज्ञान और सूचना को साझा करने के लिए दोतरफा संचार और द्वार उपलब्ध करवाते हैं।

कर्मचारी कल्याण गतिविधियां

हमारी कंपनी ने कर्मचारियों को एक वांछनीय कार्य–जीवन संतुलन प्रदान करने के साथ–साथ जीवनयापन और कार्यकरण की स्थिति में सुधार करने के लिए संरचित पहल की। कंपनी ने विभिन्न पहलों के माध्यम से हमेशा अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। टीएचडीसी ने वर्ष के दौरान इंटर सीपीएसयू खेल आदि के आयोजन से लेकर बहुत–सी कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया और आईसीपीएसयू के तत्वावधान में आयोजित खेल आयोजनों में पदक जीते। टीएचडीसीआईएल का भौतिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वस्थता में दृढ़ विश्वास है और इसलिए कंपनी ने कार्यजीवन में संतुलन लाकर आंतरिक संचार को सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक संवाद के अनेक प्लेटफार्म तैयार किए हैं। टीएचडीसी स्वस्थ सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है। दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, नया साल, स्थापना दिवस आदि जैसे विभिन्न त्योहार सामूहिक रूप से सांस्कृतिक गतिविधियों आदि का आयोजन करके मनाए जाते हैं। टीएचडीसी बेहतर जीवन के लिए योग के समग्र महत्व को महसूस करता है और इसलिए कर्मचारियों और उनके परिवारों को निरंतर योग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और योग्य योग प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है। पूरे वर्ष के दौरान योग दिवस का आयोजन, स्वास्थ्य संबंधी कई मुद्दों पर कार्यशालाओं की व्यवस्था, विभिन्न इकाइयों में चिकित्सा जांच शिविर और रक्तदान, टीकाकरण शिविर आदि भी एक अतिरिक्त विशेषता रही।

मानव संसाधन नीतिगत ढांचा

नैतिक सुशासन द्वारा निर्देशित: जिम्मेदार कॉर्पोरेट व्यवहार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता

जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिकता की दिशा में हमारी यात्रा में, हमारी कंपनी कॉर्पोरेट मामलों को संचालित करने के लिए एक मजबूत नीति ढांचे के सर्वोपरि महत्व को पहचानती है। टीएचडीसीआईएल में, पारदर्शिता हमारे कॉर्पोरेट लोकाचार की आधारशिला है। हम जिम्मेदार और पारदर्शी आचरण के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, अपने सभी हितधारकों के साथ सूचनाओं के खुले आदान–प्रदान को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं।

टीएचडीसीआईएल में अपनाई जाने वाली प्रगतिशील मानव संसाधन परिपाटियां

- एक गतिशील और समृद्ध कार्य परिवेश को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता हमारी मानव संसाधन प्रथाओं में परिलक्षित होती है। हम मान्यता और उत्कृष्टता की संस्कृति पर आधारित अपने कर्मचारियों के पोषण और प्रेरणा में विश्वास करते हैं। मानव संसाधन प्रथाओं के उस सिद्धांत की एक झलकियां निम्नानुसार है:

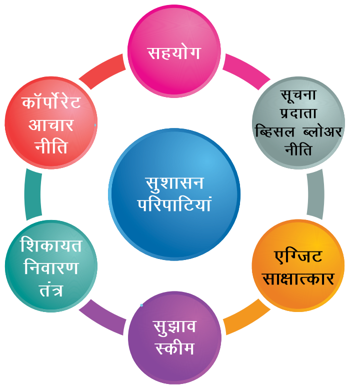

- **उत्कृष्टता का पोषण:** हमने 'नमन' और 'गौरव' नाम से नई पुरस्कार और इनाम योजनाएं शुरू की हैं, जो हमारे मौजूदा मान्यता कार्यक्रमों के साथ सहजता से एकीकृत हैं। ये योजनाएं उच्च प्रदर्शन और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति हमारे समर्पण के प्रमाण के रूप में काम करती हैं।
- **एम्प्लिफाइंग वॉयसेज:** हमारी सुझाव योजना के माध्यम से, हम सक्रिय रूप से अपने कर्मचारियों की प्रतिक्रिया मांगते हैं और उसे महत्व देते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि और विचार हमारी प्रक्रियाओं और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **विकास को सशक्त बनाना:** उच्च/अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने के लिए हमारी प्रोत्साहन योजना निरंतर ज्ञानार्जन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम अपने कर्मचारियों को उनके कौशल सेट और योग्यताओं को बढ़ाने, संगठनात्मक उन्नति के साथ उनकी वृद्धि को संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- **नए क्षितिजों का मार्गदर्शन करना:** ईटी (कार्यकारी प्रशिक्षुओं) के लिए सलाह देने की हमारी योजना प्रतिभा के पोषण के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाती है। इस पहल का उद्देश्य हमारे उभरते नेताओं को मार्गदर्शन, ज्ञान और सलाह प्रदान करना है।
- **अधिगम विकसित करना:** हमारा प्रशिक्षण और शिक्षण कैलेंडर निरंतर अधिगम और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे कर्मचारी अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित हैं।
- **लूप को बंद करना:** एग्जिट इंटरव्यू की हमारी नीति उस मूल्य पर जोर देती है जो हम प्रस्थान करने वाले कर्मचारियों के अनुभवों को समझने, आत्मनिरीक्षण और सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने पर देते हैं।
- **डिजिटलीकरण को सशक्त बनाना:** हम अपनी प्रबंधन प्रणालियों का डिजिटलीकरण शुरू कर रहे हैं, एक ऐसा कदम जो बढ़ी हुई दक्षता और पारदर्शिता के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने की हमारी तत्परता को दर्शाता है।
- **संबंधों का निर्माण:** 'सहयोग', कर्मचारियों के बीच आपसी सहायता को बढ़ावा देने की हमारी पहल, हमारी एकता और सौहार्द की भावना को मजबूत करती है।
- **सामूहिक बुद्धि का उपयोग करना:** हमारी क्वालिटी सर्कल पहल सहयोगात्मक समस्या–समाधान को प्रोत्साहित करती है, जिससे हमें सामूहिक रूप से चुनौतियों का समाधान करने और संगठनात्मक सुधार लाने की सुविधा मिलती है।
- **नेतृत्वकर्ताओं का पोषण:** हमारी उत्तराधिकार योजना मॉडल भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो संगठन के भीतर नेतृत्व के निर्बाध परिवर्तन को सुनिश्चित करता है।
- **उत्कृष्टता सुनिश्चित करना:** हमारी एचआर लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करते हुए पूर्वनिर्धारित मापदंडों के अनुपालन की सुरक्षा करती है कि हमारी एचआर प्रक्रियाएं हमारे संगठनात्मक लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप हों।
- **जुड़ाव को बढ़ावा देना:** स्किप लेवल मीटिंग के माध्यम से, हम स्वीकार्य नेतृत्व और टीम वर्क की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, अपनेपन और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देते हैं।
- इन प्रगतिशील मानव संसाधन प्रथाओं को समाहित करके, टीएचडीसीआईएल एक ऐसे कार्यबल को तैयार करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है जो मान्यता, नवाचार और सामूहिक विकास पर पनपता है।

टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के दौरान विजेताओं के साथ श्री आर.के. सिंह, माननीय कैबिनेट मंत्री, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार, श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड, श्री नरेश बंसल, माननीय सांसद (राज्यसभा), श्री किशोर उपाध्याय, माननीय विधायक टिहरी एवं श्री आर.के. विश्नोई, सीएमडी, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का ग्रुप फोटोग्राफ

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का दृश्य

निदेशकों की रिपोर्ट 2022-23

निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक

अनुलग्नक - I	कॉर्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट
अनुलग्नक - II	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट
अनुलग्नक - III	प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट
अनुलग्नक - IV	ऊर्जा संरक्षण उपाय, प्रौद्योगिकी अनुकूलन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय
अनुलग्नक - V	व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट
अनुलग्नक - VI	सचिवालयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट 2022-23

प्रिय सदस्य गण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समीक्षा सहित टीएचडीसीआईएल के प्रदर्शन पर 35वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

मुख्य कार्य निष्पादन विशेषताएं

- 3207.55 करोड़ रुपये के अनुमोदित बजट अनुमान के सापेक्ष 4615.02 करोड़ रुपये (143.88%) का अब तक का उच्चतम पूंजीगत व्यय हासिल किया।
- अपने प्रचालन संयंत्रों से 4935 एमयू उत्पादन किया, जो पिछले नौ वित्तीय वर्षों में उच्चतम उत्पादन है।
- टिहरी पीएसपी की पहली इकाई (4X250 मेगावाट) को 30.03.2023 को सफलतापूर्वक बॉक्स अप किया गया।
- टिहरी पीएसपी की दूसरी इकाई में स्टेटर और रनर को सफलतापूर्वक उतारा गया।
- दिनांक 15.03.23 को खुर्जा एसटीपीपी की पहली इकाई का बॉयलर हाइड्रो परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- अमेलिया कोयला खदान से कोयले की निकासी तय समय से पहले 18.02.23 से शुरू हो गई। विद्युत मंत्रालय/कोयला मंत्रालय द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार 0.3 मिलियन टन से अधिक कोयला निकाला जा चुका है और कोयला प्रेषण भी शुरू हो गया है।
- वीपीएचईपी में कंक्रीट खंडों को ठीक करने के साथ-साथ टीबीएम ऑपरेशन शुरू किया गया है।
- राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क के विकास के लिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरआरईसीएल) के साथ साझेदारी में ट्रेडको लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई।
- केरल राज्य में इडुक्की पंप स्टोरेज (300 मेगावाट) और पल्लीवासल पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) के लिए पीएफआर की तैयारी के लिए 24.01.23 को केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- उत्तराखंड में हाइड्रो पावर की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए 06.03.23 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- टीएचडीसीआईएल के प्रयासों से ग्राम सभा/सरकारी भूमि के हस्तांतरण के लिए 15.03.2023 को उत्तर प्रदेश सरकार से जीओ जारी हुआ। अब, उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क के विकास के लिए टुस्को के संयुक्त उद्यम भागीदार यूपीनेडा को सरकारी भूमि हस्तांतरित करने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है।
- टीएचडीसीआईएल ने सक्रिय कदम उठाए हैं और दो उच्च क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं, अर्थात् 1200 मेगावाट कलाई-II और 1750 मेगावाट डेमवे-लोअर के आवंटन के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ बातचीत की है।
- टीएचडीसीआईएल ने महाराष्ट्र में छह और उत्तराखंड में एक पंप स्टोरेज पावर प्लांट (पीएसपी) विकसित करने के लिए एक परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की तैयारी शुरू कर दी है।
- आईडब्ल्यूआरडी, यूपी द्वारा टीएचडीसीआईएल को आवंटित कुल 2563 मेगावाट की 6 फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी और अब उत्तर प्रदेश में विभिन्न जलाशयों पर विकास के लिए 3 व्यवहार्य परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है।
- टीएचडीसीआईएल कार्यालय परिसर, ऋषिकेश (उत्तराखंड) में 1 मेगावाट क्षमता (इलेक्ट्रोलाइजर और ईंधन-सेल आधारित माइक्रो-ग्रिड सिस्टम) के साथ 'ग्रीन हाइड्रोजन' की एक पायलट परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया गया है और सितंबर-23 तक पूरा होने की संभावना है।
- दिसंबर-22 में टिहरी झील में तीन दिवसीय एशियाई रैंकिंग चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालीफाइंग ओपन कैनो स्प्रिंट सीनियर पुरुष और महिला चैंपियनशिप-2022 (टिहरी वॉटर स्पोर्ट्स कप) का सफलतापूर्वक आयोजन।
- क्षमता निर्माण पहल के लिए और एचआरडी केंद्र, ऋषिकेश की बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करके इसे लाभ केंद्र में बदलने हेतु एनएसबी (एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रमों को क्रियान्वित करके राजस्व अर्जित करना शुरू कर दिया है।

1000 मे.वा. के टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र (पीएसपी) की II-यूनिट के जनरेटर पिट में रोटर (250 मे. वा., 490 टन वजन) की लोवरिंग

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणाम संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
आय		
(क) सतत प्रचालन से राजस्व	1974.30	1,921.49
(ख) अन्य आय	29.35	305.85
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	10.47	16.24
घटाएं: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	(10.47)	(16.24)
कुल राजस्व (क+ख)	**2003.65**	**2,227.34**
व्यय		
(क) कर्मचारी हितलाभ व्यय	336.74	354.11
(ख) वित्तीय लागत	181.37	134.11
(ग) मूल्यह्रास और परिशोधन	273.90	302.65
(घ) उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	428.20	287.06
(ङ) अशोध्य संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान	.	.
कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ङ)	**1220.21**	**1,077.93**
विनियामक आस्थगित खाता शेष, अपवादात्मक व्यय और कर पूर्व लाभ	**783.44**	**1,149.41**
अपवादात्मक मदें – (आय)/व्यय–निवल	.	.
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष	**783.44**	**1,149.41**
कर व्यय:		
(क) चालू कर (आयकर)	136.55	189.34
(ख) आस्थगित कर – (परिसंपत्ति)/देयता	17.10	35.57
विनियामक आस्थगित खाता शेष में कर पश्चात लाभ	**629.79**	**924.50**
विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन शेष आय/(व्यय)–निवल कर	43.30	(29.72)
सतत प्रचालन से इस अवधि के लिए लाभ	**673.09**	**894.78**
अन्य व्यापक आय/(व्यय) (कर का निवल)	(2.52)	2.14
कुल व्यापक आय	**670.57**	**896.92**

वित्तीय निष्पादन

सकल राजस्व और लाभ

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व, सकल राजस्व, कुल व्यापक आय तथा सकल राजस्व और कुल व्यापक आय के प्रतिशत में परिवर्तन की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22	वृद्धि/(कमी)
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	1974.30	1921.49	52.81
सकल राजस्व	2003.65	2227.34	(223.69)
कुल व्यापक आय	670.57	896.92	(226.35)
सकल राजस्व में कुल व्यापक आय का प्रतिशत	**33.47%**	**40.27%**	

प्रचालन से राजस्व में उपरोक्त वृद्धि मुख्य रूप से – बिजली के उत्पादन में वृद्धि के कारण है। तथापि, विलंबित भुगतान अधिभार में कमी के कारण सकल राजस्व में ₹ 223.69 करोड़ की कमी हुई है।

पिछले पांच वर्षों की कुल व्यापक आय

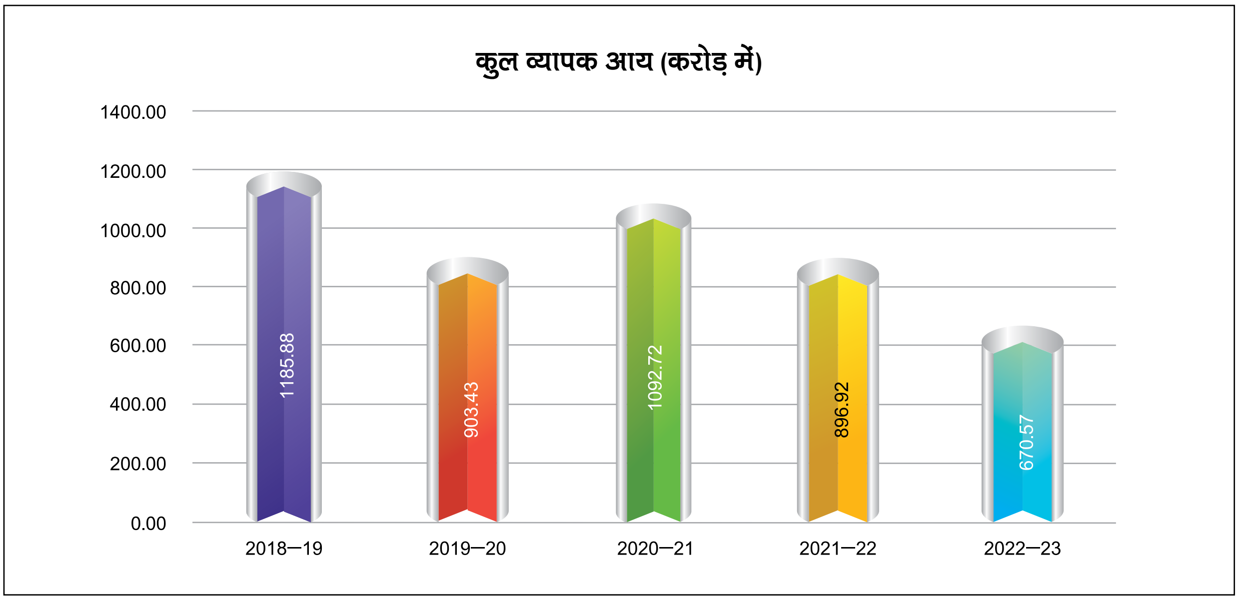

लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 547.94 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 350.00 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में 197.94 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस प्रकार, 547.94 करोड़ रुपये का कुल लाभांश भुगतान 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 149.47 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है, और जो कुल व्यापक आय के 81.71% और संदत्त पूंजी के 14.95% का प्रतिनिधित्व करता है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 171.44 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 142.24 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कुल लाभांश 521.44 करोड़ रुपये है और यह निवल मूल्य का 5% है।

पूंजी संरचना और निवल मूल्य (नेटवर्थ)

शेयर पूंजी :

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 4000 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार, संदत्त पूंजी और निवल मूल्य (नेटवर्थ) क्रमशः 3665.88 करोड़ रु. और 10428.78 करोड़ रु. है।

प्रचालनात्मक निष्पादन 2022-23

विद्युत उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कुल संस्थापित क्षमता 1587 मेगावाट है, जल, पवन और सौर संयंत्रों से विद्युत उत्पादन 4813 एमयू के एमओयू लक्ष्य के सापेक्ष के 4935.48 एमयू था। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष का उत्पादन पिछले वर्ष के 4670.80 एमयू उत्पादन से अधिक रहा है।

- वर्ष 2022–23 के दौरान जल, पवन और सौर संयंत्रों से कुल विद्युत उत्पादन निम्नानुसार हैं–

क्र. सं.	संयंत्र का नाम	उत्पादन (एम. यू.)		पीएएफ/सीयूएफ	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)	3192.60	3284.79	80%	84.09%
2.	कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)	1220.62	1255.20	68%	68.66%
3.	ढुकवां एसएचपी (24 मेगावाट)	80	82.46	38.05%	39.22%
4.	पाटन पवन ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट)	85	77.70	19.41%	17.74%
5.	द्वारका पवन ऊर्जा संयंत्र (63 मेगावाट)	145	140.75	26.27%	25.50%
6.	कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट)	90	94.58	20.55%	23.47%
	कुल	**4813.22**	**4935.48**		

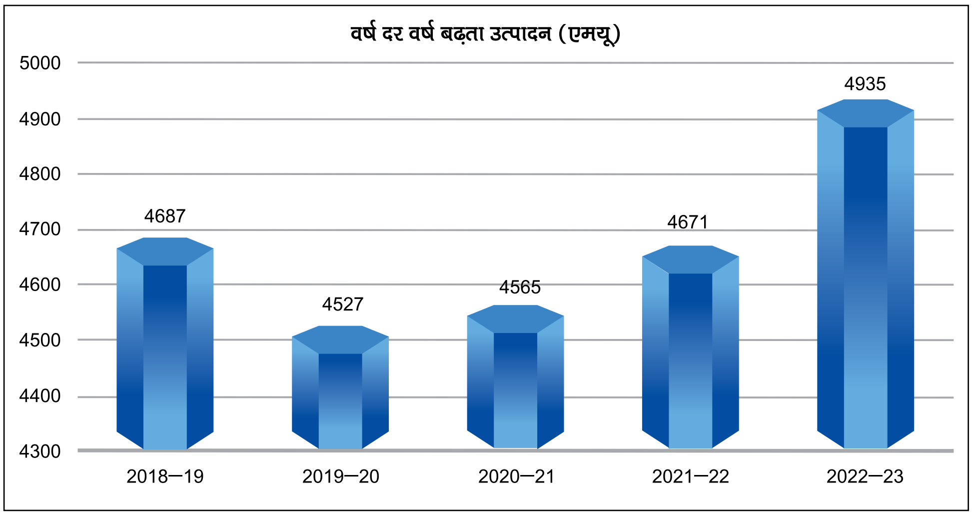

प्रचालनात्मक प्रदर्शन (उत्पादन एवं पीएएफ)

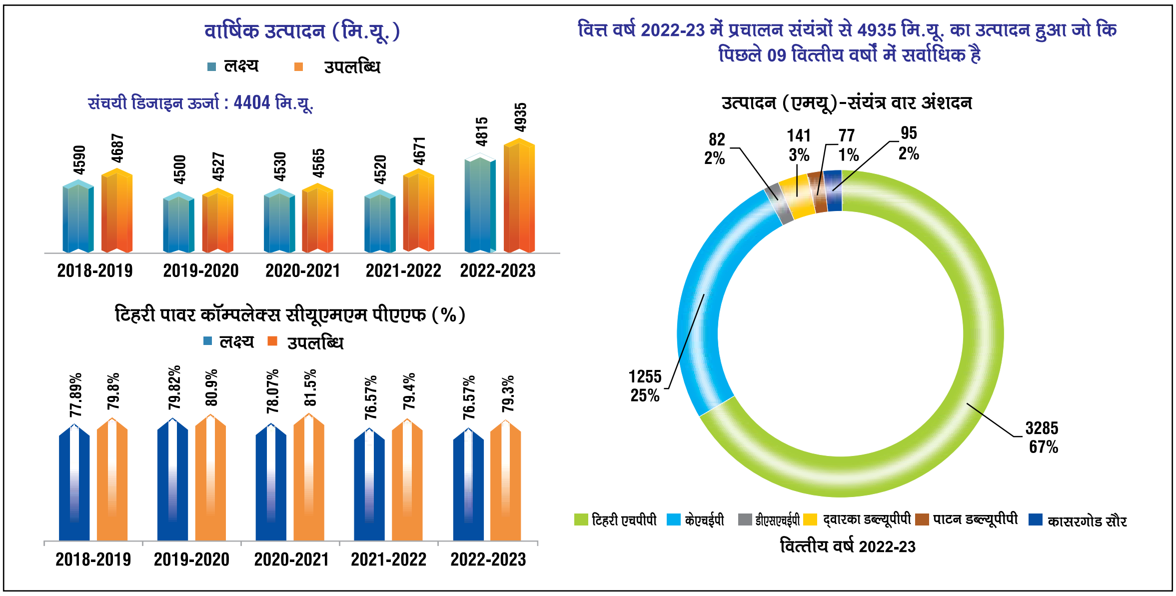

कैपेक्स प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2022–23 में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1988 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक कैपेक्स हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल कैपेक्स 4615.03 करोड़ रुपए है, जो इसके निर्धारित एमओयू लक्ष्य अर्थात् 3207.54 करोड़ रुपये का 143.88% है। यह इसके दूरदर्शी नेतृत्व, प्रशासनिक मंत्रालय और समर्पित कर्मचारियों के कड़े परिश्रम के परिणामस्वरूप इसकी सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कार्य की त्वरित गति का परिणाम है।

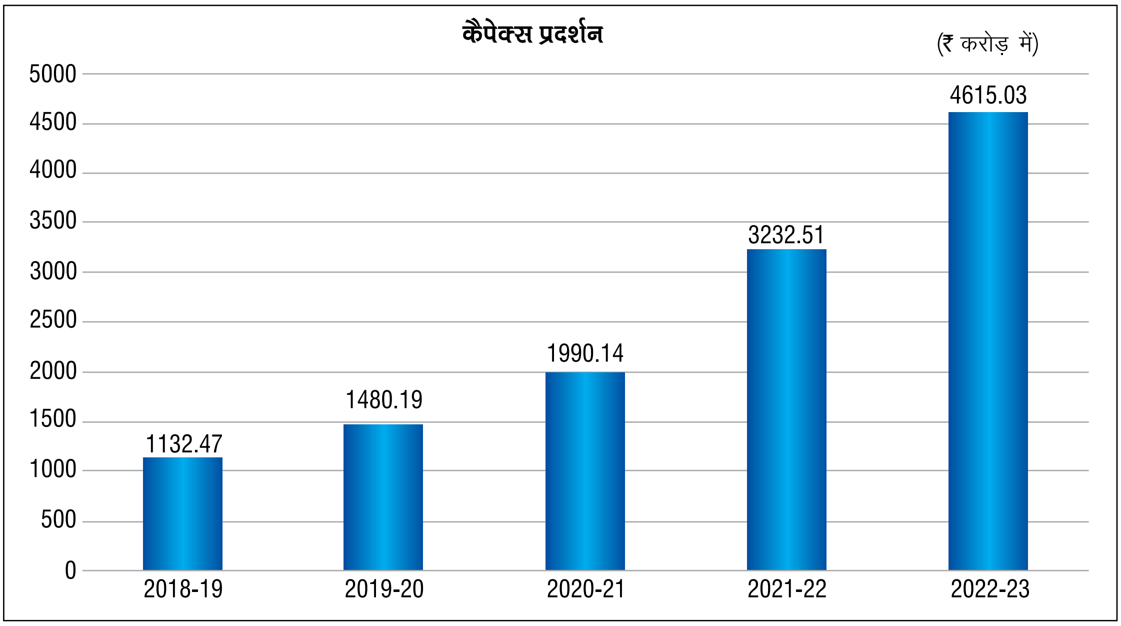

व्यावसायिक प्रदर्शन

हमारी कंपनी, निरंतर सुधार तथा लाभार्थी/डिस्कॉम्स को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखती है। इसे लाभार्थियों ने वार्षिक प्रतिपुष्टि पत्र में उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान कर अपनी संतुष्टि को व्यक्त कर स्वीकार किया है। टीएचडीसीआईएल के प्रचालन से राजस्व के संदर्भ में व्यावसायिक प्रदर्शन इस प्रकार है:–

विवरण	2022-23	2021-22
प्रचालनों से राजस्व (रूपये करोड़ में)	1974.30	1921.49
*राजस्व की वसूली (%)	100*	100

*100% वसूली में पिछले वर्ष के बकाया से वसूली भी शामिल है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, माननीय सीईआरसी ने टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए टीएचडीसीआईएल के टैरिफ और विविध याचिकाओं के संबंध में आदेश जारी किए हैं और उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- माननीय सीईआरसी ने दिनांक 09.06.2022 के आदेश के माध्यम से टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट) के लिए 01.01.2016 से 31.03.2019 की अवधि से सुरक्षा कार्मिक के वेतन संशोधन के प्रभाव के कारण 5.78 करोड़ रूपये की राशि के ओ एंड एम व्ययों की अनुमति दे दी है।
- माननीय सीईआरसी ने 2014–19 की अवधि के लिए एक ट्रू–अप टैरिफ और 2019–24 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट) के लिए एक टैरिफ को मंजूरी दे दी।
- माननीय सीईआरसी ने अपने आदेश, दिनांक 25.11.2022 के तहत कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए 01.01.2016 से 31.03.2019 की अवधि तक टीएचडीसीआईएल कर्मचारियों और सीआईएसएफ कर्मियों के वेतन संशोधन के प्रभाव के कारण अतिरिक्त ओ एंड एम खर्च की अनुमति दी है, जिसमें टीएचडीसीआईएल ने 61.09 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
- माननीय सीईआरसी ने कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए 2014–19 की अवधि के लिए एक ट्रू–अप टैरिफ और 2019–24 की अवधि के लिए एक टैरिफ को मंजूरी दी।

उक्त आदेशों के प्रभावों को वित्तीय वर्ष 2022–23 के तुलनपत्र में शामिल किया गया है।

परियोजना वित्त पोषण

कॉर्पोरेट बांड

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 7.60% प्रति वर्ष की कूपन ब्याज दर के साथ 800 करोड़ रुपये की प्रतिभूत प्रतिदेय, असंपरिवर्तनीय श्रृंखला–VI जारी की थी। बांड जारी होने की तारीख से 10 वर्षों के बाद भुनाया जाएगा और वार्षिक आधार पर ब्याज देय होगा। 800 करोड़ रुपये के बांड श्रृंखला–VI में से 550 करोड़ रुपये की राशि टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए और 250 करोड़ रुपये अमेलिया कोयला खदान के लिए उपयोग की गई है। इन बांडों को मैसर्स केयर रेटिंग्स लिमिटेड और मैसरस् इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एए (स्टेबल) का दर्जा दिया गया था।

इसके अलावा, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट आधार पर पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूंजीगत व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए 7.88% की कूपन ब्याज दर के साथ 600 करोड़ रुपये की एक अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर–संपरिवर्तनीय बांड श्रृंखला–VII जारी की थी। बांड जारी होने की तारीख से 10 वर्षों के बाद भुनाए जाएंगे और ब्याज वार्षिक आधार पर देय होगा। 600 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट बॉन्ड श्रृंखला–VII की आय में से 180 करोड़ रुपये का उपयोग टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए किया गया है और 240 करोड़ रुपये का उपयोग खुर्जा परियोजना के लिए किया गया है और 180 करोड़ रुपये का उपयोग अमेलिया कोयला खदान के लिए किया गया है।

दोनों बांडों को मेसर्स केयर रेटिंग्स लिमिटेड और मेसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एए (स्टेबल) रेटिंग दी गई थी।

परियोजना-वार वित्त पोषण

टिहरी पीएसपी परियोजना:

1. टिहरी पीएसपी परियोजना को धन उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2012 में 15000 करोड़ रूपये दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने हेतु कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले व्यापार संघ के साथ वित्तीय गठबंधन किया था। उपरोक्त संस्वीकृत राशि के सापेक्ष, 31 मार्च, 2018 तक 1227.65 करोड़ रूपये की राशि का उपयोग किया गया था। कंपनी ने मई, 2018 तक 1227.65 करोड़ रूपये की पूर्ण राशि चुका दी है।
2. कंपनी ने टिहरी पीएसपी परियोजना को धन उपलब्ध करवाने के लिए वित्त वर्ष 2018–19 में पीएनबी से 700 करोड़ रू. का मध्यावधि ऋण प्राप्त किया है। इस मध्यावधि ऋण को मार्च, 2024 तक 20 तिमाही

किश्तों में चुकाया जाएगा। 31 मार्च, 2023 को निवल बकाया ऋण 139.58 करोड़ रू. है।

3. टीएचडीसीआईएल ने प्रतिभूत और अप्रतिभूत बांड श्रृंखला–I से VII की विभिन्न श्रृंखला जारी की थी इन बांडों के माध्यम से जुटाई गई निधियों में से टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए निम्नलिखित राशियों का उपयोग किया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	उपयोग की गई राशि	ब्याज दर (प्रतिवर्ष)
बांड श्रृखंला –II	1420.00	8.75%
बांड श्रृखंला –III	200.00	7.19%
बांड श्रृखंला –IV	500.00	7.45%
बांड श्रृखंला –V	300.00	7.39%
बांड श्रृखंला –VI	550.00	7.60%
बांड श्रृखंला –VII	180.00	7.88%

वीपीएचईपी

कंपनी ने वीपीएचईपी परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 648 मिलियन यूएस डॉलर प्राप्त करने के लिए वित्तीय तालमेल किया था। तथापि, टीएचडीसीआईएल के अनुरोध पर, विश्व बैंक ने 27.06.2019 और 07.04.2021 को 100–100 मिलियन यूएस डॉलर के आंशिक ऋण प्रदायगी को रद्द कर दिया। अब इस परियोजना के लिए ऋण राशि 448 मिलियन यूएस डॉलर है।

वर्ष 2022–23 के दौरान 37.75 मिलियन यूएस डॉलर की राशि आहरित की गई है और दिनांक 31.03.2023 तक कुल 195.51 मिलियन यूएस डॉलर का आहरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 7.95 मिलियन यूएस डॉलर की राशि चुका दी गई है और दिनांक 31.03.2023 तक कुल 32.46 मिलियन यूएस डॉलर की राशि चुका दी गई है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार, निवल बकाया ऋण 163.05 मिलियन यूएस डॉलर है जो 1340.51 करोड़ रू. के बराबर है।

खुर्जा एसटीपी परियोजना और अमेलिया कोयला खदान

1. कंपनी ने ऋण घटक के वित्तपोषण अर्थात खुर्जा एसटीपी परियोजना और अमेलिया कोयला खदान की 8873.61 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत का 70% (i) निजी प्लेसमेंट के आधार पर बांड के माध्यम से 50% ऋण और (ii) बाजार परिदृश्य और निधि की आवश्यकता पर विचार करते हुए इंटरचेंज विकल्प के साथ अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों आदि से परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से शेष 50% की योजना बनाई है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एवं बैंक ऑफ बड़ौदा ने टीएचडीसीआईएल के ऋषिकेश स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में 16.02.2023 को 2,500 करोड़ रुपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

2. कंपनी ने कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से 2500 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लिया है।

इसके अलावा, निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूंजीगत व्यय आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 2500 करोड़ रुपये का नया सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है। बीओबी टर्म लोन–II से प्राप्त धनराशि का उपयोग इन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, उपरोक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध 31.03.2023 तक 525.00 करोड़ रुपये का लाभ उठाया जा चुका है।

3. टीएचडीसी ने बांड सीरीज–I से VII जारी की है और इनसे जुटाई गई निधियों में से, निम्नलिखित राशि का उपयोग खुर्जा एसटीपी परियोजना और अमेलिया कोयला खदान के लिए उपयोग किया गया है:

₹ करोड़ में

परियोजना	विवरण	उपयोग की गई राशि	ब्याज दर प्रतिवर्ष
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृखंला–I	231.00	7.59%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृखंला –III	600.00	7.19%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृखंला –IV	125.00	7.45%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृखंला –IV	14.00	7.45%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृखंला –V	900.00	7.39%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृखंला –VI	250.00	7.60%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृखंला –VII	240.00	7.88%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृखंला –VIII	180.00	7.88%

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए परियोजना वित्तपोषण

ऋणदाता का नाम	ऋण की राशि	दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अथशेष ऋण राशि	वर्ष 2022-23 के दौरान आहरित राशि	चुकता की गई राशि	दिनांक 31.03.2023 तक शेष ऋण राशि
विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण	648 मिलियन यूएस डॉलर*	998.09 करोड़ रुपए	406.83 करोड़ रुपए **	64.41 करोड़ रुपए	1340.51 करोड़ रुपए
पीएनबी से सावधि ऋण	700 करोड़ रुपए	279.58 करोड़ रुपए	शून्य	140.00 करोड़ रुपए	139.58 करोड़ रुपए
कॉर्पोरेट बांड–श्रृंखला–I	600 करोड़ रुपए	600 करोड़ रुपए	शून्य	शून्य	600 करोड़ रुपए
कॉर्पोरेट बांड–श्रृंखला–II	1500 करोड़ रुपए	1500 करोड़ रुपए	शून्य	शून्य	1500 करोड़ रुपए
कॉर्पोरेट बांड–श्रृंखला–III	800 करोड़ रुपए	800 करोड़ रुपए	शून्य	शून्य	800 करोड़ रुपए
कॉर्पोरेट बांड–श्रृंखला–IV	750 करोड़ रुपए	750 करोड़ रुपए	शून्य	शून्य	750 करोड़ रुपए
कॉर्पोरेट बांड–श्रृंखला–V	1200 करोड़ रुपए	1200 करोड़ रुपए	शून्य	शून्य	1200 करोड़ रुपए
कॉर्पोरेट बांड–श्रृंखला–VI	800 करोड़ रुपए	शून्य	800 करोड़ रुपए	शून्य	800 करोड़ रुपए
कॉर्पोरेट बांड–श्रृंखला–VII	600 करोड़ रुपए	शून्य	600 करोड़ रुपए	शून्य	600 करोड़ रुपए
बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–1)	2500 करोड़ रुपए	800 करोड़ रुपए	1700 करोड़ रुपए	125 करोड़ करोड	2375 करोड़ रुपए
बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–2)	2500 करोड़ रुपए	शून्य	525 करोड़ रुपए	शून्य	525 करोड़ रुपए

* इसमें डॉलर विनिमय दर में परिवर्तन के कारण टीएचडीसी द्वारा अभ्यर्पित 200 मिलियन यूएस डालर शामिल हैं।

**107.47 करोड़ रुपये की विनिमय दर भिन्नता शामिल है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति

1. टिहरी पीएसपी (4X250 मेगावाट):

250–250 मेगावाट की चार रिवर्सिबल पंप टर्बाइन इकाइयों से निर्मित टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (1000 मेगावाट), पूर्ण होने पर भारत में सबसे बड़ा पीएसपी होगा। मल्टीपल पंपिंग चक्र (पंपिंग के 11/12 घंटे) को ध्यान में रखते हुए, पंपिंग मोड में 3104 एमयू ऊर्जा की खपत होगी जबकि टरबाइन मोड में 2475 एमयू ऊर्जा उत्पन्न होगी। औसतन, टिहरी पीएसपी में पंप की गई लगभग 80% ऊर्जा को सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्त किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर वापस विद्युत में परिवर्तित किया जाएगा, जो विश्व के अन्य पीएसपी की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च राउंड–ट्रिप दक्षता है।

एमओपी/राज्य सरकार/टीएचडीसीआईएल बोर्ड के हस्तक्षेप से सभी भूवैज्ञानिक चुनौतियों, कानून और व्यवस्था के मुद्दों और ठेकेदार के फंड संकट को पार करते हुए, परियोजना कार्यों ने गति पकड़ी और अब पूरा होने के करीब है। 27.12.2022 को, माननीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में, टिहरी पीएसपी की पहली इकाई के रोटर को नीचे उतारा गया और इसके बाद, 30.03.2023 को पहली इकाई को सफलतापूर्वक बॉक्स अप कर दिया गया। .

यूनिट–6 में, स्टेटर और रोटर को नीचे उतारा गया हैं और बॉक्सिंग 23 दिसंबर तक बढ़ने की उम्मीद है। यूनिट–7 में, स्टेटर को 30.05.2023 को जनरेटर पिट में सफलतापूर्वक उतारा गया। रनर को भी दिनांक 11.07.2023 को उतारा गया। इसके अलावा, ईएम उपकरण को नीचे करने का कार्य प्रगति पर है। यूनिट–8 में, गड्ढे में निचली रिंग को नीचे करने का काम पूरा हो गया है और आगे ईएम उपकरण को नीचे करने का कार्य प्रगति पर है।

अपस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट–1 और 2 में लाइनिंग प्रगति पर है और क्रमशः दिसंबर–23 और फरवरी–24 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है।

डाउन स्ट्रीम सर्ज शाफ्ट–1 और 2 में शाफ्ट लाइनिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। सभी ऊर्धवाधर शाफ्टों में लाइनर निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है।

टेल रेस टनल– 1 और 2 में कंक्रीट लाइनिंग पूरी होने के करीब है और अगस्त, 23 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। आउटलेट कार्यों में कंक्रीटिंग का कार्य अग्रिम चरण में है। जनवरी–24 तक गेटों को बंद करने और बाढ़ सुरक्षा दीवार को तोड़ने का लक्ष्य है।

रिवर ड्रेजिंग कार्य में, भारी स्थानीय बारिश और टिहरी एचपीपी और केएचईपी ऑपरेशन के कारण सीमित कार्य घंटों जैसी चुनौतियों के बावजूद, अपस्ट्रीम बैफल दीवार और नदी ड्रेजिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा हो चुका है। हालाँकि, भारी बारिश के कारण टिहरी जलाशय के बढ़ते जल स्तर के कारण काम अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। एक बार बारिश कम होने के बाद, उपरोक्त शेष कार्य भी फिर से शुरू हो जाएंगे ताकि रिवर ड्रेजिंग कार्य को अक्टूबर–23 तक हर तरह से पूरा किया जा सके।

जुलाई 23 तक टिहरी पीएसपी परियोजना पर 5601.35 करोड़ रुपये का खर्च हुआ, जबकि आरसीई–II पर 4825.60 करोड़ रुपये (फरवरी 2019 पीएल) का खर्च हुआ और परियोजना की पहली इकाई मार्च 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

अक्टूबर 2022 पीएल में 6406.33 करोड़ रुपये (1455.62 करोड़ रुपये के आईडीसी और एफसी सहित) के आरसीई–III की सीईए द्वारा जांच की गई है और अब एनटीपीसी के साथ परीक्षण और अनुमोदन के अधीन है।

2. विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4X111 मेगावाट):

444 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली विष्णुगाड़ पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित रन–ऑफ–दि–रिवर स्कीम है, जिसकी परिकल्पित ऊर्जा क्षमता 1657.09 एमयू (95% मशीन उपलब्धता के साथ) है।

ऊर्ध्वप्रवाह कॉफर बांध के निर्माण के बाद नदी का डायवर्जन पूरा कर लिया गया है। बांध का उत्खनन कार्य लगभग 72 प्रतिशत पूरा हो चुका है और नवंबर, 2023 से कंक्रीटिंग की शुरूआत किए जाने की संभावना है। इनलेट संरचना की कंक्रीटिंग चल रही है। सभी 3 डी–सिल्टिंग चैंबर्स का उत्खनन और कंक्रीट लाइनिंग अग्रिम चरण में है। डीबीएम द्वारा एचआरटी में, कर्ब कंक्रीटिंग और ओवर लाइनिंग 1.5 किलोमीटर लाइन लंबाई में से क्रमशः 329 मीटर लंबाई में और 187 मीटर लंबाई में पूरी की गई है।

टीबीएम के मोर्चे पर, टीबीएम से खनन 14.07.23 से टीबीएम प्रविष्टि एडिट में शुरू किया गया है और टीबीएम द्वारा एचआरटी निर्माण 16.08.2023 से लक्षित है। .

मशीन हॉल में, सर्विस बे क्षेत्र में अर्थ मैट का काम पूरा हो चुका है। नवंबर 2023 के मध्य तक कॉलम और क्रेन बीम का काम पूरा होने के बाद, ईओटी निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ट्रांसफार्मर हॉल में उत्खनन लगभग पूरा होने वाला है और कंक्रीटिंग अगस्त 2023 से शुरू होगी।

टिहरी पीएसपी के टीआरटी आउटलेट का कार्य अग्रिम चरण में

टीआरटी में, 52% हेडिंग उत्खनन पूर्ण हो गया है और शेष प्रगति पर है। टीआरटी आउटलेट क्षेत्र में, लगभग 95% ढलान स्थिरीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। 48% ईएम उपकरण/सामग्री की आपूर्ति हो चुकी है।

3860.35 करोड़ (फरवरी 2019 पीएल) के आरसीई के सापेक्ष जुलाई, 2023 तक परियोजना पर 3163.57 करोड़ रुपये व्यय किया गया।

परियोजना की पहली इकाई के मार्च, 2026 तक चालू होने का अनुमान है।

3. खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1320 मेगावाट):

7,724 करोड़ रुपये के मूल्य के सभी पैकेज एवार्ड कर दिए गए हैं और सभी मोर्चों पर काम पूरी प्रगति पर चल रहा है।

बॉयलर–1 हाइड्रो परीक्षण 15.03.23 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ऑक्स बॉयलर का हाइड्रो परीक्षण का कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यूनिट–1 के बॉयलर लाइट अप की योजना अक्टूबर 2023 के लिए बनाई गई है। बॉयलर–2 में दिनांक 09.09.22 को सीजी जैक–अप के बाद प्रेशर पार्ट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बॉयलर–2 के लिए हाइड्रो परीक्षण अगस्त 2023 में निर्धारित है।

दोनों चिमनियों की पूरी ऊंचाई (143.5 मीटर) तक शेल कास्टिंग का काम पूरा हो चुका है। फ्लू केन और टाइटेनियम वेल्डिंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। चिमनी–1 अक्टूबर 23 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।

मुख्य विद्युत गृह–1 का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। टर्बाइन–1 को 20.07.23 को बॉक्स अप किया गया और बैरिंग गियर पर टीजी को अगस्त 2023 तक बॉक्स अप किया जाएगा। जनरेटर निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। डीसी प्रणाली चार्ज किया गया है। पैनलों का निर्माण और परीक्षण पूरा होने वाला है। यूनिट–2 में दिनांक 23.07.22 को टीजी डेक कास्टिंग के बाद मुख्य पावर हाउस का निर्माण कार्य प्रगति पर है। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष तैयार है और पैनल निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

स्विचयार्ड का काम भी पूरा हो चुका है और मई 2023 के अंत तक स्टार्ट–अप बिजली उपलब्ध हो जाएगी। स्टेशन ट्रांसफार्मर–1 चालू हो गया है और चार्जिंग के लिए तैयार है।

ईएसपी–1 और 2, एफजीडी–1, कूलिंग टावर्स, रेलवे साइडिंग, ऐश डाइक और जल उपचार संयंत्र पैकेज कार्यों का निर्माण भी प्रगति पर है।

सीएचपी में, यूनिट–1 को फरवरी 2024 तक चालू करने के लिए, कोयला फीडिंग नवंबर 2023 तक तैयार होना आवश्यक है। नवंबर 2023 तक रिक्लेमिंग पथ सहित कोयला पथ–1 को पूरा करने के लिए सभी कार्य अच्छी प्रगति पर हैं।

खुर्जा एसटीपीपी को पानी की आपूर्ति के लिए काम पूरा होने के अंतिम चरण में है और संयंत्र संचालन के लिए पानी अगस्त 2023 तक उपलब्ध हो जाएगा।

विद्युत निकासी के लिए, 400 केवी खुर्जा–अलीगढ़ लाइन–1 और लाइन–2 के साथ स्विचयार्ड की सफल चार्जिंग दिनांक 08.06.2023 को पूरी हुई।

1320 मे.वा. खुर्जा एसटीपीपी की यूनिट # 1 का स्टेशन ट्रांसफार्मर

विद्युत निकासी के लिए 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन तैयार है। परियोजना भूमि से गुजरने वाले एनएच–91 को भी डायवर्ट कर दिया गया है।

खुर्जा एसटीपीपी पर, 11,089.42 करोड़ (दिसंबर–17 पीएल) की अनुमोदित लागत के सापेक्ष, जुलाई–2023 तक किया गया व्यय 8079.82 करोड़ रुपये है और पहली यूनिट के फरवरी–2024 तक चालू होने का अनुमान है।

4. अमेलिया कोयला खदान:

खदान को दिनांक 17.11.22 को खोला गया और कोयले का उत्पादन निर्धारित समय से पहले 18.02.2023 से शुरू हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 3 लाख टन कोयला उत्खनन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। एनटीपीसी को कोयले की आपूर्ति के लिए 31.03.2023 को एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देवराग्राम रेलवे साइडिंग से एनटीपीसी प्लांट तक कोयला प्रेषण 29.06.23 से शुरू हो गया है।

एफसी, ईसी, खनन पट्टा, सीटीई, सीटीओ, खदान खोलने की अनुमति आदि सभी आवश्यक मंजूरी दे दी गई है। कोयला ब्लॉक की संपूर्ण 1412.37 हेक्टेयर भूमि जिसमें 843.76 हेक्टेयर वन भूमि, 178.13 हेक्टेयर लीज होल्ड भूमि, 53.13 हेक्टेयर राजस्व भूमि (आर एंड आर के लिए) और 337.35 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है, टीएचडीसीआईएल को सौंप दी गई है। वर्तमान में, खनन क्षेत्र से पेड़ों की कटाई और पीएएफ को स्थानांतरित करने का कार्य प्रगति पर है।

लगभग सभी पीएएफ को प्रथम वर्ष के खनन क्षेत्र से स्थानांतरित कर दिया गया है। अब तक कुल मिलाकर 115 पीएएफ को खनन क्षेत्र से विस्थापित किया गया है जबकि 66 घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। आर एंड आर कॉलोनी में, 495 भूखंड विकसित किए गए हैं और उन पीएएफ को आवंटित किए गए हैं जिन्होंने इसका विकल्प चुना है। लगभग 110 पीएएफ ने आर एंड आर कॉलोनी (साउथ और नॉर्थ ब्लॉक) में अपने घरों का निर्माण शुरू कर दिया है।

1587.16 करोड़ (दिसंबर–17 पीएल) की अनुमोदित लागत के सापेक्ष, अमेलिया कोयला खदान पर जुलाई–23 तक किया गया व्यय 1028.22 करोड़ रुपये है।

विकासाधीन परियोजनाएं

I. संयुक्त उद्यम मोड (टुस्को लिमिटेड) के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आरई परियोजनाएं:

दिनांक 12.09.2020 को टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी टुस्को लिमिटेड का निगमन किया गया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी जिलों में 600–600 मेगावाट के दो यूएमआरईपीपी और चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट के यूएमआरईपीपी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 19.11.2021 को झांसी में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी गई।

इसके लिए आवश्यक लगभग 3000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रक्रिया में है। लगभग 74% पट्टा करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। आईएफसी, जो विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है, सौर ऊर्जा पार्कों के विकास में टुस्को को सहयोग प्रदान करने का कार्य कर रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 20.06.2022 को 429.92 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित किया। एमएनआरई द्वारा 03.01.2023 को 24 करोड़ रुपये का सीएफए जारी किया गया है। यूपीपीटीसीएल से 535 मेगावाट के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। 19.05.2023 को मेसर्स आरईसी लिमिटेड के साथ 140.47 करोड़ रुपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सौर ऊर्जा पार्क के दिसम्बर–2024 तक विकसित होने का अनुमान है। ललितपुर में 600 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क के विकास के लिए आवश्यक लगभग 3000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रक्रिया में है। लगभग 56 प्रतिशत पट्टा करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एसईसीआई और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को अनुमोदन के लिए 449.23 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की गई। सौर ऊर्जा पार्क का विकास मार्च–2025 तक अनुमानित है।

चित्रकूट में 800 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क के विकास के लिए लगभग 4000 एकड़ भूमि अभिचिह्नित की गई है। पट्टा करारों पर हस्ताक्षर शुरू हो गए हैं और लगभग 58% करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। चित्रकूट सौर परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। सौर ऊर्जा पार्क का विकास मार्च–2025 तक होने की संभावना है।

II. राजस्थान में संयुक्त उद्यम मोड (ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड) के माध्यम से आरई परियोजना:

राजस्थान में 10,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए 27.02.2023 को संयुक्त उद्यम कंपनी ''ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड'' का निगमन किया गया है। वर्तमान में, ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड जयपुर और बीकानेर में अपने कार्यालय के माध्यम से कार्य कर रहा है। सौर पार्कों के विकास के लिए राजस्थान में लगभग 18,750 एकड़ सरकारी भूमि की पहचान की गई है। जैसलमेर जिले में 10,000 एकड़ सरकारी भूमि आवंटन का प्रस्ताव उपनिवेशन आयुक्त कार्यालय से शीघ्र ही राजस्थान सरकार को भेजा जा रहा है। सरकारी भूमि आवंटन के बाद डीपीआर तैयार की जाएगी। निजी भूमि के बड़े हिस्से को एक ही स्थान पर खुली निविदा मोड के माध्यम से एकमुश्त खरीद पर लैंड एग्रीगेटर्स के माध्यम से व्यवस्थित करने की योजना है।

III. उत्तराखंड में 1 मेगावाट की हरित हाइड्रोजन परियोजना:

टीएचडीसीआईएल कार्यालय परिसर, ऋषिकेश (उत्तराखंड) में 1 मेगावाट क्षमता (इलेक्ट्रोलाइजर और ईंधन–सेल आधारित माइक्रो–ग्रिड सिस्टम) के साथ 'हरित हाइड्रोजन' की एक प्रायोगिक परियोजना सितंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है।

व्यापार विस्तार के लिए भावी योजना

I. अरुणाचल प्रदेश में दो जलविद्युत परियोजनाओं (कलाई-II 1200 मेगावाट और डेमवे-लोअर 1750 मेगावाट) का विकास।

II. टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल के संयुक्त उद्यम के माध्यम से उत्तराखंड में एचई परियोजनाओं का विकास जिसके लिए 06-03-23 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कंपनी को जेवीसी के गठन के लिए नीति आयोग और दीपम से भी मंजूरी मिल गई है। जेवी कंपनी का गठन प्रक्रिया में है।

III. पंप्ड स्टोरेज संयंत्रों का विकास:

क) टीएचडीसीआईएल केरल में इडुक्की पीएसपी (300 मेगावाट) और पल्लीवासल पीएसपी (600 मेगावाट) विकसित करने की योजना बना रही है। 24.01.2023 को केएसईबीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ख) टीएचडीसीआईएल महाराष्ट्र में 6690 मेगावाट क्षमता के 6 पीएसपी विकसित करने की भी योजना बना रही है। इन परियोजनाओं के लिए पीएफआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ग) टीएचडीसीआईएल तमिलनाडु सरकार के साथ नल्लार पीएसपी (2700 मेगावाट) पर भी काम कर रहा है।

IV. फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्रों का विकास: टीएचडीसीआईएल उत्तर प्रदेश में विभिन्न जलाशयों पर कुल 540 मेगावाट की 3 फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने की योजना बना रही है, जो आईडब्ल्यूआरडी, यूपी द्वारा टीएचडीसीआईएल को आवंटित की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है।

V. नई उभरती लागत प्रभावी कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) में कार्बन कैप्चर के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट।

VI. किर्गिस्तान में 1305 मेगावाट सुसामिर-कोकोमेरेन एचपीपी और घाना में 50 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना का अनुसरण।

VII. पावर ट्रेडिंग - लाइसेंस पहले ही दिया जा चुका है।

टीएचडीसीआईएल का कैपेक्स प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2022–23 में, टीएचडीसीआईएल ने 3208 करोड़ रूपये के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 4615 करोड़ रूपये (143.86%) का अब तक का सबसे उच्चतम कैपेक्स प्राप्त किया गया है, जो प्रतिशत के संदर्भ में सभी विद्युत क्षेत्र सीपीएसई में सर्वोत्तम है।

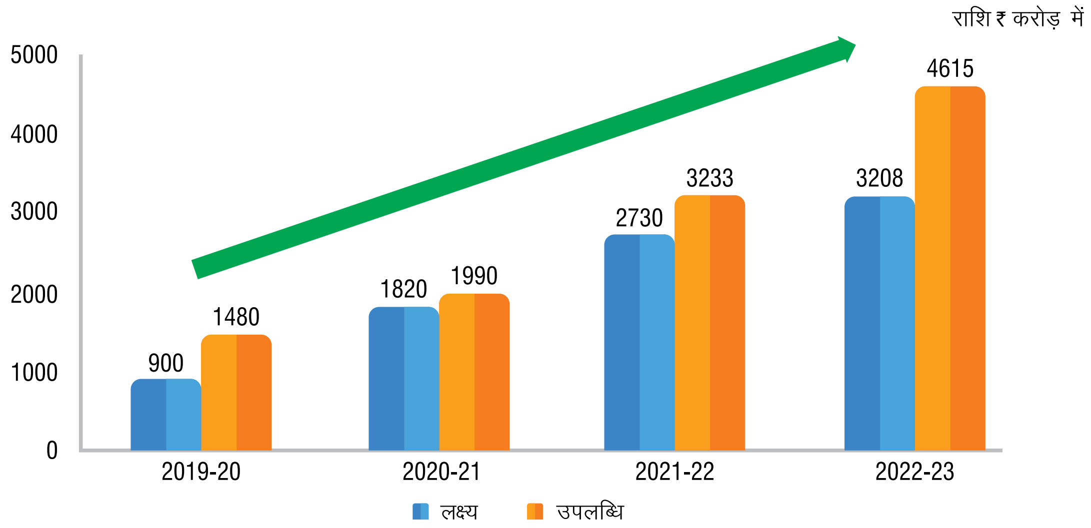

टीएचडीसीआईएल में सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन

- **टीएचडीसीआईएल में बांध की सुरक्षा के उपाय**
- टीएचडीसीआईएल का बांध सुरक्षा कार्यक्रम, बांधों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और बांधों की समग्र सुरक्षा में वृद्धि करने संबंधी कार्रवाईयों के मूल्यांकन और कार्यान्वयन पर केंद्रित है। बांध की सुरक्षा की निगरानी इंस्ट्रूमेंटेशन और दृश्य निरीक्षण द्वारा की जाती है। संरचनाओं की प्रवृत्ति के आकलन और मानीटरिंग के लिए तथा डिजाइन चरण के दौरान लगाए गए अनुमानों का सत्यापन करने के लिए टिहरी एवं कोटेश्वर बांध और इनके सम्बद्ध ढांचों के मुख्य हिस्से में यंत्रीकरण (इंस्ट्रुमेंटेशन) की व्यापक स्कीम का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बांध की प्रवृत्ति को देखकर निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण वीथियों की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त जलाशय (रिजर्वायर) को घेरने के पहले और बाद टिहरी क्षेत्र के मजबूत कंपन और सूक्ष्म भूकंपीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए भूकंपीय इंस्ट्रमेंटेशन नेटवर्क की व्यवस्था की गई है।
- केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों तथा अन्य संगठनों में मौजूद परिपाटियों के अनुसार ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दृश्य निरीक्षण हेतु मानसून से पहले और मानसून के बाद टीएचडीसीआईएल द्वारा बांध और सम्बद्ध ढांचों का आवधिक निरीक्षण/मानीटरिंग की जा रही है। केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) नई दिल्ली ने वर्ष 2009 और 2013 के दौरान टिहरी एचपीपी का वार्षिक बांध सुरक्षा निरीक्षण किया है और 2013 में कोटेश्वर एचईपी का सुरक्षा निरीक्षण किया। उपरोक्त के अतिरिक्त, मौजूदा सुरक्षा बांध परिपाटियों के सत्यापन के लिए एक विख्यात अंतराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त एजेंसी नामतः यूएबीआर के माध्यम से वर्ष 2016 के दौरान टिहरी परियोजना की व्यापक समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 के दौरान कोटेश्वर एचईपी की सुरक्षा का मूल्यांकन करने तथा मौजूदा सुरक्षा परिपाटियों में सुधार करने पर व्यावसायिक सलाह प्राप्त करने के लिए एचपीआई, मास्को द्वारा कोटेश्वर एचईपी की व्यापक समीक्षा की गई।
- टीएचडीसीआईएल के बांध सुरक्षा कार्यक्रम की सितंबर 2022 में अपनी क्षेत्रीय समिति की बैठक के दौरान राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा भी सराहना की गई थी। टीएचडीसीआईएल को उत्तराखंड राज्य में हाइड्रो क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनियरों के लिए बांध सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का काम भी सौंपा गया है।
- **सेफ्टी पार्क एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना**

  हमें ऋषिकेश में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में सुरक्षा पार्क और प्रशिक्षण केंद्र के सफल उद्घाटन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह समारोह 16 अगस्त 2022 को "आजादी का अमृत महोत्सव" के समापन के अवसर पर हुआ और इसमें हमारे सीएमडी ने भाग लिया।

  उद्घाटन के दौरान, सीएमडी ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने में ओएमएस–सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए अनुकरणीय प्रयासों की सराहना की। सेफ्टी पार्क और प्रशिक्षण केंद्र हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति हमारे संगठन की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

  सुरक्षा पार्क और प्रशिक्षण केंद्र सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के केंद्र के रूप में काम करेगा। निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम सुविधा के भीतर आयोजित किए गए हैं:
- **सुरक्षा पेशेवरों के लिए सुरक्षा:** सुरक्षा पेशेवरों को उन्नत सुरक्षा प्रशिक्षण और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक कार्यक्रम, जो उन्हें अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाता है।
- **प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण:** चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कौशल से लैस करना।
- **अग्निशमन और सुरक्षा उपकरणों का प्रशिक्षण:** कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को अग्नि सुरक्षा उपकरणों, जैसे अग्निशामक यंत्र, अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम के उचित संचालन और उपयोग के बारे में शिक्षित करना।
- **आग और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण:** निकासी प्रक्रियाओं और संकट प्रबंधन तकनीकों सहित आग लगने या किसी अन्य प्रकार की आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए कर्मचारियों की तैयारी बढ़ाना।
- **ऊंचाई पर काम करना:** ऊंचे तल पर किए गए कार्यों के सुरक्षित निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी गिरने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियों और प्रक्रियाओं से अवगत हों।
- **कार्यस्थल सुरक्षा:** एक व्यापक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है, जिसमें खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और एर्गोनोमिक प्रथाओं जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

  सुरक्षा पार्क और प्रशिक्षण केंद्र हमारी विभिन्न परियोजनाओं और संयंत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित और वृद्धि होता रहेगा। ओएमएस–सुरक्षा विभाग में हमारी समर्पित टीम नए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने पर लगन से काम कर रही है, जो विशेष रूप से विभिन्न परियोजनाओं और संयंत्रों की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं।
- **सुरक्षा लेखापरीक्षा**

  सुधार के क्षेत्र और मानकों अर्थात् यानी लागू वैधानिक अधिनियम, सीईए (विद्युत संयंत्रों और इलेक्ट्रिक लाइनों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं) विनियम, 2011, आईएस–14489:1998 और टीएचडीसीआईएल एसएचई (सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण) मैनुअल और संयंत्र/परियोजना सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार अन्य लागू अधिनियमों और नियमों से विचलन की पहचान करने के लिए सभी प्रचालन संयंत्र और निर्माणाधीन परियोजनाओं की बाहरी सुरक्षा लेखापरीक्षा और आंतरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा आयोजित की जा रही है।

कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में सुरक्षा पार्क एवं प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित प्रशिक्षण का दृश्य

पुनर्वास और पुनर्स्थापन

हमारी कंपनी मानवीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। हम प्रभावित परिवारों के लिए एक सुचारु परिवर्तन की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें अपने पिछले जीवन स्तर और आय के स्तर को फिर से हासिल करने की अनुमति मिलती है। परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के साथ सहयोगात्मक परामर्श सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने की कुंजी है। हम क्षतिपूर्ति और आर एंड आर लाभों में स्थापित मानदंडों का पालन करते हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों और आय सृजन गतिविधियों सहित आर्थिक सशक्तिकरण पहल, परियोजना प्रभावित परिवारों के उत्थान में सहायता करती है। नियमित तृतीय–पक्ष मूल्यांकन हमारी आर एंड आर नीतियों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

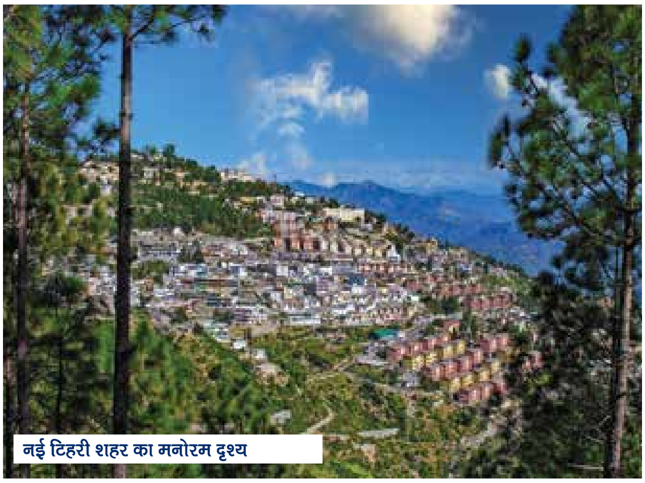

नई टिहरी शहर का मनोरम दृश्य

- **टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स** टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध द्वारा चिह्नित टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स ने 5200 हेक्टेयर क्षेत्र को जलमग्न कर दिया। इससे 37 गांवों और टिहरी शहर पर पूर्ण या आंशिक प्रभाव पड़ा। हमारी पुनर्वास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों पुनर्वास पर केंद्रित है। प्रभावित परिवारों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित नई टिहरी शहर और ग्रामीण स्थलों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा मिला। ईएल 835 मीटर तक के कार्यों को पूरा करने को सुनिश्चित करते हुए आर एंड आर की जिम्मेदारियां यूपी–राज्य सरकार को, फिर उत्तरांचल राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दी गईं।
- **वीपीएचईपी में पुनर्वास** राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 और विश्व बैंक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, हमारी वीपीएचईपी परियोजना सुदृढ़ आर एंड आर नीतियों को लागू करती है। क्षतिपूर्ति और लाभ स्थापित मानदंडों और विश्व बैंक की नीतियों के अनुरूप हैं। क्षतिपूर्ति और अनुदान वितरित किया गया है। कृषि से लेकर शिक्षा तक गतिविधियों की एक श्रृंखला, लगभग 600 पीएपी का उत्थान करती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल और नौकरी के अवसर प्रभावित व्यक्तियों के लिए संभावनाओं को बढ़ाते हैं।
- **अमेलिया कोयला खदान में पुनर्वास** खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को ईंधन देने के लिए विकसित अमेलिया कोयला खदान में आयुक्त, रीवा द्वारा अनुमोदित एक सुसंरचित आरएंडआर नीति है। टीएचडीसीआईएल द्वारा अवसंरचना विकास के साथ–साथ आर एंड आर कॉलोनी में भूखंड आवंटित किए गए हैं। क्षतिपूर्ति वितरण और स्थानांतरण के प्रयास जारी हैं, कुछ पीएएफ पहले से ही आर एंड आर कॉलोनी में घरों का निर्माण कर रहे हैं। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए कोयला उत्पादन दिनांक 18.02.2023 को शुरू हुआ।

अभियांत्रिकी परामर्श

वर्षों से प्राप्त आंतरिक अनुभव और समृद्ध विशेषज्ञता को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, टीएचडीसीआईएल के डिजाइन और इंजीनियरिंग विभाग के भीतर एक समर्पित परामर्श विंग स्थापित किया गया है, जो अपने सम्मानित ग्राहकों को जलविद्युत परियोजनाओं की संकल्पना से लेकर और इन्हें चालू करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संबद्ध कार्यों तक एकीकृत तरीके से परामर्श सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने केंद्र/राज्य सरकार और अन्य सरकारी सांविधिक इकाइयों को अपनी पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान की है और जल संसाधन इंजीनियरिंग एवं अत्याधुनिक इंजीनियरिंग कार्यों के क्षेत्र में पूर्ण अभियांत्रिकी समाधान प्रदान कर रही है। संदर्भ के तौर पर, टीएचडीसीआईएल के डिजाइन विभाग द्वारा अन्य सरकारी निकायों/एजेंसियों के साथ सहयोगी इंजीनियरिंग क्षेत्र में परामर्श सेवाओं में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

कैस्केड में, टीएचडीसीआईएल ने भूटान की रॉयल सरकार को डिजाइन और इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करने में अपनी विशेषज्ञता साझा की है और भूटान सरकार के लिए 2 डीपीआर अर्थात् बुनाखा (180 मेगावाट) और संकोश (2585 मेगावाट) एचईपी तैयार/अद्यतित किए हैं। इसी प्रकार, टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में वरुणावत पर्वत के पहाड़ी स्थिरीकरण के लिए क्रमशः श्री माता वैष्णो देवीजी के ट्रैक पर उच्च पहाड़ी ढलानों के कार्यों के पर्यवेक्षण और ढलान संरक्षण सहित डिजाइन और इंजीनियरिंग समाधान प्रदान किए हैं। परामर्शिता परियोजनाओं में, भारत में उत्तराखंड राज्य सरकार के विभाग, श्री माता वैष्णो देवीजी के श्राइन बोर्ड, जम्मू–कश्मीर तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के लिए परियोजनाओं की अवधारणा से शुरू होने तक भूस्खलन शमन उपायों पर 120 से अधिक डीपीआर तैयार किए गए हैं। प्रक्रियाधीन मौजूदा कार्यों का सार उनकी स्थिति सहित निम्नानुसार हैं:

1. कटरा और श्री माता वैष्णो देवीजी तीर्थ के बीच संवेदनशील क्षेत्रों के स्थिरीकरण के लिए डिजाइन और अभियांत्रिकी उपाय।
2. अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन शमन उपायों के लिए योजना, डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए एमओआरटीएच, अरुणाचल प्रदेश के साथ एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3. भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं प्रदान करने और चारधाम की ओर जाने वाले विकास के तहत उनके शमन उपाय का सुझाव देने के लिए एमओआरटीएच, देहरादून के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
4. "लोअर मॉल रोड, नैनीताल झील के डूबते हिस्से की बहाली" पर लोक निर्माण विभाग, नैनीताल से परामर्श कार्य।
5. भूस्खलन पर डीपीआर की तकनीकी जांच के लिए मोर्थ, पश्चिम बंगाल से परामर्श कार्यः एनएच–10 के सेवोके से रंगपू खंड तक डीपीआर की प्रूफ जांच/तकनीकी जांच के लिए एमओआरटीएच, पश्चिम बंगाल और टीएचडीसीआईएल के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है।
6. एमओआरटीएच, महाराष्ट्र से संभावित परामर्श कार्यः एमओआरटीएच, महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की क्रियाविधि, पश्चिमी घाट के राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइटों के दौरे के बाद की प्रगति है।
7. उत्तराखंड में 12 मल्टीलेवल/अंडरग्राउंड पार्किंग के विकास के लिए कंसल्टेंसी असाइनमेंट के लिए लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन।
8. एमओआरटीएच, सिक्किम और मिजोरम से संभावित परामर्श कार्य – एमओयू का मसौदा एमओयू और अन्य तौर–तरीकों पर हस्ताक्षर करने के लिए एमओआरटीएच, सिक्किम को भेजा गया है। एमओयू पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया प्रगति पर है और उम्मीद है कि यह जल्द ही पूरा हो जाएगा।

उत्तराखंड के नैनीताल भवाली रोड पर ढलान में आई दरार तथा स्थिरता उपायों से निर्माण कर बहाली

9. एनएचएआई–जम्मू–कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम से संभावित परामर्श कार्य।

अनुसंधान और विकास

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने काफी समय पहले वर्ष 2011 में ऋषिकेश में अपना अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित किया था। वर्तमान में, प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं नामतः– टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क और मजबूत गति एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क के माध्यम से भूकंपीय अध्ययन, टिहरी और कोटेश्वर बिजली स्टेशनों के बिजली स्टेशन उपकरणों की गिरावट दर को चिह्नित करने और इन उपकरणों की जीवन सीमित विशेषताओं को बढ़ाने के लिए अध्ययन की सिफारिशों को लागू करने के लिए आवधिक अध्ययन।] टिहरी हाइड्रोपावर कॉम्प्लेक्स (टिहरी एचपीपी, कोटेश्वर एचपीपी और वैरिएबल स्पीड टिहरी पीएसपी को मिलाकर) के एकीकृत संचालन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास और लिफ्ट ज्वाइंट के पर विशिष्ट संदर्भ के साथ टिहरी जलाशय जल शीर्ष में भिन्नता के साथ जलमग्न अंतर्ग्रहण संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता का अध्ययन आदि चलाई जा रही हैं।

उपरोक्त चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, निम्नलिखित दो अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं अभिचिह्नित की गई हैं और इन पर कार्य किया जा रहा है:

1. कोटेश्वर एचईपी में (2X50 किलोवाट) हाइड्रो काइनेटिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी का डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निर्माण और कमीशनिंग और अनुकूलन
2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टिहरी एचपीपी और केएचईपी के ईएम उपकरणों की स्थिति की निगरानी

   इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, निम्नलिखित दो अनुसंधान और विकास योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं:

1. हाइड्रो जेनरेटर से संचालित उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में दोलनों का विश्लेषण और शमन।
2. ''इनडोर प्लांट का उपयोग करके इनडोर वायु प्रदूषण में कमी'' पर इन–हाउस आर एंड डी पायलट प्रोजेक्ट।

   हाइड्रो जेनरेटर से संचालित उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में दोलनों का विश्लेषण और शमन:

   इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना पर अंतिम परियोजना रिपोर्ट आईआईटी, रूड़की द्वारा प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

- बेहतर डंपिंग प्रदर्शन के लिए मौजूदा उत्तेजना प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले पीएसएस (पावर सिस्टम स्टेबलाइजर) में दो लीड–लैग फिल्टर जोड़े जाएं। जोड़े गए लीड–लैग फिल्टर पीएसएस में उचित चरण कम्पेंशेषन प्रदान किया जाए और इसलिए पिछले पीएसएस की तुलना में 14 सेकंड तेजी से डंपिंग की व्यवस्था करते हुए डंपिंग टॉर्क, मशीन मैकेनिकल टॉर्क के साथ फेज में होता है।
- मौजूदा एक्साइटेशन सिस्टम में लीड–लैग फिल्टर की एक जोड़ी होती है, जबकि आईईईई एसटी5बी मॉडल के अनुसार बेहतर क्षणिक नियंत्रण के लिए नॉर्मल, ओवर–एक्साइटेशन और अंडर–एक्साइटेशन जैसी विभिन्न प्रचालन स्थितियों के लिए अलग–अलग लीड–लैग फिल्टर की सिफारिश की जाती है। विभिन्न प्रचालन स्थितियों के लिए इन अलग–अलग फिल्टरों का उपयोग सिस्टम को क्षणिक के दौरान अधिक स्थिर बनाता है और इसकी अनुशंसा की जाती है।
- एक्साइटेशन सिस्टम की ट्यूनिंग यांत्रिक और हाइड्रोलिक (पेनस्टॉक) प्रणालियों के युग्मन से की जाएगी।

''इनडोर प्लांट का उपयोग करके इनडोर वायु प्रदूषण में कमी'' पर इन–हाउस आर एंड डी पायलट प्रोजेक्ट: ''टिहरी एचपीपी के मशीन हॉल में विभिन्न स्थानों पर इनडोर वायु गुणवत्ता निगरानी'' का काम पीसीआरआई (बीएचईएल), हरिद्वार को सौंपा गया था। वायु के नमूनों के संग्रह के लिए पीसीआरआई टीम का पहला दौरा 12.12.2022 से 15.12.2022 तक आयोजित किया गया था। इनडोर प्लांटों को ठीक करने के बाद 26.12.2022 से 28.12.2022 तक दूसरा दौरा भी किया गया है। अंतिम रिपोर्ट 31.12.2022 को पीसीआरआई से प्राप्त हुई। टीएचडीसीआईएल की टिप्पणी को शामिल करने के बाद अंतिम रिपोर्ट भी पीसीआरआइ से प्राप्त हो गई है और चिन्हित स्थानों पर वायु गुणवत्ता वायु गुणवत्ता सूचकांक की मानक सीमा के भीतर है।

वर्ष 2022-23 के दौरान अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर व्यय

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर 317.37 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

टीएचडीसीआईएल और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पीबीटी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास / नवाचार पहल पर व्यय का लक्ष्य 1% था, जिसे वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्राप्त नहीं किया जा सका।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसंधान एवं विकास व्यय का विवरण

राशि ₹ करोड़ में

क्रमांक	अनुसंधान एवं विकास परियोजना का नाम	व्यय
1	हाइड्रो जेनरेटर से संचालित उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में दोलनों का विश्लेषण और शमन	10.00
2	इनडोर प्लांट का उपयोग करके इनडोर वायु प्रदूषण में कमी" पर इन–हाउस आर एंड डी पायलट प्रोजेक्ट	2.45
3	टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क और मजबूत गति एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क के माध्यम से भूकंपीय अध्ययन	186.17
4	टिहरी जलविद्युत परिसर के एकीकृत संचालन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास (टिहरी एचपीपी, कोटेश्वर एचपीपी और परिवर्तनीय गति टिहरी पीएसपी को मिलाकर)	42.58
5	हैकमुक्त हाइड्रो प्लांट नियंत्रण प्रणाली का विकास	15.00
6	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए टिहरी एचपीपी और केएचईपी के ईएम उपकरणों की स्थिति की निगरानी	20.75
7	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टिहरी एचपीपी और केएचईपी के ईएम उपकरणों की स्थिति की निगरानी	25.18
8	निर्माण और लिफ्ट ज्वाइंट के पर विशिष्ट संदर्भ के साथ टिहरी जलाशय जल शीर्ष में भिन्नता के साथ जलमग्न अंतर्ग्रहण संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता का अध्ययन	10.34
9	अन्य विविध कार्य (एएसी सदस्यों और अन्य विशेष आमंत्रितों को परामर्श शुल्क का भुगतान)	4.90
		317.37

टिप्पणी:

कर पूर्व लाभ : **837.78 करोड़ रुपये**

एमओयू के अनुसार पीबीटी का 1% : **837.78 लाख रुपये**

अनुसंधान एवं विकास पर वास्तविक व्यय : **317.37 लाख रुपये**

एमओयू लक्ष्य से % कमी : **62.12%**

एमओयू लक्ष्य के प्रतिशत के संदर्भ में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल आरएंडडी व्यय 37.88% है। अनुसंधान एवं विकास कार्यों/गतिविधियों पर एमओयू लक्ष्य के अनुसार व्यय नहीं किया जा सका और 62.12% की कमी है।

सतत विकास

1. आर्थिक स्थिरता: आत्मनिर्भरता प्राप्त करने या उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी प्रयास किए गए थे। इस दिशा में, टीएचडीसीआईएल आर्थिक स्थिरता के लिए निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है:

क. हैक फ्री हाइड्रो प्लांट नियंत्रण प्रणाली का विकास:

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, टीआईएच और आईआईटी रूड़की ने 20–अक्टूबर–2021 को "हैक फ्री हाइड्रो प्लांट नियंत्रण प्रणाली का विकास" नामक अनुसंधान परियोजना के लिए त्रि–पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौते के अनुसार, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (टीआईएच) अर्थात् दिव्यसंपर्क (आई–हब) रूड़की "टीआईएच" होगा, आईआईटी रूड़की "पीआई" होगा और टीएचडीसीआईएल "उद्योग सहयोगी" के रूप में टीआईएच को परियोजना लागत का 10% का योगदान देगा। समझौते के अनुसार टीएचडीसीआईएल द्वारा 15.00 लाख (परियोजना लागत का 10%) का फंड "टीआईएच" के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

उद्योग सहयोगी की जिम्मेदारी निम्नानुसार होंगी:

क. पीआई द्वारा विकसित उत्पाद के परीक्षण के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करना

ख. अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स से संबंधित तकनीकी डेटा प्रदान करना

ग. हैक मुक्त हाइड्रो प्लांट नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए आईआईटी रूड़की में परियोजना टीम के साथ समय–समय पर तकनीकी चर्चा में भाग लेना

घ. उपरोक्त सुविधाएं और इनपुट प्रदान करने के अलावा परियोजना लागत के एक हिस्से (10%) का योगदान

ङ. टीएचडीसी के सहयोगियों और टीएचडीसी से जुड़े या बिजली क्षेत्र में काम करने वाले अन्य संगठनों के बीच उत्पाद की उपयोगिता का प्रचार–प्रसार करना

ख. टिहरी और कोटेश्वर एचईपी में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल उपकरणों की स्थिति की निगरानी:

टीएचडीसीआईएल मेसर्स सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपीआरआई), बेंगलुरु के सहयोग से 2012–13 से वार्षिक आधार पर संयंत्रों के ईएम–उपकरणों की स्थिति की निगरानी और स्वास्थ्य मूल्यांकन कर रहा है। अध्ययन का उद्देश्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की समय–समय पर स्थिति की निगरानी और स्वास्थ्य मूल्यांकन करना है ताकि खराब होने, खराबी और आरंभिक दोशों के शुरुआती संकेतों का पता लगाया जा सके और इस प्रकार परियोजनाओं की वित्तीय विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान इस अध्ययन पर 45.93 लाख रुपये व्यय किए गए है।

2. **सामाजिक स्थिरता:** संरचनाओं की सुरक्षा और क्षेत्र की पूरी आबादी के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अनुसंधान गतिविधियां की जा रही हैं:

क. टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क और मजबूत गति एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क के माध्यम से भूकंपीय अध्ययन:

टिहरी बांध स्थल के आसपास भूकंपीय नेटवर्क स्थापित करने का उद्देश्य क्षेत्र में सूक्ष्म भूकंप गतिविधि पर दीर्घकालिक डेटा एकत्र करना और टिहरी जलाशय में पानी रोकने से पहले, उसके दौरान

और बाद में भूकंपीय प्रतिक्रिया स्पेक्ट्रा डेटा एकत्र करना है। नेटवर्क शुरू में 12 स्टेशनों से बना था और इसे 08.08.2019 को चालू करके 18 स्टेशनों तक विस्तारित और अपग्रेड किया गया था। इन स्टेशनों से डेटा नई टिहरी स्टेशन और डीईक्यू, आईआईटी रूड़की दोनों पर लगातार प्राप्त होता रहता है। इसके अतिरिक्त, टिहरी और कोटेश्वर परियोजना में 13 स्ट्रांग मोशन एक्सेलेरोग्राफ (एसएमए) के साथ एक और नेटवर्क स्थापित है। अध्ययन के नतीजे जलाशय की घेराबंदी से संबंधित भूकंपीय परिवर्तनों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और क्षेत्र में अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फायदेमंद हैं। वर्तमान में, 18–स्टेशन भूकंपीय नेटवर्क का संचालन और रखरखाव टीएचडीसीआईएल द्वारा आईआईटी–रुड़की के सहयोग से किया जाता है। वित्त वर्ष 2022–23 में अध्ययन पर 186.17 लाख व्यय किया गया है।

ख. निर्माण और लिफ्ट जोड़ों के विशेष संदर्भ में टिहरी जलाशय जल शीर्ष में भिन्नता के साथ जलमग्न सेवन संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता का अध्ययन:

टिहरी एचपीपी को 2006 में चालू किया गया था। टिहरी एचपीपी/पीएसपी सेवन संरचना के शीर्ष स्लैब पर, ईएल 745 मीटर पर, टिहरी एचपीपी/टिहरी पीएसपी के ब्लॉकों की कुछ बस्तियों/उत्थान और क्षैतिज विस्थापन की रिपोर्ट पहली बार 2008–2009 में की गई थी। वर्ष 2009 में ईएल745एम पर इंटेक स्लैब के शीर्ष पर कुछ निर्माण जोड़ों के खुलने के साथ–साथ संरचना के 3–आयामी संचलन को देखा गया था। संरचनाओं की निगरानी के लिए नियमित अवलोकन तब से जारी है।

सिविल डिजाइन विभाग की सिफारिशों पर, अंतर्ग्रहण संरचनाओं और उपचारात्मक उपायों में देखी गई 3–आयामी संचलन के मूल कारण विश्लेषण के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक अध्ययन शुरू किया गया है। परियोजना को तीन वर्ष की अवधि के भीतर निष्पादित करने और पूरा करने के लिए 09.04.2021 को आईआईटी कानपुर के साथ 29.82 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) की राशि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अध्ययन अभी भी प्रगति पर है।

गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण

संयंत्र के उपकरणों द्वारा बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास एक पूर्ण और केन्द्रीकृत कॉर्पोरेट गुणवत्ता आष्वासन विभाग है। इस संबंध में, कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के गुणवत्ता आश्वासनों और निरीक्षण गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए एक आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली कार्यशील है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उत्पादन इकाइयों और संयंत्र अनुषंगी सहित इनकी अनुषंगी इकाइयों के लिए चल रही परियोनाओं (टिहरी टीएसपी, वीपीएचईपी) के कार्य स्थलों को उपलब्ध करवाए जाने वाले प्रत्येक उपकरण आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप हों।

गुणवत्ता आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की भूमिका उपस्कर के प्रत्येक चरण अर्थात टेंडर डाक्यूमेंट के लिए गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण की तैयारी, गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण पहलुओं के लिए बोली मूल्यांकन, गुणवत्ता समन्वय प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, उप विक्रेता अनुमोदन, गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं के अनुमोदन, कार्य चरण और अंतिम निरीक्षण, सामग्री प्रेषण अनुमति प्रमाण–पत्र (एमडीसीसी) पर है।

इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट गुणवत्ता आश्वासन विभाग संयंत्रों के उत्थापन और प्रारंभण के अलग–अलग चरणों पर नियमित/आवधिक निरीक्षण कर कार्य स्थल पर उपस्करों के संस्थापन के दौरान किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। दिनांक 31.03.2023 तक विक्रेता अनुमोदन, क्यूएपी, निरीक्षणों और एमडीसीसी अनुशंसाओं के लिए परियोजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना	उप विक्रेता	गुणवत्ता योजना	पूर्व-प्रेषण निरीक्षण	एमडीसीसी
टिहरी पीएसपी	675	143	332	463
वीपीएचईपी	1631	61	255	145

आईएसओ प्रमाणन

टीएचडीसीआईएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश, टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी, कोटेश्वर एचईपी, विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी और ढुकवां लघु जलविद्युत संयंत्र झांसी के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) का प्रमाणन आईएसओ 9001:2015, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) का प्रमाणन आईएसओ14001:2015 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएंडएस) का प्रमाणन आईएसओ 45001:2018 प्राप्त किया है। कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश, टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी, कोटेश्वर एचईपी एवं विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी के लिए आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन की वैधता मार्च 2024 तक है। ढुकवां लघु जलविद्युत संयंत्र के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन की वैधता मार्च, 2023 तक थी और वर्तमान में प्रमाणन का विस्तार प्रक्रियाधीन है। ढुकवां लघु जलविद्युत संयंत्र के लिए आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन की वैधता सितम्बर, 2023 तक है।

एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी गाजियाबाद में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए आईएसओ 9001:2015, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के लिए आईएसओ 14001:2015 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएच एंड एस) के लिए आईएसओ 45001:2018 का नया प्रमाणीकरण प्रक्रियाधीन है।

टीएचडीसी ने कॉर्पोरेट सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ऋषिकेश के लिए आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 27001:2013 का प्रमाणन प्राप्त किया है। टिहरी, कोटेश्वर और ढुकवां विद्युत संयंत्र के लिए आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 27001:2013 का प्रमाणन प्रक्रियाधीन है।

पर्यावरण प्रबंधन

हमारी कंपनी ने हमेशा उपयुक्त पर्यावरण सुरक्षा के उपाय अपनाए हैं ताकि इसके विभिन्न कार्यालयों तथा परियोजना मोर्चों पर उसकी गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके, न्यूनतम किया जा सके और कम किया जा सके। टीएचडीसीआईएल जीवों और वनस्पतियों की रक्षा करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने तथा अपने सभी कार्यस्थलों पर सर्वोत्तम पद्धतियों का कार्यान्वयन करने के प्रति समर्पित है। हमारी कंपनी का उद्देश्य अपनी प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का उचित कार्यान्वयन करना है। इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:

1. वीपीएचईपी

मैसर्स वाप्कोस लि., गुड़गांव और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून को क्रमशः वीपीएचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना और जलागम क्षेत्र उपचार योजना (कैट) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्ष के रूप में लगाया गया है।

डायरेक्ट्रेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरिज रिसर्च (डीसीएफआर), भीमताल को वीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु लगाया गया है।

वीपीएचईपी में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग को कैमरा ट्रैप उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि परियोजना स्थलों के आसपास उचित वन स्थानों पर उन्हें संस्थापित कर निगरानी रखी जा सके। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की चारदीवारी के आसपास विद्युत गृह और टनेल बोरिंग मशीन साइट पर चिन्हित स्थानों पर 02 वाच टावर संस्थापित किए गए हैं।

नियंत्रित विस्फोट करने वाली तकनीकें अपनाई जा रही है और इनकी निगरानी सीआईएमएफ, रूड़की के माध्यम से निर्माण ठेकेदार द्वारा की जा रही है।

वीपीएचईपी कॉलोनी में लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में एच आर डीआई, मंडल गोपेश्वर के परामर्श से औषधीय पौधों का एक उद्यान विकसित किया जा रहा है।

प्रख्यात पर्यावरणविद श्री जगत सिंह चौधरी ऊर्फ ''जंगली'' के पर्यवेक्षण में वीपीएचईपी में हरित पट्टी का विकास कार्य शुरू किया गया है।

2. खुर्जा एसटीपीपी

हमारी कंपनी 1320 मेगावाट के खुर्जा सुपर विद्युत संयंत्र का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें ईआईए–ईएमपी रिपोर्ट के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न पर्यावरण और संरक्षण गतिविधियां, निर्माण गतिविधियां समान आधार पर कार्यान्वित की जानी है।

खुर्जा एमटीपीपी में उन्नत उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग कर आपकी कंपनी ने खतरनाक गैसों और कणों को वातावरण में सीधे उत्सर्जन होने से बचाने की योजना बनाई है। इनमें से कुछ तकनीके नीचे दी गई है।

- उड़ने वाली राख के कण के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 99.89 प्रतिशत कार्यकुशलता के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेर (ईएसपी) संस्थापित किया जाएगा।
- कम Nox बर्नरों सहित ब्वालयर प्रदान किए जाएंगे और फ्लू गैस सेलेक्टिव कैटेलिक नोक्स रिडक्शन और फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम के जरिए गुजारा जाएगा ताकि Nox और SO2 संकेंन्द्रणों को 100 एमजी/एनएम 3 से नीचे रखा जा सके।
- एक राख प्रबंधन स्कीम का कार्यान्वयन किया जाएगा जिसमें फ्लाई ऐश का शुष्क संग्रहण प्रयोग के लिए पहले ही चिन्हित उद्यमियों को राख की आपूर्ति और राख (ऐश) का अधिकतम सीमा तक उपयोग और अप्रयुक्त राख का सुरक्षित निपटान शामिल हैं। संयंत्र में राख के निपटान के लिए संयंत्र में भिन्न–भिन्न दो प्रणालियां–परंपरागत गीला गाद निपटान जिसमें पेढ़े की राख के लिए राख जल का पुनः परिचालन और फ्लाई ऐश के लिए उच्च संकेन्द्रण गाद निस्तारण (एचसीएसडी)–होंगी।

  इसके अलावा, परियोजना स्थल के आसपास 400 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाली एक हरित पट्टी विकास योजना लागू की जा रही है।

3. अमेलिया कोयला खदान:

खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले के उपयोग के लिए हमारी कंपनी को अमेलिया कोयला खदान आवंटित की गई थी।

पर्यावरण की रक्षा के लिए वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी, हरित पट्टी विकास, ढके हुए ट्रकों में कोयले का परिवहन, वन्यजीव संरक्षण, अपशिष्ट और सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण आदि जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को केन्द्रीय कार्यालय तथा सभी परियोजना स्थलों पर विश्व पर्यावरण दिवस (डब्ल्यू ई डी) मनाया जाता है।

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

जोखिम प्रबंधन अच्छे प्रबंधन अभ्यास का एक अभिन्न अंग है और प्रतिस्पर्धी व्यवसाय परिवेश के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण हो गया है। जोखिम प्रबंधन के लिए संरचित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि सभी जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए, ताकि वे संगठन के सामरिक, वित्तीय और प्रचालन उद्देश्यों को प्रभावित न करें।

चूंकि, टीएचडीसीआईएल की अधिकांश जलविद्युत परियोजनाएं हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं, जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्रों का भू–रूप मेगाफोल्ड, दोष, थ्रस्ट संरचनाओं आदि का प्रतिनिधित्व करता है जो हिमालयी विवर्तनिक गतिविधियों से संबंधित हैं। इन भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के दौरान विभिन्न जोखिम उत्पन्न होते हैं। कंपनी ने जून 2012 में 'जोखिम प्रबंधन नियमावली' लागू की है, जिसे बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। मैनुअल में निष्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में संगठन में एक समान और संरचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखने का आशय किया गया है।

जोखिम प्रबंधन व्यावसायिक गतिविधि, अस्थिरता और अवसरों/खतरों की व्यापक और संरचित समझ के माध्यम से निर्णय लेने, योजना और प्राथमिकता में सुधार करके शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करता है।

चल रही निर्माण परियोजनाओं के लिए जोखिम प्रबंधन समितियां मौजूद हैं। प्रत्येक समिति में परियोजना स्थल (जोखिम अधिकारी के रूप में), परियोजना वित्त और कॉर्पोरेट डिजाइन (सिविल और एचएम) के सदस्य शामिल होते हैं। चल रही परियोजनाओं के साथ–साथ चालू की गई परियोजनाओं में सुव्यवस्थित तरीके से कार्यान्वित की जा रही जोखिम प्रबंधन योजनाओं की निगरानी के लिए एक कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन अधिकारी को भी नामित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी कॉरपोरेट सुषासन रिपोर्ट (अनुलग्नक–I) में अलग से संलग्न है। जोखिम के प्रमुख तत्व इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–III के रूप में संलग्न प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए हैं।

टीएचडीसीआईएल में सूचना प्रौद्योगिकी का सामरिक उपयोग

समग्र उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के हमारे प्रयास में, टीएचडीसीआईएल ने एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की शक्ति का उपयोग किया है। हमने विविध सॉफ्टवेयर समाधानों को परिनियोजित करने, अपनी उत्पादन संपत्तियों को प्रभावी ढंग से अनुकूलित करने और निर्माण परियोजनाओं में तेजी लाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसके परिणामस्वरूप, पूरे संगठन में गुणवत्ता मानकों में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि और लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। अत्याधुनिक आईटी और संचार अवसंरचना के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है, जिसमें हमारे प्रचालन के हर पहलू को शामिल किया गया है।

वित्त, मानव संसाधन, खरीद और संविदा, इन्वेंटरी, परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र प्रचालन और अनुरक्षण, ऊर्जा बिक्री और लेखांकन, और गुणवत्ता आश्वासन सहित प्रमुख व्यावसायिक कार्य निर्बाध रूप से कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों में परिवर्तित हो गए हैं। वेब–आधारित आर्किटेक्चर में निहित ये एप्लिकेशन इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पहुंच योग्य हैं। निर्बाध कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, हमारे सभी स्थानों पर दोहरी हाई–स्पीड समर्पित इंटरनेट लीज लाइनें हैं।

पारदर्शिता हमारी पहल की आधारशिला रही है। इस उद्देश्य से, हमने एक वेब–आधारित बिल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया है, जो वेंडर/संविदाकार बिल की स्थिति की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह वेंडरों/संविदाकारों को उनके बिलों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के साथ–साथ किसी भी कमियों की पहचान करने में भी सशक्त बनाता है। सार्वजनिक भागीदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली व्यक्तियों को शिकायतें दर्ज करने और उनकी शिकायतों की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी करने में सक्षम बनाती है।

हमारे आईटी परिदृश्य में हाल की प्रगति में कई मूल्यवर्धित संवर्द्धन शामिल हैं। नियमित वेबसाइट अपडेट वर्तमान और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि एक ऑनलाइन सूचना प्रबंधन प्रणाली का एकीकरण परियोजना की प्रगति की वास्तविक समय पर निगरानी करने में सक्षम बनाता है। हमारे वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) सॉफ्टवेयर को भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) के साथ सावधानीपूर्वक जोड़ा गया है और लगातार नवीन सुविधाओं से समृद्ध किया गया है। पूंजी और राजस्व बजट दोनों को पूरा करने वाली एक व्यापक बजट प्रणाली मजबूती से स्थापित की गई है।

हमने एक कार्यात्मक कार्य अनुबंध मॉड्यूल पेश किया है, जो निर्बाध संविदा सृजन बीओक्यू प्रबंधन, ऑनलाइन मापबही और बिल संसाधन को सशक्त बनाता है। साइट इंजीनियर अब तात्कालिक माप इनपुट, संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए टैबलेट का उपयोग करते हैं। उल्लेखनीय रूप से:

- **सेवानिवृत्त कर्मचारी पोर्टल:** एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करता है, जो कार्यालय आदेशों, परिपत्रों, पीएफ/पेंशन विवरण और चिकित्सा बिलों और जीवन प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन जमा करने में आसान पहुंच प्रदान करता है।
- **प्रोजेक्ट ई-डायरी प्रणाली:** पीएसपी, वीपीएचईपी, खुर्जा और अमेलिया जैसे निर्माण स्थलों पर प्रचालनशील, यह वेब–आधारित एप्लिकेशन, दैनिक गतिविधियों, संसाधन आवंटन, कार्य निर्देश, गुणवत्ता के मुद्दों, बाधाओं और सुरक्षा चिंताओं से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा रिकॉर्ड करता है।
- **ऑनलाइन प्रतिभा प्रबंधन:** हमने प्रदर्शन प्रबंधन और प्रतिभा अधिग्रहण के लिए एक एकीकृत प्रणाली विकसित की है, जो हमारे कार्यबल के मूल्यांकन और पोषण में दक्षता को बढ़ावा देती है।
- **कागजरहित कार्यालय:** एनआईसी द्वारा विकसित ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक अपनाते हुए, हमने कागजरहित कार्यालय परिवेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस बदलाव से प्रोसेसिंग (संसाधन) में होने वाली देरी में काफी कमी आई है और सभी विभागों में प्रतिक्रिया समय में सुधार हुआ है।
- **साइबर सुरक्षा सतर्कता:** सीईआरटी–इन पैनलबद्ध सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आयोजित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों और आईटी अवसंरचना की नियमित लेखापरीक्षा, हमारे आईटी सिस्टम की सुरक्षा को सुदृढ़ करती है। साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कर्मी संभावित खतरों के प्रति सतर्क रहें।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्षमताएं:** एक मजबूत मल्टी–पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली परियोजना कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के बीच निर्बाध संचार की सुविधा प्रदान करती है, जिससे सहयोग बढ़ता है।
- **निरंतर सुधार:** प्रतिभा प्रबंधन, निकास प्रक्रियाओं और विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती के लिए एचआरएमएस जैसे नए मॉड्यूल निरंतर सुधार और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

हमारे सूचना प्रबंधन प्रयासों के हिस्से के रूप में, हमने एक ड्राइंग और दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली विकसित की है, जो महत्वपूर्ण परियोजना–संबंधित दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति और प्रसार को अनुकूलित करती है। इसके अलावा, एक परिष्कृत डिस्पेंसरी सॉफ्टवेयर परिनियोजित किया गया है, जो रोगी पंजीकरण, निदान, दवा वितरण और इतिहास ट्रैकिंग को कवर करता है।

एक उल्लेखनीय चरण, टिहरी, कोटेश्वर और ढुकवां में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) का चल रहा कार्यान्वयन है। इसके अतिरिक्त, हमारे कॉर्पोरेट आईटी विभाग ने अक्टूबर 2022 में आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन अर्जित किया है, जो मजबूत सूचना सुरक्षा परिपाटियों के प्रति हमारे समर्पण को रेखांकित करता है।

संक्षेप में, एक सामरिक समर्थक के रूप में टीएचडीसीआईएल के सूचना प्रौद्योगिकी के कुशल एकीकरण से उत्पादकता, पारदर्शिता और परिचालन दक्षता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तकनीकी उत्कृष्टता की हमारी निरंतर खोज असाधारण परिणाम देने और उद्योग में हमारे नेतृत्व को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रेरित करती है।

प्रोजेक्ट अमृत मंथन: भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण तैयार करना

टीएचडीसीआईएल ने कंपनी के विज़न और मिशन को फिर से परिभाषित करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित करके एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। सम्मानित वरिष्ठ अधिकारियों ने टीएचडीसीआईएल की असीमित क्षमता को पहचानते हुए, नए दृष्टिकोण और मिशन वक्तव्य को आकार देने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि एकत्रित की। ऊर्जा क्षेत्र की सीमाओं या भौगोलिक बाधाओं से मुक्त, टीएचडीसीआईएल की पहुंच विविध ऊर्जा क्षेत्रों को शामिल करती है, चाहे वह नवीकरणीय हो या गैर–नवीकरणीय, और इसके भौगोलिक पदचिह्न का गतिशील रूप से विस्तार जारी है।

उभरते परिदृश्य को देखते हुए, मिशन और विज़न कथन को कंपनी की भविष्य की आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने की आवश्यकता स्पष्ट थी। सतत परिवर्तन से चिह्नित कारोबारी माहौल में, आगे की राह की कल्पना करने की हमारी क्षमता ही सफलता की कुंजी है। इस संदर्भ में, बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमारी कंपनी के लक्ष्यों को साकार करने की आवश्यकता और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार, अमृत मंथन पहल एक दूरदर्शी प्रक्षेप पथ तैयार करने की हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है जो हमें एक समृद्ध और सतत भविष्य की ओर प्रेरित करती है।

कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश में अमृत मंथन कार्यशाला की झलक

पुरस्कार और मान्यताएं

टीएचडीसीआईएल के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए भारत सरकार एवं अन्य प्रतिष्ठित संगठनों तथा संस्थानों द्वारा समय–समय पर इसे विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न पुरस्कारों के रूप में मान्यता दी गई एवं इसकी सराहना की गई है।

माननीय केन्द्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह से सीबीआईपी व्यक्तिगत अवार्ड प्राप्त करते श्री आर. के. विश्नोई अ. एवं प्र. निदेशक, टीएचडीसीआईएल

यह हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि पिछले वर्षों की तरह, हमारी कंपनी को वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न डोमेन के तहत विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

- टीएचडीसीआईएल को वर्ष 2022 में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से ''पावर जेनरेशन अवार्ड'' से सम्मानित किया गया। श्री राजीव विश्नोई, सीएमडी, टीएचडीसीआईएल ने देहरादून में गुणवत्ता सम्मेलन 2022 में श्री गणेश जोशी माननीय मंत्री, उत्तराखंड सरकार द्वारा निगम को प्रदान किया गया पॉवर जेनरेशन अवार्ड प्राप्त किया।
- 12 मई, 2022 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की प्रोत्साहन योजना के तहत निगम को वर्ष 2020–21 के लिए एनटीपीसी राजभाषा शील्ड (सांत्वना पुरस्कार) से सम्मानित किया गया है।

- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर. के. विश्नोई को 22 मार्च 2022 को मुंबई में वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा सीईओ विद् एचआर ओरिएंटेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी श्री राजीव विश्नोई को पावर सेक्टर में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन और देश के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 11 मार्च 2023 को तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ द्वारा डी लिट (मानद उपाधि) से सम्मानित किया गया।
- श्री राजीव विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को 03 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में 'जल, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सीबीआईपी व्यक्तिगत पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन

संगठन का दिल उसके कार्यबल और उसे संचालित करने वाले सबसे बड़े संसाधन–मानव में निहित है। हमारी कंपनी का मानना है कि कर्मचारी किसी भी संगठन की नींव और आधारशिला हैं। मानव संसाधन प्रबंधन किसी संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति, उसके कार्यबल के प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। एचआर संबंध प्रबंधन, संचार, कर्मचारी विकास और जुड़ाव और संगठन के भीतर एक सकारात्मक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्रभावी और उत्तरदायी एचआर टीम होने से, कंपनी के नेताओं के पास लगातार बदलती कार्यस्थल गतिशीलता के बावजूद समस्याओं को हल करने, समाधान लागू करने और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे भागीदार होते हैं। एक जटिल और संसाधन से भरे कारोबारी माहौल में, यह संगठन की आंतरिक शक्ति है, जो सफलता और विकास के पथ पर ले जाती है। दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार, हमारी कंपनी की मानव पूंजी 1563 है, जिसमें 780 कार्यपालक, 263 पर्यवेक्षक और 520 कामगार शामिल हैं। हमारी कंपनी अपने मानव संसाधन के निरंतर विकास में विश्वास करती है और कंपनी को वर्तमान ऊंचाइयों पर लाने के लिए उसने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है।

प्रशिक्षण और विकास

26-27 जून, 2022 को बांध अभियांत्रिकी में जियोसिंथेटिक्स के प्रयोग पर आयोजित कार्यशाला की झलक

मानव पूंजी जो प्रमुख सामरिक मुद्दों के सुचारू कार्यान्वयन को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसे ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण (केएसए मॉडल) से समृद्ध करने की आवश्यकता है। टीएचडीसीआईएल में हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रशिक्षण और विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से क्षमता निर्माण पहल अस्तित्व और विकास सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। संगठनात्मक उत्कृष्टता तब प्राप्त की जा सकती है जब मानव संसाधन स्वयं प्रेरित हों और ऐसे वातावरण में काम करें जो ज्ञानार्जन और साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा दे।

भविष्य के लिए तैयार संगठन बनने के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाने के लिए, हमने संगठन के कर्मचारियों को प्रशिक्षण और विकास के व्यापक अवसर प्रदान किए हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान एएससीआई, हैदराबाद, आईआईएम, आईआईटी, आईआईसीए, एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस, नोएडा, एआईएमए, एनपीटीआई, आईएनसीओएलडी एम/एस ट्रैक्टेबेल इंजीनियरिंग, फ्रांस आदि के लिए जैसे प्रमुख संस्थानों से बाहरी नामांकित नामांकन के अलावा कुल 44 समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर कुल 4032 प्रशिक्षण मानव दिवस प्राप्त किये गये हैं। प्राप्त कुल मानव दिवसों में से, 42% मानव दिवस तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कवर किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण मानव दिवस 2.5 मानव दिवस है। कर्मचारियों के लिए ज्ञानार्जन और विकासात्मक अवसरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है क) डोमन विशिष्ट कार्यक्रम ख) नेतृत्व विकास कार्यक्रम ग) अंतर–कार्यात्मक दक्षताओं को बढ़ाना घ) प्रबंधन प्रशिक्षण, और ङ) बाहरी नामांकन।

वर्ष 2022–23 के दौरान, क्षमता विकास कार्यक्रम, महिला नेताओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता, कार्यस्थल नैतिकता और मूल्य, आपदा प्रबंधन और शमन उपाय, सीएसआर, सततता और संचार रणनीतियाँ पर जागरूकता और अन्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विषयों पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उपरोक्त के अलावा, नए बेंचमार्क को उजागर करने और सतत विकास प्राप्त करने के लिए तेज गति से चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक गतिशीलता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए शीर्ष प्रबंधन (सीएमडी और कार्यात्मक निदेशक) के साथ जीएम और उससे ऊपर के नेतृत्वकर्ताओं के लिए नेतृत्वकर्ता बैठक का आयोजन किया गया था।

वर्ष के दौरान कार्यकारी प्रशिक्षुओं के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, ताकि सभी स्थानों पर सहकर्मियों के साथ सौहार्द विकसित करने के लिए पावर सेक्टर का 360 डिग्री अवलोकन प्रदान करने के लिए एनपीटीआई में 03 सप्ताह के कॉमन अनिवार्य फाउंडेशन कार्यक्रम के अलावा बोर्डिंग में आसानी हो। मौजूदा और अपेक्षित योग्यता स्तर के बीच अंतर की पहचान करने के लिए, योग्यता मानचित्रण अभ्यास भी चरणबद्ध तरीके से किया गया है।

कर्मचारी संबंध और कल्याण

एक मजबूत संगठन संस्कृति बनाने के लिए कर्मचारियों के साथ मजबूत संबंध रखना महत्वपूर्ण है। न्याय, समानता, परस्पर सम्मान, सभ्यता संघ–प्रबंधन संबंधों को नियंत्रित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं।

कॉर्पोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में योग दिवस का आयोजन

कंपनी के साथ–साथ इसके हितधारकों के हितों को आगे बढ़ाने में एक–दूसरे के प्रयासों को पूरा करते हुए, हमारी कंपनी के कर्मचारियों और प्रबंधन ने संगठन के भीतर विभिन्न रैंकों के बीच समग्र सद्भाव और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए समान भागों में योगदान दिया है। निरंतर मूल्यांकन और समस्या–समाधान के रवैये में दृढ़ विश्वास के साथ, प्रबंधन और श्रमिकों और अधिकारियों के शीर्ष मंच के बीच नियमित बातचीत होती रही है। वर्ष भर आयोजित संरचित बैठकों में प्रदर्शन और उत्पादकता से संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। इसके अलावा सीएमडी और यूनियनों/संघों के बीच संवादमूलक सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।

इसके अलावा, श्रम कानूनों का अधिकतम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान तीन अलग–अलग इकाइयों/परियोजनाओं में कॉर्पोरेट औद्योगिक संबंध विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। इसके अलावा, अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए श्रम मुद्दों की सक्रिय रूप से पहचान की गई और उनका समाधान किया गया।

कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में आयोजित 26वीं आईसीपीएसयू कैरम टूर्नामेंट में कड़े मुकाबले की झलक

कंपनी ने विभिन्न पहलों के माध्यम से हमेशा अपने कर्मचारियों की खुशी और कल्याण को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हमारी कंपनी ने वर्ष के दौरान अंतर सीपीएसयू खेलों के आयोजन से लेकर कई कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया और आईसीपीएसयू के तत्वावधान में आयोजित खेल आयोजनों में पदक जीते। हमारी कंपनी स्वस्थ सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है। दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, नववर्ष, स्थापना दिवस आदि जैसे विभिन्न त्योहार सांस्कृतिक गतिविधियों आदि का आयोजन करके सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। हमारी कंपनी बेहतर जीवन के लिए योग के समग्र महत्व को महसूस करती है और इसलिए निरंतर योग प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और योग्य योग प्रशिक्षकों को तैनात किया है। कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रशिक्षण। योग दिवस का उत्सव, कई स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कार्यशालाओं की व्यवस्था, विभिन्न इकाइयों में चिकित्सा जांच शिविर और रक्तदान, टीकाकरण शिविर आदि भी पूरे वर्ष एक अतिरिक्त सुविधा थी।

अ.जा./अ.ज.जा तथा दिव्यांगजनों के लिए पहलें

हमारी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रुप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने का प्रयास करती रही है। हमारी कंपनी ने अ.जा./अ.ज.जा. कार्मिकों के कल्याण के लिए सरकारी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है तथा उनकी शिकायतों का पूर्ण रूपेण समाधान किया है। हमारी कंपनी में अ.जा./अ.ज. अ.पि. व और अल्पसंख्यकों के लिए एक समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ है। अ.जा./अ.ज./अ.पि.व. ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी सेवाओं में आरक्षण पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में, हमारी कंपनी ने अ.जा. श्रेणी से 3 अभ्यर्थियों, अ.ज. जा. श्रेणी से 02 अभ्यर्थियों और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से 02 अभ्यर्थियों की भर्ती की, जो समूह–''क'' पद पर संगठन में शामिल हुए और अ.जा. वर्ग के 01 अभ्यर्थी को समूह ''ग'' में शामिल किया गया।

दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के कार्यान्वयन के अनुपालन में निगम ने अपने अधिकांश भवनों पर रैंप बनवाकर सुगम पहुंच प्रदान की है। हमारी कंपनी सुगम भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन कर दिव्यांगजनों के लिए निर्बाध माहौल बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी कंपनी ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों को नामित करती है। भिन्न रूप से सक्षम कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने तथा विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए आपकी कंपनी ने संपर्क अधिकरियों को नामित किया है। हमारी कंपनी की नीति समान अवसर प्रदान करने की है जिसे पूर्ण रूप से लागू किया जाता है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

हमारी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक आधिकारिक कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, निगम को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2020–21 के लिए एनटीपीसी राजभाषा शील्ड (सांत्वना पुरस्कार) से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 12 मई, 2022 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में प्रदान किया गया। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय को वर्ष 2021–22 के लिए नरकास की राजभाषा वैजयंती योजना के तहत तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों के साथ–साथ कॉर्पोरेट कार्यालय में भी आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्यालय, ऋषिकेश और अधीनस्थ इकाइयों/कार्यालयों में 22 (बाईस) ''हिंदी कार्यशालाएं'' आयोजित की गई, जहां 534 (पांच सौ चौंतीस) अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

टीएचडीसीआईएल को एनटीपीसी की राजभाषा शील्ड के सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया

हिंदी पखवाड़ा 14 से 30 सितंबर, 2022 तक अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों के साथ–साथ कॉर्पोरेट कार्यालय में भी मनाया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। **हिंदी पखवाड़ा** का समापन समारोह 30 सितंबर, 2022 को आयोजित किया गया जिसमें प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। इसके अलावा, राजभाषा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत भी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कर्मचारियों को आधिकारिक कामकाज में हिंदी का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष के दौरान परियोजनाओं और कॉर्पोरेट कार्यालय में कई हिंदी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान, टीएचडीसी **'पहल'** का जून, 2022 (30वां संस्करण) और दिसंबर, 2022 (31वां संस्करण) प्रकाशित किया गया। इन अंकों को टीएचडीसी वेबसाइट पर मीडिया टैब और ई–पत्रिका पुस्तकालय में राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

हास्य–व्यंग्य के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार–प्रसार करने के लिए क्रमशः 04 अगस्त 2022, 09 अगस्त 2022 और 31 अगस्त 2022 को क्रमशः कॉर्पोरेट कार्यालय, टिहरी इकाई और खुर्जा एसटीपीपी में **''कवि सम्मेलनों''** का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलनों में देश के विभिन्न स्थानों से कवियों को आमंत्रित किया जाता था। उन्होंने हास्य, वीर और श्रृंगार रस की कविताओं से अधिकारियों और कर्मचारियों में नया जोश और उत्साह भर दिया।

द्विभाषी कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए निगम के सभी कंप्यूटर/लैपटॉप में **हिंदी सॉफ्टवेयर/फॉन्टस** स्थापित किए गए हैं। सभी कार्यालय आदेश, प्रारूप, परिपत्र और विज्ञापन द्विभाषी रूप से जारी किए गए थे। सामग्री को आधिकारिक वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में भी प्रदर्शित किया जा रहा है।

हमारी कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्यालय में तथा कंपनी की विभिन्न संस्थापनाओं में हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किए हैं जहाँ कर्मचारियों को लोकप्रिय/साहित्यिक पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं।

हमारी कंपनी 'नराकास' (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) हरिद्वार और टिहरी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी संभाल रही है। वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विभिन्न गतिविधियां/कार्यक्रम जैसे छमाही बैठकें, हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सभी गतिविधियाँ और कार्यक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार भारत के किसी भी नागरिक का, सरकार के पास उपलब्ध जानकारी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। इसमें सरकारी जानकारी प्राप्त करने हेतु नागरिकों से प्राप्त अनुरोधों का समय पर उत्तर देने का अधिदेश दिया गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप हमारी कंपनी में एक उचित तंत्र स्थापित किया गया है। हमारी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन करने के लिए ''आरटीआई–एमआईएस पोर्टल'' के साथ आरटीआई आवेदन, अपील और उत्तर को ऑनलाइन जोड़कर देश के नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए ठोस कार्रवाई की है। नोडल अधिकारी (एनओ)/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अन्य छह सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और एक सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन जानकारी प्रदान करने के लिए इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। टीएचडीसीआईएल की अधिकृत वेबसाइट पर ऐसी सूचनाएं होती हैं, जो अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत प्रकाशित की जानी आवश्यक हैं। निगम के नोडल अधिकारी (एनओ), प्रथम अपीलीय प्रधिकारी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और एपीआईओ के विवरण तथा सूचना प्राप्त करने के लिए तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करने से संबंधित सभी प्रपत्र टीएचडीसी **वेबसाइट http://thdc.co.in** पर उपलब्ध हैं।

सूचना मांगने वालों से भौतिक और ऑनलाइन रूप से प्राप्त किए गए सभी आवेदन पत्रों और अपीलों का निपटान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मे सन्निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है और उनके निस्तारण के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2022–23 के दौरान देश भर के नागरिकों से कुल 203 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगी गई थीं और उन्हें आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गई थीं।

अपीलों के संबंध में, वर्ष के दौरान प्रथम अपीलीय अधिकारी को कुल 20 अपीलें प्राप्त हुई और जांच के बाद अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सभी अपीलों का समय पर निपटान कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022–23 के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली में 04 अपील दायर की गई और आयोग द्वारा इन्हें निस्तारित कर दिया गया।

महिला कर्मचारी कल्याण

टीएचडीसीआईएल एक जिम्मेदार नियोक्ता और समान अवसर नियोक्ता है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सभी इकाइयों में क्रेच सुविधा बनाए रखी गई है। महिला कर्मचारियों और कर्मचारियों की महिला जीवनसाथियों के लिए टीएचडीसी लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन और टीएचडीसी महिला मंडल दल नाम से दो क्लब संचालित हैं। ये क्लब टीएचडीसीआईएल से प्रचालन और वित्तीय सहायता के आधार पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमारी कंपनी ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना की है। आईसीसी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नियमित बैठकें भी आयोजित करती है। वर्ष 2022–23 में आईसीसी को कोई शिकायत नहीं मिली। हमारी कंपनी ने डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएँ) समिति का भी गठन किया है और डब्ल्यूआईपीएस की आजीवन सदस्य है। महिला कर्मचारियों को समय–समय पर डब्ल्यूआईपीएस के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए नामांकित किया जाता है। मानव संसाधन विकास विभाग विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण भी आयोजित करता है ताकि उन्हें काम के तनाव, परिवार और अन्य चुनौतियों का प्रबंधन करने में मदद मिल सके। महिला टीमों को नियमित रूप से इंटर सीपीएसयू टूर्नामेंट के तहत आयोजित विभिन्न खेलों में भी भेजा जाता है।

कॉर्पोरेट संचार: तालमेल और संबंधों को बनाए रखना

निगम में, अंतर्विभागीय तालमेल को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट संचार विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार विभाग अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए रणनीतिक जानकारी, प्रचार–प्रसार का संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए प्रमुख संदेशों को प्रतिध्वनित कर हितधारकों तक संप्रेषित करता है।

कॉर्पोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.के.विश्नोई

इसी का अनुसरण करते हुए, टीएचडीसीआईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में पूर्ण समर्थित संचार विभाग की स्थापना की गई, जो कंपनी की बाह्य एवं आंतरिक धारणाओं को रूप देकर, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग से लेकर मीडिया के साथ बेहतर संबंध बनाने एवं आवश्यक सूचनाओं को संप्रेषित करता है। टीएचडीसीआईएल अवसरों का लाभ उठाते हुए, चुनौतियों का समाधान खोजता है।

सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ाव को मजबूत करना

हमारा कॉर्पोरेट संचार विभाग कर्मचारी सहभागिता, हितधारक संपर्क और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म दोतरफा संचार और सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। हमारे दृष्टिकोण में विविध संचार मॉडल, कुशल हितधारक आउटरीच के लिए समकालीन डिजिटल मोड और पारंपरिक कार्यनीतियों का मिश्रण शामिल है।

पहलों और नवीनतम जानकारी का प्रदर्शन

टीएचडीसीआईएल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जी20 शिखर सम्मेलन और आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसी सरकारी पहलों को सक्रिय रूप से साझा करता है। हम कोविड–19 महामारी जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्फोग्राफिक्स, लघु वीडियो और एनिमेशन का उपयोग करते हुए पीएमओ, माई.गॉव, स्वास्थ्य मंत्रालय और पीआईबी जैसे अधिकारियों के अपडेट की निगरानी करते हैं। हमने व्हाट्सएप समूहों, फेसबुक समुदायों और थोक संदेशों के माध्यम से संचार को बढ़ावा दिया है, जिससे आंतरिक दर्शकों के लिए भर्ती समाचार, उपलब्धियां और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापक मंच तैयार किए जा सके हैं।

सूचना साझाकरण को सशक्त बनाना

सूचना की शक्ति को पहचानते हुए, हम हितधारकों को पहलों, समाचारों और घटनाओं के बारे में सूचित रखने के लिए ऑडियो/वीडियो सामग्री के साथ प्रिंट पत्रिकाओं और ई–पत्रिका प्रकाशनों का उपयोग करते हैं। इसमें कल्याण, सीएसआर प्रयास, पुरस्कार और कॉर्पोरेट उपलब्धियाँ शामिल हैं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव: भारत की आज़ादी के 75 वर्ष का जश्न

भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, सरकार ने वर्ष भर चलने वाले उत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की। मूल रूप से 15 अगस्त, 2022 को समाप्त होने वाला यह उत्सव अब 15 अगस्त, 2023 तक बढ़ गया है, जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि–चरण साबित होगा।

कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश के गंगा भवन का एरियल दृश्य

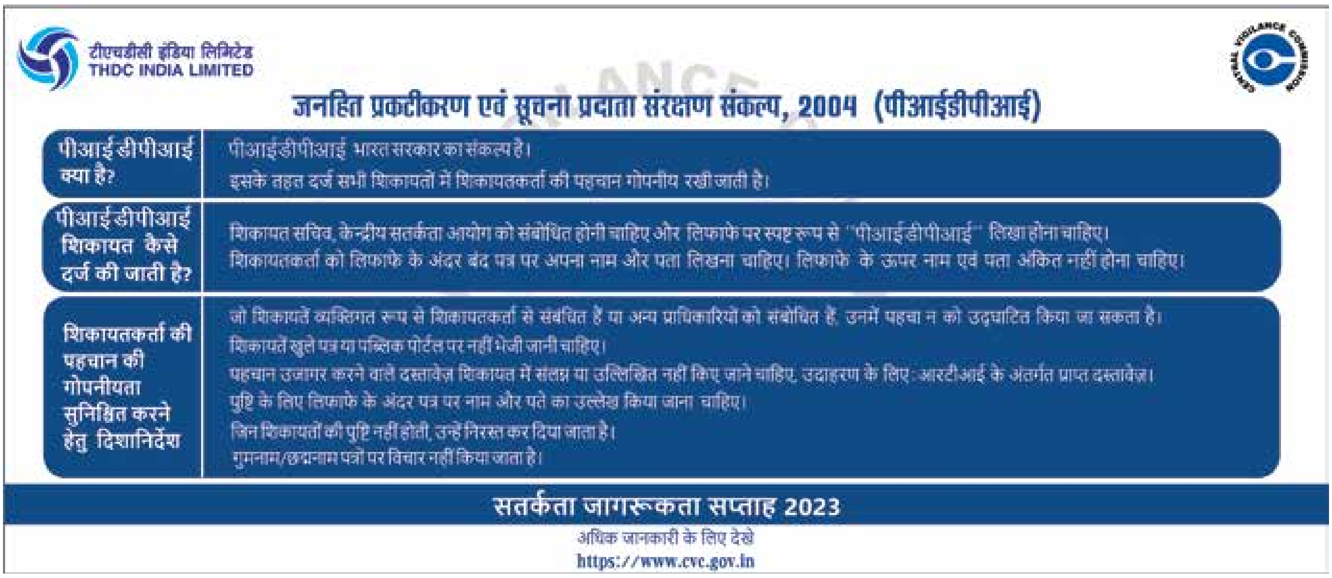

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाता संरक्षण संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)

पीआईडीपीआई क्या है?	पीआईडीपीआई भारत सरकार का संकल्प है। इसके तहत दर्ज सभी शिकायतों में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।
पीआईडीपीआई शिकायत कैसे दर्ज की जाती है?	शिकायत सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "पीआईडीपीआई" लिखा होना चाहिए। शिकायतकर्ता को लिफाफे के अंदर बंद पत्र पर अपना नाम और पता लिखना चाहिए। लिफाफे के ऊपर नाम एवं पता अंकित नहीं होना चाहिए।
शिकायतकर्ता की पहचान की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश	जो शिकायतें व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संबंधित हैं या अन्य प्राधिकारियों को संबोधित हैं, उनमें पहचा न को उद्घाटित किया जा सकता है। शिकायतें खुले पत्र या पब्लिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए। पहचान उजागर करने वाले दस्तावेज़ शिकायत में संलग्न या उल्लिखित नहीं किए जाने चाहिए, उदाहरण के लिए: आरटीआई के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेज़। पुष्टि के लिए लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पते का उल्लेख किया जाना चाहिए। जिन शिकायतों की पुष्टि नहीं होती, उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। गुमनाम/छद्मनाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अधिक जानकारी के लिए देखें
https://www.cvc.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) में विभिन्न सरकारी संगठन और सीपीएसई नियमित रूप से नवोन्मेषी हितधारकों के इंटरफेस के लिए गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। हमारी कंपनी इस पहल में भारत सरकार के साथ साझेदारी कर रही है और एकेएएम के दायरे में प्रदर्शनियां, वृक्षारोपण अभियान, योग दिवस समारोह, नुक्कड़ नाटक, क्विज प्रतियोगिताएं, रंगोली प्रतियोगिता, कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन और व्यू प्वाइंट, टिहरी बांध, 12.07.2022 से 15.08.2022 तक आज़ादी कार्निवल, चिकित्सा शिविर, वेबिनार, प्रेस विजिट आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की हैं। हमारी कंपनी के ये समारोह और पहल ऐतिहासिक जागरूकता को बढ़ावा देने, संस्कृति का प्रदर्शन करने, भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने, शिक्षा को बढ़ावा देने और हितधारकों के संबंधों को बढ़ाने के जरिए बच्चों सहित हजारों लोगों को लाभान्वित करते हैं।

सतर्कता गतिविधियां

टीएचडीसीआईएल में सतर्कता एक प्रमुख प्रबंधन माध्यम है जो संगठन को उच्चतर विकास के पथ पर अग्रसर करता है। इसके प्रकार्यों को कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में सुविधाकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके प्रकार्यों में नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों में पारदर्शिता के प्रति कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने के लिए संगठन के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने पर अधिक जोर दिया जाता है। टीएचडीसीआईएल नैतिक और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवसाय परिवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने सभी हितधारकों के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और उनके साथ न्यायोचित और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करता है।

टीएचडीसीआईएल द्वारा सतर्कता जागरूकता के संबंध में योग नगरी रेलवे स्टेशन पर आयोजित नुक्कड़ नाटक की झलक

सतर्कता विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों का दायरा व्यापक है और इनमें संगठन के कर्मचारियों द्वारा की गई या की जा सकने वाली भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में जानकारी/आसूचना एकत्र करना, रिपोर्ट किए गए सत्यापन योग्य आरोपों की जांच करना या जांच कराना, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आगे के विचार हेतु जांच रिपोर्ट संसाधित करना, जहां आवश्यक हो, मामलों को सलाह के लिए आयोग को अग्रेषित करना, अनुचित प्रथाओं/कदाचार आदि को रोकने के लिए कदम उठाना शामिल हैं। सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य संगठन को सुदृढ़ प्रणाली और प्रक्रियाओं की ओर ले जाने में मदद करना है ताकि कर्मचारियों को उनके द्वारा निर्देशित किया जा सके और व्यवसाय प्रथाओं के निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। सतर्क कार्यबल चूक को रोकने, कार्यस्थल पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने, लिकेज, जो संगठन की उत्पादकता और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, को रोकने में मदद करता है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी पर व्यवहार में इन मूल्यों को आत्मसात करने और व्यवहार एवं संवाद में उन्हें प्रदर्शित करने का दायित्व है।

टीएचडीसीआईएल में सतर्कता पहलें

टीएचडीसीआईएल में सतर्कता, न केवल एक अनुपालन उपाय के रूप में, बल्कि हमारे ऊपर की ओर बढ़ने वाले एक सामरिक उपकरण के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही का पोषण करते हुए हमें विकास की ओर प्रेरित करती है। निवारक होने के बजाय, सतर्कता हमारे कर्मचारियों को प्रबुद्ध करती है, स्थापित नियमों का पालन करते हुए दिन–प्रतिदिन के कार्यों में पारदर्शिता के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। नैतिक और भ्रष्टाचार मुक्त कारोबारी माहौल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। टीएचडीसीआईएल हितधारकों के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और निष्पक्ष एवं पारदर्शी लेनदेन को कायम रखता है।

व्यापक सतर्कता प्रयास

टीएचडीसीआईएल में सतर्कता विभाग संगठनात्मक अखंडता को बढ़ाने और जिम्मेदार आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है:

निवारक सतर्कता: सार्वजनिक प्रशासन में अखंडता को बनाए रखने में निवारक सतर्कता एक आधारशिला है। इन उपायों के माध्यम से, टीएचडीसीआईएल पूरे संगठन में पारदर्शिता और दक्षता के लिए प्रयास करता है। निवारक सतर्कता ढाँचे को विकसित करने के लिए इकाइयों और परियोजनाओं को प्रोत्साहित करके, हम भ्रष्टाचार–प्रवण क्षेत्रों, सही नीतियों और प्रक्रियाओं को संबोधित करते हैं, और आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करते हैं। यह दृष्टिकोण सुशासन की आवश्यकताओं की चूक और उल्लंघन को कम करने का प्रयास करता है।

दंडात्मक सतर्कता: दंडात्मक सतर्कता खामियों के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करती है। इसमें सत्यापन योग्य आरोपों और शिकायतों को संबोधित करना, जांच करना और विभागीय जांच शुरू करना शामिल है। नैतिक आचरण के महत्व को मजबूत करते हुए दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ त्वरित और उचित कार्रवाई की जाती है।

निगरानी एवं परिचयन: परिचयन सतर्कता का उद्देश्य चूक की घटनाओं की पहचान करना और उन्हें सत्यापित करना है। इसमें औचक और नियमित निरीक्षण के माध्यम से भ्रष्ट आचरण के बारे में आसूचना एकत्र करना, रिपोर्टो की जांच करना और लंबित मामलों पर कार्रवाई में तेजी लाना शामिल है। यह दृष्टिकोण संभावित मुद्दों को बढ़ने से रोकता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा 30 अक्तूबर, 2022 से 06 नवंबर, 2022 तक वर्ष के लिए सीवीसी द्वारा निदिष्ट विषय ''विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2022 मनाया गया। इस अवसर पर, सतर्कता विभाग ने अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, सीवीसी के परिपत्र, प्रणालीगत सुधार और विवरण को कवर करते हुए ''इरेडिकेट करप्शनः वे टू डेवलेप्ड नेशन'' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। ऋषिकेश में सभी कर्मचारियों को सीएमडी द्वारा और अन्य परियोजनाओं में परियोजनाध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाई गई, जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। टीएचडीसीआईएल ने व्यापक भागीदारी को सक्षम करने के लिए टीएचडीसीआईएल वेबसाइट और इंट्रानेट पर ई–प्रतिज्ञा और सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के लिए हाइपरलिंक प्रदान किया। टीएचडीसीआईएल की परियोजनाओं/कार्यालयों और टाउनशिप में प्रमुख स्थानों पर भ्रष्टाचार विरोधी और सतर्कता जागरूकता पर पोस्टर/बैनर प्रदर्शित किए गए। ''विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' विषय पर एक व्याख्यान प्रख्यात संकाय श्री कृष्ण मोहन, सेवानिवृत्त आईएएस द्वारा ऋषिकेश और टिहरी में टीएचडीसीआईएल के अधिकारियों को दिया गया। एचआरडी द्वारा टिहरी और ऋषिकेश के अधिकारियों के लिए ''आचरण नियम और निवारक सतर्कता'' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान संगठन के कर्मचारियों के लिए विभिन्न सतर्कता जागरूकता गतिविधियां/कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं जैसे बच्चों के लिए डिजिटल पेंटिंग और निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया।

ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन का सुदृढ़ीकरण

ई–गवर्नेंस निर्बाध सरकारी सेवा वितरण, डाटा विनिमय, लेनदेन संचार और विभिन्न प्रणालियों में एकीकरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संलयन का प्रतीक है। यह सरकार, नागरिकों, व्यवसायों, कर्मचारियों और सरकारी ढांचे के भीतर संस्थाओं को आपस में जोड़ता है, निष्पक्षता, पारदर्शिता और इक्विटी सुनिश्चित करते हुए दक्षता बढ़ाता है। भ्रष्टाचार से निपटने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल हमारी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से आईटी समाधानों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है।

दक्षता और समानता के लिए ई-गवर्नेंस का लाभ उठाना

टीएचडीसीआईएल प्रचालन में परिवर्तन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति को पहचानता है। ई–गवर्नेंस में हमारा प्रवेश सूचित नीतिगत निर्णयों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करके सुशासन को बढ़ावा देता है। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, भागीदारी और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित, ई–गवर्नेंस सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक निधि को उनके आशयित उद्देश्य की ओर ले जाता है।

ई-गवर्नेंस के माध्यम से सतर्कता को सशक्त बनाना

ई–गवर्नेंस निवारक सतर्कता के गढ़ के रूप में भी खड़ा है, जो हितधारकों को सुविधाजनक, कुशल और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करता है:

- हमारी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाती है और मार्च 2015 से चालू है। यूआरएल **http://www.thdc.co.in** के माध्यम से सतर्कता एमआईएस प्रणाली और शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली (जीटीएस), हितधारकों को वास्तविक समय के अपडेट तक पहुंच प्रदान करती है। • कर्मचारी एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से अपने वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) को निर्बाध रूप से प्रस्तुत करते हैं। • ई–भुगतान प्रथाएं संविदात्मक भुगतानों को सुव्यवस्थित करती हैं, जो अब विशेष रूप से निविदा दस्तावेजों में संबंधित खंडों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित होती हैं। • ई–टेंडरिंग के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का अनिवार्य उपयोग लेनदेन की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिष्चित करता है। • हमारा एकीकृत वाणिज्यिक बिलिंग सिस्टम और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) सॉफ्टवेयर बिलिंग सटीकता और प्रबंधन को बढ़ाता है। • एक वेब–आधारित गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण प्रणाली सभी प्रचालनों में गुणवत्ता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ाती है। • ई–रिवर्स नीलामी खरीद में प्रतिस्पर्धात्मकता लाती है, जिससे इष्टतम मूल्य सुनिश्चित होता है।

प्रणालीगत सुधार: उत्कृष्टता का मार्ग

हमारा सतर्कता विभाग नियमित, सीटीई प्रकार और औचक निरीक्षणों में सक्रिय रहता है। हम प्रणालीगत सुधार लाने के लिए इन आकलनों से प्राप्त टिप्पणियों, अनुभवों और फीडबैक का लाभ उठाते हैं। प्रबंधन में इन अंतर्दृष्टियों को प्रसारित करके, हम निरंतर वृद्धि की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। समीक्षाधीन अवधि में, आठ प्रणालीगत सुधार जारी किए गए, जो उत्कृष्टता और त्रुटि मुक्त प्रक्रियाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

संक्षेप में, ई–गवर्नेंस टीएचडीसीआईएल को दक्षता, पारदर्शिता और सतर्कता के साथ सशक्त बनाता है। यह सुशासन के सिद्धांतों को बनाए रखने और प्रचालन उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के प्रति हमारे समर्पण का प्रमाण है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदारी

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान टीएचडीसी ने अपने कुल वार्षिक खरीदारी की 69.10% वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी एमएसई से की है। इसमें उन मदों/उपस्करों/सेवाओं के मूल्य शामिल नहीं हैं जो या तो मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) प्रोपाइटरी उपस्कर और/ या एमएसई द्वारा विनिर्मित नहीं किए गए हैं/उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीदारी का ब्यौरा, जो कि सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करना जरूरी है, इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवरण	रुपए करोड़ में
I	कुल वार्षिक खरीद–जीईएम से खरीद सहित (मूल्य में)* (बीमा सेवाओं को छोड़कर)	66.74
II	जीईएम सहित एमएसई (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई सहित) से प्रापण किए गए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	46.12
III	जीईएम सहित अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण किए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	0.11
IV	जीईएम सहित कुल प्रापण में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	1.85
V	जीईएम सहित कुल प्रापण में से (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	69.10%
VI	जीईएम सहित कुल प्रापण में से अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण प्रतिशत	0.16%
VII	जीईएम सहित कुल प्रापण में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	2.77%
VIII	एमएसई के लिए वेंडर विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	–
IX	क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से क्रय की वार्षिक प्रापण योजना अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाती है	हां

*इसमें सामान एवं सेवाओं का प्रापण शामिल है।

जीईएम पोर्टल से खरीद

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जीईएम पोर्टल से की गई खरीद का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	
	रु. करोड़ में	कुल खरीद का %
संबंध पोर्टल में अदतयन कुल खरीद*	66.67	69%**
जीईएम के माध्यम से खरीद***	92.99	97%

टिप्पणी:

*इस कुल खरीद के आंकड़े में 41.03 करोड़ रुपये की बीमा खरीद शामिल नहीं है। एमएसई बीमा क्षेत्र में नहीं हैं।

** यह प्रतिशत एमएसई विक्रेताओं के माध्यम से कुल खरीद के सापेक्ष तैयार किया गया है।

*** सचिव विद्युत की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2022 की बैठक में डीजल, एकल बोली, पीएसी और जीईएम पर उपलब्ध नहीं होने वाली वस्तुओं को छूट से बाहर रखा गया है।

संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाएं और प्रबंध

वित वर्ष 2022–23 में कंपनी ने अपने किसी संबद्ध पक्ष के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) और इस अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड(ज) के अनुपालन में और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) में संदर्भित संविदाओं/समझौतों के विवरण का प्रकटन निम्नलिखित हैं :–

- **आर्म्स लैंथ आधार को छोड़कर संविदाओं या समझौतों या संव्यवहार का ब्यौरा - शून्य**
- **आर्म्स लैंथ आधार पर संविदाओं या समझौतों या संव्यवहार का ब्यौरा: समीक्षाधीन अवधि के दौरान आर्म्स लैंथ आधार पर कोई महत्वपूर्ण संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार नहीं किया गया था:**

  क. संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति – लागू नहीं

  ख. संविदाओं/समझौतों /संव्यवहारों की प्रकृति – लागू नहीं

  ग. संविदाओं/ समझौतों /संव्यवहारों की अवधि– लागू नहीं

  घ. संविदाओं या समझौतों की मुख्य शर्तें या मूल्य सहित संव्यवहार, यदि कोई हो – लागू नहीं

  ङ. बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो – लागू नहीं

  च. अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो – लागू नहीं

- **इंड-एएस-24 के तहत संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 42 (8) में किया गया है।**

कॉर्पोरेट सुशासन

हमारा कॉर्पोरेट लोकाचार अखंडता, समानता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और अटूट प्रतिबद्धता वाले मूल्यों की आधारशिला पर स्थापित है। हम कॉर्पोरेट सुशासन मानकों के उच्चतम स्तर को बनाए रखने, अनुकरणीय प्रबंधन प्रथाओं, कानूनी मानदंडों के सख्त पालन और नैतिक आचरण के प्रति दृढ़ समर्पण को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

''भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम, 2015'' और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर दिशानिर्देश'' में उल्लिखित दृढ़ निर्देशों के अनुसार, हमने अपनी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का एक व्यापक लेखा–जोखा **अनुलग्नक-I** में प्रस्तुत किया है।

इन मानकों का पालन करने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में, हमने एक कार्यरत कंपनी सचिव से एक प्रमाणन प्राप्त किया है, जो डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों के हमारे अनुपालन की पुष्टि करता है। यह प्रमाणीकरण, हमारे अनुपालन का एक प्रमाण, संलग्न कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सुदृढ़ कॉर्पोरेट सुशासन का अभ्यास करने के लिए हमारा अटूट समर्पण विश्वास, पारदर्शिता और नैतिक आचरण के माहौल को बढ़ावा देने, हमारे प्रचालन की आधारशिला बना हुआ है। इन उपायों के माध्यम से, हम अपने हितधारकों के विश्वास और भरोसे को सुनिश्चित करते हुए, कॉर्पोरेट सुशासन के हर पहलू में न केवल अनुपालन करने, बल्कि अनुकरणीय होने के अपने संकल्प को दृढ़ करते हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सतत विकास (एसडी)

आपकी कंपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा सामाजिक एवं पर्यावरण सततता के लिए जागरूक है। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सीएसआर नियमों के अंतर्गत यथाअपेक्षित, पूर्ववर्ती 03 वर्षों के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया गया है। सभी सीएसआर परियोजनाओं पर बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) द्वारा विचार किया जाता है तथा बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (बीएलसी) द्वारा बोर्ड के अनुमोदनार्थ इनकी अनुशंसा की जाती है। अधिमान्य रूप से सीएसआर परियोजना के कार्यान्वयन से, पहले गतिविधियों की प्राथमिकताओं के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन किया जाता है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर किया जाने वाला कुल व्यय 23.61 करोड़ रुपए था जो पूर्ववर्ती तीन वर्षों के निवल लाभ का 2% है। तथापि, वर्ष के दौरान, सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय 22.11 करोड़ रूपये (कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के अनुसार, वित्त वर्ष 2021–22 में किए गए 51.74 लाख रुपये के अतिरिक्त सीएसआर व्यय के सेट–ऑफ और 'चालू परियोजनाओं' से संबंधित 98.46 लाख रुपये की अव्ययित राशि को वित्त वर्ष 2022–23 के अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित करने को छोड़कर) है। सीएसआर पर विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसरण में प्रबंधन संबंधी विचार–विमर्श और विश्लेषण के बारे में एक विशेष रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अच्छी कॉर्पोरेट सुशासन पद्धति व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के भाग के रूप में कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन संबंधी मुद्दों पर कंपनी द्वारा की गई पहलों का प्रकटीकरण **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी (मसौदा एमजीटी–7) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर दी गई है।

मसौदा वार्षिक विवरणी तक पहुंच के लिए वेबलिंक: https://thdc.co.in/en/annual-return है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अनुसरण में निदेशक एतदद्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों तथा इस अवधि में कंपनी के लाभ की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने हेतु तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचान करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालनरत है।

(च) निदेशकों ने कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी रूप से प्रचालनरत थीं।

सांवधिक प्रकटीकरण

(क) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

(ख) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।

(ग) वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों की संख्या, विचारार्थ विषय और संरचना के संबंध में जानकारी, निदेशकों की जानकारी प्रशिक्षण नीति के लिए सतर्कता तंत्र/सूचना प्रदाता नीति (ह्विसिल ब्लोअर नीति) और वेब लिंक की स्थापना, संबद्ध पक्षकार के लेन देन के महत्व तथा संबद्ध पक्षकार के साथ व्यवहार संबंधी नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को क्षतिपूर्ति, स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में भाग लेने का शुल्क आदि कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट में दिया गया है जिसे कंपनी अधिनियम, डीपीई के दिशानिर्देशों और समय–समय पर संशोधित सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में तैयार किया जाता है जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है।

(घ) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उनके अंतर्गत बनाए गए नियम जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते इसलिए किसी प्रकार का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं।

(ड.) वित्त वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च, 2023 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता घटित नहीं हुई है जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े।

(च) कंपनी के निदेशकों को या कंपनी के किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

(छ) सतर्कता मामलों, लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों के उत्तर तथा सूचना का अधिकार से जुड़े मामलों से संबंधित ब्योरे आदि को इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किए जाते है।

(ज) दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

अन्य प्रकटीकरण

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण है। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया तथा प्रचालन अथवा डिजाईन में कोई कमी नहीं पाई गई।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक अर्थात मैसर्स एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स चार्टड एकाउन्टेंट ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कंपनी में वित्तीय रिपोर्ट के संबंध में ठोस एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

ऋणों तथा दिए गए गारंटी, किए गए निवेश तथा दी गई प्रतिभूतियों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसरण में धन उपलब्ध करवाने के व्यापार में संलग्न किसी कंपनी द्वारा किए गए ऋण गारंटी अथवा प्रदत्त प्रतिभूति या अपने सामान्य व्यापार के क्रम में अवसंरचनात्मक कर सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली कंपनी में लागू नहीं होते इसलिए किसी प्रकार का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने टुस्को लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए की संयुक्त उद्यम कंपनी) के शेयरों को सब्सक्राइब करने में 14.80 करोड़ रूपये (3.70 करोड़ रुपए के लंबित आबंटन सहित) का निवेश किया था। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, टीएचडीसीआईएल द्वारा इसकी अनुषंगी कंपनी टुस्को लिमिटेड में किया गया निवेश 14.80 करोड़ रूपये (3.70 करोड़ रुपए के लंबित आबंटन को छोड़कर) है।

कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं भविष्य के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किसी भी विनियामक या न्यायालय या अधिकरण द्वारा कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं प्रचालनों को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण एवं तथ्यपरक आदेश पारित नहीं किया गया है।

लागत अभिलेखों का अनुरक्षण

वर्ष 2022–23 के लिए हमारी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट लागत अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा

हमारी कंपनी को सभी स्वतंत्र निदेशकों से यह पुष्टि करते हुए घोषणाएं प्राप्त हो गई हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और भारतीय

प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत यथाउपबंधित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखा परीक्षक

सरकारी कंपनी होने के नाते हमारी कंपनी में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सी एंड ए जी के दिनांक 31.08.2022 के पत्र क्रमांक सीएवी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, टिहरी(1)/587 के द्वारा मैसर्स एस. एन. कपूर एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंशन मैत्री बिहार, हरिद्वार, बाई पास रोड, नागेसवती चिकित्सा केंद्र के सामने, देहरादून–248001 को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में बिना शर्त (अनक्वालिफाइड) रिपोर्ट दी है इसलिए कंपनी की टिप्पणियां भी 'शून्य' हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रुप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण संलग्न हैं।

निदेशकों और बोर्ड का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 के सामान्य परिपत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) के उपबंधों, जिनके अंतर्गत नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रत्येक निदेशक का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की अपेक्षित होता है, से छूट दी है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पूर्वोक्त परिपत्र के तहत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(त) के उपबंधों, जिनमें बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के कार्यनिष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके और बोर्ड की रिपोर्ट में अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशक, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग, जो प्रशासनिक रूप से कंपनी का प्रभारी है, या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है, के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के तरीकों का उल्लेख करना अपेक्षित है, से छूट प्रदान की गई है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सभी कार्यात्मक निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र निर्धारित किया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25 के अनुसार, 20 मार्च, 2023 को आयोजित एक अलग बैठक में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक और गैर–स्वतंत्र निदेशकों के रूप में बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया गया था।

लागत लेखा परीक्षक एवं लागत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मेसर्स आर एम बंसल एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कानपुर, बलविंदर एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, चंडीगढ़, रमानाथ अय्यर एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली, संजय गुप्ता एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली, धनंजय वी जोशी एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट लेखाकार, पुणे को कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 148 के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए क्रमशः टिहरी एचपीपी, कोटेश्वर एचईपी, पवन ऊर्जा परियोजनाओं, ढुकवां एसएचपी और सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए लागत लेखांकन अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी द्वारा लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। मेसर्स आर जे गोयल एंड कंपनी, लागत लेखाकार, नई दिल्ली को प्रमुख लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। लागत लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई संदेह या आपत्ति इंगित नहीं की है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा

वर्ष 2022–23 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुपालन में मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, पेशेवर (प्रेक्टिसिंग) कंपनी सचिव ने की है। कंपनी ने सभी सचिवालयी प्रावधानों का अनुसरण किया है और चूक के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। सचिवालयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट **अनुलग्नक-VI** के रुप में संलग्न है।

डिबेंचर ट्रस्टी

हमारी कम्पनी द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट बांड के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

ट्रस्टी का नाम और पता
विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
छठा तल, आईएल एंड एफएस फाइनेंसियल सेंटर प्लॉट–सी–22, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बान्द्रा पूर्व मुम्बई–400051

आभार

हमारी कंपनी का निदेशक मंडल विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, एनटीपीसी लिमिटेड, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, राज्य सरकारों और उनके मंत्रालयों, विभागों/बोर्ड, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं और निवेशकों से प्राप्त मूल्यवान समर्थन और मार्गदर्शन हेतु उनका ह्रदय से आभार व्यक्त करता है। बोर्ड हमारे बहुमूल्य ग्राहकों, प्रादेशिक विद्युत बोर्डों तथा डिस्काम्स एवं हमारे परामर्शी कार्यों के अन्य मूल्यवान ग्राहकों के उल्लेखनीय योगदान को स्वीकार करता है।

निदेशकगण, इस अवसर का उपयोग हमारे कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई समर्पित और प्रभावी सेवाओं की औपचारिक रूप से स्वीकारोक्ति और सराहना करने के लिए करते हैं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता कंपनी के समग्र संतोषजनक प्रदर्शन को प्राप्त करने में सहायक रही है। बोर्ड कंपनी की विविध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में संविदाकारों, वेंडर और परामर्शदाताओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार करता है।

इसके अतिरिक्त, निदेशक गण, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा प्रदान किए गए रचनात्मक सुझावों के लिए उनकी सराहना व्यक्त करते हैं और उनके द्वारा प्रदान किए जा रहे निरंतर सहयोग व सहायता को स्वीकार करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०/–
(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 25.09.2023
स्थानः नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

कार्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (''टीएचडीसीआईएल'' या ''कंपनी''), उत्तम कॉरपोरेट सुशासन परिपाटियों, नैतिकता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता, और स्थायी आधार पर हितधारकों के मूल्य और हित को बढ़ाने तथा अपने हितधारकों के विश्वास और भरोसे के परिवेश का सृजन करने में विश्वास करता है। टीएचडीसीआईएल में, हम व्यवस्थित प्रक्रियाओं, नीतियों, नियमों, विनियमों और कानूनों का पालन करते हैं, जिनके द्वारा कंपनियों को हितधारक की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रबंधन द्वारा निर्देशित, नियंत्रित और सुशासित किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के उपबंधों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों, 2010, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों और सभी अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ–साथ हमारी कंपनी अधिकांश गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं का भी अनुपालन करती है।

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट और उसके बाद पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा कॉर्पोरेट सुशासन पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है। आपके साथ यह साझा करते हुए हमें खुशी हो रही है कि कंपनी को वर्ष 2022–23 के लिए कॉरपोरेट सुशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई द्वारा 'उत्कृष्ट' का दर्जा दिया गया है।

1. कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा का संक्षिप्त विवरण

हमारी कंपनी का मानना है कि कॉरपोरेट सुशासन में बहुत–से नियम और नियंत्रण शामिल होते हैं जो पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं जिनके भीतर कंपनी के सभी हितधारकों, जैसे इसके शेयरधारकों, निदेशकों और प्रबंधन, समाज और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिलता है। यह अपने सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करते हुए कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ढांचा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के व्यवसाय एक जवाबदेह और निष्पक्ष तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। जबकि सुशासन पर हमारी कंपनी का दृष्टिकोण शुरुआत से ही निर्धारित किया गया है, यह ढांचा कंपनी को वर्तमान समय में समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त लचीला है।

कंपनी का मानना है कि कॉरपोरेट सुशासन इस बारे में भी है कि बोर्ड क्या करता है और यह कैसे कंपनी के मूल्यों को निर्धारित करता है और कंपनी के व्यवसाय को अपने सिद्धांतों के साथ संचालित करता है। बोर्ड इस बात से दृढ़ता से सहमत है कि सुशासन केवल एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक कॉर्पोरेट संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है। यह पूर्णकालिक अधिकारियों द्वारा कंपनी के दिन–प्रतिदिन के प्रचालन संलग्नता से भिन्न है। इस प्रकार आपके बोर्ड की जिम्मेदारियों में कंपनी में कॉर्पोरेट सुशासन के सिद्धांतों को लागू करना, कंपनी के सामरिक लक्ष्य निर्धारित करना, प्रबंधन को उनके नेतृत्व के साथ मार्गदर्शन करना और शेयरधारकों को रिपोर्ट करना शामिल है। प्रबंधन, बोर्ड और उसकी समितियां मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अक्षुण अखंडता, उत्कृष्टता की कंपनी बनी रहे और जिम्मेदार विकास की ओर अग्रसर हो।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल के पास प्रभावी प्रबंधन, दीर्घकालिक व्यापार कार्यनीति, सामान्य मामले, प्रदर्शन और कंपनी की कॉर्पोरेट सुशासन परिपाटियों की प्रभावशीलता की निगरानी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बोर्ड के परामर्श से व्यावसायिक कार्यनीति को क्रियान्वित करते हुए तथा वार्षिक और दीर्घकालिक व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए कंपनी के प्रबंधन मामलों का प्रभार संभालते हैं।

2.1 बोर्ड का आकार

हमारी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें 74.49 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग एनटीपीसी की है तथा 25.504 प्रतिशत इक्विटी शेयर होलडिंग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की है। कंपनी के व्यवसाय का अधीक्षण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। एनटीपीसी लिमिटेड और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित शेयर क्रय करार के अनुसार, एनटीपीसी लिमिटेड को दो नामिती निदेशक नामित करने का अधिकार होगा। तथापि, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो निदेशकों को छोड़कर, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करते हैं जो सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

2.2 बोर्ड की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का आदर्श संयोजन है। इसके साथ–साथ यह भी निर्धारित है कि निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए। वर्तमान में निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, टीएचडीसीआईएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित दो प्रकार्यात्मक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नामित दो और एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशक होते हैं। टीएचडीसीआईएल के निदेशकों के पास अपेक्षित योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव है जो उन्हें कंपनी के व्यवसाय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और बोर्ड में प्रभावी योगदान करने में सक्षम बनाता है।

निदेशक मंडल का विवरण अर्थात् उनके नाम, पदनाम, अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक-पदों और समिति की अध्यक्षता / सदस्यता की संख्या और अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम, जिनमें निदेशक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निदेशक पद पर आसीन हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	धारित अन्य निदेशक-पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक-पद और निदेशक-पद की श्रेणी	अन्य सार्वजनिक कंपनियों की लेखापरीक्षा / हितधारक समितियों में धारित सदस्यता की संख्या	
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1	श्री राजीव कुमार विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6	1 एनएचपीसी लिमिटेड, सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार	-	-
2	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त), और निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार	1	-	-	-
3	श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य	एनटीपीसी लिमिटेड नामिती निदेशक	6	1 एनटीपीसी लिमिटेड कार्यकारी निदेशक	-	-
4	श्री जयकुमार श्रीनिवासन*	एनटीपीसी लिमिटेड नामिती निदेशक	5	1 एनटीपीसी लिमिटेड कार्यकारी निदेशक	-	3
5	श्री जितेश जॉन	नामिती निदेशक, भारत सरकार	1	-	-	1
6	श्री अनिल गर्ग**	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार	2	-	-	-
7	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-
8	डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	
9	श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला	स्वतंत्र निदेशक	1		-	-

*17.08.2022 को बोर्ड में नियुक्त **26.04.2022 को बोर्ड में नियुक्त

2.3 निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

1. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश संख्या 14–7/14/2020 –एच.आई (252539) दिनांक 17 अगस्त, 2022 के तहत श्री जयकुमार श्रीनिवासन को 17 अगस्त 2022 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
2. उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के अपने पत्र द्वारा श्री अनिल गर्ग को 26.04.2022 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
3. सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, श्री ए.के. गौतम दिनांक 31.05.2022 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक नहीं रहे।
4. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश संख्या 14–11/18/2021–H-I (265772) दिनांक 24 मार्च, 2023 के द्वारा श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त), टीएचडीसीआईएल को निदेशक (कार्मिक) टीएचडीसीआईएल के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। श्री जे. बेहेरा ने 24.03.2023 से टीएचडीसीआईएल के निदेशक (कार्मिक) पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।
5. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश संख्या 14–7/12/2022–H-I (265005) दिनांक 11 मई, 2023 के माध्यम से श्री राजीव कुमार विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल को सौंपे गए निदेशक (तकनीकी) पद के अतिरिक्त प्रभार को 06.02.2023 से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए या पद पर नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया।

बोर्ड का कोई भी निदेशक सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 26 के तहत निर्धारित सभी सार्वजनिक कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य या 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। कंपनी का कोई भी निदेशक, कंपनी के अन्य निदेशकों से परस्पर संबंधित है।

2.4 निदेशकों की आयु-सीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूरी करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

गैर–कार्यपालक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से कार्य कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से सेवा समाप्त हो जाने पर वे सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा टीएचडीसीआईएल में नियुक्त नामित निदेशकों का निदेशक पद एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक पद की सह–मीयादी (कोटर्मिनस) का होगा। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

2.5 निदेशकों की प्रोफाइल

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल, जिसमें उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुभव का क्षेत्र आदि शामिल हैं, कॉर्पोरेट सिंहावलोकन खंड–वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल के अंतर्गत दिया गया है।

2.6 निदेशकों की मुख्य दक्षताएँ

बोर्ड में योग्य सदस्य होते हैं जो बोर्ड और समिति की बैठकों में विचार–विमर्श में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता रखते हैं। निदेशकों द्वारा धारित कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताओं का सारांश अनुलग्नक–I में दिया गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

2.7 निदेशकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

नए निदेशक की भर्ती के समय उनके नाम एक अभिवादन पत्र दिया जाता है जिसके साथ निदेशक के रूप में निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों एवं दायित्वों का ब्यौरा होता है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कंपनी और अन्य एजेंसियों/संस्थानों द्वारा समय–समय पर निदेशकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि नेतृत्व गुणों, ज्ञान और कौशल का स्तरोन्नयन किया जा सके। यह प्रशिक्षण, उन्हें क्षेत्र के साथ–साथ कंपनी की बेहतर समझ प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। निदेशकों को समय–समय पर विधायी/विनियामक परिवर्तनों सहित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट और आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन/विकास के बारे में भी जानकारी दी जाती है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रवेश के समय एक परिचय कार्यक्रम दिया जाता हैं जिसमें संगठन की संरचना, सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों, कंपनी के व्यवसाय मॉडल, व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारियों आदि पर प्रकाश डाला जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रम का विवरण वेबलिंक https://www.thdc.co.in/en/content/familiarization-programme पर प्रदान किया गया है।

2.8 वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल समापन

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टीएचडीसीआईएल में निदेशक पद की नियुक्ति और कार्यकाल समापन का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	पदनाम में परिवर्तन	प्रभावी तिथि
श्री ए. के. गौतम	कार्यकाल समाप्त	01.06.2022
श्री अनिल गर्ग	नियुक्ति	26.04.2022
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	नियुक्ति	17.08.2022

3. बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

निदेशक मंडल की बैठकें उचित अग्रिम सूचना देकर आमंत्रित की जाती हैं। किसी भी तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कभी–कभी सांविधिक उपबंधों के अनुपालन के अधीन बोर्ड की बैठकें अल्पावधि नोटिस पर भी आमंत्रित की जाती हैं। अत्यावश्यकता के मामले में, यदि विधि के तहत अनुमेय हो, तो प्रस्तावों को परिचालन के माध्यम से भी पारित किया जाता है। विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण आम तौर पर बोर्ड की बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले बोर्ड के सदस्यों के बीच एक निर्धारित प्रारूप में परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक में सार्थक, सुविज्ञ और केंद्रित चर्चा को सुविधाजनक बनाया जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की नौ (9) बैठकें आयोजित की गईं और दो बैठकों के बीच का अंतराल एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं था। उक्त बैठकें 13 मई 2022, 30 मई 2022, 27 जुलाई 2022, 10 अगस्त 2022, 20 सितंबर 2022, 10 नवंबर 2022, 09 दिसंबर 2022, 25 दिसंबर 2022 और 11 फरवरी 2023 को आयोजित की गईं।

सभी बैठकों के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) मौजूद थी। नीचे दी गई तालिका में वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान हुई बैठक	बोर्ड बैठक		पिछली एजीएम (20 सितंबर 2022 को आयोजित) में उपस्थिति
		जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत	
कार्यात्मक निदेशक				
श्री आर. के. विश्नोई **(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)**	9	9	100%	भाग लिया
श्री जे. बेहेरा **निदेशक (वित्त)**	9	9	100%	भाग लिया
नामिती निदेशक				
श्री जितेश जॉन **भारत सरकार के नामिती निदेशक**	9	8	88.88%	भाग लिया
श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य **एनटीपीसी के नामित निदेशक**	9	9	100%	भाग लिया
श्री जयकुमार श्रीनिवासन **एनटीपीसी के नामिती निदेशक***	5	5	100%	भाग लिया
श्री अनिल गर्ग **उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक****	9	1	11.11%	भाग नहीं लिया
श्रीमती सजल झा **स्वतंत्र निदेशक**	9	9	100%	भाग लिया
डॉ जयप्रकाश नाईक बी. **स्वतंत्र निदेशक**	9	9	100%	भाग लिया
श्री केसरीदेवसिंह डी झाला **स्वतंत्र निदेशक**	9	9	100%	भाग लिया
श्री ए. के. गौतम **एनटीपीसी के नामित निदेशक*****	2	2	100%	भाग नहीं लिया

* 17.08.2022 से एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ** 26.04.2022 से उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। *** 01.06.2022 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

4. निदेशकों के पारिश्रमिक एवं प्रकटन :

हमारी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी कंपनी है, अतः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक के सबंध में निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार लिया जाता है और इसकी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है। कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है।

इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अनुसार बोर्ड तथा समिति (बैठक में भाग लेने के शुल्क का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाता है) की बैठकों मे भाग लेने के लिए 30,000 रूपये प्रति बैठक की दर से बैठक में भाग लेने के शुल्क का भुगतान किया जाता है। अंशकालिक निदेशकों को सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पदेन क्षमता में नामित किया जाता है और उन्हें कंपनी से किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भुगतान किए गए शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क			कुल
		बोर्ड बैठक	समिति की बैठकें	स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	
1.	श्रीमती सजल झा	270000	210000	30000	**510000**
2.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.	270000	330000	30000	**630000**
3.	श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला	270000	210000	30000	510000

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन और भत्ते #	बोनस / कमीशन*	कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)	कुल योग
1.	श्री आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5317333	लागू नहीं	1684987	**7002320**
2.	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)	5929412	लागू नहीं	1390108	**7319520**
3.	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	1995495	लागू नहीं	155971	**2151466**

वेतन और भत्तों में अवकाश नकदीकरण शामिल है।

5. बोर्ड की स्वतंत्रता:

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) के उपबंधों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने की घोषणा की प्रस्तुत की है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट https://www.thdc.co.in/sites/default/files/Appointment_Independent_Directors_0-pdf पर उपलब्ध हैं।

6. केएमपी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 अनुसार निर्धारित वर्ग या वर्गों की प्रत्येक कंपनी के पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) होने चाहिए। तदनुसार, टी.एच.डी.सी.आई.एल. निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामोनिर्दिष्ट किए हैं।

1. श्री आर. के. विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
3. सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव

7. बोर्ड के सदस्यों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को योग्यता, सकारात्मक गुण, निदेशकों की स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति तैयार करने से संबंधित आवश्यकताओं से छूट दी है। सरकारी कंपनियों को बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन से भी छूट दी गई है।

सेबी (एलओडीआर), 2015 के अनुसरण में कंपनी के बोर्ड ने व्यक्तिगत निदेशकों, अध्यक्ष के प्रदर्शन और समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा की है।

8. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकें:

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) और डीपीई द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए जारी कॉरपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन में 20 मार्च, 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

9. बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया-विधियां:

i) निर्णय लेने की प्रक्रिया:

कंपनी ने दिशा–निर्देशों का सेट निर्धारित किया है तथा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवालय मानकों का अनुसरण करती है ताकि सभी कॉर्पोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से किया जा सके। इन दिशा–निर्देशों में बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसूचित तथा कार्यकुशल तरीके से प्रणालीबद्ध बनाने की अपेक्षा की जाती है।

ii) बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण तथा चयन:

1. बैठक की तारीखों को आमतौर पर सभी निदेशकों के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, ताकि बोर्ड के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त रूप से नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। विस्तृत कार्यसूची टिप्पणी, प्रबंधन रिपोर्टें निदेशकों को पर्याप्त समय देते हुए अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित और केन्द्रित निर्णयों को लिया जा सकें।
2. विशिष्ट तत्काल व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, कभी–कभी लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में अल्पावधि नोटिस पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं और नोटिस एवं एजेंडा की न्यूनतम अवधि का पालन

करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। कुछ मामलों में, प्रस्तावों को परिचालन द्वारा पारित किया जाता है जिन्हें बोर्ड की अगली बैठक में टिप्पणी किया जाता है।

3. जब कार्यसूची के साथ अधिक मात्रा में दस्तावेजों का संलग्न करना व्यावहारिक न हो तो ऐसे कागजात बैठक के दौरान पटल पर रखे जाते है। संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्यसूची से संबंधित कागजात परिचालित किए जाते हैं।

4. कार्यसूची के कतिपय मामलों के संबंध में बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं ताकि सदस्यगण पर्याप्त जानकारी और सूचना सहित निर्णय ले सकें।

5. बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारियां होती हैं। बोर्ड कार्यसूची में ऐसा कोई भी मुद्दा शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है। बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है वरिष्ठ प्रबंधन से जुडे कार्मिकों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बुलाया जाता है।

iii) बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना:

प्रत्येक बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के मसौदे को बैठक के बाद पन्द्रह दिन के भीतर सभी सदस्यों को उनकी अभ्युक्तियों हेतु परिचालित किया जाता है। निदेशक कार्यवृत्त के मसौदे पर इसके परिचालन की तारीख से सात दिन के भीतर अपनी अभ्युक्तियां देते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी अभ्युक्तियों की तुलनात्मक शीट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक बोर्ड/समिति की कार्यवाही का अनुमोदित कार्यवृत्त, कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत अभिलिखित किया जाता है।

iv) अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र:

बोर्ड द्वारा जारी निदेशों को नियमित रूप से संबंधित विभागों को संप्रेषित किया जाता है एवं बोर्ड के निर्णयों पर की गई कार्रवाई बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है जिससे अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा करने में सहायता में मिलती है।

v) अनुपालन:

हमारा प्रयास है कि विधि, नियम एवं दिशा–निर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी अधिनियम, 2013 (जिस सीमा तक ये लागू हैं), सेबी विनियमन एवं दिशा–निर्देश, विभिन्न कानूनों के तहत सूचीबद्ध करार एवं सांविधिक अपेक्षाओं के सभी लागू प्रावधानों का कंपनी अनुपालन सुनिश्चित करती है। कंपनी बोर्ड और शेयरधारकों की बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का भी अनुपालन कर रही है। निदेशक मंडल समय–समय पर उसके समक्ष रखी गई कानूनी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

vi) निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचनाएं:

- अनुमोदन और सूचना हेतु, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सभी परियोजनाओं से संबंधित सभी तकनीकी मामले।
- वार्षिक परिचालन योजना, बजट और संगत अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट तथा संगत अद्यतन जानकारी।
- निधियां जुटाने संबंधी प्रस्ताव।
- वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए प्रस्ताव।
- कंपनी के तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- पिछली बोर्ड बैठकों, कंपनी की समिति की बैठकों और सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त।
- निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति या कार्यकाल समापन की जानकारी।
- लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- बोर्ड की शक्तियों के अनुसार सामान्य व्यवसाय मामले।
- बड़े निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उपक्रम और रणनीतिक गठजोड़।
- खरीदारी/कार्य/नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए ठेकों से संबंध में तिमाही सूचना।
- परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की स्थिति।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट।
- निदेशकों की उनके निदेशक पद के बारे में रूचि का प्रकटीकरण।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के प्रस्ताव या बड़े ठेके अवार्ड करना।
- मध्यस्थता मामलों की स्थिति।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस, यदि कोई हो, जो महत्वपूर्ण हैं,।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी सामग्री बहिःस्राव या प्रदूषण की समस्या, यदि कोई हो।
- कोई भी मुद्दा, जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं, जिसमें कोई भी निर्णय या आदेश शामिल है, जो कंपनी के आचरण पर सख्ती से पारित हो सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण ले सकता है जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन एवं उसके कारणों सहित पद्धतियां।
- सूचीबद्ध इकाई और उसके प्रचालनात्मक संभागों या व्यावसायिक खंडों के लिए तिमाही परिणाम।
- सूचीबद्ध इकाई में और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी महत्वपूर्ण चूक, या सूचीबद्ध इकाई द्वारा विक्रय किए गए माल के लिए महत्वपूर्ण गैर–भुगतान।
- ऐसे लेन–देन जिनमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए भारी भुगतान शामिल है।
- निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों, जो भौतिक प्रकृति के हैं और व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं, की बिक्री।
- लागू कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार बोर्ड की सूचना या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

10. निदेशक मंडल की समितियां:

प्रभावी निर्णय लेने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न सांविधिक और गैर–सांविधिक समितियों का गठन किया है। बोर्ड की प्रत्येक समिति इसके विचारार्थ विषयों द्वारा निर्देशित होती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर), 2015 में यथाविनिर्दिष्ट समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियां नियमित अंतराल पर बैठक करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के भीतर सुविज्ञ निर्णय लेती हैं। ऐसी समितियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

11 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र इत्यादि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर), 2015 और कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

11.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी, स्वतंत्र निदशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, एनटीपीसी नामिती निदेशक	सदस्य
4.	श्री केसरीदेवसिंह डी झाला, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त), सदैव विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लेते हैं। कार्यकारी निदेशकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और संबंधित विभागाध्यक्षों को विशेष रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ने पर विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है, जैसा कि लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा तय किया जा सकता है। कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

11.2 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

1. सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

2. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और निष्कासन पर ध्यान देना। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा शुल्क की सिफारिश करना और किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी भी देना।

3. लेखांकन नीतियों और परिपाटियों में परिवर्तन, यदि कोई हो और इसके कारणय

4. विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना,

   (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले।

   (ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो और उनके कारण।

   (ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां।

   (घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

   (ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता एवं कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।

   (च) किसी भी संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकटीकरण।

   (छ) यथालागू लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन।

   (ज) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय।

5. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही/छमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।

6. प्रबंधन के साथ, किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/प्रयोग के विवरण की समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नोटिस और रिपोर्ट, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

7. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।

8. संबंधित पक्षों के साथ सूचीबद्ध इकाई के लेनदेन की मंजूरी या बाद में कोई संशोधन।

9. अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच।

10. सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या संपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो।

11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

12. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

13. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति की समीक्षा करना।

14. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को सूचित करना।

15. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ–साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा।

16. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना।

17. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना।

18. इस प्रावधान के लागू होने की तारीख की स्थिति के अनुसार मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपये या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक के ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना।

19. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, डीमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत–लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी करना।

20. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

    (i) वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली लेखापरीक्षा अनुशंसाओं की स्थिति भी शामिल है

    (ii) लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई, जिसमें गतिविधियों के दायरे पर कोई प्रतिबंध या आवश्यक जानकारी तक पहुंच शामिल है

21. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

    i. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और

    ii. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें, प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ

22. सीएजीएंडजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

23. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

24. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना।

25. कंपनी में सभी संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन। इस प्रयोजन के लिए, लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

26. कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ समीक्षा करना।

27. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के प्रभावी निश्पादन के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने का दायरा/कार्यप्रणाली/आवधिकता और कार्यप्रणाली तैयार करना।

28. लेखापरीक्षा और अन्य सेवाओं के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और शुल्क, यदि कोई हो, के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

29. बोर्ड को कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, लागत लेखा परीक्षकों को बदलने या हटाने और उनके पारिश्रमिक और नियुक्ति की अन्य शर्तों की सिफारिश करना।

30. उसमें शामिल प्रत्येक आरक्षण या योग्यता पर पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण के साथ लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करना और विचारार्थ बोर्ड को रिपोर्ट की सिफारिश करना।

31. कंपनी की वित्तीय नीतियों, वाणिज्यिक नीतियों और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

32. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के दायरे, जिसमें लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा शामिल है, के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ माँगना और आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर चर्चा करना।

33. स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाने वाली निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन के लिए तिमाही विवरण की समीक्षा।

34. जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या संपत्तियों के मूल्यांकन की समीक्षा करना।

35. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के भंडारण, पुनर्प्राप्ति, प्रदर्शन या प्रिंटआउट के लिए उचित प्रणाली बनाए रखने पर सलाह और मूल्यांकन करना।

36. लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करते समय कंपनी के लेखापरीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सुनवाई का अधिकार देगी।

37. लेखापरीक्षा समिति वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए स्थापित सतर्कता तंत्र की निगरानी करेगी और ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करेगी। लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष उचित और असाधारण मामलों में सीधे पहुंच योग्य होगा।

38. ऐसे अन्य कार्य करना जो कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा विशेष रूप से समिति को निर्दिष्ट किए जाएं।

39. निम्नलिखित से संबंधित निरीक्षण कार्यों में बोर्ड की सहायता करना:

क. लेखापरीक्षित और गैरलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में निहित प्रकटीकरण की गुणवत्ता और अखंडता

ख. कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन

ग. बाहरी लेखा परीक्षकों की योग्यता, अनुभव, प्रदर्शन और स्वतंत्रता

घ. समय–समय पर स्थापित आंतरिक नियंत्रणों की अखंडता, और

ङ. कंपनी का निवेश

11.3 लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

अपनी भूमिका के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल की लेखा परीक्षा समिति को निदेशक मंडल द्वारा पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) अपने विचारार्थ विषयों के भीतर किसी भी गतिविधि की जांच करना।

(ii) किसी भी कर्मचारी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना।

(iii) निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।

(iv) यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

(v) व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा करना।

11.4 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखा परीक्षा समिति नियमित आधार पर निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:

(i) वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण,

(ii) प्रबंधन द्वारा संबंधित पक्षकार लेनदेन का विवरण,

(iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र,

(iv) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और

(v) आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और निष्कासन लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा, और

(vi) मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण/घोषणा।

11.5 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2022–23 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गई और समिति के सदस्यों की उपस्थिति सहित विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख					कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
	13.05.2022	10.08.2022	20.09.2022	10.11.2022	11.02.2023			
डॉ. जयप्रकाश नाईक बी, स्वतंत्र निदेशक	√	√	√	√	√	5	5	100%
श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	√	√	√	√	√	5	5	100%
श्री जयकुमार श्रीनिवासन, एनटीपीसी नामित निदेशक*	-	-	√	√	√	3	3	100%
श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला, स्वतंत्र निदेशक*	-	-	√	√	√	3	3	100%
श्री ए. के. गौतम***	√	-	-	-	-	1	1	100%
श्री यू.के. भट्टाचार्य***	-	√	-	-	-	1	1	100%

* लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया, श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला और श्री जयकुमार श्रीनिवासन को 11.09.2022 से लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

** सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री ए.के. गौतम 01.06.2022 से लेखापरीक्षा समिति में सदस्य नहीं रहे।

*** श्री यू.के. भट्टाचार्य को 27.07.2022 से 10.09.2022 तक लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

12 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 19 और डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया गया है।

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक को छोड़कर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल और पारिश्रमिक भी भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।

चूंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, तदनुसार, निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी ध्यातव्य है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, निदेशकों की स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति तैयार करने से संबंधित आवश्यकताओं से छूट दी है। सरकारी कंपनियों को बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन से भी छूट दी गई है।

12.1 नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री जितेश जॉन, नामिती निदेशक, भारत सरकार	सदस्य
4.	श्री यू. के. भट्टाचार्य, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य
5.	श्री केसरीदेवसिंह डी झाला, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

कंपनी सचिव नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

12.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल/प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) और निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति तय करना।

2. किसी निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को वेतन, भत्ते, भत्ते और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति से संबंधित सभी मामलों की सिफारिश करना। .

3. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना।

4. एक स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास ऐसे विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति यह कर सकती है:

   क. यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करना,

   ख. विविधता का उचित सम्मान करते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों पर विचार करना, और

   ग. उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धता पर विचार करना।

5. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।

6. स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि बढ़ाई जाए या जारी रखी जाए।

7. निदेशक मंडल की विविधता पर एक नीति तैयार करना।

8. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट सुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत आवश्यक कोई अन्य कार्य करना।

12.3 बैठक और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दो (2) बैठक हुई। समिति की बैठक में उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख		कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
	27.07.2022	11.02.2023			
श्रीमती सजल झा	√	√	2	2	100%
डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	√	√	2	2	100%
श्री जितेश जॉन	√	√	2	2	100%
श्री यू. के. भट्टाचार्य	√	√	2	2	100%
श्री केसरीदेवसिंह डी झाला	-	√	1	1	100%

**श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला को 11.09.2022 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

13 हितधारक संबंध समिति

इस समिति का गठन सेबी (एलओडीआर) और कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप किया गया है। यह कंपनी के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों पर विचार करती है और उनका समाधान करती है, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होना आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। समिति शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन और सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए उपायों और पहलों की भी समीक्षा करती है।

13.1 हितधारक संबंध समिति की संरचना

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री केसरीदेवसिंह डी झाला, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य
3.	श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त)	सदस्य

कंपनी सचिव हितधारक संबंध समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

13.2 हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय

हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों/डिबेंचर के हस्तांतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट की गैर–प्राप्ति, घोषित लाभांश/ब्याज की गैर–प्राप्ति, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना, सामान्य बैठकें से संबंधित शिकायतें आदि शामिल हैं।
2. शेयरधारकों/डिबेंचर धारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
3. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
4. कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश/वार्षिक रिपोर्ट/वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।
5. कंपनी के डिबेंचर धारकों को ब्याज का समय पर भुगतान/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।
6. कंपनी के बांड/डिबेंचर का समय पर मोचन सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की समीक्षा।
7. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कोई अन्य कार्य करना

13.3 बैठक और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, हितधारक संबंधि समिति की एक (1) बैठक हुई। समिति की बैठक में उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख 31.03.2023	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला, स्वतंत्र निदेशक	√	1	1	100%
श्री जयकुमार श्रीनिवासन, नामित निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	√	1	1	100%
श्री जे. बेहरा, निदेशक (वित्त)	√	1	1	100%

13.4 अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

निदेशक मंडल ने सेबी (एलओडीआर) के विनियम 6 के संदर्भ में सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

13.5 केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली-स्कोर्स

कंपनी में सेबी की केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् स्कोर्स का उपयोग किया जाता है। स्कोर्स के माध्यम से, बॉन्डधारक कंपनी के विरुद्ध अपनी शिकायत, समाधान हेतु दर्ज कर सकते हैं। दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। सेबी शिकायतों के पर्याप्त रूप से निवारण पर संतुष्ट होने पर शिकायतों का निपटान करता है।

13.6 निवेशक शिकायतें

निवेशक की शिकायतों के समाधान के लिए, हमारी कंपनी ने सेबी की वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) में स्वयं को पंजीकृत किया है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को निवेशकों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

14. जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी (एलओडीआर) के नियम 21 के अनुसार, निम्नलिखित के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है:

जोखिम प्रबंधन के तहत साइबर सुरक्षा सहित जोखिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना, फ्रेमवर्क; बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा, बोर्ड को मूल्यांकित जोखिम और जोखिम शमन हेतु आवश्यक कार्रवाई के बारे में सूचित करना

14.1 जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्यों का नाम	पद
1.	श्री यू. के. भट्टाचार्य, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	अध्यक्ष
2.	श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

कंपनी सचिव जोखिम प्रबंधन समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2022–23 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

ऋण–सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुसार बैठक आयोजित करने की आवश्यकता कंपनी पर 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' के आधार पर लागू थी।

14.2 जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय

जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

   (क) विशेष रूप से सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक रूपरेखा, जिसमें विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या कोई अन्य जोखिम शामिल है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। समिति द्वारा.

   (ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय।

(ग) व्यवसाय निरंतरता योजना।

2. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उचित कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं।

3. जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना।

4. जोखिम प्रबंधन नीति की समय–समय पर कम से कम दो वर्ष में एक बार, समीक्षा करना, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है।

5. निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित रखना।

6. मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें (यदि कोई हो) जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

7. किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज या प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरण की समीक्षा करना।

8. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कोई अन्य कार्य करना।

15. सीएसआर समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अपेक्षाओं डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर समिति बोर्ड द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों पर कार्रवाई करने के अलावा, सीएसआर नीति में निदिष्ट गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि के साथ बोर्ड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करती है और सिफारिश करती है। सीएसआर और सततता पर टीएचडीसीआईएल की नीति वेब लिंक **https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_policy2021.pdf** पर देखी जा सकती है।

15.1 सीएसआर समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। 31 मार्च, 2022 तक, सीएसआर और सततता समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पद
1.	श्री आर. के. विश्नोई, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री यू. के. भट्टाचार्य, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य
4.	श्री जितेश जॉन, नामिती निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
5.	श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

1.5.2 बैठक और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर समिति की चार (4) बैठक आयोजित की गई। समिति की बैठक में उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख				कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
	06.05.2022	27.07.2022	16.09.2022	30.03.2023			
श्री आर. के. विश्नोई*	-	-	√	√	2	2	100%
डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	√	√	√	√	4	4	100%
श्री यू. के. भट्टाचार्य	√	√	√	√	4	4	100%
श्री जितेश जॉन	√	√	√	√	4	4	100%
श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला**	-	-	√	√	2	2	100%

*श्री आर. के. विश्नोई को 11.09.2022 से सीएसआर समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

**श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला को 11.09.2022 से सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

15.3 सीएसआर समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति कंपनी के सीएसआर और सततता कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा निगरानी पर नजर रखती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों तथा वार्षिक योजना/बजट पर विचार करना।
- आवधिक सीएसआर प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।
- सीएसआर गतिविधियों की मानीटरिंग करना।
- सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।
- अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए।

16. स्थायी समिति

सरकार की प्राथमिकताओं को व्यक्त करते हुए जारी दिशा–निर्देशों और दिशानिर्देशों के साथ भारत सरकार के नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया था। बोर्ड स्तर की स्थायी समिति का गठन और भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं:

16.1 स्थायी समिति की संरचना

31 मार्च, 2023 को स्थायी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम
1.	श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त)
2.	श्री यू. के. भट्टाचार्य, एनटीपीसी के नामिती निदेशक
3.	श्री जितेश जॉन, भारत सरकार के नामिती निदेशक

कंपनी सचिव बोर्ड स्तर की स्थायी समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

16.2 समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

स्थायी समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

(क) राष्ट्रीय स्तर के मिशनों की समय–समय पर समीक्षा करना और इसके संबंध में सरकार के निर्देशों की समीक्षा करना और पीएसयू के रूप में उनके प्रति क्या योगदान किया जा सकता है।

(ख) भारत सरकार के निर्देशों और दिशानिर्देशों के साथ सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना

(ग) अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करना और राष्ट्रीय मिशनों के कार्यान्वयन के लिए सुझाव/दिशा–निर्देश देना

(घ) मेक इन इंडिया मानदंडों, जीईएम से संबंधित निर्देश और विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों से संबंधित निर्देश जैसे स्वच्छ भारत मिशन आदि के अनुपालन मुद्दों को संभालना।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, स्थायी समिति की एक बैठक 16.12.2022 को आयोजित की गई थी।

17. आम निकाय की बैठकें

17.1 आम सभा की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों की तारीख, समय और स्थान के साथ–साथ इनमें पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वार्षिक आम बैठक	20 सितंबर, 2022 को आयोजित 34 वीं वार्षिक आम बैठक	15 सितंबर, 2021 को आयोजित 33वीं वार्षिक आम बैठक	22 सितंबर, 2020 को आयोजित 32वीं वार्षिक आम सभा की बैठक
समय	अपराह्न 03:50 बजे	अपराह्न 03:00 बजे	मध्याह्न 12:00 बजे
स्थान	टीएचडीसीआईएल कार्यालय, नई दिल्ली– 110001	टीएचडीसीआईएल, एनसीआर कार्यालय, प्लॉट संख्या 20, सेक्टर–14, कौशाम्बी, गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश)	वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से
विशेष कार्य	• डॉ. जयप्रकाश नाइक बी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • श्रीमती सजल झा को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के लिए। • श्री अनिल गर्ग को कंपनी के अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • कंपनी में श्री जयकुमार श्रीनिवासन को एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने के लिए। • उपयुक्त किश्तों में निजी प्लेसमेंट के आधार पर 3000 करोड़ रूपये तक के कॉर्पोरेट बॉण्ड्स निर्गम को अनुमोदित करने के लिए।	• वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने के लिए • निजी प्लेसमेंट के आधार पर 3000 करोड़ रूपये तक के कॉर्पोरेट बॉण्ड्स निर्गम को अनुमोदित करने के लिए।	• वित्त वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना। • सुरक्षित परिवर्तनीय–गैर संचयी बांड प्राइवेट–गैर प्लेसमेंट आधार पर जारी करना।

17.2 पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

विगत वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था। पोस्टल बैलेट के माध्यम से किसी विशेष संकल्प को पारित करने के लिए कोई तत्काल प्रस्ताव नहीं है।

18. प्रकटीकरण

क) सहायक कंपनियां

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड, टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे राजस्थान राज्य में विभिन्न चरणों में विभिन्न स्थानों पर 10,000 मेगावाट क्षमता बनाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना सहित अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्कों के विकास, संचालन, रखरखाव के लिए 25.03.2023 को निगमिति किया गया था। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और आरआरईसीएल ने क्रमशः 74:26 शेयरधारिता के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 50 (पचास) करोड़ रुपये है और जेवीसी की संदत्त पूंजी 5 (पांच) करोड़ रुपये होगी।

टुस्को लिमिटेड, टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए की एक संयुक्त उद्यम कंपनी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क (ओं) / परियोजनाओं के विकास, प्रचालन और रखरखाव के लिए 12.09.2020 को निगमित किया गया है। संयुक्त उद्यम कंपनी में टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा के बीच क्रमशः 74:26 के अनुपात में इक्विटी शेयरधारिता साझा की जाती है। 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी की संदत्त शेयर पूंजी 35 करोड़ रुपए हैं। सहायक कंपनी की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त सूचना के लिए कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

ख) सचिवीय लेखापरीक्षा

मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव, नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है और कंपनी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। शेयरधारकों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

ग) महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

वर्ष 2021-22 के अंत तक प्रक्रियाधीन/जांचाधीन मामलों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2022-23 के अंत तक प्रक्रियाधीन / जांचाधीन मामलों की संख्या
0	0	0	0

घ) सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति

कंपनी में निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद जालसाजी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक मूल्यों के उल्लंघन, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं, की जानकारी देने में सक्षम बनाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सचेतक नीति है। नीति में निर्दिष्ट रीति में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की जा सकती है। यह कर्मचारियों को उत्पीड़न से सुरक्षोपाय देता है जो इस तंत्र का लाभ उठाकर अध्यक्ष या लेखा परीक्षा समिति तक भी सीधे शिकायत कर सकते हैं। नीति में धोखाधड़ी को रोकने के लिए तंत्र भी शामिल है।

- इसमें सद्भावपूर्वक सचेत करने वाले कर्मचारियों की उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।
- जानबूझ कर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- कंपनी में नैतिक, सदाचार और कानूनी व्यावसायिक आचरण के उच्चतम संभव मानकों की सुविधा है।

कंपनी में अनैतिक/अनुचित आचरण के मामलों की रिपोर्ट करने और उसकी जांच करने और उसे ठीक करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए एक परिभाषित और स्थापित व्हिसल ब्लोअर नीति (सतर्क तंत्र) है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट **https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicyNew.pdf** पर उपलब्ध है। इस नीति के उपबंध, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 22 के उपबंधों के अनुरूप हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

ङ) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 एवं कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश:

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर जारी सेबी (दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाओं की लिस्टिंग) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का व्यापक अनुपालन किया है। विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या बोर्ड या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया या निंदा नहीं की गई।

च) लेखांकन व्यवहार

प्रबंधन के दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया जा रहा है।

छ) संबंधित पक्षकार के साथ लेन-देन:

कंपनी ने संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन (आरपीटी) नीति तैयार की है जिसमें संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन के महत्व निर्धारित करने और संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन करने के मानदंड शामिल हैं। आरपीटी नीति वेब लिंकः **https://thdc.co.in/sites/default/files/Policy_10Jun22.pdf** पर उपलब्ध है। संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में एओसी–2 के रूप में दिया गया है।

ज) मूर्त अनुषंगी

कंपनी की सेबी (एलओडीआर) के विनियम 16(1)(ग) के तहत यथापरिभाषित कोई 'मूर्त अनुषंगी' नहीं थी।

19. जोखिम प्रबंधन

भारत में सुशासन के अंतर्गत कंपनी ने जून, 2012 में "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" अपनाया। यह मैनुअल, कंपनी में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में एकरूप और स्रोत जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखता है। 'जोखिम प्रबंधन योजना' के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए मैनुअल के अनुसार वित्त, नियोजन और डिजाइन इत्यादि से सदस्यों को लेकर जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई थी। जोखिम प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

नियमों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक परियोजना ने जोखिम रजिस्टर खोला है और "जोखिम प्रबंधन योजना" एवं "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" में उल्लेख किए गए अनुसार कार्यकलापों के समन्वय के लिए नोडल जोखिम अधिकारी नामित किया है। जोखिम की किसी घटना के होने पर उसका रिकार्ड 'जोखिम अनुभव रजिस्टर में रखा जा रहा है, जिसमें भविष्य में जोखिम की घटना में कमी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कंपनी द्वारा समय–समय पर कंपनी के जोखिम प्रबंधन की समीक्षा की जाती है। बोर्ड भी नियमित आधार पर जोखिम प्रबंधन की समीक्षा भी करता है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुपालन में, टीएचडीसीआईएल में कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

20. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसीआईएल ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है। कंपनी के अभिलेख प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ऋषिकेश में एक अलग अभिलेख कार्यालय बनाया गया है।

21. संचार के माध्यम

कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों और संचार के अधिकारों को समग्र कॉर्पोरेट सुशासन ढांचे के प्रमुख तत्वों के रूप में स्वीकार करती है और इसलिए शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर, कुशल और प्रासंगिक संचार पर जोर देती है। कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठक और अपनी वेबसाइट पर और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रकटीकरण के जरिए संवाद करती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है, जिसे सदस्यों और अन्य लोगों को परिचालित किया जाता है। कंपनी के संबंध में निवेशक से संबंधित जानकारी, घोषणाएं और नवीनतम अपडेट कंपनी की वेबसाइट **www.thdc.co.in** पर देखे जा सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टॉक एक्सचेंजों में समय–समय पर किए गए कॉर्पोरेट प्रकटीकरण
- वित्तीय परिणाम
- बांडधारक जानकारी
- तिमाही कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट

कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणामों के सार स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाते हैं और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी समय–समय पर महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट विकास पर प्रेस विज्ञप्तियां और कॉर्पोरेट प्रस्तुतियां भी देती है और इसे इसकी वेबसाइट **www.thdc.co.in** पर भी प्रदर्शित किया जाता है। वर्ष 2022–23 के दौरान, तिमाही परिणामों को निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है:

तिमाही	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र
I	12 अगस्त, 2022	दि इंडियन एक्सप्रेस
II	12 नवंबर, 2022	दि इंडियन एक्सप्रेस
III	13 फरवरी, 2023	दि इंडियन एक्सप्रेस
IV	17 मई, 2023	दि इंडियन एक्सप्रेस

22. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

हमारी कंपनी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति–नीति के बारे में उन्हें निदेश देते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। कंपनी की लेखा परीक्षित रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

23. कॉर्पोरेट आचार नीति

हमारी कंपनी के निदेशक मण्डल ने कॉर्पोरेट अच्छे सुशासन पहल के भाग के रूप में कॉर्पोरेट आचार नीति को अंगीकृत किया है। आचार नीति का प्रयोजन कंपनी के कर्मचारियों को अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चतम व्यावसायिक नैतिकता, अच्छे सुशासन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के मानकों का पालन करने के लिए मार्गनिर्देश प्रदान करना है।

24. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

कंपनी कार्य व्यवहार के उच्चतम नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है और लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है। कंपनी में बोर्ड सदस्यों जिसमें सरकार द्वारा नामित सदस्य सहित स्वतंत्र निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिक शामिल हैं, के मामलों के प्रबंधन की प्रक्रिया में नैतिकता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के मद्देनजर निदेशकों एवं इसके वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (संहिता) के लिए आचार संहिता लागू है। निदेशक मंडल ने कंपनी के मामलों को संचालित करने में पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट **https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf** पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के वरिष्ठ प्रबंधन से व्यापारिक आचार संहिता और नैतिकता वार्षिक पुष्टि मांगी जाती है। बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिश्ठ प्रबंधन अर्थात प्रमुख कार्यपालकों ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है।

डीपीई के दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत यथापेक्षित घोषणा

'बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है'।

(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

25. कॉर्पोरेट सुशासन प्रमाण पत्र

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी कॉर्पोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

26. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

जैसा कि सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के तहत अपेक्षित है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

27. निवेशकों के लिए सूचना

1. **स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता**

   टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट बांड निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

बीएसई लिमिटेड	**एनएसई लिमिटेड**	
पताः फिरोज जीजीभाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001	**पताः** एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा (पूर्व), मुंबई– 400051	
क्रेडिट रेटिंग		
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला-I	INE812V07013	**इंडिया रेटिंगः** एए (स्टेबल) **केयर रेटिंग्स लिमिटेडः** एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला-II	INE812V07021	**इंडिया रेटिंगः** एए (स्टेबल) **आईसीआरएः** एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला-III	INE812V07039	**केयर रेटिंगः** एए (स्टेबल) **आईसीआरएः** एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला-IV	NE812V07047	**आईसीआरएः** एए (स्टेबल) **केयर रेटिंग लिमिटेडः** एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला-V	INE812V07054	**इंडिया रेटिंगः** एए (स्टेबल) **केयर रेटिंग्स लिमिटेडः** एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला-VI	INE812V07062	**इंडिया रेटिंगः** एए (स्टेबल) **केयर रेटिंग्स लिमिटेडः** एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला-VII	INE812V08011	**इंडिया रेटिंगः** एए (स्टेबल) **केयर रेटिंग्स लिमिटेडः** एए (स्टेबल)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान दोनों स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई लिमिटेड को नियत तारीख से पहले कर दिया गया है।

2. रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर ऐजेंट्स

केफिन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्ववर्ती केफिन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड)
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32
फाइनेंनसियल डिस्ट्रिक्ट जिला, नानकरामगुडा, सेरलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत–500 032
ई-मेलः gopalkrishna.kvs@karvy.com

3. डिबेंचर ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
छठा तल, दि आईएल एंड एफएस फाइनेंसियल सेंटर,
प्लॉट सी–22, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट मुम्बई
ई-मेलः Sanjay.dodti@vistra.com

28. लाभांश का भुगतान

वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ में)	वार्षिक आम बैठक की तारीख, जिसमें लाभांश घोषित किया गया
2020–21	305.04	अंतरिम लाभांश 20 फरवरी, 2021
2020–21	190.84	अंतरिम लाभांश 15 सितम्बर, 2021
2021–22	317.36	अंतरिम लाभांश 14 फरवरी, 2022
2021–22	197.94	अंतरिम लाभांश 20 सितम्बर, 2022
2022–23	350.00	अतंरिम लाभांश 11 फरवरी, 2023
2022–23	171.44	अंतिम लाभांश 25 सितंबर, 2023

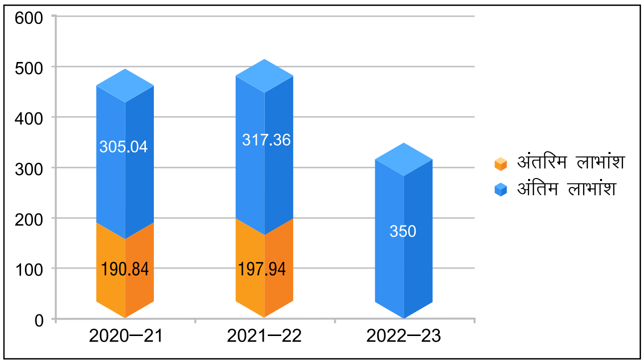

29. शेयरधारिता पैटर्न

क्र. सं.	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का %
1	एनटीपीसी लिमिटेड	27309406	74.496
2	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349401	25.504
3	अन्य नामिती शेयरधारक	10	–
कुल		**36658817**	**100**

शेयरधारिता

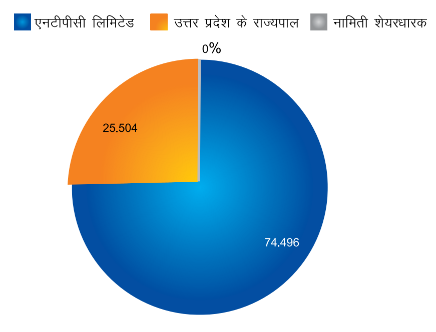

30. निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या

निदेशक (31.03.2023 तक)	शेयरों की संख्या
श्री राजीव कुमार विश्नोई	शून्य
श्री जे. बेहेरा	शून्य
श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य	शून्य
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	शून्य
श्री जितेश जॉन	शून्य
श्री अनिल गर्ग	02
श्रीमती सजल झा	शून्य
डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.	शून्य
श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला	शून्य

31. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संयंत्रों की अवस्थिति

प्रचालन परियोजनाएं:

i. टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट): जिलाः टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

ii. कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट): जिलाः टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

iii. ढुकवां एसएचपी (24 मेगावाट) जिलाः झांसी, उत्तर प्रदेश

iv. पाटन पवन ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट) जिलाः पाटन, गुजरात

v. द्वारका पवन ऊर्जा संयंत्र (63 मेगावाट) जिलाः देवभूमि द्वारका, गुजरात

vi. कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट) जिलाः कासरगोड, केरल

निर्माणाधीन परियोजनाएँ

i. खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1320 मेगावाट), जिलाः बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश

ii. टिहरी पीएसपी (4x250 मेगावाट), जिलाः टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

iii. विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4x111 मेगावाट), जिलाः चमोली, उत्तराखंड

iv. अमेलिया कोयला खदान, जिलाः सिंगरौली, मध्य प्रदेश

32. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड,
ऋषिकेश–249201
उत्तराखंड

पत्राचार के लिए फोन नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए हैं :

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	
नाम	सुश्री रश्मि शर्मा
कार्यालय से संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं.	0135–2479309 / 2433403
ई–मेल	**rashmi@thdc.co.in**
सचिव	
लोक शिकायतों के लिए	श्री संदीप सिंघल, मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी, एनसीआर) / निदेशक, लोक शिकायत, टीएचडीसीआईएल
संपर्क	0120–2816800–6900
ई–मेल	**ssinghal@thdc.co.in**

11 जुलाई, 2023 को 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) की तीसरी यूनिट- यू # 7 (250 मे.वा. की वैरिएबल स्पीड पंप टर्बाइन) के रनर की लोवरिंग का कार्यक्रम

अनुलग्नक-I

निदेशकों का कौशल/क्षमता मैट्रिक्स:

क्रमांक	निदेशक के नाम	पद	तकनीकी	ऊर्जा विद्युत क्षेत्र	वित्तीय लेखांकन	अर्थशास्त्र	मानव संसाधन प्रबंधन	विनियामक ढांचा और विधि	प्रबंधन	पर्यावरण	शैक्षणिक	अनुसंधान और विकास
1.	श्री आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	✓	✓					✓			
2.	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)		✓	✓			✓	✓			
3.	श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य	एनटीपीसी नामिती निदेशक	✓	✓					✓			
4.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	एनटीपीसी नामिती निदेशक		✓	✓			✓	✓			
5.	श्री जितेश जॉन	नामिति निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार		✓		✓			✓			
6.	श्री अनिल गर्ग	नामिति निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार	✓	✓								
7.	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक						✓				
8.	डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	स्वतंत्र निदेशक								✓	✓	✓
9.	श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला	स्वतंत्र निदेशक							✓	✓		

अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान और वित्तीय वर्ष 2022–23 से पहले पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी माननीय राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुपालन की अनुसूची:

वर्ष	माननीय राष्ट्रपति के निर्देशों की विषय-वस्तु	अनुपालन
2019-20	**शून्य**	**शून्य**
2020-21	**शून्य**	**शून्य**
2021-22	**शून्य**	**शून्य**
2022-23	**शून्य**	**शून्य**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणपत्र

सेवा,
निदेशक मंडल
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

क) हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा के आधार पर और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर:

1. इन कथनों में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं किया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं, तथा

2. ये विवरण एक साथ कंपनी के व्यवसाय का एक सत्य और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख) हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं हुआ है, जो कंपनी आचार संहिता के संदर्भ में धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या उल्लंघनात्मक हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में हमारे संज्ञान में आई कमियों, यदि कोई हो, और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का प्रकटन किया है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में सूचित किया हैः

I. 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष पर आंतरिक नियंत्रण में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन,

II. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इसका प्रकटन किया गया है, तथा

III. हमारे संज्ञान में आई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की उसमें संलग्नता, यदि कोई हो।

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 19.09.2023
स्थान: ऋषिकेश

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट सुशासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी-249001

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') सीआईएन–U45203UR1988GOI009822 एक सरकारी कंपनी है। कंपनी की इक्विटी 74.496% की सीमा तक एनटीपीसी लिमिटेड के पास और 25.504% की सीमा तक उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। इसलिए, कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। कंपनी एक ऋण–सूचीबद्ध कंपनी है।

मैंने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मई, 2010 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

1. कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकार की गई प्रक्रिया विधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।

2. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने, निम्नलिखित को छोड़कर सामान्यतः कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का पालन किया:

   कंपनी के बोर्ड में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यात्मक, नामिती और स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 3 नामांकित निदेशक थे और बाद में शेष अवधि के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 नामित निदेशक हो गए।

3. मेरा आगे यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में और न ही वह कार्यकुशलता या कारगरता के बारे में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

ह0/–
(पी.एस.आर. मूर्ति)
पीआर संख्या. 1134/2021
यूडीआईएन A005880E000483434

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 13 जून, 2023

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट

सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में, टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2008 में डीपीई दिशानिर्देशों से पहले अपनी सीएसआर यात्रा टिहरी के परियोजना प्रभावित गांवों में स्वेटर, सामुदायिक उपयोगिता की वस्तुओं जैसे बर्तन, कुर्सियों और टेंट आदि के वितरण जैसी परोपकारी गतिविधियों के साथ शुरू की थी। धीरे–धीरे, इसने अनुभव से सीखने के साथ संरचित आकार ले लिया और तदोपरांत, सीएसआर से संबंधित दिशानिर्देश और धर्मार्थ गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों को लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थायी आजीविका गतिविधियां की जाने लगी। अपने सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए टीएचडीसीआईएल में अब भली–भांति संरचित प्रणाली है। टीएचडीसीआईएल ने सतत आजीविका के लिए पारिस्थितिकीय बहाली और ग्रामीण समुदायों की सामाजिक आर्थिक सशक्तता के लिए गतिविधियों को शामिल कर दीर्घकालिक समग्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर टुकड़ों में हितधारकों की जरूरतों को सम्बोधित करने के बजाय समग्र विकास दृष्टिकोण पर हमेशा सीएसआर कार्यक्रमों को अपनाया है। तीनों क्षेत्रों अर्थात सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास तथा लक्षित समुदायों के जीवन में सतत परिवर्तन पर विचार कर सभी सीएसआर हस्तक्षेप किए गए।

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी की अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर और सततता नीति, 2021 है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय/डीपीई द्वारा जारी सीएसआर नियम और दिशानिर्देश (वेब लिंकः https://thdc.co.in/en/content/policy-0) के अनुपालन में है।

क. संस्थागत तंत्र

बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में एक पांच सदस्यीय बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति (बीएलसी) सीएमडी एवं निदेशक (तकनीकी) की अध्यक्षता में कार्यरत है। इसके अन्य सदस्यों में एनटीपीसी लिमिटेड के एक नामिती निदेशक, एक विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के नामिती निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक शामिल है। कंपनी सचिव सीएसआर समिति का सचिव होता है।

सीएसआर समिति, कंपनी अधिनियम, भारत सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों द्वारा परिभाषित भूमिका एवं दायित्वों के अनुसार कार्य करती है और सीएसआर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और संबंधित मुद्दों की चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करती हैं।

बोर्ड से निचले स्तर की समिति

कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर सीएसआर कार्यों के प्रमुख अधिकारी को इस समिति का नोडल अधिकारी नामोदिष्ट होगा और वह बोर्ड से निचले स्तर की समिति (बीबीएलसी) का अध्यक्ष होगा। बीबीएलसी के अन्य सदस्य इसके विभिन्न प्रकार्यात्मक विभागों से होते हैं। सीएसआर, सतत विकास और अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्र विशेषज्ञ, संगठन के बाहर से भी बीबीएलसी में नामांकित किए जाते हैं।

ख. योजना

संसाधन

पिछले अंतिम तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% इसके सीएसआर नीति 2021 के अनुपालन में व्यय किया जाता है। बजट एवं वार्षिक सीएसआर योजना, सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है।

सीएसआर कार्यक्रम का चयन

सीएसआर कार्यक्रम का चयन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित है। टीएचडीसीआईएल सीएसआर पहलों का शीर्षक "टीएचडीसी सहृदय" (मानव हृदय के साथ कॉर्पोरेट) है। मुख्य क्षेत्र जहां टीएचडीसीआईएल, सीएसआर कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य पूरा करना चाहती है उनके शीर्षक निम्नलिखित हैंः

- टीएचडीसी निरामय, (स्वास्थ्य– पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेय जल परियोजनाएं
- टीएचडीसी जागृति (बेहतर भविष्य के लिए पहलें)–शिक्षा पहलें
- टीएचडीसी दक्ष (कौशल) – जीविका सृजन एवं कौशल विकास पहलें
- टीएचडीसी उत्थान (प्रगति)– ग्रामीण विकास
- टीएचडीसी समर्थ (सशक्तीकरण)– सशक्तीकरण करने वाली पहलें
- टीएचडीसी सक्षम (सक्षम)– वृद्ध एवं विकलांगों की देखभाल
- टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण)– पर्यावरण संरक्षण पहलें
- टीएचडीसी विरासत (संस्कृति)–कला एवं संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन पहलें
- टीएचडीसी क्रीड़ा (खेल–कूद) – खेल–कूद संवर्धन पहलें

स्थान एवं लाभार्थियों का चयन

स्थानीय क्षेत्र को सीएसआर परियोजना कार्यक्रमों के लिए वरीयता दी जाती है। सीएसआर नीति, 2021 में स्थानीय क्षेत्र को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

क्रम सं.	श्रेणी	स्थानीय क्षेत्र
क.	प्रतिष्ठान और कार्यालय	10 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र
ख.	हाइड्रो परियोजनाएं	परियोजना के अवयवों से संबंधित सभी विकास खंड
ग.	ताप परियोजनाएं	50 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र
घ.	पवन / सौर परियोजनाएं	10 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र
ङ.	पुर्नस्थापित / पुनर्वास स्थल	ऐसी साइटों की भौगोलिक सीमाएं
च.	कोयला खदान	सहायक निर्माणों सहित कोयला खदानों /साइटों से जुड़े सभी विकास खंड

ग. कार्यान्वयन

सीएसआर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्यतः सेवा–टीएचडीसी एवं टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के माध्यम से किया जाता है जो कंपनी द्वारा प्रायोजित/स्थापित पंजीकृत सोसाइटियां है।

(क) सेवा- टीएचडीसी

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के सीएसआर और सतत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी पंजीकरण, 1860 के अंतर्गत कंपनी प्रयोजित गैर सरकारी संगठन "सेवा–टीएचडीसी" की स्थापना की है। सेवा–टीएचडीसी ने वर्ष 2009–10 से काम करना शुरु किया है। सोसाइटी के लक्ष्य और उद्देश्य परोपकार करना और लाभ न कमाना है। प्रबंधन समिति में टीएचडीसीआईएल के नामोनिर्दिष्ट और टीएचडीसीआईएल द्वारा नामित 07 सदस्य है। टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सोसाइटी के पदेन संरक्षक होते हैं।

(ख) टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी (टीईएस)

टीएचडीसी ने शिक्षा प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1992 से टिहरी जिले में परियोजना से प्रभावित लोगों तथा आस–पास के वंचित और सुविधा वंचित समाज के बच्चों को शिक्षा देना शुरु किया। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकरण होने पर वर्ष 2010 में इसका पुनः नामकरण टीएचडीसी एजूकेशन सोसाइटी के रूप में किया है। वर्तमान में सोसाइटी टीईएस के तत्वावधान में दो स्कूल चला रही है– एक स्कूल भागीरथीपुरम टिहरी में जहां कक्षा–6 से कक्षा–12 तक शिक्षा दी जाती है और दूसरा स्कूल प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में है जहां कक्षा 01 से कक्षा 10 तक शिक्षा दी जाती है।

घ. निगरानी

सीएसआर कार्यक्रमों की पारदर्शिता एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित दर्शित माध्यमों का उपयोग करके एक मजबूत निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है।

i. मासिक प्रगति रिपोर्ट

ii. तिमाही प्रगति रिपोर्ट

iii. वीडियो कांफ्रेंसिंग

iv. स्थल भ्रमण

v. फोटोग्राफी, फिल्म तथा वीडियो सहित प्रलेखी साक्ष्य

vi. आंतरिक निगरानी तंत्र, जैसा कि सीएसआर समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

ड. रिपोर्टिंग

वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर रिपोर्ट शामिल होती है जिसमें अधिनियम/नीति में यथा विनिदिष्ट विवरण शामिल होते हैं और उक्त को कंपनी की वेबसाइट पर भी दर्शाए गए हैं।

सीएसआर संचार कार्यनीतिः सीएसआर गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में हितधारकों के साथ नियमित संवाद और संप्रेषण के लिए टीएचडीसीआईएल में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर संचार कार्यनीति है।

च. प्रभाव आकलन

सीएसआर नीति 2021 के अनुसार, एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली सभी पूर्ण सीएसआर और सततता परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन, एक वर्ष के भीतर, एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1.	श्री आर. के. विश्नोई *	सदस्य /सीएमडी एवं निदेशक (तकनीकी)	02	02
2.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बीं	सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	04	04
3.	श्री यू. के. भट्टाचार्य	सदस्य / नामिती निदेशक, एनटीपीसी	04	04
4.	श्री जितेश जॉन	सदस्य /नामिती निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार	04	04
5.	श्री केसरीदेवसिंह डी झाला'	सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	02	02

* दिनांक 14.09.2022 को बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति में सदस्य शामिल किये गये, जिसके बाद वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की दो बैठकें हुईं।

कंपनी सचिव, सीएसआर समिति के सचिव हैं।

3. वह वेब लिंक जिस पर कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण किया गया है।

बोर्ड की सीएसआर समितिः **https://thdc.co.in/en/content/board&level&committeesblcs**

सीएसआर नीतिः **https://thdc.co.in/en/content/policy-0**

अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएंः **https://thdc.co.in/csr/approved-project**

4. नियम 8 के उप-नियम (3), यदि लागू हो, के अनुसरण में संचालित की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेबलिंक सहित कार्यकारी सारांश प्रस्तुत करें

कंपनी की सीएसआर नीति 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में सीएसआर परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन (नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में) के तहत, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 और 1 करोड़ या अधिक के बजट परिव्यय के साथ पूर्ण की गई दो सीएसआर परियोजनाओं का बाहरी तृतीय पक्ष के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन किया। दो परियोजनाओं के नाम इस प्रकार हैः

(i) टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से टीएचडीसी हाई स्कूल, ऋषिकेश का संचालन।

(ii) टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से टीएचडीसी टिहरी भागीरथीपुरम इंटर कॉलेज, टिहरी का संचालन।

पहल के प्रभाव मूल्यांकन का उद्देश्य विभिन्न प्रमुख कारकों नामतः प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता, स्थिरता और प्रभाव पर अनुकूलता का आकलन करना था। प्रभाव मूल्यांकन के पांच आयाम और वांछित उद्देश्य को पूरा करने की उनकी संभावना नीचे दर्शाई गई हैः

प्रासंगिकता	परियोजना प्रभावित परिवारों के बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जागृति मिशन के तहत टीएचडीसीआईएल सीएसआर नीति के अनुसार स्कूल संचालित और प्रबंधित किए जाते हैं।
प्रभावशीलता	टीईएस प्रबंधित स्कूलों में समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों का लगातार नामांकन होता है, जिससे परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा किया जाता है। स्कूल के बुनियादी ढांचे को पाठ्यक्रम की मांग के अनुरूप बनाए रखा जाता है, और टीएचडीसी हाई स्कूल में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 64% है और टीएचडीसी टीबीपी इंटरमीडिएट कॉलेज में 10वीं और 12वीं कक्षा में 100% है, जो एक उत्कृष्ट प्रभावशीलता को दर्शाता है।
क्षमता	कक्षाओं की संख्या और सीखने के बुनियादी ढांचे का उपयोग इसकी पूरी क्षमता से किया जा रहा है। स्कूल के सभी संसाधन, जैसे विज्ञान प्रयोगशालाएँ, खेल के मैदान, पुस्तकालय आदि सभी छात्रों के लिए खुले हैं।
प्रभाव	हस्तक्षेप से वंचित और बीपीएल परिवारों के परिवारों का वित्तीय बोझ कम हुआ। इसने परिवारों के साथ–साथ विद्यार्थियों को भी शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। उच्च शिक्षा के संबंध में छात्रों को परामर्श प्रदान किया जाता है, और 95% छात्र हाई स्कूल पूरा करते हैं और आगे उच्च शिक्षा का विकल्प चुनते हैं, जो उन्हें अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है।
सततता	वर्तमान में पूरे स्कूल के बुनियादी ढांचे और सेटअप का प्रबंधन टीईएस द्वारा किया जाता है और टीएचडीसीआईएल के सीएसआर बजट के माध्यम से 100% वित्त पोषित किया जाता है। संगठन दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध अन्य तौर–तरीकों की पहचान करके निधि जुटाने की संभावना का आकलन कर सकता है।

पूर्ण प्रभाव आकलन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021–22 टीएचडीसीआईएल वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है;

प्रभाव आकलन रिपोर्ट लिंकः **https://thdc.co.in/en/csr/impact-assessment-report**

5. **(क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार, कंपनी का औसत निवल लाभ:** 118045.00 लाख रुपए

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: 2361.00 लाख रुपए

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो: 51.74 लाख रुपए

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख) + (ग) – (घ)]: 2309.26 लाख

6. **(क) सीएसआर परियोजनाओं (जारी परियोजना और जारी परियोजना के अलावा, दोनों) के संबंध में व्यय की गई राशि:-** 2122.10 लाख रुपए

(ख) प्रशासनिक ऊपरी शीर्ष में व्यय की गई राशि : 75.00 लाख रूपए

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: 13.70 लाख रुपए

(घ) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि [(क) + (ख) + (ग)]: 2210.80 लाख रुपए

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रुपए में)	अव्ययित राशि (रूपये में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	कोष का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
22,10,80,000.00	98,46,000.00	26.04.2023	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(च) सेट-ऑफ के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्रम सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	धार 135 की उप-धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी कोष में अंतरित राशि, यदि कोई हो		अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाने के लिए शेष राशि (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो,
					राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख		
1	वित्त वर्ष- 1	शून्य	-	-	-	-	-	-
2	वित्त वर्ष- 2	शून्य	-	-	-	-	-	-
3	वित्त वर्ष- 3	शून्य	-	-	-	-	-	-

8. क्या वित्त वर्ष में व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरादायित्व संबंधी राशि से किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन या अधिग्रहण किया गया है:

☑ हां ☐ नहीं

यदि हां, सृजित / अधिगृहित पूंजीगत परिसंपत्ति की संख्या दर्ज करें - **1019**

वित्त वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरादायित्व संबंधी राशि व्यय करने के माध्यम से सृजित या अधिगृहित ऐसी परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करें

क्रम सं.	सृजित या अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के ब्यौरे प्रस्तुत करें (पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का पिनकोड	सृजन की तारीख	व्यय की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था / प्राधिकरण / लाभार्थी के ब्यौरे		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	नगर निगम ऋषिकेश ब्लॉक डोईवाला, जिला देहरादून को 20 स्प्रे मशीन का वितरण।	249201	16.06.2022	1,00,000.00	लागू नहीं	नगर निगम ऋषिकेश	ऋषिकेश, ब्लॉक–डोईवाला, जिला देहरादून, उत्तराखंड
2	नगर निगम ऋषिकेश ब्लॉक–डोईवाला, जिला देहरादून को 08 फॉगिंग मशीन का वितरण	249201	26.04.2022	1,95,000.00	लागू नहीं	नगर निगम ऋषिकेश	ऋषिकेश, ब्लॉक–डोईवाला, जिला देहरादून, उत्तराखंड

3	हित नारायण क्षत्रिय विद्यालय+2 आरा, जिला– भोजपुर, बिहार में 06 सीटों वाले (2 डब्लयू सी + 4 मूत्रालय) स्कूल शौचालय का निर्माण	802301	05.03.2023	14,51,920.00	लागू नहीं	02 हित नारायण क्षत्रिय + 2 स्कूल आरा	आरा, जिला–भोजपुर, बिहार
4	02 हित नारायण क्षत्रिय + 2 स्कूल आरा, जिला– भोजपुर, बिहार में स्मार्ट इंटरएक्टिव क्लासरूम बोर्ड	802301	06.01.2023	2,87,000.00	लागू नहीं	02 हित नारायण क्षत्रिय + 2 स्कूल आरा	आरा, जिला–भोजपुर, बिहार
5	राजकीय कन्या + 2 उच्च विद्यालय आरा, जिला– भोजपुर, बिहार में 02 स्मार्ट इंटरैक्टिव क्लासरूम बोर्ड	802301	06.01.2023	2,87,000.00	लागू नहीं	राजकीय कन्या + 2 उच्च विद्यालय, आरा	आरा, जिला–भोजपुर, बिहार
6	राजकीय कन्या + 2 उच्च विद्यालय आरा, जिला– भोजपुर, बिहार में सेनेटरी पैड के साथ 02 सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों की स्थापना	802301	23.11.2022	50,000.00	लागू नहीं	राजकीय कन्या + 2 उच्च विद्यालय आरा	आरा, जिला–भोजपुर, बिहार
7	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टनकपुर, चंपावत, उत्तराखंड को 40 व्हील चेयर का वितरण	262309	22.07.2022	3,27,999.00	लागू नहीं	मुख्य चिकित्सा अधिकारी,	टनकपुर, जिला चंपावत, उत्तराखंड
8	टिहरी गढ़वाल में मोबाइल तहसील की स्थापना के लिए वैन और अन्य आवश्यक तकनीकी उपकरणों की खरीद के लिए जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता	249001	24.02.2023	16,63,787.00	लागू नहीं	डी.एम. कार्यालय	नई टिहरी, ब्लॉक–चंबा, जिला–टिहरी गढ़वाल
9	जिला टिहरी और देहरादून के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 185 स्कूल फर्नीचर का वितरण	248001	25.08.2022	7,52,432.00	लागू नहीं	1) राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोभालवाला नगर क्षेत्र देहरादून–10 सेट	जिला देहरादून
		248179	31.08.2022			2) राजकीय इंटर कॉलेज घननाद मसूरी – 40 सेट	
		249180	05.09.2022			3) राजकीय इंटर कॉलेज बुरांश खंधा रायपुर देहरादून –30 सेट	
		248001	10.09.2022			4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोना रायपुर देहरादून–10 सेट	

		248008	06.09.2022			5) शासकीय प्राथमिक चामासारी रायपुर देहरादून–10 सेट	
		248122	06.09.2022			6) राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टा सहसपुर देहरादून–10 सेट	
		248001	25.08.2022			7) राजकीय प्राथमिक विद्यालय बापू नगर देहरादून–30 सेट	
		248141	25.08.2022			8) जूनियर हाई स्कूल घंगोरा देहरादून–20 सेट	
		249155	29.10.2022	1,75,568.00		9) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुगिलाधार भिलंगना टिहरी–15 सेट	जिला टिहरी गढ़वाल
		249151				10) राजकीय इंटर कॉलेज खटखेत थौलधार–20 सेट	
10	भागीरथी उच्चतर माध्यमिक विद्या मंदिर कंडीसौड़ चाम जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में 01 शौचालय ब्लॉक (01 यूनिट पुरुष और 01 यूनिट महिला) का निर्माण	249196	9.01.2023	4,16,157.00	लागू नहीं	भागीरथी उच्चतर माध्यमिक विद्या मंदिर कंडीसौड़	छाम, ब्लॉक–थौलधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
11	जिला टिहरी के पीएए के सरकारी स्कूल में 100 स्कूल फर्नीचर (बेंच और टेबल) का वितरण	249145	20.03.2023	4,76,000.00	लागू नहीं	1) सरस्वती शिशु मंदिर बौरारी–70 सेट	नई टिहरी, ब्लॉक–चंबा, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
			21.03.2023			2) सरस्वती शिशु मंदिर चम्बा– 30 सेट	
12	पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग (धोबीघाट), जिला हरिद्वार, उत्तराखंड में स्ट्रीट लाइट (92 संख्या) का वितरण और स्थापना	249401	05.12.2022	3,00,000.00	लागू नहीं	पंडित दीन दयाल उपाध्याय पार्किंग	धोबीघाट, जिला – हरिद्वार, उत्तराखंड
13	डॉ. स्वामी नारायण दास चौरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल शीशम झाड़ी ऋषिकेश के लिए पैथोलॉजी लैब उपकरण एलिसा रीडर मशीन और हेमेटोलॉजी एनालाइजर मशीन का वितरण	249201	16.02.2023	9,18,300.00	लागू नहीं	स्वामी नारायण दास चौरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल	शीशम झाड़ी, ऋषिकेश ब्लॉक–डोईवाला, जिला देहरादून

14	जिला टिहरी और देहरादून, उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों के लिए 20 नग कंप्यूटर सेट का वितरण	249171	10.10.2022	90,236.00	लागू नहीं	डी.आर.आर.एस.वी.एम. इंटर कॉलेज, मुंगरा (नौगांव) उत्तरकाशी– 2 सेट	जिला उत्तरकाशी
		249131		3,60,944.00		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सौड़ उप्पू, थौलधार, टिहरी–1 सेट	जिला टिहरी गढ़वाल
		249121				सरस्वती शिशु विद्या मन्दिर, अंजनीसैण, टिहरी–1 सेट	
		249199				राजकीय इंटर कॉलेज, खंडकारी, टिहरी–1 सेट	
		249181				इंटरमीडिएट कॉलेज द्वारी थापला, टिहरी.– 1 सेट	
		249175				राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोंपा ब्लॉक नरेंद्रनगर– 1 सेट	
		249175				राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटिया ब्लॉक नरेंद्रनगर– 1 सेट	
		249155				राजकीय माध्यमिक स्कूल गुट्टू भिलंगना–2 सेट	
		248001	22.11.2022	4,51,180.00		राजकीय इंटर कॉलेज भगदारीखाल देहरादून–2 सेट	जिला देहरादून
		248003				गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज देहरादून कैंट–3 सेट	
		248008				शाहशाई सर्वदितकारी इंटर कॉलेज रायपुर देहरादून–3 सेट	
		248179				सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज मसूरी (देहरादून)–2 सेट	
15	जिला टिहरी / उत्तरकाशी में 55 स्कूल फर्नीचर (बेंच एवं टेबल) का वितरण	249171	24.03.2022	1,00,170.00	लागू नहीं	सरस्वती इंटर कॉलेज मुंगरा नौगांव उत्तरकाशी–30 सेट	जिला उत्तरकाशी
		249181		83,475.00		राजकीय इंटर कॉलेज आगर नरेंद्रनगर– 15 सेट	जिला टिहरी गढ़वाल
		249175				जनता इंटर कॉलेज द्वारी थापला ब्लॉक भिलंगना जिला टिहरी गढ़वाल– 10 सेट	
16	ग्राम सभा बरोला, ब्लॉक नरेंद्रनगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण।	249175	14.03.2023	2,05,000.00	लागू नहीं	ग्राम सभा बरौला,	बरौला, ब्लॉक नरेंद्रनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

17	बीडीओ कार्यालय छाम, ब्लॉक थौलधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में 01 पुरुष शौचालय ब्लॉक का निर्माण	249132	15.03.2023	4,94,235.00	लागू नहीं	बीडीओ कार्यालय छाम,	छाम, ब्लॉक थौलधार, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
18	बीडीओ कार्यालय छाम, कंडीसौड़ ब्लॉक थौलधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में महिला शौचालय ब्लॉक का निर्माण	249132	17.03.2023	4,59,537.00	लागू नहीं	बीडीओ कार्यालय छाम,	छाम, ब्लॉक थौलधार, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
19	शाहज एसएचजी, सामाजिक एवं पर्यावरणीय जॉलीग्रांट केंद्र भानियावाला जिला देहरादून के लिए अर्ध–स्वचालित सेनेटरी पैड उत्पादन मशीन और कच्चे माल की खरीद और स्थापना	288140	01.01.2023	4,00,000.00	लागू नहीं	शाहज एसएचजी	केंद्र, भानियावाला, ब्लॉक– डोईवाला, जिला– देहरादून–
20	ग्राम पुजार गांव, ब्लॉक प्रतापनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में बहुउद्देशीय टिन शेड का निर्माण	249165	31.03.2023	19,91,000.00	लागू नहीं	पुज्जर गांव	ब्लॉक–प्रतापनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
21	वितरण एवं स्थापना इन–बिल्ड सेंसर के साथ 50 (45 वाट) एलईडी स्ट्रीट लाइट।	249404	28.01.2023	98,058.00	लागू नहीं	पुनर्वास स्थल पथरी के लिए 30 नग	जिला हरिद्वार रायवाला
		249205		65,372.00	लागू नहीं	पुनर्वास स्थल खांडगांव के लिए 20 नग	जिला देहरादून
22	शिखर हिमालय जन सांस्कृतिक समिति कपकोट बागेश्वर उत्तराखंड को राज्य/स्थानीय सांस्कृतिक/कला को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र की 09 वस्तुओं का वितरण	263632	11.01.2023	1,49,850.00	लागू नहीं	शिखर हिमालय जन सांस्कृतिक समिति कपकोट	गाँव–कपकोट, जिला–बागेश्वर, उत्तराखंड–
23	सरस्वती विद्या मंदिर नागणी (चंबा) जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण	249175	22.03.2023	4,09,277.00	लागू नहीं	सरस्वती विद्या मंदिर नागणी	नागणी, ब्लॉक–चंबा, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
24	ग्राम जखोली (खोला), टिहरी उत्तराखंड में जीसीआई शीट की लघु शालिका का निर्माण कार्य	249146	09.02.2023	4,70,380.00	लागू नहीं	ग्राम– जखोली (खोला)	गाँव–जखोली (खोला) ब्लॉक–नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
25	असाध्य रूप से बीमार कैंसर रोगियों की सेवा करने वाले गंगा प्रेम हॉस्पिस बंजारावाला देहरादून केंद्र में बुनियादी ढांचे के विकास (12 स्वास्थ्य उपकरण) के लिए वित्तीय सहायता	248001	28.02.2023	3,22,652.00	लागू नहीं	गंगा प्रेम धर्मशाला बंजारावाला	बंजारावाला, ब्लॉक रायपुर, जिला देहरादून, उत्तराखंड
26	आवासीय नाभा हाउस, जिला देहरादून में 01 शौचालय एवं 01 बाथरूम का निर्माण	249201	25.04.2022	1,45,179.00	लागू नहीं	आवासीय नाभा हाउस,ऋषिकेश	ऋषिकेश, ब्लॉक–डोईवाला, जिला–देहरादून, उत्तराखंड
27	श्री हिमांशु शर्मा कनखल हरिद्वार (लकवा रोगी) को व्हील चेयर का वितरण	249408	29.03.2023	8,310.00	लागू नहीं	श्री हिमांशु शर्मा कनखल	कनखल, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड

28	सुश्री परी सोनी को एक मोनोटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर एयर राइफल और एयर राइफल पेलेट्स के दो बक्से की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	248001	30.03.2023	3,57,932.00	लागू नहीं	सुश्री परी सोनी	बंजारावाला, ब्लॉक रायपुर, जिला–देहरादून, उत्तराखंड
29	ग्राम ल्वारखा प्रतापनगर जिला–टिहरी में आंगनवाड़ी भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	249131	07.02.2023	3,00,000.00	लागू नहीं	ग्राम ल्वारखा	ग्राम ल्वारखा, ब्लॉक–प्रतापनगर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
30	ग्राम पाली जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में महिला मिलन केंद्र का निर्माण	249121	25.03.2023	9,72,501.00	लागू नहीं	ग्राम पाली	ग्राम पाली, ब्लॉक–जाखणीधार, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
31	जिला टिहरी के पीएए के 04 नंबर स्कूल में सौर ऊर्जा बैकअप के साथ 04 स्मार्ट कक्षाओं का वितरण और स्थापना।	249196 249131 249127 249146	19.03.2023 18.03.2023 20.03.2023	3,90,250.00 11,70,750.00	लागू नहीं	1) राजकीय इंटर कॉलेज बंचोरा चिन्यालीसौड़, 2) उच्च प्राथमिक विद्यालय सेलूर थौलधार 3) राजकीय प्राथमिक विद्यालय कफलोग, जाखणीधार 4) राजकीय जेएच हाई स्कूल पेंड्रा–किविली, नरेंद्र नगर	जिला–उत्तरकाशी, उत्तराखंड जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
32	चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप परिसर, जिला देहरादून में जल शोधक 150 लीटर के साथ 06 वाटर कूलर के लिए आंशिक वित्तीय सहायता	249201	15.03.2023	3,81,000.00	लागू नहीं	ऋषिकेश, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी)	ऋषिकेश, ब्लॉक डोईवाला, जिला–देहरादून, उत्तराखंड
33	पीपलमंडी, ब्लॉक चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी उत्तराखंड में आरसीसी पानी की टंकी का निर्माण	249193	31.03.2023	2,01,636.00	लागू नहीं	नगर पालिका	पीपलमंडी, ब्लॉक–चिन्यालीसौड़, जिला–उत्तरकाशी, उत्तराखंड
34	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–रुड़की (उत्तराखंड) में अनुसुरति अकादमी में 02 कक्षा कक्ष और हॉल का निर्माण	247667	31.12.2022	24,74,000.00	लागू नहीं	अनुसुरति अकादमी	रूड़की, जिला–हरिद्वार, उत्तराखंड
35	बृजघाट, हापुड (यूपी) में गौ शाला के लिए पशु शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	245205	23.03.2022	7,50,000.00	लागू नहीं	गणपति गंगा गौशाला	बृजघाट, ब्लॉक–गढ़ मुक्तेश्वर, जिला–हापुड़ (यूपी)
36	ग्राम बागी सरज्यूला, ब्लॉक–चंबा, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में इंटरलॉकिंग टाइल्स पथ का निर्माण	249001	30.03.2023	14,85,213.00	लागू नहीं	ग्राम बागी सरज्यूला	ग्राम बागी सरज्यूला, ब्लॉक–चंबा, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
37	यूपीएनआरईडीए, यूपी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 100 नग सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	224123	07.12.2022	22,28,900.00	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास (अपनरेडा) विभूति खण्ड	गोमती नगर लखनऊ उ.प्र.
38	सीआईएसएफ परिसर से ग्राम सैन, कोटेश्वर (टिहरी) तक जल आपूर्ति लाइन	249146	27.02.2023	4,45,277.00	लागू नहीं	ग्राम सैन	ग्राम सैन, ब्लॉक–नरेंद्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

39	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सुरसिंहधार, नई टिहरी, ब्लॉक–चंबा, टिहरी में 01 डीजी सेट की स्थापना	249001	24.05.2022	9,60,900.00	लागू नहीं	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सुरसिंघधार,	सुरसिंघधार, नई टिहरी, ब्लॉक–चंबा, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
40	जिला टिहरी और देहरादून के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 9 ''फॉरएवर'' पेयजल कियोस्क मेघदूत की स्थापना	249161	26.03.2022	21,32,745.00	लागू नहीं	मेघदूत क्लासिक 60 लीटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पोखाल	जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
						मेघदूत क्लासिक 60 लीटर राजकीय इंटर कॉलेज राजाखेत,	
		249001	06.04.2022			मेघदूत क्लासिक 60 लीटर सरकारी प्राइमरी चरिमाधर,	
		249123	04.04.2022			मेघदूत क्लासिक 60 लीटर राजकीय इंटर कॉलेज जाखणीधार,	
		249408	05.04.2022			मेघदूत क्लासिक 60 लीटर राजकीय इंटर कॉलेज भरेतीधार,	
		249123	05.04.2022			मेघदूत क्लासिक 60 लीटर राजकीय प्राथमिक विद्यालय रतोली जिला टिहरी	
		249123	05.04.2022			मेघदूत क्लासिक 60 लीटर डिग्री कॉलेज अगरोडा,	
		249131	08.04.2022			मेघदूत क्लासिक 150 लीटर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गढ़ी श्यामपुर, ऋषिकेश	जिला देहरादून, उत्तराखंड
		249408 248008	13.04.2022 08.04.2022			मेघदूत क्लासिक 150 लीटर केन्द्रीय विद्यालय ओएलएफ रायपुर, जिला देहरादून	
41	जीआईसी श्यामपुर, हरिद्वार में अतिरिक्त 02 कक्षा कक्षों का निर्माण	249408	17.01.2023	14,55,064.00	लागू नहीं	राजकीय इंटर कॉलेज श्यामपुर,	श्यामपुर, जिला–हरिद्वार, ब्लॉक बहादराबाद, उत्तराखंड
42	ग्राम पंचायत मोहितपुर, ब्लॉक–भगवानपुर, जिला हरिद्वार में 01 बहुउद्देशीय कार्यशाला/भवन का निर्माण	247661	28.02.2023	24,72,000.00	लागू नहीं	ग्राम पंचायत मोहितपुर	मोहितपुर, ब्लॉक भगवानपुर, जिला–हरिद्वार, उत्तराखंड
43	ग्राम पंचोरी, सिंगरौली, म.प्र. में 50 नग ट्री गार्ड का वितरण।	486881	01.07.2022	1,51,040.00	लागू नहीं	ग्राम पंचोरी,	पंचोरी, जिला–सिंगरौली, मध्य प्रदेश

44	203 वर्षा जल संचयन टैंकों का निर्माण	249165	01.10.2022	32,35,000.00	लागू नहीं	कंडियालगांव– 53 पुजारगांव–26 गढ़ सिंवालगांव– 55 सऊद– 13 नौग्राल–6 भरपुरिया–32 पोखरी–02 कोटालगांव– 16	उत्तराखंड के टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक की उपली रमोली और भदूरा पट्टी
45	05 जल संरचना का प्रबंधन एवं संरक्षण एवं संचयन टैंक का निर्माण	249165	01.10.2022	5,00,000.00	लागू नहीं	पुजारगांव–01 कंडियालगांव– 02 सौद–01 सुकरी–01	उत्तराखंड के टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक की उपली रमोली और भदूरा पट्टी
46	02 पारंपरिक पनचक्की (घराट) का आधुनिकीकरण	249165	01.10.2022	1,88,400.00	लागू नहीं	बाल्डोगी–01 कंडियालगांव– 01	उत्तराखंड के टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक की उपली रमोली पट्टी
47	कृषक क्लब के सदस्यों/समूह के बीच 10 नग सोलर ड्रायर का वितरण।	249165	31.03.2023	52,500.00	लागू नहीं	सेरा–01 बाल्डोगी–01 सादागांव–01 मेहरगांव–01 कुड़ियालगांव–01 मुखेम–01 तिनवालगांव–01 गल्याखेत–01 माजखेत–01	उत्तराखंड के टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक की उपली रमोली और भदूरा पट्टी।

9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो इसके कारण (कारणों) का उल्लेख करें-

टीएचडीसीआईएल सीएसआर नीति के अनुसार, 98.46 लाख रुपये की शेष अव्ययित राशि वाली 9 सीएसआर परियोजनाओं को कंपनी के बोर्ड द्वारा 'चालू परियोजनाओं' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 9 चालू परियोजनाओं से संबंधित धनराशि कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के अनुसार वित्त वर्ष 2022–23 के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दी गई थी।

ह0/– (मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक)	ह0/– (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)	ह0/– [अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति, (जहां भी लागू हो)

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न प्रमुख सीएसआर गतिविधियां

टीएचडीसीआईएल, अपनी सीएसआर और सततता योजना को अपनी व्यावसायिक योजनाओं और कार्यनीतियों के साथ एकीकृत करता है। गतिविधियों की योजना अग्रिम में बनाई जाती है, विभिन्न उपलब्धि–चरण पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, आवंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधनों की मात्रा का पूर्व–अनुमान और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय अवधि होती है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सीएसआर और सततता योजनाओं को दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और अल्पकालिक परियोजनाओं में वर्गीकृत किया गया है।

टीएचडीसी निरामय-स्वास्थ्य और स्वच्छता पहलें

उत्तराखंड में, सीमित उपलब्ध साधनों के अलावा यात्रा में अधिक समय लगने के कारण पहाड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों के बीच स्वास्थ्य प्रणाली अधिकांशतः प्रभावित होती है। उत्तराखंड के टिहरी जिले का कुल क्षेत्रफल 4421 वर्ग किमी है, जो अब तक टीएचडीसी का प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र है। पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और विशेषज्ञ सुविधाओं आदि की कमी भी जनता को निदान और उपचार का लाभ उठाने के लिए दूर के शहरों की यात्रा करने के लिए विवश करती है, जिससे शहर की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, अवसंरचना और रोगियों की जेब पर दबाव पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, टीएचडीसीआईएल एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन होने के नाते, विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों और प्रतिष्ठित अस्पतालों और संस्थानों के साथ जागरूकता अभियान के माध्यम से समाधान और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करने का लगातार प्रयास करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीएचडीसी के कुछ प्रमुख समुदायोन्मुखी प्रयास इस प्रकार हैः

दीन गांव, टिहरी में एलोपैथिक औषधालय का संचालनः यह टिहरी जिले के दुर्गम के क्षेत्र में स्थित है और आसपास के लगभग 40 गांवों की 15000 जनसंख्या की जरूरतें पूरी करता है। औषधालय एमबीबीएस डाक्टर, अर्धचिकित्सीय स्टाफ, एक्सरे ईसीजी, आन काल एम्बुलेंस सुविधा जैसे बुनियादी पैथालाजिकल परीक्षणों, छोटे मोटे आपरेशन थिएटर और निःशुल्क दवाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस है। वित्त वर्ष में ओ.पी.डी. में कुल 6630 पंजीकरण किए गए।

बहु विशेषज्ञता चिकित्सा शिविरः टीएचडीसी प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठित अस्पताल/एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न जिलों में आंखों और मुख उपचार के लिए सामान्य और विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान क्रमशः 257 ओपीडी और 899 ओपीडी के साथ कुल 02 नेत्र शिविर और 02 दंत चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। नेत्र शिविर के अंतर्गत चिन्हित कुल 95 लाभार्थियों को सफल निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी के लिए प्रायोजित किया गया। इसके अलावा दंत चिकित्सा शिविरों के तहत लाभार्थियों को कुल 85 डेन्चर मुफ्त प्रदान किए गए।

होम्योपैथिक औषधालयः वित्तीय वर्ष के दौरान टिहरी एवं ऋषिकेश में कुल 04 होम्योपैथी औशधालय क्रियाशील थे। चारों औषधालयों में कुल 20687 ओपीडी पंजीकृत की गईं।

चिकित्सा स्वास्थ्य अवसंरचनाः सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए, विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों/अस्पतालों को 01 एलिसा रीडर मशीन, 01 हेमेटोलॉजी एनालाइजर मशीन का वितरण और एमआरआई परीक्षण इकाई आदि की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करके चिकित्सा अवसंरचना में सुधार की दिशा में सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, स्थानीय आबादी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए दीनगांव, टिहरी में पीएचसी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जल और स्वच्छता पहलः बेहतर स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छता के प्रति जागरूकता के भारत सरकार के मिशन का समर्थन करने के लिए कंपनी की सभी इकाइयों में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। प्रमुख गतिविधियों में जनता को पर्यावरण–अनुकूल (जूट) बैग और सड़क विक्रेताओं को बायो–डिग्रेडेबल बैग का वितरण, संयंत्र और कार्यालय प्रतिष्ठानों के आसपास स्वच्छता अभियान शामिल हैं। किशोरियों और महिलाओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून जिले में एसएचजी महिलाओं को 01 सेमीऑटोमैटिक सेनेटरी पैड उत्पादन मशीन प्रदान की गई और इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर सेनेटरी पैड निःशुल्क वितरित किए गए। सीएसआईआर आईआईसीटी, हैदराबाद के साथ साझेदारी में एक पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद 09 वायुमंडलीय जल उत्पादन (एडब्ल्यूजी) प्रौद्योगिकी सक्षम 'मेघदूत' वॉटर कियोस्क विभिन्न स्कूलों/स्थानों पर स्थापित किए गए थे। यह भूजल या सतही जल स्रोतों पर निर्भरता के बिना छात्रों और कर्मचारियों के लिए स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करता है।

स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन–उद्देश्य के अनुरूप–वित्तीय वर्ष के दौरान 8 शौचालयों, 03 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, विभिन्न क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए 01 आरसीसी पानी की टंकी और जीआई पाइप की स्थापना का कार्य किया गया।

टीएचडीसी जागृति-शिक्षा संबंधी पहलें

टीएचडीसी हाईस्कूल प्रगतिपुरम, ऋषिकेश

संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संख्या 4 अर्थात् 'समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना' में इस विचार को स्वीकार किया गया है और परिकल्पना की गई है कि वर्ष 2030 तक, सभी लड़कियां और लड़के मुफ्त, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे जिससे प्रासंगिक और प्रभावी ज्ञानार्जन परिणाम प्राप्त होंगे। विद्युत क्षेत्र के एक जिम्मेदार सीपीएसयू के रूप में, आसपास के गांवों और परियोजना प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, टीएचडीसी वर्ष 1992 से अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बजट में से स्कूल का संचालन कर रहा है। ऋषिकेश में एक और टिहरी जिला में भागीरथीपुरम और कोटेश्वर में दो के साथ, स्थानीय क्षेत्र के कुल 3 स्कूल, गरीब और जरूरतमंद छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यशील हैं। इन स्कूलों में मुफ्त यूनिफॉर्म, जूते, बैग, किताबें, स्टेशनरी, स्वेटर के रूप में अतिरिक्त सहायता के साथ लगभग मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, उपरोक्त 3 स्कूलों से कुल 909 बच्चे लाभांवित हुए। उपरोक्त के अलावा, शैक्षिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए, टीएचडीसी शैक्षिक अवसंरचना के उन्नयन के साथ–साथ शैक्षिक संपत्तियों के वितरण द्वारा रियायती शिक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों का भी समर्थन करता है। वित्तीय वर्ष के दौरान टीएचडीसी ने अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों /स्कूलों के लिए 340 फर्नीचर सेट, 01 25–केवीए डीजी सेट, 5 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, 20 कम्प्यूटर सेट, 05 प्रिंटर, 2000 स्कूल बैग, 3000 ट्रैक सूट वितरित किए हैं।

इसके अलावा, टीएचडीसी ने विभिन्न संस्थानों/स्कूलों में 05 अतिरिक्त कक्षा कक्ष और 04 सरकारी स्कूलों के उन्नयन का निर्माण किया। परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों और युवाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, टीएचडीसी ने 04 स्मार्ट क्लासरूम (सोलर बैकअप द्वारा समर्थित) और 04 पारंपरिक स्मार्ट क्लास स्थापित किए। टीएचडीसी डिजिटल जागरूकता और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 06 केंद्र क्रियाशील थे और 180 युवाओं को कार्यक्रम से लाभ हुआ।

टीएचडीसी दक्ष- आजीविका सृजन और कौशल विकास पहलें

सतत विकास लक्ष्य संख्या 8 में विशेष रूप से: 'सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। टीएचडीसी ने सीएसआर गतिविधियों के आरम्भ से ही कमजोर वर्ग के युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे होटल प्रबंधन, ए.एन.एम, आईटीआई, आतिथ्य, खाद्य उत्पादन, फिटर और प्लम्बर, बेल्डर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक, उत्खननकर्ता प्रचालक, एसी और रेफ्रीजरेशन आदि प्रदान किए हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्त वर्ष 2021–22 में नामांकित/प्रायोजित कुल 135 युवाओं के लिए एएनएम, जीएनएम, होटल मैनेजमेंट, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, प्रोफेशनल अकाउंटिंग में डिप्लोमा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा और कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जैसे कौशल विकास पाठ्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के लिए शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सृजन के लिए, टीएचडीसी ने पॉली–हाउस, उच्च उपज वाले बीज, वर्मी कम्पोस्ट पिट, एलडीईपी टैंक, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, सिंचाई के लिए वर्षा जल संचयन और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा परामर्श आदि प्रदान करने जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से सतत कृषि संवर्धन गतिविधियों का समाधान विकसित किया। वित्तीय वर्ष के दौरान जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के गांवों में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में छोटे सीमांत किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में सहायता करने के लिए टीएचडीसी के प्रमुख हस्तक्षेप में 02 घराट का आधुनिकीकरण, सेब बागान के 1500 पौधे, कीवी बागान के 150 पौधे और 10 सोलर ड्रायर का वितरण शामिल था।

टीएचडीसी उत्थान- ग्रामीण विकास पहलें

प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल में सामुदायिक भवन का निर्माण

टीएचडीसीआईएल सामुदायिक हॉल, सड़क, रास्ते, खेल का मैदान, बैठने की जगह और मौजूदा अवसंरचना विकास आदि जैसे विभिन्न प्रचार गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए समाधान लाने का प्रयास करता है। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसी द्वारा लोगों को सामाजिक मेलजोल, ज्ञानार्जन और प्रमुख सेवाओं तक पहुँचने का अवसर प्रदान करने उद्देश्य से, वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 04 बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल, 01 मिनी स्टेडियम (निर्माणाधीन) और विभिन्न इंटरलॉकिंग टाइल्स पाथवे का निर्माण किया गया।

टीएचडीसी समर्थ-महिला सशक्तीकरण संबंधी पहलें

सहज सेनेटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र, जॉलीग्रांट, देहरादून में टीएचडीसीआईएल स्टाफ के साथ सहज केंद्र की महिलाएं

सतत विकास लक्ष्य संख्या 5; 'लैंगिक समानता हासिल करना तथा सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना'। टीएचडीसी, एक जिम्मेदार विद्युत क्षेत्र संस्था के रूप में, आजीविका के अवसर उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण प्रायोजित करता है; वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और ललितपुर जिलों में 08 सिलाई/बुनाई केंद्रों और 03 ब्यूटीशियन कौशल केंद्रों की सुविधा से कुल 330 बालिका/महिला लाभार्थियों को लाभ हुआ।

टीएचडीसी प्रकृति- पर्यावरण प्रबंधन

टिहरी गढ़वाल के गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटों का संस्थापन

पर्यावरण सततता, सतत विकास लक्ष्यों 2030 में से एक अति महत्वपूर्ण आयाम है क्योंकि कुल 244 संकेतकों में से 93 संकेत पर्यावरण से संबंधित है पर्यावरणीय सततता प्राप्त करने तथा सीएसआर विषयक प्रकृति के क्षेत्र के अंतर्गत पारिस्थितिकीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए मृदा और जल संरक्षण, हरित ऊर्जा उत्पादन और प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन जैसे तीन विषयों सहित तीन गतिविधियां शुरु की गई थी। पर्यावरण टीएचडीसी आईएल का प्रमुख विचारणीय विषय रहा है इसलिए टीएचडीसी उत्थान थीम की सभी दीर्घकालिक सीएसआर आजीविका परियोजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण गतिविधियों को समाहित किया गया था ताकि सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके और वर्धित आजीविका अवसर को संरक्षित जल संसाधनों से जोड़ा जा सके। विकसित की गई बड़ी जल संरक्षण परिसंपत्तियों में: जल संरक्षण टैंकों का निर्माण (प्रत्येक की क्षमता 3000 लीटर) एलडीपीई (कम घनत्व वाले पोलीथिन) टैंक का निर्माण, चाल खल का निर्माण शामिल था, जिन्हें जल संरक्षण और वर्षा जल के संचयन के लिए परियोजना प्रभावित गांवों में संस्थापित किया गया था। राज्य कृषि/बागवानी विभागों के साथ कंवर्जेंस में वित्तीय वर्ष के दौरान 203 वर्षा जल संचय टैंक और 05 सिंचाई टैंकों का निर्माण किया गया था।

इसके अलावा, पर्यावरण को कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन से बचाने के लिए, भारत सरकार के केंद्रित अभियान के अनुरूप, टीएचडीसी ने 242 स्ट्रीट लाइट/एलईडी स्ट्रीट लाइट की खरीद की और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इनकी संस्थापना की। उपरोक्त प्रयासों को जारी रखते हुए, टीएचडीसी ने आवारा पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, कांजी हाउस/कैटेल शेड की स्थापना एवं संचालन के लिए टिहरी (उत्तराखंड) और जोधपुर (राजस्थान) के जिला प्रशासन का सहयोग किया है।

टीएचडीसी सक्षम - वृद्धजन और दिव्यांगजन देखभाल पहलें

टीएचडीसी वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जिला प्रशासन के माध्यम से बेहतर पहुंच/गतिशीलता के लिए दिव्यांगजनों को 41 व्हीलचेयर के वितरण जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों को अपनाकर असमानता को कम करने और सभी के सुरक्षित और सतत समावेशन का प्रयास करता है।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग विश्लेषण और दृष्टिकोण

देश के आर्थिक विकास को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करता है।

हालाँकि स्वतंत्रता के बाद के युग में भारतीय विद्युत क्षेत्र ने पर्याप्त वृद्धि हासिल की है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत में विद्युत की आपूर्ति–मांग का अंतर लगातार बढ़ रहा है। ग्लासगो में सीओपी26 में, भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प लिया। हालांकि, यह कैसे हासिल किया जाएगा, और आर्थिक विकास या जीवन की गुणवत्ता में व्यवधान उत्पन्न किए बिना लक्ष्य तक आसानी से पहुंचने का मार्ग क्या होगा, यह प्रमुख प्रश्न बने हुए हैं।

भारत में ऊर्जा क्षेत्र में और तेजी से विकास करने की अपार संभावनाएं हैं। इसकी ऊर्जा आवश्यकता वर्ष 2000 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है।

दिनांक 31.05.2023 तक की स्थिति के अनुसार 417.66 गीगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता के साथ, भारत विश्व में विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता (बड़े हाइड्रो सहित) में चौथे स्थान पर, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर और सौर ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है, जो हमारी सतत विकास प्रथाओं को परिलक्षित करता है। जी 20 देशों में हम एकमात्र देश हैं जो पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है।

भारत में विद्युत उत्पादन की वृद्धि पिछले 10–15 वर्षों में मिश्रित गति से रही है। वर्ष 2010–19 की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में 6.2% की सीएजीआर के साथ स्थिर वृद्धि देखी गई और हालांकि यह वित्त वर्ष 2019–2020 और वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड महामारी के कारण स्थिर रहा, वित्त वर्ष 2021–22 में इस क्षेत्र ने जोरदार वापसी की, ऊर्जा उत्पादन में 8% की वृद्धि दर्ज की गई।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, भारत को वर्ष 2030 तक 817 गीगावाट उत्पादन क्षमता बनाने की आवश्यकता होगी और हमारी सीओपी26 प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए, इसमें से 500 गीगावाट गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना होगा।

इसके विभिन्न लाभों के अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि से परिवर्तनशीलता भी बढ़ेगी और ग्रिड एकीकरण के लिए चुनौती उत्पन्न होगी। ग्रिड पर बढ़ी हुई आवृत्ति और वोल्टेज परिवर्तनशीलता के लिए सहायक सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें मोटे तौर पर आवृत्ति नियंत्रण और सहायक सेवाओं (एफसीएएस) के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये सेवाएँ मुख्य रूप से ग्रिड की विद्युत गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा को बनाए रखने में ग्रिड संचालन का समर्थन करती हैं। वर्तमान में ये सेवाएँ आरक्षित क्षमता वाले जीवाश्म–आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदान की जा रही हैं, हालाँकि, जैसे–जैसे भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, एफसीएएस सेवाओं के लिए बीईएसएस और पंप भंडारण की भूमिका अधिक प्रमुख हो जाएगी।

नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि डिस्कॉम की बेहतर स्थिति से भी संबद्ध है, जो वर्तमान में गंभीर ऋण संकट में हैं क्योंकि वे या तो विद्युत के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं या भुगतान में देरी कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स पर दबाव पड़ रहा है और उनके वित्तीय जोखिम बढ़ रहे हैं। भारत सरकार हाल ही में 'संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)' लेकर आई है जो एक सुधार–आधारित और परिणाम संबद्ध योजना है। इसका आशय पहले की सुधार योजनाओं द्वारा अपनाए गए 'एक आकार सभी के लिए उपयुक्त' दृष्टिकोण के बजाय राज्य–वार अनुकूल रुप से सृजित दृष्टिकोण विकसित करने का है। उचित बिलिंग के माध्यम से डिस्कॉम के तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को कम करना और संग्रह दक्षता में सुधार करना इस संबंध में महत्वपूर्ण होगा। वितरण क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में स्वचालन और स्मार्ट मीटरिंग के उपयोग द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने की संभावना है।

ऊर्जा भंडारण

जल विद्युत न केवल एक नवीकरणीय और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत है, बल्कि इसका लचीलापन और भंडारण क्षमता ग्रिड स्थिरता में सुधार करना और पवन एवं सौर जैसे अन्य आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परिनियोजित करने का समर्थन करना भी संभव बनाती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अपनी उतार–चढ़ाव भरी प्रकृति के कारण विद्युत की निरंतर आपूर्ति को बनाए या नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और इसलिए उन्हें बड़े पैमाने पर बिजली भंडारण की आवश्यकता होती है।

परिणामस्वरूप, पंपड जलविद्युत ऊर्जा भंडारण (पीएचईएस) में नए सिरे से रुचि और पुराने छोटे जलविद्युत संयंत्रों के पुनर्वास की मांग विश्व स्तर पर उभर रही है। पंपयुक्त जलविद्युत ऊर्जा भंडारण के संबंध में, संयंत्र के प्रदर्शन और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए टरबाइन डिजाइन में प्रगति और भंडारण क्षमता को अनुकूलित करने और संयंत्र की लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए नई कार्यनीतियों की आवश्यकता है।

विद्युत प्रणालियों को डीकार्बोनाइज करने के वैश्विक प्रयास ने परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के व्यापक परिनियोजन को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप थोक विद्युत ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान और विकास की रुचि को बढ़ावा मिला है। पंप्ड जलविद्युत ऊर्जा भंडार (पीएचईएस) अत्यधिक प्रमाणित थोक ऊर्जा भंडारण तकनीक है।

पीएचईएस छोटे स्वायत्त द्वीप ग्रिड और बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है, जहां पीएचईएस की ऊर्जा दक्षता व्यवहार में 70% और 80% के बीच भिन्न होती है।

वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित क्षमता और वर्ष 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए हाइड्रो पंप भंडारण परियोजनाएं आवश्यक हैं। पीएसपी ग्रिड के साथ आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने में मदद करेगा। यह प्रेषण योग्य आरई विद्युत की आपूर्ति को सक्षम करेगा और ग्रिड की शीर्ष मांग आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा।

देश में पीएसपी की अभिचिह्नित क्षमता लगभग 119 गीगावाट (जिसमें 109 पीएसपी शामिल हैं) है।

कंपनी के लिए दृष्टिकोण:

- हमारी कंपनी भारत सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन के लगभग सभी रूपों में प्रमुख व्यवसायी बनने के लिए लगातार अपना मार्ग प्रशस्त कर रही है।
- सामरिक व्यवसाय विविधीकरण योजना के तहत, हमारी कंपनी ने सौर और पवन जैसे ऊर्जा के पारंपरिक / गैर–पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों के साथ–साथ विद्युत क्षेत्र में विशेष परामर्श सेवाएं प्रदान करने में भी विविधता लाई है।
- हमारी कंपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए गहन प्रयास कर रही है।
- राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्कों के विकास के लिए 25.03.2023 को राजस्थान रिन्यूएबल

एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरआरईसीएल) के साथ साझेदारी में 'ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड' नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी भी निगमित की गई है।

- संयुक्त उद्यम कंपनी–टुस्को के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में 2000 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क विकसित किए जा रहे हैं।
- टिहरी पीएसपी में, सभी मोर्चों पर कमीशनिंग कार्य अग्रिम चरण में हैं। पहली इकाई मार्च 2024 तक चालू होने की संभावना है।
- परियोजना (वीपीएचईपी) के हित में विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के बाद, परियोजना प्रगति पर है और मार्च 2026 तक चालू होने की संभावना है।
- जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1320 मेगावाट) ने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है और फरवरी 2024 (पहली इकाई) तक चालू होने की संभावना है।
- 17.11.2022 को खदान खुलने के बाद 18.02.2023 से अमेलिया कोयला खदान में कोयला निष्कर्षण शुरू हो गया है।
- हमारी कंपनी की कुल प्रचालन क्षमता अब 1587 मेगावाट है।
- हमारी कंपनी ने वर्ष 2025 तक कम से कम 4351 मेगावाट की स्थापित क्षमता की परिकल्पना की है।
- 31 मार्च 2023 तक कंपनी के पास 4000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और 3665.88 करोड़ रुपये की संदत्त पूंजी है।

सरकार द्वारा मुख्य पहलें

भारत सरकार ने निरंतर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विद्युत क्षेत्र को फोकस के प्रमुख क्षेत्र के रूप में अभिचिह्नित किया है। भारतीय विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहल इस प्रकार हैं:

1. **पीएसपी दिशानिर्देश 2023**
   - निकासी प्रयोजन के लिए पीएसपी को पारंपरिक हाइड्रो से अलग माना जाएगा।
   - आईएसटी शुल्क रियायत
   - राज्यों को मुफ्त बिजली नहीं
   - सहायक सेवाओं का मुद्रीकरण
   - अवसंरचना को सक्षम करने के लिए बजटीय सहायता
2. **जलविद्युत में तेजी लाने के लिए पहलें**

   सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए हैं कि पंपड भंडारण परियोजना (पीएसपी) को तेजी से चालू किया जाए, जिससे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि में तेजी आए। इनमें से एक कदम पंपड भंडारण परियोजनाओं के लिए फास्ट–ट्रैक अनुमोदन तंत्र स्थापित करना है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
   - सिंगल विंडो क्लीयरेंस सेल की स्थापना
   - पर्यावरणीय मंजूरी में तेजी लाना,
   - डीपीआर की मंजूरी के लिए संकुचित समय सीमा
3. भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2019–25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत 111 लाख करोड़ रुपये (1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए हैं। वित्त वर्ष 2019–25 में ऊर्जा क्षेत्र में 24% पूंजीगत व्यय होने की संभावना है।

आगे का रास्ता:

वर्ष 2030 तक भारत की 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को समाप्त करना सरकार द्वारा उठाए गए पहले कदमों में से एक है। यही कारण है कि सरकार कई विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

सभी को 24X7 बिजली उपलब्ध कराने, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा जोड़ने की योजना के संबंध में की भारत सरकार की पहल में उल्लेखनीय प्रगति होने की संभावना है। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर ऊर्जा को प्रमुखता मिलने की उम्मीद है और यह सिस्टम ऑपरेटर को परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवेश का प्रबंधन करने में सहायता करेगा।

कंपनी के सतत विकास के लिए, कंपनी के भावी दृष्टिकोण हेतु निम्नलिखित की आवश्यकता है:

1. टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) और वीपीएचईपी (444 मेगावाट) का शीघ्र पूरा होना।
2. 1320 मेगावाट का खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट का वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान वार्षिक 9828 एमयू उत्पादन के लिए तैयार होना।
3. विद्युत मंत्रालय द्वारा हमारी कंपनी को संकेतित विभिन्न नई पंप भंडारण परियोजनाओं पर प्रगति में तेजी लाना।
4. कंपनी की समग्र व्यावसायिक विकास गतिविधियों को तेजी से बढ़ाना।
5. डिस्कॉम के बकाया को कम करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना।
6. उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मेगा सोलर पार्कों के विकास में तेजी लाना।
7. उत्तराखंड के साथ–साथ देश के विभिन्न हिस्सों में हरित और अप्रयुक्त जल विद्युत स्रोतों का पता लगाना।
8. भू–कार्यनीतिक पहुंच के लिए भारत सरकार के बल के अनुरूप, शेष विश्व में व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाना।
9. कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों का पता लगाना।
10. स्वच्छ कल के लिए, हाइब्रिड, फ्लोटिंग सोलर, हाइड्रोजन ईंधन परियोजनाओं में अवसरों का लाभ उठाने और ईवी चार्जिंग स्टेशनों को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखना।
11. पावर ट्रेडिंग व्यवसाय में प्रवेश करना क्योंकि हमारी कंपनी ने पहले ही पूरे भारत में विद्युत व्यापार के लिए पावर ट्रेडिंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।

ऊर्जा क्षेत्र में विकास

चालू वर्ष 2022–23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान देश में नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन सहित कुल विद्युत उत्पादन 1223.135 बीयू था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादन 1113.712 बीयू था, जो 9.83% की वृद्धि दर्शाता है। देश में विद्युत उत्पादन वर्ष 2014–15 के दौरान 878.3 बिलियन यूनिट (बीयू) से बढ़कर वर्ष 2022–23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान 1223.1 बीयू हो गया।

जलविद्युत लंबे समय से भारतीय विद्युत क्षेत्र का मुख्य आधार रहा है। भारत के बदलते ऊर्जा मिश्रण के कारण जल विद्युत के महत्व पर नए सिरे से जोर दिया गया है। महत्वाकांक्षी आबादी की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की चुनौती के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में जलविद्युत जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने के समान ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है (जैसा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्लासगो में सीओपी26 शिखर सम्मेलन में घोषित किया गया था)। गैर–जीवाश्म ईंधन क्षमता के संबंध में प्रतिबद्धता को मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा क्षमताओं की स्थापना से पूरा करने का प्रस्ताव है, जो विद्युत के आरएम स्रोतों में हैं, अर्थात् इन स्रोतों से उत्पादन वायु और धूप की उपलब्धता के साथ काफी भिन्न होता है। देश के ऊर्जा मिश्रण में आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ, विद्युत उत्पादन में मौजूदा उपलब्धता विद्युत ग्रिड में संतुलन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और 24x7 विद्युत सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड के स्थिर संचालन हेतु हाइड्रो पावर, जिसमें त्वरित रैंपिंग, ब्लैक स्टार्ट क्षमता आदि जैसी अनूठी विशेषताएं हैं, की आवश्यकता होगी।

भारतीय विद्युत क्षेत्र ने पिछले दशक में एक लंबा सफर तय किया है और

विद्युत की कमी से विद्युत अधिशेष वाले देश में परिवर्तित हो गया है। भारत सरकार द्वारा ठोस उपायों की एक श्रृंखला के कारण उत्पादन क्षमता में लगभग 51% (मार्च 2015 में 275 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2023 में 416 गीगावॉट तक) की वृद्धि हुई।

स्थापित क्षमता की वृद्धि (मेगावाट में)

	ताप (मेगावाट)	परमाणु	दीर्घ जलविद्युत	नवीकरणीय ऊर्जा	कुल
	(कोयला, लिग्नाइट, गैस, डीजल)			(लघु जलविद्युत, पवन, सौर, जैव, अपशिष्ट)	
31.03.2018 तक	222906.6	6780	45293.42	69022.39	344002.4
31.03.2019 तक	226279.3	6780	45399.22	77641.63	356100.2
31.03.2020 तक	230599.6	6780	45699.22	87027.68	370106.5
31.03.2021 तक	234728.2	6780	46209.22	94433.79	382151.2
31.03.2022 तक	236108.7	6780	46722.52	109885.4	399496.6
31.03.2023 तक	237268.9	6780	46850.17	125159.8	416058.9

क्षेत्रीय विकास ने भारत को अपनी वर्तमान विद्युत मांग को पूरा करने में सक्षम बनाया है। हालाँकि, जैसे ही देश वर्ष 2020 में कोविड–प्रेरित मंदी से उबर गया, यह ऊर्जा विकास के तेजी से गतिशील दौर में फिर से प्रवेश कर रहा है। आने वाले वर्षों में, लाखों भारतीय परिवार नए उपकरण खरीदने के लिए तैयार हैं। परिणामस्वरूप, अगले दशक में विद्युत की मांग 6% प्रति वर्ष की दर (पिछले दशक के दौरान 4.3% की वार्षिक वृद्धि की तुलना में) से बढ़ने की उम्मीद है।

20वें ईपीएस के अनुसार विद्युत ऊर्जा मांग में अनुमानित वृद्धि

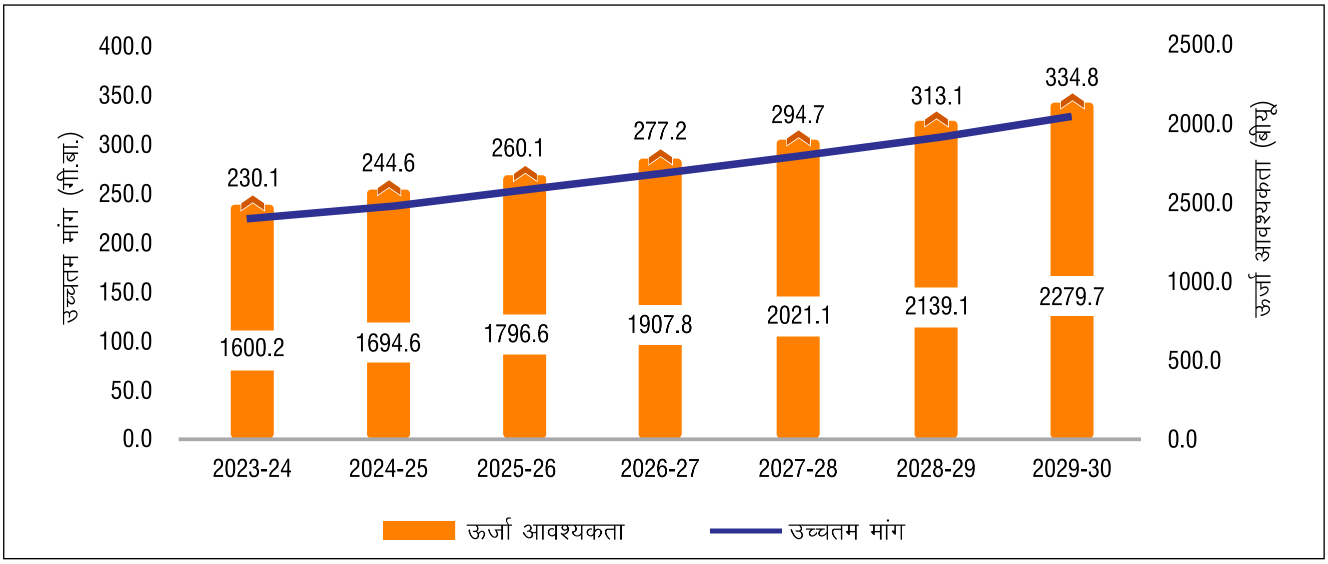

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2022–32 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) (वॉल्यूम–I जेनरेशन) को अधिसूचित किया है। एनईपी दस्तावेज के अनुसार, 20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) मांग अनुमान के अनुसार, वर्ष 2026–27 के लिए अनुमानित अखिल भारतीय शीर्ष विद्युत मांग और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता 277.2 गीगावाट और 1907.8 बीयू और वर्ष 2031–32 के लिए 366.4 गीगावाट और 2473.8 बीयू है। ऊर्जा की आवश्यकता और अधिकतम मांग में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन, सोलर रूफ टॉप की स्थापना, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन, सौभाग्य योजना आदि के कारण पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं।

2022–27 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना की तैयारी के दायरे में किए गए उत्पादन नियोजन अध्ययनों के आधार पर, वर्ष 2026–27 के लिए संभावित स्थापित क्षमता ~ 609 गीगावाट है, जिसमें 273 गीगावाट पारंपरिक क्षमता और 336 गीगावाट नवीकरणीय आधारित क्षमता शामिल है।

वर्ष 2031–32 के लिए संभावित स्थापित क्षमता ~ 900 गीगावाट होने का अनुमान है, जिसमें 304 गीगावाट पारंपरिक क्षमता और 596 गीगावाट नवीकरणीय आधारित क्षमता शामिल है।

कुल क्षमता वृद्धि का अनुमान वर्ष 2029–30 तक लगभग 500 गीगावाट की गैर–जीवाश्म आधारित स्थापित क्षमता हासिल करने के देश के लक्ष्य के अनुरूप है।

एनईपी की परिकल्पना है कि गैर–जीवाश्म आधारित क्षमता की हिस्सेदारी अप्रैल 2023 के लगभग 42.5% से वर्ष 2026–27 के अंत तक बढ़कर 57.4% होने और वर्ष 2031–32 के अंत तक बढ़कर 68.4% होने की संभावना है।

ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण स्कीमें:

भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के माध्यम से ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में मदद करती हैं, जिनमें मानक और लेबल (एस एंड एल) कार्यक्रम, सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला), स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी), ऊर्जा दक्षता का निर्माण, कृषि और नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन शामिल हैं।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा वर्ष 2029–30 के लिए किए गए उत्पादन विस्तार योजना अध्ययन के अनुसार, देश की कुल स्थापित क्षमता में गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता की हिस्सेदारी लगभग अक्टूबर, 2022 के 42% से वर्ष 2029–30 तक 64% से अधिक तक बढ़ने की संभावना है। इससे विद्युत उत्पादन में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी तथा सौर और पवन जैसे विद्युत के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना।
- 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर–राज्य बिक्री के लिए अंतर राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क की छूट।
- वर्ष 2029–30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के लिए एक प्रक्षेप पथ की घोषणा।
- बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की स्थापना के लिए आरई डेवलपर्स को भूमि और ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम–कुसुम), सोलर रूफटॉप चरण II, 12000 मेगा वाट (मेगावाट) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण II, आदि जैसी योजनाएं।
- नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना और नई सब–स्टेशन क्षमता बनाना।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) और पवन परियोजनाओं से विद्युत खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश।
- हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस नियम 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना।
- एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) का शुभारंभ।
- एलसी और स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से भुगतान सुरक्षा तंत्र का कार्यान्वयन।
- 'विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022'(एलपीएस नियम) की अधिसूचना।

केंद्रीय बजट:

- 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण पर योजना।
- इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरियों के लिए लिथियम–आयन कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क छूट को दिनांक 31.03.2024 तक बढ़ा दिया गया है।
- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपये का परिव्यय अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में बदलने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने और देश को इस उभरते क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व प्रदान करने में मदद करेगा।

खपत

वित्त वर्ष 2021–22 में भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 1255 किलोवाट–घंटा थी, जो प्रति व्यक्ति बिजली खपत के वैश्विक औसत का लगभग एक तिहाई है।

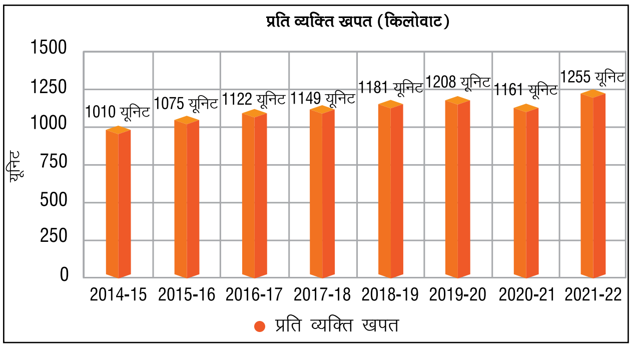

भारत में कुल विद्युत खपत वित्तीय वर्ष 2021–22 के 1,491 बीयू से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022–23 में 1,624 बीयू हो गई, जिसमें महामारी–उपरांत आर्थिक सुधार के बाद 8.87% की वृद्धि हुई है। विद्युत के प्रमुख अंतिम उपयोगकर्ताओं को मोटे तौर पर 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: कृषि, वाणिज्यिक, घरेलू, औद्योगिक, कर्षण एवं रेलवे, और अन्य।

सरकार की योजना को लागू करने के लिए टीएचडीसीआईएल की पहल

टीएचडीसीआईएल द्वारा सरकार की योजना का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- टीएचडीसीआईएल ने पूरे भारत में बिजली के व्यापार के लिए पावर ट्रेडिंग लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया है।
- टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा (उत्तर प्रदेश सरकार सरकार की एक इकाइ/एजेंसी) के बीच 'टुस्को लिमिटेड' नामक एक एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में 2000 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्कों का विकास किया जा रहा है। तदनुसार, जिला झाँसी और जिला ललितपुर में प्रत्येक में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क और जिला चित्रकूट में 800 मेगावाट का सौर पार्क विकसित किया जा रहा है।
- राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल (राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के बीच 'ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड' नामक एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी का भी निगमन किया गया है।
- विभिन्न राज्यों में पंपड भंडारण संयंत्रों की संभावना का पता लगाया जा रहा है।
- स्थानीय विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी खरीद आम तौर पर सरकारी ई–मार्केट पोर्टल (जीईएम) के माध्यम से की जा रही है।
- टीएचडीसीआईएल भारत में सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं के मौजूदा जलाशयों और नहरों पर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने का प्रयास करता है।
- टीएचडीसीआईएल एक नई उभरती लागत–प्रभावी कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) में कार्बन कैप्चर के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को लागू करने की भी प्रक्रिया में है। इस प्रायोगिक परियोजना के परिणाम के आधार पर, क्षमता में वृद्धि की जाएगी जो उत्सर्जित गैसों से अधिकाधिक कार्बन–आधारित उत्सर्जन (सीओ2 आदि) को हटाने में मदद करेगी।

- 'मेक इन इंडिया; कार्यक्रम के तहत, टीएचडीसीआईएल निविदा दस्तावेजों में उपयुक्त प्रावधान करके 'स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' को प्रोत्साहित कर रहा है।
- स्थानीय क्षेत्र के युवाओं और निवासियों के बीच आजीविका और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, टीएचडीसीआईएल द्वारा कई गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं।
- टीएचडीसीआईएल द्वारा पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनेक सीएसआर गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं।
- जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए भारत सरकार के प्रयासों में सहायता के लिए, टीएचडीसी ने उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में 03 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल सौर आधारित स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, बर्तनों के साथ इंडक्शन कुक टॉप आदि का वितरण करता है।

जलविद्युत क्षेत्र में सुधार:

जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, मार्च 2019 में, भारत सरकार ने कई सरकारी नीतिगत उपायों को मंजूरी दी, जो इस प्रकार हैं:

(i) बड़े जल विद्युत (एलएचपी) (> 25 मेगावाट परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना।

(ii) गैर–सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक अलग इकाई के रूप में हाइड्रो खरीद दायित्व (एचपीओ)

(iii) जलविद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय

(iv) बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता

(v) अवसंरचना को सक्षम करने की लागत, अर्थात् सड़कों/पुलों के लिए बजटीय सहायता

क. 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट

ख. 200 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाओं के लिए 1.0 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट

इन उपायों के परिणामस्वरूप, प्रारंभिक वर्षों में पूंजी लागत के साथ–साथ परियोजना शुल्क भी कम हो जाएगा जिससे परियोजना व्यवहार्यता और बिक्री क्षमता में सुधार होगा।

जल विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत में वृद्धि की घटनाओं को कम करने के लिए दिशानिर्देश जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में आमतौर पर विभिन्न कारणों से देरी होती है जिसके परिणामस्वरूप समय और लागत में वृद्धि होती है। जल विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत वृद्धि की घटनाओं को कम करने के लिए दिशानिर्देश 08.11.2019 को जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में विभिन्न पहलुओं नामतः यथार्थवादी शेड्यूलिंग, सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग, सनसेट तिथि की अवधारणा, महत्वपूर्ण/गैर महत्वपूर्ण कार्यों को सूचीबद्ध करना, शक्ति का प्रत्यायोजन, दावों का समय पर निपटान, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, संसाधन जुटाना, विवाद समाधान, समय पर परियोजना उपलब्धि चरण हासिल करने पर श्रम को प्रोत्साहित करना आदि को शामिल किया गया है।

विद्युत क्षेत्र का भावी विकास

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 20वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2029–30 तक शीर्ष मांग और ऊर्जा आवश्यकता क्रमशः 335 गीगावाट और 2280 बीयू के आसपास है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, भविष्य में किसी भी कमी की स्थिति से बचने के लिए उत्पादन क्षमता को पहले से शामिल करना आवश्यक है। उपभोक्ताओं को 24x7 विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदान की जानी चाहिए।

भारत सरकार द्वारा अन्य हालिया नीतिगत उपाय:

- जलविद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) प्रक्षेपवक्र दिनांक 29.01.2021 को देखा गया है और वर्ष 2021–22 से 2029–30 की अवधि के लिए क्रमशः 0.18% से 2.82% तक भिन्न है। उपरोक्त एचपीओ प्रक्षेपवक्र को जलविद्युत परियोजनाओं की संशोधित कमीशनिंग अनुसूची के आधार पर वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा।
- बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता और सक्षमकारी अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों की लागत के लिए दिशानिर्देश भी दिनांक 28.09.2021 को अधिसूचित किए गए हैं।
- दिनांक 30.06.2025 तक चालू किए गए पीएसपी के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में छूट/कमी को सरकार द्वारा दिनांक 21.06.2021 के विद्युत मंत्रालय के आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।
- नवीकरणीय ऊर्जा के साथ हाइड्रो पावर के बंडलिंग की योजना विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15.11.2021 के आदेश द्वारा अधिसूचित की गई है।
- विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22.12.2021 के आदेश के तहत उपयुक्त विश्लेषण करने और संकेतित परियोजनाओं पर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाइड्रो सीपीएसयू [एनएचपीसी, एसजेवीएन, टीएचडीसी और एनईईपीसीओ] को अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं का बेसिन वार आवंटन किया है।
- विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08.08.2022 के आदेश के तहत हाइड्रो सीपीएसयू/डीवीसी/बीबीएमबी को विकास और संबंधित राज्य सरकार के साथ मामले को उठाने और परियोजनाओं पर उपयुक्त विश्लेषण करने और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए पंप भंडारण परियोजना स्थलों की पहचान करने का संकेत दिया है।
- वित्त वर्ष 2022–23 से, सभी जल विद्युत परियोजनाओं की ऊर्जा को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22.07.2022 के आदेश के माध्यम से आरपीओ का हिस्सा माना जाएगा। एचपीओ प्रक्षेपवक्र, जैसा कि पहले बताया गया है, 8 मार्च 2019 के बाद चालू किए गए एलएचपी के लिए लागू रहेगा। अन्य सभी एचपीपी को अन्य आरपीओ की श्रेणी के तहत 'आरपीओ' का हिस्सा माना जाएगा।
- नई जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत पारेषण पर आईएसटीएस शुल्क की छूट, जिसके लिए निर्माण कार्य सौंपा गया है और पीपीए पर दिनांक 30.06.2025 को या उससे पहले हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद, 01.07.2025 से 01.07.2028 तक 25% के चरणों में आईएसटीएस शुल्क की आंशिक छूट उन एचईपी के लिए 30.06.2028 तक बढ़ा दी गई है जिनके लिए निर्माण कार्य आवंटित किया गया है और पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- अवरूद्ध जलविद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण की सुविधा के लिए दिनांक 04.01.2022 को सीएमडी, पीएफसी की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है ताकि प्रारंभिक चरण में अवरूद्ध और सीपीएसयू द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली जलविद्युत परियोजनाओं का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने अब तक अरुणाचल प्रदेश में 9 एचईपी को सीपीएसयू द्वारा अपने अधिकार में लेने की सिफारिशें की हैं।

विद्युत (संशोधन) नियम, 2022

विद्युत मंत्रालय ने विद्युत नियम, 2005 में निम्नलिखित नए प्रावधान समाविष्ट कर दिनांक 29.12.2022 को संशोधन अधिसूचित किया है:

1. **ओपन एक्सेस के इच्छुक उपभोक्ताओं द्वारा देय अधिभार-** ओपन एक्सेस अधिभार को आपूर्ति की औसत लागत का 20% तक सीमित करना, जो 20% की सीमा के भीतर क्रॉस सब्सिडी को कम करने के लिए टीईआरआई नीतिगत प्रावधान के अनुरूप है।
2. **वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत क्रय लागत की समय पर वसूली-** मासिक आधार पर 'ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन' व्यवस्था के अनिवार्य प्रावधान। उपयुक्त आयोग इन नियमों के प्रकाशन के नब्बे दिनों के भीतर, मूल्य समायोजन फॉर्मूला निर्दिष्ट करेगा और ऐसा मासिक स्वचालित समायोजन उचित आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

3. **सब्सिडी लेखांकन-** अधिनियम की धारा 65 के प्रयोजन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार देय सब्सिडी का लेखांकन।

4. **संसाधन पर्याप्तता-** एसईआरसी को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार समय–समय पर वितरण लाइसेंसधारियों का संसाधन पर्याप्तता मूल्यांकन करना होगा।

5. **जल विद्युत का विकास-** जल विद्युत परियोजनाओं की सहमति के मामलों में सीईए द्वारा निर्णय लेने के लिए जल विद्युत उत्पादन योजना के लिए 150 दिन और 41 नदी पंप भंडारण संयंत्र के लिए 90 दिन की समयसीमा।

6. **ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) -** ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को विद्युत प्रणाली का एक हिस्सा माना जाएगा। ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उपयोग या तो स्वतंत्र ऊर्जा भंडारण प्रणाली या नेटवर्क परिसंपत्ति के रूप में या उत्पादन, पारेषण और वितरण के पूरक के रूप में किया जाएगा। ऊर्जा भंडारण प्रणाली को उसके अनुप्रयोग क्षेत्र अर्थात् उत्पादन, पारेषण और वितरण के आधार पर दर्जा दिया जाएगा।

वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

कंपनी मुख्य रूप से जलविद्युत और गैर–पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं के बिजली उत्पादन के लिए टैरिफ सीईआरसी टैरिफ विनियमों के संदर्भ में विनियमित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण निम्नानुसार है।

निम्नलिखित पैराग्राफ में टिप्पणी (यों) के संदर्भ, इस रिपोर्ट में कहीं और रखे गए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों में उल्लिखित है।

पिछले वर्षों के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

क. प्रचालन के परिणाम

उत्पादन की गई विद्युत यूनिटें (एमयू)	वित्त वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
उत्पादन	**4936.28**	**4670.80**
बिक्री	**4365.30**	**4128.76**
आय ₹ करोड़ में		
1. सतत प्रचालन से राजस्व (टिप्पणी 33)	1974.30	1921.49
2. अन्य आय (टिप्पणी 34)		
क) लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	17.70	225.46
ख) अन्य	11.65	80.39
कुल आय	**2003.65**	**2227.34**

1. **आयः**

कंपनी की आय में बिजली की बिक्री से आय, लाभार्थियों से प्राप्त ब्याज और अधिभार, परामर्श, आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए सकल आय 2003.65 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वर्ष में 2227.34 करोड़ थी जिसमें 10.04% की कमी दर्ज की गई है। सकल आय में कमी मुख्य रूप से लाभार्थियों द्वारा समयबद्ध भुगतान के कारण लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार में कमी के कारण है।

प्रशुल्क

कंपनी द्वारा जलविद्युत की बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति के अनुसार केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित टैरिफ द्वारा नियंत्रित होती है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने टैरिफ विनियम, 2019 अधिसूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें शामिल हैं, जो 01.04.2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू है। टैरिफ, वार्षिक निश्चित लागत (एएफसी) के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है जिसमें इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई), मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन और रखरखाव व्यय शामिल हैं। आरओई को संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी आयकर दर के साथ जोड़ा जाता है ताकि आयकर भार की वसूली की जा सके। वसूली के उद्देश्य से, एएफसी को दो बराबर भागों अर्थात ऊर्जा प्रभार और क्षमता प्रभार में विभाजित किया गया है। ऊर्जा शुल्क की वसूली अनुसूचित बिक्री योग्य ऊर्जा पर निर्भर है और बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा स्तर प्राप्त होने पर पूर्ण वसूली सुनिश्चित की जाती है। बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक उत्पादन ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार के रूप में अतिरिक्त राजस्व के लिए बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से 1.20 रूपये/किलोवाट घंटा अधिक पर बिल किया जाता है। क्षमता शुल्क की वसूली नॉर्मेटिव वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) के संदर्भ में बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र की वास्तविक उपलब्धता कारक पर निर्भर है, जिसे माननीय सीईआरसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 के लिए टिहरी एचपीपी के लिए 80% और कोटेश्वर एचईपी के लिए 68% निर्धारित किया गया है। कंपनी एनएपीएएफ के सापेक्ष उच्च संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफ) प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने की हकदार है।

प्रचालन से राजस्व में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

i. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार गुजरात में पाटन पवन परियोजना से पवन ऊर्जा की बिक्री को विनियमित किया जाता है।

ii. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार गुजरात में द्वारका पवन परियोजना से पवन ऊर्जा की बिक्री को विनियमित किया जाता है।

iii. उत्तर प्रदेश में ढुकवां एसएचपी से लघु जल विद्युत की बिक्री, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

iv. केरल में कासरगोड सौर परियोजना से सौर ऊर्जा की बिक्री, केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

प्रचालन से राजस्व (टिप्पणी 33)

माननीय सीईआरसी ने दिनांक 10.05.2022 और 15.05.2023 के अपने आदेश के माध्यम से क्रमशः 2014–19 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी की ट्रूइंग टैरिफ याचिका और 2019–24 के लिए टिहरी एचपीपी की टैरिफ याचिका का निपटारा कर दिया है। माननीय सीईआरसी ने दिनांक 14.09.2022 और 03.10.2022 के अपने आदेश के माध्यम से कोटेश्वर एचईपी की 2014–19 अवधि के लिए ट्रूइंग टैरिफ याचिका और 2019–24 के लिए कोटेश्वर एचईपी की टैरिफ याचिका का भी निपटारा कर दिया है। पिछले वर्षों से संबंधित उक्त टैरिफ आदेशों का प्रभाव अर्थात् 31.03.2022 तक–20.71 करोड़ रुपये की राशि को प्रचालन से राजस्व में शामिल किया गया है। दिनांक 15.05.2023 और 03.10.2022 के उपरोक्त आदेश के आधार पर, चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी

के लिए राजस्व को मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त, सीईआरसी ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन के प्रभाव, कोटेश्वर एचईपी के लिए जीएसटी, न्यूनतम वेतन और सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) के प्रभाव की वसूली के लिए दिनांक 25.11.2022 का आदेश जारी किया है और वेतन संशोधन के प्रभाव की वसूली के लिए दिनांक 09.06.2022 का समीक्षा आदेश जारी किया है। दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2019 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट) के लिए सुरक्षारत कर्मचारी व्यय (सीआईएसएफ) की राशि क्रमशः ₹ 61.09 करोड़ और ₹ 5.78 करोड़ है और इसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचालन से राजस्व में मान्यता दी गई है।

इसके अतिरिक्त, प्रचालन से प्राप्त राजस्व में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 82.00 करोड़ रुपये का जल उपभोग प्रभार शामिल है।

बिक्री में मुख्य रूप से मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उच्च संयंत्र उपलब्धता कारक की उपलब्धि के कारण टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी स्टेशनों के संबंध में क्षमता प्रोत्साहन के कारण ₹ 28.49 करोड़ की राशि शामिल है।

बिक्री में मुख्य रूप से विद्युत स्टेशनों की बिक्रीयोग्य डिजाइन ऊर्जा की तुलना में उच्च ऊर्जा उत्पादन के कारण टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी स्टेशनों के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से परे ऊर्जा शुल्क के कारण ₹ 57.93 करोड़ की राशि भी शामिल है।

पवन, लघु जलविद्युत और सौर परियोजनाओं के लिए बिक्री राजस्व को पीपीए के अनुसार टैरिफ के आधार पर मान्यता दी गई है।

कंपनी थोक ग्राहकों को बिजली बेचती है, जिसमें मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और निजी वितरण कंपनियों के स्वामित्व वाली बिजली यूटिलिटी शामिल हैं। बिजली की बिक्री आम तौर पर ऐसी उपयोगिताओं के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर आधारित होती है।

उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)		कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
डिजाइन ऊर्जा (एमयू)	2797.00	2797.00	1154.84	1154.84
सकल उत्पादन (एमयू)	3284.79	3098.11	1255.20	1190.69
मानक पीएएफ (%)	80.000	80.000	68.000	68.000
वास्तविक पीएएफ (%)	84.090	83.728	68.659	68.614

बिक्री में समय–समय पर सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों पर 18.98 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 14.47 करोड़ रुपये) का विचलन निपटान प्रभार भी शामिल है।

पवन, लघु जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से राजस्व:

वित्त वर्ष 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (पवन, लघु जलविद्युत और सौर ऊर्जा) की बिक्री से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6.87 करोड़ तक की वृद्धि हुई है। ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना ने क्रमशः ₹ 39.82 करोड़ और ₹ 28.29 करोड़ का योगदान दिया। कंपनी अपनी पवन परियोजनाओं पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का लाभ भी उठा रही है जो 10.05 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10.88 करोड़ रुपये) है।

पवन, लघु जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से एमयू में उत्पादन और बिक्री का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	पवन (113 मेगावाट) पाटन-50 मेगावाट, द्वारिका 63 मेगावाट		ढुकवां (24 मेगावाट)		कासरगोड सोलर (50 मेगावाट)*	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
उत्पादन (एमयू)	218.45	234.64	82.46	58.25	95.38	89.11
बिक्री (एमयू)	209.37	224.99	81.08	56.94	93.10	88.20

(*) सीओडी– 31.12.2020 (वित्त वर्ष 2021–22)

अन्य आय (टिप्पणी 34)

अन्य आय में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

आय	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
बैंकों से ब्याज	0.73	0.34
लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	17.70	225.46
अन्य विविध आय (मशीन किराया शुल्क, किराया आय, विविध आय, अतिरिक्त प्रावधान प्रतिलेखित, संपत्ति की बिक्री पर लाभ, कर्मचारियों से ब्याज, अन्य और विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव समायोजन सहित)	10.92	80.05
कुल आय	**29.35**	**305.85**

वर्ष के लिए अन्य आय पिछले वर्ष के 305.85 करोड़ रुपये से 90.40% कम होकर 29.35 करोड़ रुपये रह गई। इसका मुख्य कारण यह है कि कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत विलंबित भुगतान अधिभार के रूप में 225.46 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लाभार्थियों द्वारा समयबद्ध भुगतान के कारण कंपनी को 17.70 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, बीवाईपीएल से संबंधित अतिरिक्त प्रतिलेखित प्रावधान और अन्य में 67.33 करोड़ रुपये की कमी आई और कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज में 1.41 करोड़ रुपए की कमी आई।

2. व्यय

व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं: (करोड़ रुपये में)

व्यय	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
कर्मचारी हितलाभ व्यय (टिप्पणी 35)	336.74	354.11
वित्त लागत (टिप्पणी 36)	181.37	134.11
मूल्यह्रास और परिशोधन (टिप्पणी 2)	273.90	302.65
उत्पादन, प्रशासनिक और अन्य व्यय (टिप्पणी 37)	428.20	287.06
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर (टिप्पणी 38)	0.00	0.00
कुल व्यय	**1220.21**	**1077.93**
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन - आय / (व्यय)	**43.30**	**(29.72)**

कर्मचारी हितलाभ व्यय (टिप्पणी 35)

कर्मचारी हितलाभ व्यय में वेतन और मजदूरी, भत्ते और लाभ, भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान, कल्याण व्यय और आस्थगित कर्मचारी लागत के परिशोधन व्यय शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में यह व्यय कुल व्यय का 27.60% है जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में यह कुल व्यय का 32.85% था। वर्ष के दौरान कर्मचारी हितलाभ व्यय 336.74 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 354.11 करोड़ रुपये) है अर्थात् इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 17.37 करोड़ रूपये की कमी आई। यह कमी मुख्य रूप से कर्मचारी संख्या में वृद्धि और पीआरपी संबंधित व्ययों में कमी के कारण हुई।

वित्त लागत (टिप्पणी 36)

वित्त लागत में मुख्य रूप से बांड, घरेलू ऋण, विदेशी ऋण, नकद ऋण आदि पर ब्याज शामिल है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, वित्त लागत में 47.26 करोड़ रुपये (चालू वर्ष 181.37 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष में 134.11 करोड़ रूपये) की वृद्धि हुई है। वित्त लागत में वृद्धि मुख्य रूप से पी एंड एल खाते में प्रभारित एफईआरवी में वृद्धि (वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पी एंड एल में प्रभारित एफईआरवी ₹78.52 करोड़ है जबकि वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ₹12.70 करोड़ था, इसमें ₹65.81 करोड़ की निवल वृद्धि हुई है), में वृद्धि; ब्याज दर में वृद्धि और लाभ सीमा में वृद्धि के कारण एसटीएल और नकद ऋण पर ब्याज में ₹34.28 करोड़ की वृद्धि तथा अन्य में ₹2.45 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

तथापि, दीर्घावधि के घरेलू ऋणों में निवल ₹ 109.64 करोड़ की कमी के कारण घरेलू ऋण पर ब्याज में ₹ 36.26 करोड़ की कमी आई है, निर्माण परियोजना में समान की बुकिंग और कमी के कारण पीएंडएल में प्रभारित बांड पर ब्याज में ₹ 18.59 करोड़ की कमी और अन्य में ₹ 0.43 करोड़ की कमी हुई है।

मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (टिप्पणी 2)

कुछ मदों, जिनके लिए कंपनी द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, को छोड़कर कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद ऋजुरेखीय पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

मूल्यह्रास लागत में 28.75 करोड़ रूपये (चालू वर्ष–273.90 करोड़, पिछला वर्ष 302.65 करोड़ रुपये) की कमी आई है। ₹ 34.23 करोड़ की कमी मुख्य रूप से ढुकवां परियोजना में मूल्यह्रास पद्धति में बदलाव अर्थात् गैर सीईआरसी परियोजना के रूप में 'त्वरित मूल्यह्रास से पूरे परियोजना काल पर समान रूप से प्रभारित किया जाने वाला मूल्यह्रास' के कारण हुई है। इसके अलावा, टिहरी इकाई के मूल्यह्रास में ₹ 7.52 करोड़ की वृद्धि हुई है और कोटेश्वर इकाई के उपयोग के अधिकार वाहन पर मूल्यह्रास में ₹ 2.04 करोड़ की कमी आई है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 28.08% की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान मूल्यह्रास हमारे कुल व्यय का 22.45% है।

सामान्य, प्रशासनिक और अन्य व्यय (टिप्पणी 37)

सामान्य, प्रशासनिक और अन्य व्ययों में मुख्य रूप से इमारतों, सड़कों और संयंत्र और मशीनरी का किराया, मरम्मत और रखरखाव, वाहन किराए पर लेना और संचालन, सुरक्षा, लेखा परीक्षकों को भुगतान, सर्वेक्षण और जांच, सीएसआर और सतत विकास गतिविधियों पर व्यय और अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल हैं।

सामान्य, प्रशासनिक और अन्य व्यय वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कुल व्यय का 35.09% है जबकि, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान यह कुल व्यय का 26.63% था। निरपेक्ष रूप से वित्त वर्ष 2022–23 में 428.20 करोड़ रुपये व्यय हुआ जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 287.06 करोड़ था अर्थात् इसमें 141.14 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई। यह कमी मुख्य रूप से अगस्त, 2022 से जल उपयोग प्रभारों संबंधी व्यय में 82.01 करोड़ रुपए की वृद्धि, मरम्मत और अनुरक्षण पर व्यय में 20.58 करोड़ रुपये की वृद्धि, सुरक्षा व्ययों में 5.67 करोड़ रूपये की वृद्धि, सर्वेक्षण एवं जांच व्यय में 8.68 करोड़ रुपये की वृद्धि, वाहन किराए पर लेने के प्रभारों में 5.99 करोड़ रुपए की वृद्धि, अन्य सामान्य व्ययों जैसे पेशेवर शुल्क, वजीफा, और अन्य में 11.84 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण हुई।

अशोध्य और संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर्स और स्पेयर्स के लिए प्रावधान (टिप्पणी 38)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर्स का प्रावधान पर किया गया व्यय 'शून्य' है।

विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन (टिप्पणी 40)

कंपनी मुख्य रूप से विद्युत के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं से अपने ग्राहकों को बेची जाने वाली बिजली के लिए कंपनी द्वारा वसूला जाने वाला मूल्य सीईआरसी द्वारा निर्धारित किया जाता है जो टैरिफ के निर्धारण के लिए सिद्धांतों और कार्यप्रणाली पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। टैरिफ इक्विटी पर निर्धारित आय के साथ स्वीकार्य लागत जैसे ब्याज, मूल्यह्रास, संचलन

और रखरखाव खर्च आदि पर आधारित है। सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्माण अवधि के दौरान विनिमय दर भिन्नता के कारण, कोई लाभ या हानि वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा तक पूंजीगत लागत का हिस्सा होगी। वेतन संशोधन के प्रभाव, आस्थगित कर अंतर, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मद के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को तुलन पत्र में बिना छूट के आधार पर नियामक आस्थगित खाता डेबिट/क्रेडिट शेष के रूप में मान्यता दी जाती है। तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) और निवल प्रभाव को लाभ और हानि खाते में नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन के रूप में मान्यता दी जाती है। उन्हें टैरिफ के हिस्से के रूप में उनके मटेरियलाइजेशन पर समायोजित किया जाता है। इसका लेखा–जोखा इंड एएस–114 के अनुसार है।

विनियामक आस्थगन खाता शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 43.30 करोड़ रूपये और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए (–29.72) करोड़ रूपये है।

73.02 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण निम्नानुसार हैं:

1. वेतन संशोधन से संबंधित ₹ 82.82 करोड़ के समायोजन और 31.12.2021 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान टिहरी इकाई के अन्य ₹ 0.90 करोड़ के समायोजन के कारण विनियामक स्थगन खाता डेबिट शेष में वृद्धि
2. रुपये के मुकाबले डॉलर के मूल्यवृद्धि के कारण विनिमय दर में बदलाव के कारण विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष में ₹ 78.52 करोड़ की वृद्धि (विनिमय दर भिन्नता लाभ के कारण पिछले वर्ष आस्थगित खाता डेबिट शेष में ₹ 12.70 करोड़ की कमी)
3. दिनांक 31.03.2023 को समाप्त इस वर्ष के दौरान कोटेश्वर इकाई के अन्य वेतन संशोधन से संबंधित ₹ 43.79 करोड़ के समायोजन के कारण विनियामक स्थगन खाता डेबिट शेष में कमी।
4. आस्थगित कर देयता की मान्यता के कारण विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष में ₹ 17.74 करोड़ की कमी। (पिछले वर्ष ₹ 35.02 करोड़ की कमी)।
5. उपरोक्त के कारण चालू अवधि में देय ₹ 9.17 करोड़ का कर व्यय। (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 6.29 करोड़ का कर लाभ लेखांकित किया गया था)।

कर पूर्व लाभ

उपरोक्त उल्लिखित कारणों की वजह से, कर पूर्व लाभ 365.97 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 1149.41 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 783.44 करोड़ रुपये) कम हो गया।

कर व्यय (टिप्पणी 39):

i) चालू कर व्यय: कंपनी आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आय पर कर को मान्यता देती है। पिछले वर्ष के 189.34 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष के लिए चालू कर 136.55 करोड़ रुपये है।

ख. वित्तीय स्थिति

तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को 'गैर–चालू' और 'चालू' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III और इसमें अनुवर्ती संशोधन के अनुसार वित्तीय और अन्य श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तुलन–पत्र की मदें इस प्रकार हैः

परिसंपत्तियां:

1. गैर-चालू परिसंपत्ति (करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी 2)	6182.61	6343.47
उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति (टिप्पणी 2)	404.53	411.72
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी 2)	0.54	0.25
पूंजीगत कार्य–प्रगति पर (टिप्पणी 3)	13990.63	9447.39
सहायक कंपनी में निवेश (टिप्पणी 4)	25.90	14.80
वित्तीय परिसंपत्तियां		
– ऋण (टिप्पणी 5)	32.00	36.12
– अग्रिम (टिप्पणी 6)	3.70	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 7)	818.54	836.29
गैर–चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 8)	17.56	43.21
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 9)	2097.80	2042.24
कुल	**23573.81**	**19175.49**

गैर–चालू परिसंपत्तियों में 22.94% की वृद्धि होकर यह 23573.81 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 19175.49 करोड़ रुपये) हो गई हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) (टिप्पणी 2)

पीपीई में भूमि, भवन, सड़क और पुल, संयंत्र और मशीनरी, उत्पादन संयंत्र और मशीनरी, विद्युत कार्य, हाइड्रोलिक कार्य (बांध, सुरंग आदि), वाहन, विद्युत / कार्यालय उपकरण, फर्नीचर/फिक्सचर्स आदि के संबंध में मूल्यह्रास के बाद निवल ब्लॉक शामिल हैं। पीपीई का सकल ब्लॉक वर्ष के दौरान 139.75 करोड़ रुपये बढ़कर 14224.28 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 14.84.53 करोड़ रुपये) हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से टिहरी इकाई की अवर्गीकृत भूमि और अन्य से संबंधित विभिन्न परिसंपत्तियों के ₹ 99.84 करोड़ के पूंजीकरण, खुर्जा इकाई में ₹ 13.24 करोड़, ऋषिकेश इकाई में ₹ 11.84 करोड़ के भवन, सड़क और पुल, जल निकासी, जल आपूर्ति आदि जैसी विभिन्न परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के कारण है। हालांकि, 31.03.2023 को समाप्त अवधि के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास के कारण कमी और सकल ब्लॉक में 167.76 करोड़ रुपए की वृद्धि के संचयी प्रभाव के साथ चालू वर्ष के अंत में पीपीई का निवल ब्लॉक 6587.68 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6755.44 करोड़ रूपये) है।

पूंजीगत कार्य-प्रगति पर और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी 3)

चालू वर्ष के दौरान चल रहे पूंजीगत कार्य में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण 4543.24 करोड़ रुपये (9447.39 करोड़ रुपये से 13990.63 करोड़ रुपये) की वृद्धि दर्ज की गई:

1. खुर्जा यूनिट के पूंजीगत कार्यों में 3240.63 करोड़ रूपये की वृद्धि।
2. टिहरी पीएसपी यूनिट के पूंजीगत कार्यों में 828.91 करोड़ रुपये की वृद्धि।

3. अमेलिया यूनिट के पूंजीगत कार्यों में 73.09 करोड़ रुपये की वृद्धि।

4. वीपीएचईपी यूनिट के पूंजीगत कार्यों में 394.27 करोड़ रुपये की वृद्धि।

5. टिहरी ओ एंड एम यूनिट के पूंजीगत कार्यों में 15.97 करोड़ रुपये की वृद्धि।

6. अन्य में 8.66 करोड़ रूपये की वृद्धि।

वित्तीय परिसंपत्तियां

व्यापार प्राप्य और सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य प्लस या माइनस लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती हैं। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ या हानि के विवरण में व्यय में दर्शाया जाता है।

गैर-चालू परिसंपत्तियां-सहायक कंपनियों में निवेश (टिप्पणी 4)

निवेश लंबी अवधि के लिए अभिप्रेत है और उस लागत पर किया जाता है जिसमें सहायक कंपनियों में निवेश शामिल होता है। वर्ष के अंत में कुल निवेश 25.90 करोड़ रुपये है, जो यूपीनेडा के साथ वित्त वर्ष 2020–21 गठित सहायक संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स टुस्को लिमिटेड में किया गया है।

गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण (टिप्पणी 5)

गैर–चालू ऋण ऐसे ऋण हैं जिनके तुलन पत्र की तारीख से 12 महीने के बाद वसूल किए जाने की उम्मीद है। इन ऋणों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को रियायती दरों पर दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं और रिपोर्टिंग तिथि पर उनका उचित मूल्यांकन किया गया है। चालू वर्ष के अंत में ऋण 32.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 36.12 करोड़ रुपये) है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 7)

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो अस्थायी अंतरों के रिवर्स होने पर लागू होने की उम्मीद है, जो उन कानूनों के आधार पर लागू होते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग की तारीख तक लागू किया गया है। निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति में 17.75 करोड़ रुपये (चालू वर्ष 818.54 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष 836.29 करोड़ रुपये) की कमी हुई। कमी मुख्य रूप से बही मूल्यह्रास में कमी, संपत्ति के उपयोग के अधिकार पर डीटीएल में कमी, प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान में वृद्धि, बीमांकिक और अन्य प्रावधानों में कमी के कारण है।

गैर-चालू कर परिसंपत्तियां (टिप्पणी 8)

यह आयकर विभाग के पास जमा की गई राशि को दर्शाती है, जिसका मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें 25.65 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई है और यह विगत वर्ष से 43.21 करोड़ रुपये से कम होकर 17.56 करोड़ रुपये रह गई है।

अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 9)

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत, ठेकेदारों को दिए गए पूंजीगत अग्रिम, सरकारी विभागों /संगठनों, ठेकेदारों को अग्रिमों पर अर्जित ब्याज आदि शामिल हैं। यह मुख्य रूप से संविदाकारों को अग्रिमों में 101.39 करोड़ रुपए, सरकारी एजेंसियों के 110.33 करोड़ रुपए और उपार्जित ब्याज में 88.49 करोड़ की वृद्धि के कारण विगत वर्ष के ₹ 2042.24 करोड़ की तुलना में ₹ 2097.80 करोड़ हो गया है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों और संविदाकारों से संबंधित ₹ 244.65 करोड़ के अग्रिम का समायोजन किया गया।

2. चालू परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
इंवेन्ट्री (टिप्पणी 10)	78.80	40.94
वित्तीय परिसंपत्तियां		
– व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 11)	695.92	723.72
– नकदी और नकदी समकक्ष (टिप्पणी 12)	93.65	87.77
– ऋण (टिप्पणी 13)	8.97	9.59
–अग्रिम (टिप्पणी 14)	8.47	8.89
– अन्य (टिप्पणी 15)	506.65	849.21
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 16)	93.51	60.82
अन्य चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 17)	69.32	42.78
कुल	**1555.29**	**1823.72**

31 मार्च, 2023 को चालू परिसंपत्ति 268.43 करोड़ रुपये घटकर 1555.29 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1823.72 करोड़ रुपये) हो गई है। मदवार विश्लेषण निम्नानुसार हैः

इन्वेंट्री (टिप्पणी 10)

इन्वेंटरी में मुख्य रूप से स्टोर, स्पेयर और कोयला शामिल होते हैं जो संयंत्र के प्रचालन के लिए अनुरक्षित किए जाते हैं। इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारित औसत आधार और निवल वसूली योग्य मूल्य के आधार पर कम लागत पर किया जाता है। 31 मार्च, 2023 (पिछले वर्ष 40.94 करोड़ रुपये) की स्थिति के अनुसार, इन्वेंटरी का मूल्य 78.80 करोड़ रुपये था।

वित्तीय परिसंपत्ति

व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 11)

व्यापार प्राप्यों में मुख्य रूप से ऊर्जा की बिक्री के कारण प्राप्तियां शामिल होती हैं। व्यापार प्राप्यों में लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों के शेष के लिए बिल न किए गए राजस्व को शामिल नहीं किया जाता है जिसे अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों (टिप्पणी 15) के तहत अलग से दर्शाया गया है। चालू वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों में 27.80 करोड़ रुपये की कमी आई है जिससे यह 695.92 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 723.72 करोड़ रूपये) हो गई। निवल कमी मुख्य रूप से लाभार्थियों से वसूली के कारण है।

नकदी और नकदी समकक्ष (टिप्पणी 12)

नकदी और नकदी समकक्ष में मुख्य रूप से बैंकों में शेष राशि शामिल होती है। चालू वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समकक्ष पिछले वर्ष के 87.77 करोड़ रुपये की तुलना में कम बढ़कर 93.65 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार इसमें 5.88 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण (टिप्पणी 13)

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण 8.97 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9.59 करोड़ रुपये) है। इस प्रकार इसमें 0.62 करोड़ रुपये की कमी हुई है जो मुख्य रूप से कर्मचारी ऋण में कमी के कारण है।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - अग्रिम (टिप्पणी 14)

अग्रिम में मुख्य रूप से कर्मचारियों और अन्य को अग्रिम शामिल हैं। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम पिछले वर्ष के 8.89 करोड़ रुपये की तुलना में कम होकर 8.47 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार इसमें 0.42 करोड़ रुपये की कमी आई।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य (टिप्पणी 15)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों के बेश के लिए बिल न किए गए राजस्व, प्रतिभूति जमा, सरकार/न्यायालय के पास जमा और अन्य जमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां पिछले वर्ष के 849.21 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 506.65 करोड़ रुपये हो गईं। इस प्रकार इनमें 342.56 करोड़ रुपये की कमी हुई है, जो मुख्य रूप से कंपनी को केएचओएम याचिका के खिलाफ टैरिफ आदेश प्राप्त होने के परिणामस्वरूप अबिलीकृत देनदारों को ₹ 353.78 करोड़ की विनियामक संपत्ति के अंतरण, सुरक्षा जमा में ₹ 8.92 करोड़ की वृद्धि और न्यायालयों में जमा राशि में 2.30 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण हुई है।

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 16)

यह वह राशि है जो मूल्यांकन के पूरा होने के कारण अंततः आयकर प्राधिकरणों की ओर से रिफंड के रूप में देय है। इसमें निर्धारण वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2020–21 और 2021–22 के लिए बकाया प्रतिदाय शामिल है।

अन्य चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 17)

अन्य चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से प्रीपेड व्यय, अर्जित ब्याज आदि शामिल हैं। अन्य चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूर्व–संदत्त व्ययों में वृद्धि के कारण चालू वर्ष के दौरान 26.54 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष (टिप्पणी 18)

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार अनुवर्ती अवधियों में लाभार्थियों से वसूलीयोग्य या उन्हें देय की सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'दर विनियमित गतिविधियों के लिए लेखांकन' के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप और इंड एएस–114 विनियामक आस्थगित खातों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 'विनियामक आस्थगित खाता शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है। विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि उस वर्ष से समायोजित की जाती है जिसमें वह लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय हो जाती है। विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि में, अनुवर्ती अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य–सीमा तक, उधार लागत के रूप में मानी गई विदेशी मुद्रा ऋण पर विदेशी मुद्रा दर भिन्नता और 01.01.2017 से बाद वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी हितलाभ व्यय शामिल हैं।

वर्ष के अंत में विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष 133.42 करोड़ रुपये (पिछला वर्ष 98.69 करोड़ रुपये) है। ₹ 34.73 करोड़ रुपए की वृद्धि, 34.73 करोड़ रुपए के विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष को डॉलर की मूल्यवृद्धि के परिणामस्वरूप विनिमय दर भिन्नता हानि के कारण दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्तमान अवधि के दौरान मान्यता दिए जान के कारण हुई है।

3. इक्विटी और देयताएं

कुल इक्विटी

वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2021–22 के अंत में कंपनी की कुल इक्विटी इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2020 तक
इक्विटी शेयर पूंजी (टिप्पणी 19)	3665.88	3665.88
अन्य इक्विटी (टिप्पणी 20)	6762.90	6640.27
कुल इक्विटी	**10428.78**	**10306.15**

अन्य इक्विटी (टिप्पणी 20)

अन्य इक्विटी के विवरण में 6594.42 करोड़ रुपये (पिछला वर्ष 6527.77 करोड़ रुपये) की प्रतिधारित आय, 186.52 करोड़ रुपये की (पिछला वर्ष 128.00 करोड़ रुपये) ऋणपत्र विमोचन आरक्षिति और –18.20 करोड़ रूपये (पिछला वर्ष –15.50 करोड़ रुपये) की अन्य व्यापक आय शामिल है। गौरतलब है कि वर्ष के दौरान कंपनी ने 547.94 करोड़ रुपये का लाभांश का भुगतान किया है और प्रतिधारित आय से समायोजित किया है।

देयताएं

गैर-चालू देयताएं

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वित्तीय देयताएं		
– उधारियां (टिप्पणी 21)	10289.09	6653.98
–पट्टा देयताएं (टिप्पणी 22)	35.73	29.99
– गैर–चालू वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 23)	365.49	162.40
अन्य गैर–चालू देयताएं (टिप्पणी 24)	807.50	816.23
प्रावधान (टिप्पणी 25)	170.98	176.46
कुल	**11668.79**	**7839.06**

गैर-चालू-वित्तीय देयताएं - उधार (टिप्पणी 21)

31 मार्च, 2023 को उधारियां 10289.09 करोड़ रुपये थी, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह 6653.98 करोड़ रुपये थी और इसमें 3635.11 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, 800 करोड़ रूपये की बांड सीरीज VI और 600 करोड़ रूपये की बांड सीरीज VII के निर्गम, बैंक ऑफ बड़ौदा के 2100 करोड़ के सावधि ऋण और विश्व बैंक के 319.83 करोड़ रुपये के ऋण करने के कारण उधारियां बढ़ गई है। तथापि, पीएफसी के दीर्घावधि ऋण में 45.14 करोड़ रूपए और पीएनबी के दीर्घावधि ऋण में 139.58 करोड़ रूपये की कमी आई।

पट्टा देयताएं (टिप्पणी 22)

कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था जिसमें पट्टा रद्द नहीं किया जा सकता है और आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होता है, ऐसे पट्टों को पट्टा अवधि में भुगतान किए जाने वाले कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। भावी पट्टा किराया को उनके वर्तमान मूल्यों पर 'पट्टा देयताओं' के रूप में मान्यता दी जाती है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं 35.73 करोड़ रुपये थी, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह 29.99 करोड़ रुपय थी और इसमें 5.74 करोड़ रुपय की वृद्धि दर्ज की गई। वृद्धि मुख्य रूप से कोयला आधारित भूमि के उपयोग के अधिकार के पूंजीकरण के कारण हुई।

अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 23)

अन्य वित्तीय देयताओं में संविदाकारों से जमा और प्रतिधारण राशि शामिल है। चालू वर्ष के लिए अन्य वित्तीय देयताएं 365.49 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 162.40 करोड़ रुपये) है। इस प्रकार, इसमें 203.09 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण संविदाकारों से जमा और प्रतिधारण राशि में वृद्धि रही।

अन्य गैर-चालू देयताएं (टिप्पणी 24)

अन्य गैर–चालू देयताओं में मूल्यह्रास पर अग्रिम (एएडी), सिंचाई घटक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान और प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि पर आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ शामिल हैं। सिंचाई

घटक के गैर–चालू भाग में कमी तथा एएडी और सिंचाई घटक के समायोजन के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में अन्य गैर–चालू देयताओं में 8.73 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई है।

गैर-चालू प्रावधान (टिप्पणी 25)

गैर–चालू प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के आधार पर प्रदान किए गए कर्मचारी हितलाभों के कारण हैं, जिन्हें तुलनपत्र की तारीख से बारह महीने की अवधि के बाद निपटाने की उम्मीद है। चालू वर्ष (पिछले वर्ष 176.46 करोड़ रुपये) के दौरान गैर–चालू प्रावधान 5.48 करोड़ रुपये घटकर 170.98 करोड़ रुपये हो गए। इंड एएस–19 'कर्मचारी हितलाभ' के अनुसार प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 43.23 में दिए गए हैं।

4. चालू देयताएं

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वित्तीय देयताएं		
– उधारियां (टिप्पणी 26)	1334.47	1352.73
– पट्टा देयताएं (टिप्पणी 27)	3.39	4.17
– व्यापार देय	45.01	27.94
– अन्य (टिप्पणी 28)	824.44	616.44
अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी 29)	97.29	87.59
प्रावधान (टिप्पणी 30)	353.07	348.62
चालू कर देयताएं (टिप्पणी 31)	9.82	0.00
कुल	**2667.49**	**2437.49**

31 मार्च, 2023 और 2022 की स्थिति के अनुसार, चालू देयताएं क्रमशः 2667.49 करोड़ रूपये और 2437.49 करोड़ रूपये हैं। चालू देयताओं में 9.44% की वृद्धि हुई है और मदवार विश्लेषण निम्नानुसार है –

चालू - वित्तीय देयताएं - उधारियां (टिप्पणी 26)

इसमें बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत और अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण, बैंकों से प्राप्त ओवरड्रॉफ्ट सुविधा और दीर्घावधि उधारियों की चालू परिपक्वता शामिल है। इसमें 18.26 करोड़ रुपये की कमी आई है जिससे यह 1334.47 करोड़ (पिछले वर्ष 1352.73 करोड़ रुपये) हो गई हैं, जिसका मुख्य कारण बैंकों से ओवरड्राफ्ट/नकद क्रेडिट में कमी है।

चालू- वित्तीय देयताएं - पट्टा (टिप्पणी 27)

इसमें वित्तीय पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता शामिल है और इसमें 0.78 करोड़ रूपये की मामूली कमी दर्ज की गई।

चालू - वित्तीय देयताएं - अन्य (टिप्पणी 28)

अन्य वित्तीय देयताएं में मुख्य रूप से कर्मचारियों के पारिश्रमिक और हितलाभों के लिए देयताएं, अचल परिसंपत्तियों की खरीद / निर्माण के लिए देयताएं, संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि और अदेय किंतु उपार्जित ब्याज शामिल है। अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं में 208.00 करोड़ रुपये की वृद्धि होकर यह 824.44 करोड़ रुपए (पिछला वर्ष 616.44 करोड़ रुपए) हो गई है, जिसका मुख्य कारण संविदाकारों से जमा और प्रतिधारण आय तथा अदेय किंतु उपार्जित ब्याज में वृद्धि है।

अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी 29)

अन्य चालू देयताओं में मुख्य रूप से मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम का वर्तमान भाग, बाद में जमा की गई अन्य वसूली और सिंचाई घटक का समायोजन शामिल है। वर्ष के अंत में अन्य वर्तमान देयताएं 97.29 करोड़ रूपये (पिछला वर्ष 87.59 करोड़ रूपये) थीं। इस प्रकार इसमें 9.70 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से अन्य देयताओं में वृद्धि के कारण हुई।

चालू प्रावधान (टिप्पणी 30)

अल्पावधि प्रावधानों में बीमांकिक मूल्यांकन, प्रदर्शन संबंधित वेतन और कार्यों संबंधित प्रावधान के अनुसार बारह महीने के भीतर देय अदत्त कर्मचारी हितलाभ शामिल हैं। चालू प्रावधान में वित्त वर्ष 2023 में 4.45 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिससे यह 353.07 करोड़ रूपये (पिछला वर्ष 348.62 करोड़ रुपये) हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान के कारण थी।

चालू कर देयताएं (टिप्पणी 31)

वर्ष के दौरान चालू कर देयताओं में वृद्धि के कारण 9.82 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष (टिप्पणी 32)

वर्ष के अंत में आस्थगित खाता क्रेडिट शेष 497.46 करोड़ रुपये (पिछला वर्ष 515.20 करोड़ रुपये) है। दिनांक 31.03.2023 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान, विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष मुख्य रूप से आस्थगित कर देयताओं की मान्यता के कारण 17.74 करोड़ रुपये कम हो गया था।

ग. आकस्मिक देयताएं

कंपनी के समक्ष दावों के निम्नलिखित घटक हैं जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	निम्नलिखित तारीख की स्थिति के अनुसार	
	31.03.2023	31.03.2022
पूंजीगत कार्य	1446.41	1010.57
भूमि मुआवजा मामले	71.38	67.99
राज्य/केंद्र सरकार के विभाग / प्राधिकरण	1314.95	1235.32
अन्य	2947.74	2823.21
उपरोक्त क से घ के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	शून्य	शून्य
विवादित कर मामले	1.72	1.72
कुल	**5782.20**	**5138.81**

आकस्मिक देयताओं में 643.39 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से विवाद बोर्ड के समक्ष संविदाकारों के दावों में वृद्धि के कारण हुई।

घ. सहायक कंपनियों का व्यवसाय और वित्तीय समीक्षा

सहायक कंपनियां

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (एमएनआरई), भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 16.07.2020 और 26.07.2020 के माध्यम से अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किया था। यूएमआरईपीपी को टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार संगठनों के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में एक एसपीवी के माध्यम से विकसित किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनिवार्य यूएमआरईपीपी के कार्यान्वयन के लिए टीएचडीसीआईएल के साथ जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) की पहचान की। संयुक्त उद्यम के गठन के लिए टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए के बीच 06.08.2020 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

तदनुसार, कंपनी ने उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न स्थानों पर 2000 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित करने के लिए यूपीनेडा के साथ 74:26 की इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स टुस्को लिमिटेड का गठन किया है।

राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए 25.03.2023 को टीएचडीसीआईएल और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) के बीच 'ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड' नामक एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी भी निगमित की गई है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी मैसर्स ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को कंपनी और आरआरईसीएल के बीच 74:26 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ आरआरईसीएल के साथ प्रोत्साहित किया गया है। निगमन या पंजीकरण का देश भी इसके व्यवसाय का प्रमुख स्थान है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान इस सहायक कंपनी द्वारा कोई वित्तीय लेनदेन नहीं किया गया है।

ड. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–110) के अनुसार तैयार किए गए हैं– 'समेकित वित्तीय विवरण' इंड एएस –28 – सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश, इंड एएस –112 'अन्य संस्थाओं में हितों का प्रकटीकरण' और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं। कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय की समान मदों को एक साथ जोड़कर, इंट्रा–ग्रुप बैलेंस, इंट्रा–ग्रुप लेनदेन, अप्राप्त लाभ या हानि को समाप्त करने के बाद लाइन दर लाइन आधार पर जोड़ा गया है। संयुक्त उद्यम कंपनियों लेखांकन की इक्विटी विधि का उपयोग करते हुए समेकित किया गया है।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

1. सामर्थ्य

- **बहु-कौशल तकनीकी आधार**

  दो प्रचालनात्मक मेगा हाइड्रो पावर प्लांट के साथ, टीएचडीसीआईएल ने प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग से एक ही वित्तीय वर्ष में दो पवन ऊर्जा संयंत्र और केरल में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रारम्भण किया है। इस विशाल तकनीकी अनुभव ने टीएचडीसीआईएल को विद्युत क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी समुदाय में अतिरिक्त लाभ प्रदान किया है।

- **दूरदर्शी नेतृत्व:** टीम के लिए एक स्पष्ट दृष्टि और दिशा प्रदान करके, हमारा दूरदर्शी नेतृत्व लगातार संगठन के दायरे का विस्तार कर रहा है और संगठन को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित और सक्रिय कर रहा है।

- **चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता:**

  टीएचडीसीआईएल, सौर और पवन जैसे ऊर्जा के पारंपरिक/गैर–पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों में भी विविधता लाया है। गुजरात के पाटन में 50 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र और देवभूमि द्वारका, गुजरात में 63 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र पहले ही चालू हो चुका है।

  नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 2000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क और राजस्थान राज्य में 10000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क विकसित करने का कार्य भी सौंपा है।

- **संवेदनशील हिमालयी भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत कार्यों में विशेषज्ञ**

  हिमालयी क्षेत्र अपने जटिल भू–स्थिति के लिए विख्यात है। टिहरी एचपीपी में भूमिगत संरचनाओं के विशाल जाल के निर्माण में असाधारण इंजीनियरिंग और निर्माण कौशल को विद्युत क्षेत्र द्वारा समय–समय पर सराहा गया है। टिहरी एचपीपी का अनुभव कोटेश्वर एचईपी के निर्माण में बेहद उपयोगी साबित हुआ। समृद्ध अनुभव और उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन जलविद्युत परियोजनाओं में किया जा रहा है।

- **प्रभावी प्रचालन एवं अनुरक्षण**

  टीएचडीसीआईएल ने अपने प्रचालनरत संयंत्रों के आंतरिक प्रचालन और अनुरक्षण में विशाल अनुभव हासिल कर लिया है। संयंत्र के निष्पादन को अधिक से अधिक करने, कारगर ढंग से निगरानी करने, दुर्घटनाएं कम करने तथा कुशलतापूर्वक कार्य करने की दिशा में लगातार काम करते हुए टीएचडीसीआईएल प्रभूत विशेषज्ञता प्राप्त की है। इससे सामान्य स्तर से काफी ज्यादा निरंतर अबाधित गुणवत्तायुक्त विद्युत उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता की उपलब्धि प्राप्त हुई।

- **सुदृढ़ वित्तीय स्थिति**

  टिहरी एचपीपी के प्रारंभ के समय से ही आपकी कंपनी लाभार्जन कंपनी रही है, कंपनी में भावी विस्तार क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों के लिए अपने संसाधनों को निवेश करने का प्लेटफार्म है।

कमजोरियां

- प्राकृतिक क्षरण– अनुभवी कार्यबल की सेवानिवृत्ति
- डिजिटलीकरण और एआई के उपयोग के लिए मध्यम पैंठ
- कम अनुसंधान एवं विकास व्यय
- सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व से जुड़ी प्रक्रियात्मक बाधाएँ
- बढ़ती आकस्मिक देयताएं
- भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार डिस्कॉम द्वारा एलसी खोलने के बावजूद, डिस्कॉम का बकाया शेष रहता है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- जटिल हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाएं होने के कारण, भूवैज्ञानिक आश्चर्यों के कारण देरी होती है, जिससे समय और लागत में वृद्धि और टैरिफ में वृद्धि होती है।
- बहुत अधिक निर्माण अवधि जल विद्युत परियोजनाओं के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।
- संभावित अवसरों के दोहन में विलंब

अवसर

- **नए संकेतित पीएसपी का विकास:**

  महाराष्ट्र में 6 और उत्तराखंड में एक पीएसपी का विकास। पीएफआर की तैयारी चल रही है। केरल में इडुक्की पीएसपी (300 मेगावाट) और पल्लीवासल पीएसपी (600 मेगावाट) का विकास। 24.01.2023 को केएसईबीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- **फ्लोटिंग सोलर का विकास:**

  उत्तर प्रदेश में विभिन्न जलाशयों पर कुल 2563 मेगावाट की 6 फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल और महाराष्ट्र में भी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजनाओं का विकास।

- **कार्बन कैप्चर तकनीकें:**

  नई उभरती लागत प्रभावी कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) में कार्बन कैप्चर के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट

- **आरई एकीकृत जलविद्युत परियोजनाएं:**

  राजस्थान में 10,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क और उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क।

- विद्युत क्षेत्र में एआई का उपयोग: ऊर्जा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ संभावित अनुप्रयोगों में स्मार्ट ग्रिड, डाटा डिजिटलीकरण,

पूर्वानुमान, विफलता की रोकथाम और अधिक उन्नत संसाधन प्रबंधन शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

- **पावर ट्रेडिंग में प्रवेश:**

  विद्युत व्यापार के लिए पावर ट्रेडिंग लाइसेंस प्राप्त किया गया है।

- **हरित हाइड्रोजन:**

  टीएचडीसीआईएल कार्यालय परिसर, ऋषिकेश (उत्तराखंड) में 1 मेगावाट क्षमता (इलेक्ट्रोलाइजर और ईंधन–सेल आधारित माइक्रो–ग्रिड सिस्टम) के साथ 'ग्रीन हाइड्रोजन' की एक प्रायोगिक परियोजना सितंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है।

चुनौतियां

- **जटिल प्रक्रिया एवं अनुमति प्राप्त करने में समय लगना:** भारत सरकार के मौजूदा कड़े मानदंडों और जटिल प्रक्रियाओं के कारण, परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंजूरी प्राप्त करने में देरी के कारण जल परियोजनाओं का क्षमता वृद्धि कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित होता है। पर्यावरण, धार्मिक आधारों और स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों के निहित स्वार्थों पर जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध से, परियोजना मंजूरी और कार्यान्वयन में देरी होती है। विद्युत क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए, भारत सरकार को विभिन्न वैधानिक मंजूरी के लिए सिंगल विंडो की शुरूआत का कार्यान्वयन करना चाहिए।
- **भौगोलिक अनिश्चितताएं:** जटिल और नवीन हिमालयी क्षेत्र में भौगोलिक आश्चर्य बाधाएं पैदा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाइड्रो परियोजनाओं में समय और लागत में भारी वृद्धि होती है, जिससे, टैरिफ में वृद्धि होती है।
- **जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया:** अवसंरचना संबंधी कार्य तथा जलमग्नता सहित परियोजना के घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और उसमें काफी समय लगता है। विद्युत परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए।
- **प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि:** चूंकि अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए भू–खलन पर्वतीय ढलानों के बह जाने, सड़कों के अवरूद्ध होने, बाढ़ और बादल फटने, मानसून जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निर्माण अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनके परिणामस्वरूप निर्माण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे समय और लागत में भारी वृद्धि होती है जिससे अंततः टैरिफ बढ़ जाता है।
- **राज्य डिस्कामों की खराब वित्तीय स्थिति:** विद्युत प्रापण, विशेषकर महंगी टाइड अप बिजली के लिए डिस्कॉमों की वसूली की अक्षमता।
- **हाइड्रो सेक्टर के सिविल संविदाकारों की खराब वित्तीय स्थिति:** भारत में हाइड्रो सेक्टर के अनुभवी संविदाकारों को भारी नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है।
- **बाजार की बदलती परिस्थितियां:** सस्ते दर पर लघु अवधि बाजार में विद्युत की उपलब्धता।
- **विनियामक जोखिम:** एक बड़ा जोखिम यह है कि विनियामक प्राधिकरण भविष्य में टैरिफ के लिए परियोजना की पूरी लागत पर विचार न करे। इसके अतिरिक्त टैरिफ विनियमों में समय–समय पर परिवर्तन किए जाने से नकदी प्रवाह और प्रचालनात्मक लाभ प्रभावित हो सकते है।
- **हाइड्रो सेक्टर के लिए उत्पादन और पीएएफ के लिए सख्त लक्ष्य:** मानसून प्रवाह की उपलब्धता और कुछ हद तक स्नो कवर हर साल हाइड्रो संयंत्र के समग्र प्रदर्शन को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ से अधिक के आधार पर प्रत्येक वर्ष सख्त एमओयू लक्ष्य निर्धारित करना, हाइड्रो सीपीएसयू के प्रदर्शन को कमजोर करता है। यह कंपनी के तुलन–पत्र के साथ–साथ कंपनी के विकास में गंभीर रूप से बाधा डालता है।

जोखिम प्रबंधन

विद्युत क्षेत्र के गतिशील परिदृश्य में, हमारी कंपनी मानती है कि उभरते अवसरों की खोज में सामरिक, कार्यात्मक और प्रचालन जोखिम शामिल हैं। जैसे–जैसे हम विस्तार और विविधीकरण की पहल करते हैं, हमारा अटूट ध्यान जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पर रहता है। यह दृष्टिकोण एक व्यवसाय पोर्टफोलियो को आकार देने में सहायक है जो बाजार की संभावनाओं के साथ संरेखित होता है और हमारे दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

हमारे प्रचालन में एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचा शामिल करने के लिए, हमारी कंपनी ने कंपनी अधिनियम और सेबी नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की स्थापना की है। आरएमसी परिश्रमपूर्वक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और समीक्षा करती है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय कार्य योजनाएं और कार्यनीतियां तैयार करती है। हमारी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया उभरते जोखिम की गतिशीलता को ध्यान में रखती है, जिसमें चिंता के उभरते क्षेत्र भी शामिल हैं। अभिचिह्नित जोखिमों से जुड़े प्रमुख जोखिम संकेतकों की व्यवस्थित रूप से निगरानी की जाती है, और प्राप्त अंतर्दृष्टि को समय–समय पर निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

आंतरिक नियंत्रण

सुदृढ़ आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ, विनियामक और सांविधिक अनुपालन के साथ–साथ कॉर्पोरेट सुशासन के उच्चतम क्षेत्रों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अभिन्न अंग हैं। ये प्रणालियाँ न केवल व्यवसाय के निर्बाध और कुशल संचालन को सुनिश्चित करती हैं बल्कि प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुपालन की गारंटी भी देती हैं। हमारी कंपनी ने एक व्यापक शक्ति प्रत्यायोजन तंत्र स्थापित किया है, जिसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है ताकि उभरते व्यवसायिक परिवेश के साथ तालमेल सुनिश्चित किया जा सके, जिससे त्वरित निर्णय लेने में सुविधा हो।

सावधानीपूर्वक लेखांकन दिशानिर्देशों का लगातार अनुपालन एक प्राथमिकता है, जिससे हमारे प्रचालन में एकरूपता सुनिश्चित होती है। हमारी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए, हमारे अपने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पूरक, अनुभवी फर्मों के सहयोग से नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है। लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड की एक अभिन्न समिति, इन आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के पालन की निगरानी में सचेत भूमिका निभाती है।

चेतावनी कथन

यह ध्यातव्य है कि प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण तथा निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए कथन, लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार 'भविष्योन्मुखी' और प्रगतिशील प्रकृति के हैं। वास्तविक परिणाम, अंतर्निहित जोखिम और इन पूर्वानुमानों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण भविष्योन्मुखी कथनों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं।

ऊर्जा संरक्षण उपाय, तकनीकी अंगीकरण एवं समावेश
विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण उपाय

ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा संरक्षण की आदत अपनाया जाना जैसे कि जब हम कमरे में नहीं होते हैं और लाइट जल रही होती है तो हमें लाइट बंद कर देनी होती है या फिर कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालकर उसे बंद कर देना होता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं ऊर्जा कुशल और सुचारु कार्य स्थिति में होनी चाहिए।

ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा प्रबंधन उपाय, ऊर्जा की शीर्ष और औसत मांग को घटा सकते हैं। संरक्षित ऊर्जा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरण और इसके संसाधनों को सुरक्षित रखने में सहायक है। मार्जिन में ऊर्जा संरक्षण में निवेश ऊर्जा आपूर्ति में निवेश बेहतर प्रतिलाभ देता है।

टीएचडीसीआईएल का विद्युत की मांग कम करने के लिए इसके दक्षतापूर्वक उपयोग में विश्वास है। टीएचडीसीआईएल कंपनी में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी बेहतर प्रचालन और अनुरक्षण प्रथाओं के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाने की निरंतर प्रक्रिया में लगी हुई है और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए प्रभावी उपाय भी किए हैं और उपायों के परिणामस्वरूप बिजली, ईंधन और कोयले की कम खपत हुई है/होगी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ऊर्जा की बचत हुई है/होगी।

पिछले वर्ष ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गए:-

ऊर्जा संरक्षण के प्रभाव के लिए किए गए उपाय	(i) टीएचडीसीएआईएल, ऋषिकेश के सभी कार्यालीय परिसर में गैर ऊर्जा प्रभावी बिजली उपकरणों (जैसे स्ट्रीट लाइट सहित पुराने बल्बों को एलईडी बल्बों से बदलना) के बदलने का कार्य पूरा किया गया है। (ii) 500 कि.वा. रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, यूपीसीएल द्वारा अपनी स्वयं की खपत के अतिरिक्त बारह माह तक ग्रिड को आपूर्ति का निर्यात करने की दिशा में 2.39 लाख रूपये की ऊर्जा की बचत की गई। (iii) सभी नए भवनों में एलईडी प्रकाश की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। (iv) गैर आवासीय भवनों के लिए विद्युत वितरण प्रणाली के अनुरक्षण/नवीनीकरण में एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया। गैर आवासीय भवनों में फाइव–स्टार स्तर के एसी लगाए गए हैं और बिना स्टार रेटिंग वाले एसी को फाइव–स्टार रेटिंग वाले एसी से बदला गया। (v) गेस्ट हाउस और दफ्तरों में फाइव स्टार रेटिंग वाले विद्युत उपकरण अर्थात् गीजर, रेफ्रिजरेटर लगाए जाएंगे। (vi) दूसरे चरण में 500 किलोवाट का रूफ टॉप सोलर लगाया गया है। (vii) ऊर्जा संरक्षण के लिए गंगोत्री भवन कार्यालय भवन के गलियारों में 20 वॉट एलईडी लैंप के स्थान पर 10 वॉट वाले लैंप लगाए गए। (viii) ऊर्जा संरक्षण के लिए मंदाकिनी गेस्ट हाउस और भिलंगना गेस्ट हाउस में सोलर वॉटर हीटर स्थापित किए गए हैं।
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	पार्क क्षेत्र में लाइटिंग और कार्यालय और रिहायशी क्षेत्र की फेंसिंग सौर प्रणाली से की गई है। सभी नए भवनों में दिन के उजाले का उचित उपयोग करने के लिए दिन के उजाले की व्यवस्था की गई है। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में सुधार करने और नुकसान को कम करने के लिए स्वचालित पावर फैक्टर कंट्रोलर स्थापित किया गया है। उपरोक्त उपायों के कार्यान्वयन से यूनिटों की खपत में 12–14% की कमी आई है। कंपनी अपने सभी भावी प्रतिष्ठानों में एलईडी लैंप के उपयोग और ऊर्जा के कुशल उपयोग कर रही है और इसका प्रचार कर रही है।
ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश	वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर कोई बड़ा निवेश नहीं किया है

ख. प्रौद्योगिकी नवाचार, अनुकूलन और अवशोषण

1. पुनरुद्धार उपायों के रूप में आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट गद्दे का अनुप्रयोग

(i) सार

आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस (जिन्हें जियोटेक्सटाइल ग्राउट से भरे मैट्रेस जीजीएफएम के रूप में भी जाना जाता है) में फैब्रिक की दो परतें होती हैं जिन्हें एक लिफाफे में जोड़ा जाता है और एक टिकाऊ कंक्रीट अस्तर का उत्पादन करने के लिए एक बहुत ही तरल पदार्थ महीन–एग्रीगेट ग्राउट के साथ इंजेक्ट किया जाता है। कपड़े की दो परतें परतों के बीच उच्च शक्ति वाले ग्राउट के इंजेक्शन की अनुमति देने के लिए एक फॉर्मवर्क के रूप में कार्य करती हैं। फैब्रिक से बने कंक्रीट की शैलियों में फिल्टर प्वाइंट मैट, यूनिफॉर्म सेक्शन मैट, आर्टिकुलेटिंग ब्लॉक मैट और कंक्रीट से भरे फैब्रिक बैग शामिल हैं।

चित्र-1. आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस के आकार का क्रॉस सेक्शन व्यवस्था

आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस में एक इंटरवॉवन परिधि से जुड़े डिब्बों की एक श्रृंखला होती है। ग्राउट नलिकाएं डिब्बों को आपस में जोड़ती हैं, और डिब्बों और ग्राउट नलिकाओं के बीच और उनके माध्यम से उच्च शक्ति वाले रिवेटमेंट केबल स्थापित किए जाते हैं। एक बार भर जाने पर, आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस तकिए के आकार वाला, आयताकार कंक्रीट ब्लॉकों का मैट्रेस बन जाता है। ब्लॉकों के बीच आपस में जुड़ी हुई परिधि अभिव्यक्ति की अनुमति देने के लिए हिंज्स के रूप में काम करती है। ब्लॉकों को एक साथ जोड़ने और आर्टिक्यूलेशन की सुविधा के लिए केबल कंक्रीट ब्लॉकों में एम्बेडेड रहते हैं। इनका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है;

क) बहती नदी में पुल के किनारे कटाव को नियंत्रित करना

ख) नदी तटों या तटरेखाओं को लहरों की क्रिया से बचाना

ग) दरारों की रोकथाम या दरार की मरम्मत

घ) नदी प्रशिक्षण कार्य

ङ) रोक तालाबों के लिए अभेद्य अस्तर का निर्माण

आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस का उपयोग, संरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र पर फैब्रिक फॉर्म बिछाकर और फॉर्म में बारीक एकत्र कंक्रीट को पंप करके पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह किया जा सकता है। इसकी पंपेबिलिटी, ताकत, घनत्व और अवशोषण प्रतिरोध के कारण नियमित कंक्रीट के स्थान पर फाइन–एग्रीगेट कंक्रीट का उपयोग किया जाता है।

चित्र-2. केनाल स्लोप की रक्षा के लिए संस्थापित किए गए आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस का चित्र

(ii) संस्थापना विधि

=पूर्व–स्थापना योजना में पैनल के आकार का अनुमान और साइट की स्थिति के अनुरूप अनुकूलन शामिल है।

(क) सबग्रेड तैयारी

उत्पाद को बिछाने से पहले ढलान की तैयारी, ट्रेंचिंग और अन्य प्रोफाइलिंग की आवश्यकता हो सकती है। यदि फैब्रिक की स्थापना पानी के अंदर की जाएगी तो नहर तल की सफाई आवश्यक है। नहर का तल मलबे, चट्टानों, गाद की परत और वनस्पति जैसी बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। नहर तल की सफाई के लिए स्कूबा डाइवर्स एवं उपर्युक्त सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है।

चित्र-3. संस्थापना से पहले सबग्रेड तैयारी

(ख) जिओटेक्सटाइल लेयर बिछाना

चित्र-4. जियोटेक्सटाइल लेयर बिछाना

(ग) फैब्रिक बिछाना

जियोटेक्सटाइल फिल्टर फैब्रिक को सीधे तैयार क्षेत्र पर, सबग्रेड के साथ निकट संपर्क में, और सिलवटों या झुर्रियों से मुक्त रखा जाएगा। जियोटेक्सटाइल फिल्टर फैब्रिक को इस तरह रखा जाएगा कि फैब्रिक

का अपस्ट्रीम रोल डाउनस्ट्रीम रोल को ओवरलैप कर दे। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ जोड़ों को कम से कम 600 मिमी ओवरलैप किया।

चित्र-5 - फैब्रिक बिछाना

(घ) **ग्राउटिंग/कंक्रीट भरना**

जब उत्पाद को सही स्थिति में रखा जाता है और ठीक से लगाया जाता है, तो माइक्रो कंक्रीट को फैब्रिक की दो परतों के बीच बनी आंतरिक जगह में अंतःक्षेपण किया जाता है। कंक्रीट मैट्रेस की फिलिंग डिब्बों द्वारा चयनात्मक क्रम में की जाती है। लेआउट, कंक्रीट बैच आकार और फिलिंग की अनुमानित दर को ध्यान में रखते हुए, प्री–इंस्टॉलेशन योजना के दौरान इन डिब्बों के लिए तैयारी करना आवश्यक हो सकता है।

भरने के दौरान कंक्रीट गद्दे की सतह पर कंक्रीट के घोल का कोई भी छलकाव सौंदर्यपूर्ण फिनिश प्रदान करने के लिए धोया जाएगा। ताजा पंप किए गए कंक्रीट अस्तर की सतह से बिखरे हुए महीन कंक्रीट को हटाने के लिए उच्च दबाव वाली पानी की नली के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब मैट्रेस को सूक्ष्म कंक्रीट से भरना पूरा हो जाता है, तो ढलान के शीर्ष पर खाई को मिट्टी से भर दिया जाता है। पूर्ण कंक्रीट लाइनिंग की सुरक्षा के लिए खाइयों की बैकफिलिंग और संघनन समय पर पूरा किया जाएगा।

चित्र-6(क) कंक्रीट फीलिंग की प्रक्रिया दर्शाते चित्र

(ख) कंक्रीट फीलिंग के बाद संस्थापित आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस दर्शाता चित्र

चित्र-7- संस्थापित किए गए आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस के भागों को दर्शाते हुए चित्र

(ङ) **अनुकूलन**

इस प्रणाली को नदी के कारण होने वाले कटाव के कारण बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए नदी के प्रवाह/जलाशय के तालाब के किनारे वाली सड़क की ढलान के किनारे पर एमओआरटीएच–उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के साथ परामर्श परियोजनाओं के विभिन्न स्थलों पर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

2. **जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट**

(i) **प्रकार्य:** जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट, एक लचीला, ठोस अंतर्भरित फैब्रिक है जो हाइड्रेटेड होने पर कठोर हो जाता है और एक पतली, टिकाऊ, जलरोधी और अग्निरोधी कंक्रीट परत बनाता

चित्र 8 - जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट के संघटक

है। जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट कंक्रीट को संयंत्र या मिश्रण उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह सतह पर स्थित होता है और पानी के साथ मिलाया जाता है। कंक्रीट कैनवास में एक 3–आयामी फाइबर मैट्रिक्स होता है जिसमें विशेष रूप से तैयार सूखा कंक्रीट मिश्रण होता है। कैनवास की एक सतह पर एक पीवीसी की परत यह सुनिश्चित करती है कि सामग्री पूरी तरह से जलरोधी है। सामग्री को या तो छिड़काव करके या पूरी तरह से पानी में डुबो कर हाइड्रेटेड किया जा सकता है। एक बार सेट होने के बाद, फाइबर कंक्रीट को मजबूत करते हैं, दरार के प्रसार को रोकते हैं और सुरक्षित प्लास्टिक फेल्योर मोड प्रदान करते हैं।

(ii) **अनुप्रयोग:** जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट का उपयोग आमतौर पर अपरदन नियंत्रण, उपचार और निर्माण अनुप्रयोगों के लिए पारंपरिक कंक्रीट (इन–सीटू, प्रीकास्ट या स्प्रेड) के स्थान पर किया जाता है। जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट 3 मोटाई – जीसीसीएम5, जीसीसीएम8 और जीसीसीएम13 में – उपलब्ध है:, जो क्रमशः 5, 8 और 13 मिमी मोटे होते हैं। जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट हाइड्रो, जिसमें एक पीवीसी बैकिंग झिल्ली शामिल है, हाइड्रोकार्बन अनुप्रयोगों के लिए भी उपलब्ध है। यह तीन प्रारूपों

में, मैन पोर्टेबल बैचेड रोल्स, बल्क रोल्स और वाइड रोल्स भी उपलब्ध है। जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट का उपयोग विभिन्न प्रकार की सिविल अवसंरचना, अर्थात चौनल / डिच लाइनिंग, ढलान संरक्षण और स्थिरीकरण, बंड लाइनिंग, कंक्रीट रेमेडिएशन, वीड दमन, कल्वर्ट लाइनिंग, आउटफॉल/स्पिलवे प्रोटेक्शन, गेबियन प्रोटेक्शन, माइनिंग वेंट वॉल, पाइप प्रोटेक्शन आदि के अनुप्रयोगों में किया जाता है।

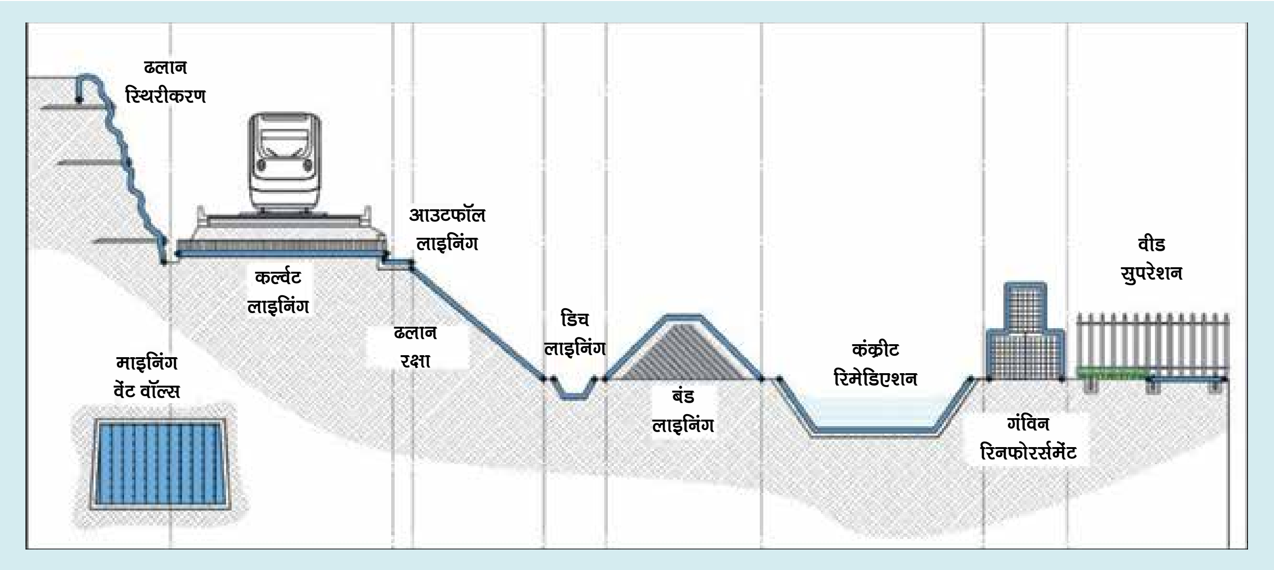

(iii) जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट के गुण/प्रकार: विभिन्न मोटाई के जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट निम्नानुसार उपलब्ध हैं।

उत्पाद मोटाई (मिमी)	रोल चौड़ाई (मीटर)	सूखा भार (किलो /वर्गमीटर)	थोक रोल कवरेज (वर्गमीटर)	थोक रोल लंबाई (मीटर)	घनत्व (अनसेट) (किलो /घनमीटर)	घनत्व (सेट) (किलो/ घनमीटर)
5	1.0	7	200	200	1500	+30-35%
8	1.1	12	125	114	1500	+30-35%
13	1.1	19	80	73	1500	+30-35%

(iv) जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट का चयन:

- **खाई की परत:** आमतौर पर 8 मिमी मोटे जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट की सिफारिश की जाती है, जब तक कि निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति मौजूद न हो:
- 5 मिमी.मोटे जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट का उपयोग मौजूदा कंक्रीट चैनलों, कठोर सब्सट्रेट जैसे रॉक, या अस्थायी कार्यों के लिए किया जा सकता है।
- 13 मिमी.मोटे जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट का उपयोग किया जा सकता है जहां प्रवाह की गति 8.6 मीटर/सेकेंड से अधिक हो, भूमि पर भारी यातायात हो या विशेष रूप से अस्थिर या खड़ी हो।
- **ढलान संरक्षण:** 5 मिमी.मोटी जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट की सिफारिश की जाती है, जब तक कि जमीन अस्थिर न हो या उच्च प्रवाह की स्थिति मौजूद न हो। ऐसे मामलों में, 8 मिमी.मोटे कंक्रीट के कैनवास का उपयोग किया जा सकता है।
- **आउटफॉल्स / स्पिलवे:** सामान्य तौर पर 8 मिमी.मोटे जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट की सिफारिश की जाती है। हालांकि, उच्च स्तर के मलबे के साथ या उच्च प्रवाह की स्थिति के मामले में, 13 मिमी.मोटी कंक्रीट कैनवास का उपयोग किया जा सकता है।
- **कंक्रीट उपचार:** सामान्य परिस्थितियों में 5 मिमी.मोटी जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट की सिफारिश की जाती है। हालांकि, 8 मिमी.मोटे कंक्रीट कैनवास का उपयोग किया जा सकता है जहां दरार बड़ी होती हैं या अंतिम उपयोग में उच्च प्रवाह दर शामिल होती है।
- **खरपतवार दमन:** 5 मिमी.मोटे जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट का उपयोग किया जा सकता है।
- **पुलिया अस्तर:** सामान्य परिस्थितियों के लिए 8 मिमी.मोटी जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट की सिफारिश की जाती है। 13 मिमी.मोटी का उपयोग उच्च प्रवाह स्थितियों या उच्च स्तर के मलबे के लिए किया जा सकता है। कम प्रवाह की स्थिति और मलबे के निम्न स्तर के लिए 5 मिमी.मोटी का उपयोग किया जा सकता है।
- **बंड अस्तर:** 5 मिमी.मोटी जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट की सिफारिश की जाती है। भारी यातायात वाले क्षेत्रों के लिए 8 मिमी. या 13 मिमी. मोटे जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट का उपयोग किया जा सकता है।

(v) स्थापना प्रक्रिया: जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट मैन पोर्टेबल रोल में उपलब्ध है जो साइट पर संयंत्र की आवश्यकता को समाप्त करता है और सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में कंक्रीट स्थापना की अनुमति देता है। जलयोजन से पहले, उच्च जोखिम वाले वातावरण में बिजली उपकरणों के उपयोग से जुड़े खतरों को समाप्त करने वाले बुनियादी हैंड टूलों का उपयोग करके जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट परतों को लंबाई में काटा जा सकता है। कंक्रीट पूर्व–मिश्रित है इसलिए मिश्रण, मापने या कॉम्पैक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा पानी डाले। एक बार हाइड्रेटेड होने के बाद, जीसीसीएम, ठंडी जलवायु में लगभग 1–2 घंटे तक कार्य करने योग्य रहता है। गर्म मौसम में, कार्य करने का समय कम हो सकता है। जीसीसीएम 24 घंटे में अपनी 28 दिन की क्षमता के 80% तक सख्त हो जाएगा और उपयोग के लिए तैयार है।

(vi) अनुकूलन: प्रणाली को चिन्यालीसौर – प्राथमिकता– IV– निर्माण कार्यों में ऊर्ध्वाधर ढलानों पर सफलतापूर्वक संस्थापित कर दिया गया है। इस प्रणाली का प्रयोग अब एमओआरटीएच–यू के, डब्लयू बी और अरूणाचल प्रदेश के साथ विभिन परामर्शी परियोजनाओ में किया जा रहा है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	2022-23	2021-22
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	1.56	0.01
	परामर्श एवं व्यावसायिक व्यय	2.81	1.83
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	64.41	50.83
	वस्तुओं का आयात	3.56	8.34
	सम्मेलनों के लिए नामांकन	-	-
	अन्य	259.88	260.98
	कुल	**332.22**	**321.99**
ख	**विदेशी मुद्रा में आय (नकद आधार पर)**		-
ग	**सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य**		
i)	पूंजीगत वस्तुएं	2.05	7.29
ii)	अतिरिक्त (स्पेयर) पुर्जे	-	-
	कुल	**2.05**	**7.29**
घ	**खपत किए गए भाग, स्टोर्स एवं स्पेयर पुर्जो का मूल्य**		
i)	आयातित (रु. करोड़ में)	0.73	0.14
	(%)	8.53%	2.35%
ii)	स्वदेशी (रू. करोड़ में)	7.83	5.81
	(%)	91.47%	97.65%
ड.	**निर्यात की कीमत**	-	-

व्यापार दायित्व

एवं

सततता रिपोर्ट 2022-2023

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट 2022-23
सिंहावलोकन

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) में, हम पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जिम्मेदार कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के प्रति हमारे अटूट समर्पण के एक हिस्से के रूप में, हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा भारत में शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करते हैं। हम सेबी के निर्दिष्ट रिपोर्टिंग प्रारूप का अनुपालन करते हुए, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) के माध्यम से ईएसजी के क्षेत्र में अपनी पहल का एक व्यापक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

टीएचडीसीआईएल ने सेबी द्वारा अनुशंसित नए रिपोर्टिंग टेम्पलेट को अपनाया है, जो पारदर्शिता और स्थिरता के हमारे लोकाचार के अनुरूप है। हमने अपने कार्यों में प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सावधानीपूर्वक स्थापित किया है, और उन्हें व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) ढांचे में उल्लिखित प्रमुख मैट्रिक्स के साथ संरेखित किया है। हमारा दृष्टिकोण प्रासंगिक संकेतकों को प्राथमिकता देता है जो हमारे स्थिरता स्कोर को प्रभावी ढंग से मापते हैं, जो हमें सार्थक ईएसजी संकेतकों को एकत्र करने, समेकित करने और रिपोर्ट करने में सक्षम बनाते हैं।

हमारा समाधान–केंद्रित दृष्टिकोण टीएचडीसीआईएल के प्रचालन का केंद्रबिंदु है, जो ज्ञान से संचालित और सहानुभूति से प्रेरित है। हमारे कार्य बुद्धि, करुणा और परिश्रम के मिश्रण से निर्देशित होते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आधुनिक चुनौतियाँ सभी हितधारकों की जरूरतों की गहन समझ पर आधारित नवीन सोच और मेहनती प्रयास की मांग करती हैं। यह सिद्धांत हमारे प्रचालन के हर पहलू में प्रतिध्वनित होता है।

पर्यावरण पर हमारे कार्बन पदचिह्न के बहुमुखी प्रभाव को पहचानते हुए, हम मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तन, शहरी वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, तटीय और महासागर अम्लीकरण और /रुवीय बर्फ के क्षरण के उत्प्रेरक के रूप में इसकी भूमिका को स्वीकार करते हैं। पर्यावरणीय सततता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ, हम अपने ऊर्जा उत्पादन की कार्बन तीव्रता को कम करने की दिशा में व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं। सततता के प्रति हमारा समर्पण न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि पूंजी बाजार द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, जो हमारी जैसी कंपनियों को जलवायु परिवर्तन शमन और सततता में निवेश करने के लिए पुरस्कृत करता है, जो हमारे स्टॉक की कीमतों में सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित होता है।

तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य में जहां निवेशक अपने निवेश निर्णयों के लिए गैर–वित्तीय प्रकटीकरण पर ध्यान देते हैं, टीएचडीसीआईएल इस प्रवृत्ति को पूरी तरह से स्वीकार करता है। हमारा दृष्टिकोण एकीकृत वित्तीय रिपोर्टिंग तक फैला हुआ है, जो ईएसजी विचारों के प्रति हमारी समग्र प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2022–23 के लिए हमारी व्ययवसाय उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्ट हमारी व्यावसायिक गतिविधियों, पर्यावरण और समुदाय के बीच परस्पर क्रिया के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। इससे यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे दृढ़ समर्पण को उजागर होता है कि पर्यावरण, समाज और शासन के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए हमारे प्रचालन सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

खंड-क: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध संस्था के ब्यौरे

1.	**कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**	U45203UR1988GOI009822
2.	**कंपनी का नाम**	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (आज की तारीख तक सूचीबद्ध नहीं है)
3.	**पंजीकरण का वर्ष**	1988
4.	**पंजीकृत पता**	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम, टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल
5.	**कॉरपोरेट पता**	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश, उत्तराखंड
6.	**ई मेल आई डी:**	cmd@thdc.co.in
7.	**दूरभाष संख्या**	0120-2473311
8.	**वेबसाइट**	www.thdc.co.in
9.	**जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है:**	2022-23
10.	**उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जिसमें शेयर सूचीबद्ध हैं:**	लागू नहीं
11.	**संदत्त पूंजी**	3665.88 करोड़ रूपये (31.03.2023 की स्थिति के अनुसार)
12.	**उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है:**	श्री. बी के गर्ग, महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट प्लानिंग), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एनसीआर कार्यालय, प्लॉट नम्बर 20, सेक्टर–14, कौशाम्बी, गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश) (ईमेल– bkgarg@thdc.co.in दूरभाष– 0120–2776491)

13. रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल यूनिट के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात यूनिट और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है) : समेकित

II. उत्पाद और सेवाएं

1. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार के 90% के लिए लेखांकन):

क्रम सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	यूनिट के कारोबार का %
1.	विद्युत उत्पादन	जल, पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन और बिक्री	100

2. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के कारोबार का 90% हिस्सा):

क्रम सं.	उत्पाद /सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का : योगदान
1.	विद्युत शक्ति, परामर्शिता और कोयला खनन	3510	100

III. प्रचालन

1. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों / निर्माणाधीन / विकास परियोजनाएं की संख्या	अभ्युक्ति
राष्ट्रीय	11	टीएचडीसीआईएल के 06 प्रचालनात्मक संयंत्र, 02 निर्माणधीन जलविद्युत परियोजनाएं, 01 निर्माणाधीन थर्मल परियोजना, 01 कोयला खनन और 01 विकासाधीन जलविद्युत परियोजना है।
अंतरराष्ट्रीय	शून्य	

2. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

टीएचडीसीआईएल विद्युत उत्पादन में लगी हुई है।

राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को विद्युत आपूर्ति की जाती है।

क. स्थानों की संख्या:

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	11
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक विवरण –

उत्तरी क्षेत्र के नौ राज्यों, गुजरात और केरल को बिजली की आपूर्ति की जाती है।

IV. कर्मचारी

1. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगजनों सहित):

क्रमांक	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	%(ग / क)
	कर्मचारी					
1	स्थायी (घ)	780	729	93.46	51	6.54
2	स्थायी के अलावा (ङ)	162	145	89.50	17	10.50
3	कुल कर्मचारी (घ+ङ)	942	874	92.78	68	7.22
	कामगार					
4	स्थायी (च)	783	729	93.10	54	6.90
5	स्थायी के अलावा (छ)	8935	8762	98.06	173	1.94
6	कुल कामगार (च+छ)	9718	9545	98.21	227	2.33

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्रमांक	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	%(ग/ क)
	दिव्याग कर्मचारी					
1	स्थायी (घ)	9	8	88.89	1	11.11
2	स्थायी के अलावा (ङ)	उपलब्ध नहीं				
3	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ+ङ)	9	8	88.89	1	11.11
	दिव्याग कामगार					
4.	स्थायी (च)	18	15	83.33	3	16.67
5.	स्थायी के अलावा (छ)	उपलब्ध नहीं				
6.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (च+छ)	18	15	83.33	3	16.67

2. महिलाओं की भागीदारी / समावेश / प्रतिनिधित्व:

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	11	1	11.11
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	3	1	33.33%

3. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर

(पिछले 3 वर्षों के रुझान का प्रकटीकरण करें)

		वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2020-21 (पिछले वित्त वर्ष से पहले वर्ष में टर्नओवर दर)		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	सेवानिवृत्त	47	2	49	42	1	43	22	0	22
	इस्तीफा दिया	7	1	8	5	0	5	5	1	6
स्थायी कामगार	सेवानिवृत्त	36	2	38	40	1	41	59	7	66
	इस्तीफा दिया	1	0	1	2	0	2	0	0	0

V. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

1. (क) धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रमांक	धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या धारक/ सहायक/सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में इंगित संस्था, सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हां / नहीं)
1.	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी	74.49	हां
2.	टुस्को लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	74	नही
3.	ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	74	नही

VI. सीएसआर विवरण

(i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां)

(ii) कारोबार (रुपये में):- (कुल राजस्व)– 1974.30 करोड़ रुपए

(iii) नेट वर्थ (रुपये में):- 10428.78 करोड़ रुपये

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

1. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवाद:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां /नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	(हां) (आर एंड आर) (ऑफलाइन रजिस्टर प्रविष्टि)	1	1	जीआरसी प्रमुख (राजपत्रित अधिकारी) की पुनः नियुक्ति प्रक्रियाधीन है	शून्य	शून्य	जीआरसी प्रमुख (राजपत्रित अधिकारी) की पुनः नियुक्ति प्रक्रियाधीन है
	कॉर्पोरेट एस एंड ई (सीएसआर) (https://www.thdc.co.in/content feedback-form)	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	

निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हां। https://scores.gov.in/admin/Chk_login.html	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	
शेयरधारक	हां। https://scores.gov.in/admin/Chk_login.html	शून्य	शून्य	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई	शून्य	शून्य	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई
कर्मचारी और कामगार	हां। www.thdc.co.in	02	01	-	01	शून्य	शून्य
ग्राहक	वार्षिक फीडबैक और डिस्कॉम के साथ आमने–सामने बैठक के माध्यम से	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण और स्थिरता के मुद्दों, जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, इनकी पहचान करने के लिए औचित्य, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय प्रभावों को इंगित कर:

क्रमांक	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	इंगित करें कि क्या जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभआव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
1	राख (ऐश) का निपटान	अवसर	अब फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उद्योगों और अन्य निर्माण सामग्री विनिर्माण उद्योगों में मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है।	फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र का उप–उत्पाद है। इसलिए, विनिर्माण उद्योगों में इसके 100% उपयोग के अवसर को राजस्व क्षमता के रूप में महसूस किया जा सकता है। खुर्जा संयंत्र के प्रचालन के दौरान 25 वर्षों में लगभग 56.8 मिलियन क्यूबेक राख का उत्पादन होने की उम्मीद है क्योंकि परियोजना निर्माण चरण में है और वित्तीय वर्ष 2024–25 में बाजार की मांग की वर्तमान स्थिति के संबंध में टीएचडीसीआईएल द्वारा एक रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई थी। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, दोनों उद्योगों से लगभग 24 लाख मीट्रिक टन से अधिक प्रतिवर्ष की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।	बाजार की मौजूदा प्रवृत्ति के अनुसार फ्लाई ऐश की दर 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन (जो वास्तविक बिक्री के समय भिन्न हो सकती है) को देखते हुए, 120 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का संभावित वित्तीय प्रभाव आता है।
2.	पीएएफ/स्थानीय लोगों की वैध अपेक्षाएं	जोखिम	कार्य अनुभव के आधार पर	• मुद्दों के समाधान के लिए पीएएफ के साथ इंटरफेस करके निर्मित विश्वास के लिए निरंतर संचार और परामर्श/बातचीत। • स्थानांतरण के लिए पीएएफ को उच्च अनुसरण या प्रेरणा। • विशेष पैकेज का भुगतान एक किस्त पर • जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन।	परियोजना निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप परियोजना की पूर्णता लागत में वृद्धि हुई है।

खंड- खः प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1क	क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
1ख	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
1ग	नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	*	*	वेब पर नहीं	*	*	*	वेब पर नहीं	*	-
2.	क्या संस्था ने नीति का प्रक्रियाओं में अनुवाद किया है। (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों को उपलब्ध हैं? (हां / नहीं)	कृपया नीचे तालिका–1 का अवलोकन करें								
4	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/रुलेबल/मानकों का नाम (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे SA 8000, HSA, ISO, BIS) को आपकी संस्था द्वारा अपनाया गया और प्रत्येक सिद्धान्त के लिए मैप किया गया।									
5	विशिष्ट समय–सीमा के साथ संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों।									
6	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के सापेक्ष संस्था के प्रदर्शन साथ–साथ उन्हें पूरा न कर पाने की स्थिति में कारणों का उल्लेख।	सभी वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। तालिका–1 के अनुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।								
	सुशासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7	ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा कथन (सूचीबद्ध संस्था के पास इस प्रकटीकरण को रखने के संबंध में लचीलापन है)									
8	व्यावसायिक जिम्मेदारी नीति (यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।							एन.ए.		
9	क्या संस्था में बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो सततता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें।							वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कमेटी ने सस्टेनएबिलिटी इश्यूज को रिव्यू किया।		

10	कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरणः																			
	समीक्षा के लिए विषय	इंगित करें कि क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)								
		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	उपरोक्त नीतियों के सापेक्ष प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	संतोषजनक। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रदर्शन को मापा जाता है।									जब भी आवश्यक हो।								
	सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नही	जब भी आवश्यक हो।								
11	क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यकरण का स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन कराया है? (हां / नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम दें।	नहीं																	

12 . यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर ''नहीं'' है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारणों का उल्लेख करें:

प्रश्न	
संस्था अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार नहीं करती है (हां /नहीं)	टीएचडीसीआईएल के पास सिद्धांत–9 के लिए कोई नीति नहीं है। ऐसा लगता है कि नीति की आवश्यकता नहीं है। विस्तृत विवरण नीचे तालिका–1 में दिया गया है।
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)	
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां / नहीं)	
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां /नहीं)	
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	

* **पर्यावरण नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

https://thdc.co.in/content/environment-policy

* **आर एंड आर नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

https://thdc.co.in/content/rr-policy

* **सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR-CD-policy28.05.13.pdf

* **टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_CommuStrategy.pdf

* **टीएचडीसीआईएल के विजन, मिशन और मान्यताएं निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:**

https://thdc.co.in/content/visionmissionvalues

* **कॉर्पोरेट आचार नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

https://thdc.co.in/sites/default/files/Corporate_Ethics_Policy.pdf

* **सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicy.pdf

* **व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :**

https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf

तालिका 1

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति /नीतियां	निदेशक
सिद्धांत 1	व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से स्वयं का आचरण और सुशासन करना चाहिए।	• विजन, मिशन और मान्यताएं • आचरण अनुशासन और अपील नियम • कामगारों के लिए स्थायी आदेश • कॉर्पोरेट आचार नीति • व्यापार आचार और नैतिकता संहिता • सीडीए नियम • सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति • सत्यनिष्ठा समझौता • टीएचडीसीआईएल का रिकॉर्ड प्रबंधन मैनुअल • टीएचडीसीआईएल के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति।	निदेशक (वित्त) निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 2 (पी2)	व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।	सुरक्षा नीति सीएसआर एंव सततता नीति आई एस ओ 450001:2018	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 3 (पी3)	व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।	मानव संसाधन नीतियां भर्ती और स्थानांतरण नीति	निदेशक (कार्मिक)

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति /नीतियां	निदेशक
सिद्धांत 4 (पी4)	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	आर एंड आर नीति विजन और मिशन	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 5 (पी5)	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।	विजन, मिशन और मान्यताएं मानव संसाधन नीतियां	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 6 (पी6)	व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।	पर्यावरण नीति आईएसओ 14001 : 2015 (ईएमएस)	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 7 (पी7)	व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।	• आचार संहिता • मूल्य मान्यताएं	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 8 (पी8)	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	सीएसआर और सततता नीति सीएसआर संचार कार्यनीति	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 9 (पी9)	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।	सिद्धांत–9 के तहत पहचाने गए सभी मूल तत्वों का टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विधिवत पालन किया जाता है। हालांकि, टीएचडीसीआईएल को लगता है कि सिद्धांत 9 पर एक अलग नीति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि: • टीएचडीसीआईएल लाभार्थियों (थोक ग्राहकों) को बिजली की आपूर्ति करता है, जिनमें से अधिकांश का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास है। • विद्युत का आबंटन कतिपय नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। • टीएचडीसीआईएल की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत शुल्क केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाता है। • नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ टीएचडीसीआईएल और व्यक्तिगत लाभार्थी राज्य के बीच आपसी समझौते के अनुसार तय किया जाता है। • मुद्दों, यदि कोई हो, पर चर्चा की जाती है और उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) जैसे सामान्य मंचों पर हल किया जाता है, जहां थोक ग्राहक और उत्पादक सदस्य होते हैं। • ग्राहकों (लाभार्थियों) से उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए अलग से फीडबैक लिया जाता है।	

खंड - ग: सिद्धांत-वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को आवश्यक और नेतृत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अधिदेशित प्रत्येक संस्था द्वारा आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण करने की आशा की जाती है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1: व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से स्वयं का आचरण और सुशासित करना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	01	• क्षमता निर्माण सत्र क्षेत्र विशेष विद्युत मंत्रालय • गैर–आधिकारिक निदेशकों का क्षमता निर्माण (डीपीई) • स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम	33.33%

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	03	• स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम • कंपनी सचिव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	40 %
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी	02	• विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर 350 कार्यपालकों की चर्चा। • 114 कार्यपालकों को कवर करते हुए आचरण नियमों और निवारक सतर्कता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कवर किए गए कुल कर्मचारी = 464	59.48%
कामगार	01	• 38 कामगारों को कवर करते हुए नैतिकता और मूल्यों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कवर किए गए कुल कर्मचारी = 38	4.85%

2. **निम्नलिखित प्रारूप में वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/शास्ति/एवार्ड/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण / टिप्पणी: संस्था सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार महत्व के आधार पर प्रकटीकरण करेगी,:**

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (भारतीय रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां / नहीं)
शास्ति / जुर्माना	**शून्य**				
समझौता					
कंपाउंडिंग शुल्क					

गैर-मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां /नहीं)
कारावास	**शून्य**			
सजा				

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों की संख्या, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई पर अपील की गई है।

– लागू नहीं

4. क्या संस्था में भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

निगम में कोई विशिष्ट और अधिसूचित भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति नहीं है। हालांकि, सभी कर्मचारी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा शासित हैं।

संगठन के कर्मचारी संगठन की आचार संहिता के साथ प्रवर्तनीय नीतियों के प्रति बाध्य हैं। आचार संहिता विशिष्ट नियमों का समूह है जिसे विशिष्ट प्रथाओं और व्यवहारों, जिन्हें प्रोत्साहित या प्रतिबंधित किया जाना है, को रेखांकित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आचार संहिता में यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को भी निर्धारित किया गया है कि क्या संहिता का उल्लंघन हुआ है और विशिष्ट उल्लंघनों के लिए क्या दंड लगाया जाएगा।

विभिन्न नियमों / नीतियों / संहिताओं / विनियमों के रूप में निर्धारित आचार संहिता की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

(क) विज़न, मिशन और मान्यताएं:

प्रत्येक कर्मचारी को कंपनी के विजन और मिशन को पेशेवर तरीके से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संगठन के मिशन को पूरा करने में सम्मान, चिंता, शिष्टाचार और जवाबदेही के साथ सेवा करना कर्मचारियों का कर्तव्य है। कर्मचारी को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए और दूसरों के व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। निगम के विजन और मिशन को पूरी लगन से आगे बढ़ाया जा रहा है और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ख) आचरण, अनुशासन और अपील नियम:

इन नियमों को टीएचडीसीआईएल का आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1990 कहा जाता है। ये नियम अनियमित नियोजन या आकस्मिकताओं से भुगतान किए जाने वाले और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत कंपनी के स्थायी आदेशों द्वारा शासित होने वाले कामगारों को छोड़कर, प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों सहित कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

इन नियमों का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है, और इस प्रकार कंपनी के हितधारकों द्वारा अधिकारियों में दिखाए गए विश्वास और भरोसे को बनाए रखना है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दैनिक कार्यकरण में इस संहिता और मानकों के निर्धारित प्रावधानों से अवगत हों, इनका पालन करें, इन्हें अपनाएं और इन्हें बनाए रखें। इस संहिता में निर्धारित सिद्धांत सामान्य प्रकृति के हैं और अनुपालन और नैतिकता के व्यापक मानक निर्धारित करते हैं।

(ग) कामगारों के लिए प्रमाणित स्थाई आदेश

इस अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण के बाद स्थायी आदेशों के रूप में उनके अधीन नियोजन की शर्तों को औपचारिक रूप से परिभाषित करना अपेक्षित है। यह प्रत्येक ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें 100 या अधिक कामगार (केंद्र सरकार ने उन प्रतिष्ठानों के संबंध में कम करके 50 कर दिया है जिनके लिए यह उपयुक्त सरकार है) कार्यरत हैं। स्थायी आदेश होने का उद्देश्य औद्योगिक संबंधों को विनियमित करना है। ये आदेश औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के नियोजन की शर्तों, शिकायतों, कदाचार आदि को नियंत्रित करते हैं।

(घ) कॉर्पोरेट आचार नीति:

टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष और पारदर्शी दृष्टिकोण के महत्व को बरकरार रखता है। ऐसा अपनी सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और लेनदेन में व्यावसायिकता, सत्निष्ठा, अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर किया जाता है। टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष व्यवहार और व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसने कॉर्पोरेट नैतिकता नीति, जो कंपनी और कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और मानकों को निर्धारित करती है, को अपनाया है।

यह नैतिकता नीति कथन, आकस्मिक रोजगार, संविदाकारी एजेंसियों, परामर्शदाताओं, व्यावसायिक संबंधों से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं और अन्य हितधारकों को छोड़कर, निदेशक मंडल के सदस्यों, कर्मचारियों सहित प्रतिनियुक्ति / ग्रहणाधिकार पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होता है। सभी संबंधितों से अखंडता, निष्पक्षता और विवेक के मूल्यों के अनुरूप नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कर्तव्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों से टीएचडीसीआईएल, और इसके उद्देश्यों, प्रयोजनों और सिद्धांतों के प्रति अनन्य निष्ठा के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

(ङ) व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता:

व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता बोर्ड के सदस्यों और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए है। इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 49, जहां कहीं लागू हो और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में विशेष रूप से तैयार की गई है।

इस संहिता का उद्देश्य पेशेवर कार्य के संचालन में नैतिक निर्णय लेने के आधार के रूप में कार्य करना है। यह पेशेवर नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत की मेरिट का न्याय करने के लिए एक आधार के रूप में भी कार्य कर सकती है।

(च) सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति:

सीपीएसई द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश को अनिवार्य बनाने और सभी सीपीएसई पर लागू करने का निर्णय लिया।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति में उल्लेख किया गया है कि कंपनी प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या आचरण या नैतिकता नीति पर कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकती है। यह तंत्र, तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान कर सकता है और असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच प्रदान कर सकता है। एक बार स्थापित होने के बाद, तंत्र के अस्तित्व को संगठन के भीतर उचित रूप से सूचित किया जा सकता है।

यह नीति कंपनी में नैतिक, सदाचारी और कानूनी व्यावसायिक आचरण के उच्चतम संभव मानकों को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार की गई है।

नीति का उद्देश्य निम्नानुसार है:

- कर्मचारियों को कंपनी में अनैतिक और अनुचित व्यवहार या किसी अन्य गलत आचरण की जानकारी होने की स्थिति में, सद्भावस्वरूप प्रबंधन या असाधारण मामलों में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को पहुंचने का अवसर प्रदान करना।
- सद्भाव में सूचना प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए, आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करना।
- प्रबंधकीय कार्मिकों को उन कर्मचारियों के विरूद्ध कोई प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई करने से रोकना।

(च) सत्यनिष्ठा समझौता:

टीएचडीसीआईएल ने भ्रष्टाचार को मिटाने/शमन करने के अपने प्रयास में टीएचडीसीआईएल प्रशासन में विभिन्न पैकेजों को प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करने या लाभ उठाने का पालन किया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया है। इसने भ्रष्टाचार की उच्च लागत और प्रभावों को कम करने के लिए आपसी संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों को स्थापित किया है। इस समझौते में, संविदा के किसी भी पहलू पर किसी भी तरह के भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग नहीं करने के लिए, दोनों पक्षकारों के व्यक्तियों/अधिकारियों को प्रतिबद्ध करने वाले संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और खरीदार के बीच एक समझौते की अनिवार्य रूप से परिकल्पना की गई है। केवल वे विक्रेता/बोलीदाता जिन्होंने क्रेता के साथ ऐसा सत्यनिष्ठा समझौता किया है, बोली में भाग लेने के लिए सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, इस समझौते को निष्पादित करना एक प्रारंभिक योग्यता होगी। किसी विशेष संविदा के संबंध में सत्यनिष्ठा समझौता, निविदा के आमंत्रण के चरण से संविदा के पूर्ण निष्पादन तक प्रभावी होगा।

सत्यनिष्ठा समझौते में संगठन के लिए स्वीकृत स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम) के पैनल की परिकल्पना की गई है। स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करेगा कि पक्षकारों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है या नहीं।

5. ऐसे निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी)/ कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
निदेशक	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	शून्य	शून्य

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)		वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-

12. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाए गए जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

– लागू नहीं

सिद्धांत 2 व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

1. संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास निवेश में से उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में किए गए अनुसंधान एवं विकास निवेश का प्रतिशत

अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास योजना और बजट (वित्त वर्ष 2022-23) के सापेक्ष अनुसंधान एवं विकास

क्रमांक	परियोजना का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया व्यय (रु. लाख में)	अध्ययन का प्रभाव	अध्ययन के परिणाम
1.	• टिहरी एचपीपी और केएचईपी के ईएम उपकरणों की स्थिति की निगरानी	317	• समय–समय पर स्थिति की निगरानी और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों के सक्रियता मूल्यांकन में कमी, खराबी और स्थापना दोषों के शुरुआती संकेतों का पता लगाना और इस प्रकार परियोजनाओं की विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करना।	• यह अध्ययन ईएम उपकरण के दोष विश्लेषण में उपयोगी है।
2.	• इनडोर प्लांट का उपयोग करके इनडोर वायु प्रदूषण उन्मूलन पर प्रायोगिक परियोजना		• जिस स्थान पर इनडोर प्लांट लगाए गए थे, वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ	• अध्ययन के नतीजों से पता चला है कि जिन स्थानों पर इनडोर प्लांट लगाए गए थे, वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ

3.	• हाइड्रो जेनरेटर से संचालित उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में दोलनों का विश्लेषण और शमन		• अध्ययन ने टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचपीपी की उत्पादन इकाइयों में होने वाले कारणों के साथ दोलनों की पहचान की है और दोलनों को कम करने के लिए समाधान विकसित किया है।	• अध्ययन ने टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचपीपी की उत्पादन इकाइयों में होने वाले कारणों के साथ दोलनों की पहचान की है और दोलनों को कम करने के लिए समाधान विकसित किया है।
4.	• जीरो ब्रिज से कोटेश्वर के बीच सड़क की ढलान स्थिरता के लिए व्यापक समाधान		• टिहरी–कोटेश्वर सड़क के किनारे ढलान की सम्पूर्ण/बड़ी हलचल, यदि कोई हो, का आकलन और शमन उपाय।	• साइट पर इनक्लिनोमीटर छिद्रों में स्थापित इनक्लिनोमीटर के माध्यम से साइट पर सभी कमजोर ढलानों पर मिट्टी के कणों के उप–सतह संचलन की निगरानी की जा रही है।
5.	• टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क और मजबूत गति एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क के माध्यम से भूकंपीय अध्ययन		• टिहरी जलाशय में पानी रोकने से पहले, उसके दौरान और बाद में टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र की सूक्ष्म भूकंप गतिविधि पर दीर्घकालिक डाटा का संग्रह।	• अध्ययन के परिणामों का उपयोग बांध निकाय और अन्य महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग संरचनाओं की सुदृढ़ता का आकलन करने के लिए किया जा रहा है।

2. क. क्या संस्था में स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां / नहीं)

– हां

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

लगभग सभी खरीद स्थायी सोर्सिंग विधियों जैसे जीईएम पोर्टल, ई–टेंडरिंग आदि के माध्यम से की जाती हैं।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए उपयोगी काल के अंत में पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुन:प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) -

ऋषिकेश में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग-अलग अजैविक अपशिष्ट का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड - एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक अपशिष्ट जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए - बनाए गए हैं। अन्य परियोजना स्थानों पर भी इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है

(ख) ई-कचरा:

टीएचडीसीआईएल में बहुत कम ई–अपशिष्ट है। सरकारी मानदंडों के अनुसार ई–कचरे का निपटान किया जाता है।

(ग) खतरनाक अपशिष्ट:

संविदाकार द्वारा परियोजनाओं में खतरनाक अपशिष्ट का निपटान खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जा रहा है। सभी खतरनाक अपशिष्ट को रिसाव रोधी बंद पात्र (ड्रम) में एकत्र किया जाता है और अधिकृत एजेंसियों/रीसाइक्लर को सौंप दिया जाता है।

(घ) अन्य अपशिष्ट:

बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन:-

बायोमेडिकल अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) का सुरक्षित और सतत प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों से संबंधित सभी लोगों की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है। स्वस्थ मानव एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 लागू किया जा रहा है। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का मूल सिद्धांत स्रोत पर पृथक्करण है और हरे एवं स्वच्छ वातावरण के लिए अपशिष्ट में कमी का अनुपालन किया जा रहा है। इस उद्देश्य से बायोमेडिकल अपशिष्ट को कलर कोडेड डिब्बे में रखा जा रहा है। फिर अपशिष्ट को अंतिम निपटान के लिए विशेषज्ञ एजेंसी को सौंप दिया जाता है।

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां /नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

– लागू नहीं

सिद्धांत 3 व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

1. क. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

श्रेणी	निम्नलिखित द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का%										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख /क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ /क)	संख्या (ङ)	% (ङ / क)	संख्या (च)	% (च / क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरूष	729	लागू नहीं	लागू नही	729	100	लागू नही	लागू नही	729	100	लागू नही	लागू नही
महिला	51	लागू नही	लागू नही	51	100	51	100	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
कुल	780	लागू नही	लागू नही	780	100	51	6.54	729	92.30	लागू नही	लागू नही
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरूष	145	लागू नही	लागू नही	145	100	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
महिला	17	लागू नही	लागू नही	17	100	17	100	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
कुल	162	लागू नही	लागू नही	162	100	17	10.49	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

ख. कामगारों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	निम्नलिखित द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का %										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख /क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ /क)	संख्या (ङ)	% (ङ / क)	संख्या (च)	% (च / क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरूष	729	लागू नही	लागू नही	729	100	लागू नही	लागू नही	729	100	लागू नही	लागू नही
महिला	54	लागू नही	लागू नही	54	100	54	100	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
कुल	783	लागू नही	लागू नही	783	100	54	6.89	729	92.10	लागू नही	लागू नही
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरूष	8762	लागू नही	लागू नही	8762	100	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
महिला	173	लागू नही	लागू नही	173	100	173	100	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
कुल	8935	लागू नही	लागू नही	8935	100	173	1.93	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण:

लाभ	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2021-22 चालू वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों का % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों का % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (वाई/एन/एनए)	कुल कर्मचारियों का % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों का % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	100%	100%	100%	100%	100%	100%
उपदान	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ईएसआई	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	जीएसएलआई योजना के तहत 2014 से पहले शामिल हुए कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ	100%	100%	100%	100%	100%

3. **कार्यस्थलों की पहुंच**

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, क्या दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए संस्था के परिसर/कार्यालयों की पहुंच है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिगम के कार्यान्वयन के अनुपालन में, संगठन ने संगठन के अधिकांश भवनों में रैंप बनाकर आसान पहुंच प्रदान की है। सुगम्य भारत अभियान के तहत निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए कंपनी दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सभी प्रयास कर रही है। कंपनी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को नामित करती रही है। कंपनी ने दिव्यांग कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया है। कंपनी की समान अवसर नीति है और इसे अक्षरशः लागू किया जाता है।

4. **क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था में समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।**

हां, https://thdc.co.in/sites/default/files/EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY_0.pdf

5. **पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की कार्य पर वापसी और प्रतिधारण दर।**

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कर्मचारी	
लिंग	**कार्य दर पर लौटें**	**प्रतिधारण दर**	**कार्य दर पर लौटें**	**प्रतिधारण दर**
पुरुष	100%	100%	-	-
महिला	100%	100%	-	-
कुल	100%	100%	-	-

6. **क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।**

	हां/नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी कर्मचारी	हां
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	-
स्थायी कर्मचारी	हां
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	-

7. **शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए उपलब्ध तंत्र पर संक्षिप्त विवरण**

शिकायत निवारण के लिए प्रक्रिया:

चरण I: कोई व्यथित कर्मचारी अपनी शिकायत लिखित रूप में (प्रपत्र संख्या 1) अपने नियंत्रण अधिकारी (उप प्रबंधक के पद से नीचे नहीं) को उक्त शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। नियंत्रण अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए बनाए गए शिकायत रजिस्टर में शिकायत दर्ज की जाएगी। कर्मचारी को शिकायत संख्या का उल्लेख करते हुए एक पावती जारी की जाएगी। नियंत्रण अधिकारी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवश्यक पूछताछ करेगा और कर्मचारी को उत्तर (प्रपत्र संख्या II) देगा। नियमित प्रकृति की शिकायत को कर्मचारी को उत्तर देने में आम तौर पर 15 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

चरण II: यदि व्यथित कर्मचारी नियंत्रण अधिकारी द्वारा उसे दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह चरण–1 पर उत्तर प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर नियंत्रक अधिकारी द्वारा दी गई मूल शिकायत संख्या को इंगित करते हुए अपनी शिकायत अपने विभागाध्यक्ष/महाप्रबंधक को (प्रपत्र संख्या 1 में) प्रस्तुत कर सकता है। इस चरण में, प्रपत्र संख्या 1 इकाई/परियोजना के मामले में उनके महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख और कॉर्पोरेट कार्यालय के मामले में विभागाध्यक्ष (कॉर्पोरेट मानव संसाधन विभाग द्वारा यथाअधिसूचित) को संबोधित किया जाएगा। शिकायत प्राप्त होने पर, महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख/विभागाध्यक्ष मामले को आगे संसाधित करेंगे, संबंधित कर्मचारी को एक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देंगे और उचित समय के भीतर मामले में उत्तर (प्रपत्र संख्या II) देंगे। आम तौर पर, चरण–II में कर्मचारी को शिकायत का उत्तर देने में 30 दिनों से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए।

चरण III: यदि कर्मचारी अभी भी चरण–3 में प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह चरण–II पर उत्तर प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, चरण–II में प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं होने का कारण का उल्लेख कर, मूल शिकायत संख्या इंगित करते हुए, अपनी शिकायत अध्यक्ष–जीआरसी (प्रपत्र संख्या 1) को प्रस्तुत कर सकता है।

8. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (ओं) या संघ (संघों) में कर्मचारियों और कार्यकर्ता की सदस्यता:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	780	78	10.0%	813	256	31.48%
– पुरुष	729	74	10.15%	762	246	32.2%
– महिला	51	04	7.84%	51	10	19.6%
कुल स्थायी कामगार	783	601	76.75%	831	786	94.58%
– पुरुष	729	588	80.65%	775	736	94.9%
– महिला	54	13	24.07%	56	50	89.28%

9. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)						वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)			
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (ख)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/ क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	729	48	6.58%	390	53.49%	762	166	21.78%	66	8.66%
महिला	51	शून्य	-	42	82.35%	51	51	100%	03	5.88%
कुल	780	48	6.15%	432	55.38%	813	217	26.69%	69	8.48%
कामगार										
पुरुष	729	66	9.05	28	3.84%	775	147	18.96	48	6.19%
महिला	54	03	5.55%	02	5.55%	56	06	10.71%	0	0
कुल	783	69	8.81%	30	3.83%	831	153	18.41%	48	5.77%

10. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारी						
पुरुष	729	729	100%	762	762	100%
महिला	51	51	100%	51	51	100%
कुल	780	780	100%	813	813	100%
कामगार						
पुरुष	729	729	100%	775	775	100%
महिला	54	54	100%	56	56	100%
कुल	783	783	100%	831	831	100%

11. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां / नहीं)। यदि हां, ऐसी प्रणाली की कवरेज का उल्लेख करें?

हां, टीएचडीसीआईएल में एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित है। यह प्रणाली निम्नलिखित को अपनाकर नामित अधिकारी (अधिकारियों) और योग्य सुरक्षा अधिकारियों, साइट इंजीनियरों और प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से कवरेज प्रदान कर रही है:

I. **नीति और प्रतिबद्धता:** टीएचडीसीआईएल ने एक स्पष्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति स्थापित की है जो अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

II. **खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन:** कंपनी अपनी कार्य प्रक्रियाओं के भीतर संभावित खतरों की पहचान करती है और इन जोखिमों की संभावना और गंभीरता का मूल्यांकन करने के लिए जोखिम मूल्यांकन करती है।

III. **कानूनी अनुपालन:** टीएचडीसीआईएल सरकार या उद्योग निकायों द्वारा निर्धारित प्रासंगिक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों, विनियमों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

IV. **उद्देश्य और लक्ष्य:** कंपनी ने व्यावसायिक जोखिमों के प्रबंधन में निरंतर सुधार लाने के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

V. **संसाधन और क्षमता:** टीएचडीसीआईएल यह सुनिश्चित करने के लिए संसाधन आवंटित करता है और प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करता है कि कर्मचारियों के पास सुरक्षित रूप से काम करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान है।

VI. **आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया:** टीएचडीसीआईएल के पास आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए योजनाएं और प्रक्रियाएं हैं, जिनमें निकासी प्रक्रियाएं, संचार प्रोटोकॉल और प्राथमिक चिकित्सा प्रावधान शामिल हैं।

VII. **घटना की रिपोर्टिंग और जांच:** कंपनी के पास मूल कारणों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाइयों को लागू करने के लिए घटनाओं, दुर्घटनाओं, घटित होने से बची घटनाओं और व्यावसायिक स्वास्थ्य मुद्दों की रिपोर्टिंग और जांच करने की एक प्रणाली है।

VIII. **प्रदर्शन निगरानी और माप:** प्रगति को ट्रैक करने, सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने और स्वास्थ्य और सुरक्षा लक्ष्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की नियमित निगरानी और माप आयोजित की जाती है।

IX. **प्रबंधन समीक्षा:** टीएचडीसीआईएल का शीर्ष प्रबंधन समय–समय पर ओएचएसएमएस की प्रभावशीलता की समीक्षा करता है और इसके प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक समायोजन करता है।

ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

साइट इंजीनियरों/योग्य सुरक्षा अधिकारियों और उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर समय की आवश्यकता के अनुसार, निम्नानुसार सुरक्षा निरीक्षण/साइट दौरों के माध्यम से कार्य संबंधी खतरों और जोखिम आकलन की पहचान की जा रही है।

I. **खतरे की पहचान:**

- **नियमित निरीक्षण:** असुरक्षित स्थितियों, उपकरण की खराबी या पर्यावरणीय कारकों जैसे संभावित खतरों की पहचान करने के लिए कार्यस्थल का नियमित निरीक्षण करना।
- **कार्य जोखिम विश्लेषण:** प्रत्येक कार्य से जुड़े अंतर्निहित खतरों और संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए विशिष्ट कार्य कार्यों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना।
- **घटना की रिपोर्टिंग:** पहले से अज्ञात खतरों की पहचान करने के लिए कर्मचारियों को घटनाओं, निकट चूक और खतरनाक स्थितियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना।

II. **नियमित और गैर-नियमित आधार:**

- **नियमित खतरे की पहचान:** खतरों की सक्रिय रूप से पहचान करने और निरंतर आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए नियमित प्रक्रियाओं को लागू करना। इसमें निर्धारित निरीक्षण, सुरक्षा समिति की बैठकें, कर्मचारी प्रतिक्रिया तंत्र, या विशिष्ट कार्यों या कार्य क्षेत्रों के लिए नियमित जोखिम मूल्यांकन शामिल हो सकते हैं।
- **गैर-नियमित खतरे की पहचान:** नियमित प्रक्रियाओं के अलावा, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास खतरों की पहचान करने और गैर–नियमित गतिविधियों, जैसे रखरखाव कार्य, परियोजना गतिविधियों, या कार्य प्रक्रियाओं में बदलाव से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं हो सकती हैं।

ग. क्या कंपनी में काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने के लिए कामगारों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

– हां

रिपोर्टिंग तंत्र: टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने के लिए विभिन्न चैनल स्थापित किए हैं, जैसे:

- **घटना रिपोर्टिंग प्रणाली:** एक औपचारिक प्रणाली जो श्रमिकों को घटनाओं, दुर्घटनाओं, निकट चूक, या उनके द्वारा देखी या अनुभव की गई खतरनाक स्थितियों की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है।
- **सुरक्षा समितियाँ या प्रतिनिधि:** कर्मचारी खतरों और चिंताओं के बारे में बताने के लिए नामित सुरक्षा समिति के सदस्यों या प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं।
- **पर्यवेक्षक और प्रबंधन:** पर्यवेक्षकों या उच्च–स्तरीय प्रबंधन को उनके सामने आने वाले कार्य–संबंधी खतरों के बारे में सीधे सूचित करना।

अनाम रिपोर्टिंग: टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड कर्मचारियों को प्रतिशोध के डर के बिना खतरों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गुमनाम रिपोर्टिंग तंत्र, जैसे सुझाव बॉक्स, ऑनलाइन रिपोर्टिंग टूल या समर्पित हॉटलाइन प्रदान करता है।

प्रशिक्षण और जागरूकता: कंपनी श्रमिकों को खतरे की रिपोर्टिंग के महत्व और असुरक्षित स्थितियों से खुद को दूर करने के उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करती है। इसमें खतरों की पहचान करने, उन्हें प्रभावी ढंग से रिपोर्ट करने और जोखिमों से खुद को दूर करने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है।

जांच और सुधारात्मक कार्रवाई: एक बार खतरों की सूचना मिलने पर, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड आमतौर पर रिपोर्ट किए गए खतरों की तुरंत और पूरी तरह से जांच करेगा। फिर पहचाने गए जोखिमों को खत्म करने या कम करने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

कर्मचारी सशक्तिकरण: टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करके और यदि आवश्यक हो, तो नकारात्मक परिणामों के डर के बिना, खतरनाक स्थितियों से खुद को दूर करने के लिए सशक्त बनाकर कर्मचारी सशक्तिकरण पर जोर देती है।

घ. **क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां / नहीं)।**

– हां

सामान्य चिकित्सा सेवाएं: टीएचडीसीआईएल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, जैसे सामान्य जांच, चिकित्सकों के साथ परामर्श, और सामान्य बीमारियों या गैर–कार्य–संबंधी चोटों के लिए उपचार तक पहुंच प्रदान करता है।

निवारक देखभाल: नियोक्ता अक्सर कर्मचारियों को उनके समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निवारक देखभाल पहल, जैसे टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं।

कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी): ईएपी कर्मचारियों को व्यक्तिगत मुद्दों के लिए गोपनीय परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान कर सकता है जो मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और कार्य–जीवन संतुलन सहित उनके आरोग्य को प्रभावित कर सकते हैं।

स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ गठबंधन: टीएचडीसीआईएल ने कर्मचारियों को रियायती दरों या स्वास्थ्य सेवाओं के नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं या अस्पतालों के साथ गठबंधन किया है।

12. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (कार्य के घंटों के लिए प्रति मिलियन–व्यक्ति)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	01
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	1	शून्य
गम्भीर परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य

13. **एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।**

टीएचडीसीआईएल एक ओएचएसएएस– 45001:2018 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित कंपनी है और टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी, कोटेश्वर एचपीपी, पीपलकोटी एचईपी और ढुकवां एसएचईपी स्थित अपनी परियोजनाओं में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानदंडों का सख्ति से पालन करके अपने कर्मचारियों, संविदाकारों, उप–संविदाकारों और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

टीएचडीसीआईएल लागू कानूनी आवश्यकताओं, कानूनों, विनियमों और सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक स्वस्थ और उत्साहवर्धक कार्य परिवेश प्रदान करने का पूरा प्रयास करती है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति: टीएचडीसीआईएल में एक सुपरिभाषित व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति है जो एक सुरक्षित कार्य परिवेश प्रदान करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता पर जोर देती है तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में इसकी जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को रेखांकित करती है।

जोखिम मूल्यांकन और खतरा नियंत्रण: टीएचडीसीआईएल संभावित खतरों की पहचान करने और अपने प्रचालन से संबद्ध जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए नियमित जोखिम मूल्यांकन करता है। इन आकलनों के आधार पर, पहचाने गए जोखिमों को खत्म करने या कम करने के लिए उचित नियंत्रण उपाय लागू किए जाएंगे।

प्रशिक्षण और जागरूकता: टीएचडीसीआईएल अपने कर्मचारियों को व्यापक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सुरक्षित रूप से काम करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित हैं। इसमें विशिष्ट खतरों, सुरक्षित कार्य प्रथाओं, आपातकालीन प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उचित उपयोग पर प्रशिक्षण शामिल है।

सुरक्षा प्रक्रियाएँ और दिशानिर्देश: कंपनी स्पष्ट सुरक्षा प्रक्रियाएँ, दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल स्थापित करती है जिनका कर्मचारियों से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें उपकरण संचालन, खतरनाक पदार्थों से निपटने, ऊंचाई पर काम करने और अन्य विशिष्ट गतिविधियों की प्रक्रियाएं शामिल हैं।

सुरक्षा उपकरण और सुविधाएं: टीएचडीसीआईएल कर्मचारियों को कार्यस्थल के खतरों से बचाने के लिए उचित सुरक्षा उपकरण और सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), सुरक्षा संकेत, अग्नि शमन प्रणाली, प्राथमिक चिकित्सा किट और एर्गोनोमिक वर्कस्टेशन शामिल हो सकते हैं।

नियमित निरीक्षण और संपरीक्षा: कंपनी संभावित खतरों की पहचान करने, सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी सुरक्षा कमियों

को तुरंत दूर करने के लिए कार्यस्थल का नियमित निरीक्षण और संपरीक्षा करती है।

घटना की रिपोर्टिंग और जांच: टीएचडीसीआईएल में कर्मचारियों के लिए घटनाओं, दुर्घटनाओं, घटित होने से बाल–बाल बची घटनाओं और खतरनाक स्थितियों की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रणाली है। इन रिपोर्टों की गहन जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आपातकालीन तैयारी: कंपनी में आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं हैं, जिसमें निकासी प्रक्रिया, संचार प्रोटोकॉल और अभ्यास शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं।

कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन: टीएचडीसीआईएल लागू व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों, विनियमों और उद्योग मानकों के साथ–साथ इसके संचालन के लिए विशिष्ट किसी भी अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

14. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

15. वर्ष के लिए आकलन

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का %, जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	(100%) हम मेसर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल, उत्तराखंड द्वारा आयोजित नियमित बाह्य संपरीक्षा के माध्यम से सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना की तृतीय पक्ष द्वारा जांच कराई जाती है। ये उपाय स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं को बनाए रखने और सुरक्षा मानकों में लगातार सुधार करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।
काम करने की स्थिति	(100%) कामकाजी परिस्थितियों का आकलन करने के लिए प्रत्येक वर्ष नियमित संपरीक्षा, बाह्य और आंतरिक दोनों, आयोजित की जाती है। इंजीनियरों, सुरक्षा अधिकारियों और सलाहकारों की हमारी समर्पित टीम अनुपालन सुनिश्चित करने और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए गहन साइट निरीक्षण और टीबीटी करती है। ये सक्रिय उपाय निरंतर प्रचालन दक्षता और कर्मचारी कल्याण सुनिश्चित करते हैं।

16. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

ओएचएस जागरूकता कार्यक्रम समय–समय पर कर्मचारियों और संयंत्रों और निर्माणाधीन परियोजनाओं के अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा, पीपीई, अंतःसंयंत्र सुरक्षा जागरूकता आदि के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। टीएचडीसीआईएल सुरक्षा अधिकारी निर्माण स्थलों और विद्युत गृह संयंत्रों पर सभी कामगारों को समय–समय पर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण/जागरूकता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा मॉक ड्रिल कार्यक्रम के माध्यम से नियमित रूप से सुरक्षा जागरूकता आयोजित की जाती रही है।

I. **ओएचएस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना:** हम व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) को बढ़ावा देने के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के महत्व को पहचानते हैं। इसलिए, हम अपने कार्यबल को सर्वोत्तम प्रथाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रक्रियाओं पर शिक्षित करने के लिए समय–समय पर ओएचएस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये कार्यक्रम संभावित खतरों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाएंगे और पूरे संगठन में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देंगे।

II. **बाह्य सुरक्षा संपरीक्षा आयोजित करना:** हमारी सुरक्षा प्रथाओं का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, हम एनएससी उत्तराखंड चैप्टर द्वारा आयोजित वार्षिक बाह्य सुरक्षा संपरीक्षा की व्यवस्था करते हैं। यह संपरीक्षा हमारे सुरक्षा उपायों का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करेगी, सुधार के किसी भी क्षेत्र की पहचान करेगी, और कानूनी आवश्यकताओं और उद्योग मानकों के साथ हमारे अनुपालन को मान्य करेगी।

III. **आंतरिक सुरक्षा संपरीक्षा आयोजित करना:** बाह्य संपरीक्षा के अलावा, हम प्रत्येक वर्ष आंतरिक सुरक्षा संपरीक्षा आयोजित करते हैं। ये संपरीक्षाएं टीएचडीसीआईएल के भीतर योग्य सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम द्वारा की जाएंगी। हमारी प्रक्रियाओं की समीक्षा करके, संभावित जोखिमों की पहचान करके और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करके, आंतरिक सुरक्षा संपरीक्षा हमें सुरक्षा प्रदर्शन के उच्च मानक बनाए रखने में मदद करेगी।

IV. **वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन:** किसी दुर्घटना या घटना की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, टीएचडीसीआईएल सभी वैधानिक और कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सुनिश्चित करते हैं कि घटना की उचित अधिकारियों को रिपोर्ट करने, प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक सहायता

प्रदान करने, जांच करने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने जैसी आवश्यक कार्रवाई तुरंत की जाएं।

V. **दैनिक सुरक्षा निरीक्षण, दौरे और टूल बॉक्स वार्ता :** हमारे कर्मचारी और अधिकारी सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे किसी भी तात्कालिक खतरे को संबोधित करने, संभावित जोखिमों की पहचान करने और सुरक्षित कार्य प्रथाओं को सुदृढ़ करने के लिए दैनिक सुरक्षा निरीक्षण, दौरे और टूल बॉक्स वार्ता आयोजित करते हैं। ये सक्रिय उपाय टीएचडीसीआईएल के भीतर जोखिमों को कम करने और समग्र सुरक्षा संस्कृति को बढ़ाने में मदद करेंगे।

VI. **असुरक्षित कृत्य और असुरक्षित स्थितियों का समाधान करना:** टीएचडीसीआईएल अधिकारी सक्रिय रूप से असुरक्षित कृत्यों और असुरक्षित स्थितियों के उदाहरणों की पहचान करते हैं और उन्हें कैप्चर हैं। वे इन चिंताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई (सीएपीए) प्रदान करके त्वरित कार्रवाई करते हैं। सीएपीए उपायों को लागू करके, टीएचडीसीआईएल का लक्ष्य, जोखिमों को कम करना, सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं या घटनाओं को रोकना है।

VII. **मासिक और त्रैमासिक ओएच एंड एस सुरक्षा समिति की बैठकें:** अधिनियमों और नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हम कामगारों और प्रबंधन प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए मासिक और त्रैमासिक ओएच एंड एस सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित करेंगे। ये बैठकें खुली चर्चा, सुरक्षा चिंताओं को साझा करने, फीडबैक और सहयोगात्मक निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करेंगी। साथ मिलकर, हम अपनी सुरक्षा प्रथाओं को मजबूत कर सकते हैं और निरंतर सुधार की दिशा में काम कर सकते हैं।

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1. **संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

हम अपने हितधारकों को ऐसे व्यक्तियों और समूहों के रूप में परिभाषित करते हैं जो हमारी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, या जो हमारे भविष्य के विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक हितधारक समूह के विविध हितों के कारण, जो हमारे प्रचालन के प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न होता है, हम अपने दृष्टिकोण, संचार चैनलों और जुड़ाव गतिविधियों को उपयुक्त के रूप में अपनाते हैं। इस अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से, हम लगातार अपने हितधारकों की अपेक्षाओं और मांगों को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी स्थिरता कार्यनीति, रिपोर्ट और समग्र व्यावसायिक गतिविधियों में इन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। अलग–अलग हितधारकों के अलग–अलग दृष्टिकोणों, प्राथमिकताओं और सीमाओं को ध्यान में रखते हितधारकों से जुड़ाव किया जाता है।

उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, हितधारकों की पहचान को टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति के एक अभिन्न अंग के रूप में रखा गया है। संचार, संगठन और इसके हितधारकों के बीच विश्वास को मजबूत करता है। संचार, सभी हितधारकों, विशेष रूप से कर्मचारियों को भली–भांति सूचित रखने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं विश्व स्तर पर स्वीकृत नैतिक प्रणालियों और सतत प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप हैं, बल्कि बाहरी हितधारकों के साथ उनका जुड़ाव इन मूल्यों पर आधारित है।

2. **आपकी संस्था के लिए प्रमुख के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर और अधिकारहीन समूह के रूप में पहचान की गई है (हां / नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
सरकार और सांविधिक निकाय / एनटीपीसी	नहीं	❖ एमओयू पर हस्ताक्षर ❖ पत्र व्यवहार ❖ वार्षिक रिपोर्ट ❖ प्रस्तुतियां ❖ बैठके ❖ वेबसाइट विजिट	❖ वार्षिक रूप से ❖ पूरे वर्ष ❖ वार्षिक रूप से ❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ आवश्यकता पड़ने पर	पीएसयू होने के नाते, इक्विटी एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। सभी परियोजना अनुमोदन और मंजूरी। व्यवसाय चलाने के लिए कार्य–निष्पादन समझौता ज्ञापन और अन्य वैधानिक अपेक्षाएं।
कर्मचारी	नहीं	❖ पत्रिकाओं का प्रकाशन ❖ शिकायत निवारण तंत्र ❖ परिपत्र और कार्यालय आदेश ❖ सांप्रदायिक कार्यक्रम ❖ फीडबैक ❖ सुझाव मेला	❖ त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ वार्षिक	कर्मचारी दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों में लगे रहते हैं और उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए समय–समय पर संवाद आयोजित किए जाते हैं।

ग्राहक	नहीं	❖ पीपीए पर हस्ताक्षर ❖ प्रतिक्रिया सर्वेक्षण ❖ बैठक ❖ पत्र – व्यवहार	❖ किसी भी परियोजना के चालू होने से ठीक पहले ❖ वार्षिक ❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ पूरे वर्ष	टीएचडीसीआईएल अन्य संबंधित संगठनों/एजेंसियों के साथ अपनी गतिविधियों को सिंक्रनाइज करके अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए त्वरित उपाय करता है और सहायता प्रदान करता है
आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार	नहीं	❖ निविदाएं ❖ खुली बोली चर्चा ❖ नीति और प्रक्रियाएं ❖ बैठक ❖ संयुक्त चर्चा	❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ प्रत्येक एवार्ड पर ❖ पूरे वर्ष ❖ नियमित आधार पर ❖ नियमित आधार पर	टीएचडीसीआईएल का मानना है कि परियोजना कार्यान्वयन में ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता और उनके कर्मचारी प्रमुख हितधारक हैं। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/परामर्शदाताओं की चिंताओं का नियमित रूप से समाधान किया जा रहा है।
परियोजना प्रभावित व्यक्ति / स्थानीय और स्वदेशी समुदाय	हां	❖ सीएसआर कार्यक्रम ❖ बैठक ❖ शिकायत निवारण ❖ पत्रिका ❖ पैम्फलेट/वेबसाइट प्रकटीकरण ❖ जन सूचना केंद्र	❖ पूरे वर्ष ❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ पूरे वर्ष ❖ त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक ❖ पूरे वर्ष ❖ परियोजना स्थलों – प्रचालनात्मक संयंत्रों पर खोला गया	टीएचडीसीआईएल का एक मिशन मानव चेहरे के साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्वास करना है। टीएचडीसीआईएल पुनर्वासियों के सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। टीएचडीसीआईएल लगभग खर्च कर रहा है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में अपने सीएसआर कोष का 90%
मीडिया	नहीं	❖ प्रेस वार्ता ❖ आयोजनों के लिए आमंत्रण	❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष	टीएचडीसीआईएल ने संरचित संचार उपकरण तैयार किए हैं और मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों) के साथ बातचीत के लिए कॉर्पोरेट स्तर पर एक अलग संचार विभाग की स्थापना की है।
बड़े पैमाने पर समाज	नहीं	❖ प्रेस समाचार ❖ सूचना ❖ प्रचार ❖ सीएसआर कार्यक्रम ❖ वेबसाइट पर प्रदर्शित करें ❖ फेसबुक और ट्विटर पेज	❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष	एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते, समाज को अपने हितधारक के रूप में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है।

सिद्धांत: 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

1. निम्नलिखित प्रारूप में उन कर्मचारियों और कामगारों का विवरण जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों / कामगारों की संख्या (ख)	% (ख/क	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारी						
स्थायी	780	58	7.43%	813	39	4.79%
स्थायी के अलावा	-	-	-	-	-	-
कुल कर्मचारी	780	58	7.43%	813	39	4.79%
कामगार						
स्थायी	783	25	3.19%	831	15	1.8%
स्थायी के अलावा	-	-	-	-	-	-
कुल कर्मचारी	783	25	3.19%	831	15	1.8%

2. निम्न प्रारूप में, कर्मचारियों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष					वित्तीय वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी	780	-	-	780	100%	813	-	-	813	100%
पुरुष	729	-	-	729	100%	762	-	-	762	100%
महिला	51	-	-	51	100%	51	-	-	51	100%
स्थायी के अलावा	162	-	-	162	100%	14	-	-	14	100%
पुरुष	145	-	-	145	100%	9	-	-	9	100%
महिला	17	-	-	17	100%	5	-	-	5	100%
कामगार										
स्थायी	783	-	-	783	100%	831	-	-	831	100%
पुरुष	729	-	-	729	100%	775	-	-	775	100%
महिला	54	-	-	54	100%	56	-	-	56	100%
स्थायी के अलावा	8935	8935	100%	-	-	5990	5990	100%	-	-
पुरुष	8762	8762	100%	-	-	5820	5820	100%	-	-
महिला	173	173	100%	-	-	170	170	100%	-	-

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:-

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	2	59,82,244.00	0	
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक'	2		1	20,56,756.00
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी	1011	26,56,121.00	69	19,13,598.00
कामगार	525	18,75,454.00	33	13,63,786.00

उपरोक्त डेटा में वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कॉरपोरेशन से जुडे एवं अलग हुए कर्मचारी शामिल है

*2 पुरुष केएमपी का औसत पारिश्रमिक निदेशक मंडल में शामिल है

4. क्या कंपनी में ऐसा कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यापार द्वारा उत्पन्न या किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधन करने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)

– नहीं

5. मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए विद्यमान आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।

मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए वास्तव में कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है। तथापि, कंपनी में एक लोक शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र विद्यमान है जिसमें ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना अपेक्षित है कि आंतरिक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए क्रम में है। कॉर्पोरेशन में उपलब्ध शिकायत तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाता है और लोक शिकायत निदेशक का नाम, पद और पता आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत मेन्यू के अंतर्गत दिया गया है।

इसके अलावा कंपनी के पास कर्मचारियों की शिकायत निवारण के लिए नीति दिशानिर्देश और प्रक्रिया है। इस योजना के प्रयोजन के लिए नीति के तहत शिकायत का अर्थ केवल निगम की नीतियों/नियमों या निर्णयों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली किसी भी कर्मचारी से संबंधित व्यक्तिगत प्रकृति की शिकायत होगी, जो स्वीकार्यता शर्तों के अध्यधीन होगी। इसमें छुट्टी, वेतन वृद्धि, नियमों के तहत लाभ का विस्तार न करना, सेवा नियमों की व्याख्या आदि से संबंधित मामले शामिल हो सकते हैं। नीति में स्वाभाविक रूप से मानव अधिकार मूल्यों को शामिल किया गया है।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	0.00	0.00	0.00	1	0.00	
कार्यस्थल पर भेदभाव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बाल श्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
वेतन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

उत्पीड़न के मामले में शिकायतकर्ता के हितों की रक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्यशील है। इसके अलावा टीएचडीसीआईएल महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) के अनुच्छेद 12 का अनुपालन करता है।

8. क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यावसायिक समझौतों और संविदा का हिस्सा हैं?

– हां

9. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का: जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
बाल श्रम	कोई बाहरी / तृतीय पक्ष संपरीक्षा नहीं की गई है। यद्यपि, नियमित आधार पर की जाने वाली आंतरिक लेखा परीक्षा का एक सुदृढ़ तंत्र है।
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

– आंतरिक निरीक्षण के दौरान सामने आए वेतन से संबंधित किसी भी मुद्दे को त्वरित समाधान के लिए उच्च प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है।

सिद्धांत 6: व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (एमयू में) और ऊर्जा प्रबलता का विवरण:

प्राचल	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियां
कुल बिजली खपत (क)	28.04 एमयू	26.75 एमयू	कॉर्पोरेट कार्यालय और से ऊपर के संयंत्र/ परियोजनाएं शामिल हैं
कुल ईंधन खपत (ख)	124007 लीटर	68649.47 लीटर	
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग) रूफ टॉप सोलर प्लांट	10.85 एमयू	6.79 एमयू	
कुल ऊर्जा खपत (क+ग)	38.89 एमयू	33.54 एमयू	100 मेगावाट
टर्नओवर के प्रति रुपया ऊर्जा प्रबलता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रुपये में)	0.14 किलोवाट/रु.	0.14 किलोवाट/रु.	कॉर्पोरेट कार्यालय

2. क्या संस्था में भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में अभिचिह्नित कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं)। यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें।

नहीं। तथापि, टीएचडीसीआईएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी प्रमुख परियोजना स्थानों पर पुराने एसी को 5 स्टार रेटेड एसी से बदलने, एलईडी लाइट्स की संस्थापना, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर गीजर, रूफ टॉप सोलर आदि की संस्थापना जैसे ऊर्जा दक्षता उपाय किए हैं।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	1472800	1425320
(ii) भूजल	87200	94850
(iii) तृतीय पक्ष जल	-	-
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य (डब्ल्यूटीपी एवं एसटीपी संयंत्र)	2860	2880
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	1562860	1523050
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	1560000	1520170
टर्नओवर के प्रति रुपये में जल की प्रबलता (जल की खपत / टर्नओवर)	-	-
जल की प्रबलता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	-	-

4. क्या यूनिट ने शून्य तरल निस्तारण के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

–नहीं

5. कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :

कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें प्राचल	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
नाइट्रस ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.	वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों – जल, पवन और सौर के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है।	
सल्फर ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
सूक्ष्म कण (पीएम)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
दृढ़ कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		

6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी प्रवणता का विवरण प्रस्तुत करें:

प्राचल	यूनिट	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों – जल, पवन और सौर के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है।	
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन		
टर्नओवर के प्रति रूपये कुल **स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन**			

7. क्या संस्था में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें।

–लागू नहीं

8. निम्नलिखित प्रारूप में, संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न हुआ कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	0.806	0.467
ई–कचरा (ख)	0.440	0.722
जैव चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	0.632	0.572
निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट (घ)	0.00	852000
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	0.70	4.7
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	शून्य	शून्य
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। (जला हुआ तेल, प्रयुक्त टायर, स्नेहक, ट्रांसफार्मर तेल आदि) (छ)	15.59	8.45 मि.ट.
अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट (कार्यालय / संयंत्र का गैर–बिक्री योग्य स्क्रैप) (ज)।	543.38	0.73 मि.ट.
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	**561.548**	**852015.64**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रण	शून्य	शून्य
(ii) पुन:प्रयुक्त	2.88	0.59
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन	शून्य	21.767
कुल	**2.88**	**22.357**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटाए विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	0.366	0.257
(ii) लैंडफिलिंग	0.1846	0.256
(iii) अन्य निपटान प्रचालन	0.431	0.825
कुल	**0.9816**	**1.338**

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषाक्त रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

कॉर्पोरेट कार्यालय / टाउनशिप, ऋषिकेश में अपनाई जाने वाली अपशिष्ट प्रबंधन परिपाटियां निम्नानुसार हैं:

1. कॉलोनी में जैविक व सूखे कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन

जैविक और अजैविक कचरे के संग्रह के लिए सप्ताह के सभी दिनों में सभी कॉलोनियों और कार्यालय की सड़कों पर सुबह 07:30 बजे से 11:30 बजे तक एक टेंपो कैरियर चलता है। टेम्पो कैरियर में जैविक कचरा, अजैविक कचरा और मिश्रित कचरा स्थान के लिए एक पृथक्करण / विभाजन स्थान मौजूद है।

2. बायो-गैस संयंत्र में मिश्रित कचरे से सूखे और जैविक कचरे को अलग करना

टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों और कार्यालयों से कचरा एकत्र करने के बाद, टेंपो कैरियर को बायो–गैस संयंत्र के प्लेटफॉर्म पर खाली कर दिया जाता है, जहां दो मजदूर सभी स्रोतों से प्राप्त कचरा मिश्रण से जैविक कचरे और अजैविक कचरे को अलग करते हैं। बायो–कुकिंग गैस, जिसकी आपूर्ति स्थानीय आहार कैंटीन में की जाती है, का उत्पादन करने के लिए बायो–गैस संयंत्र में जैविक कचरे को संसाधित किया जाता है।

3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में प्लास्टिक कचरा निपटान

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सलाहकार के मार्गदर्शन में दिनांक 07.07.2019 को एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग–अलग अजैविक कचरे का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा

रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड – एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन (कॉम्पैक्टर) के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक कचरे जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए – बनाए गए हैं ।

4. अप्रयुक्त अजैविक कचरे का निपटान

एकत्र किए गए सम्पूर्ण कचरे से जैविक कचरे और प्रयोग करने योग्य प्लास्टिक कचरे को अलग करने के बाद, शेष अपशिष्ट सामग्री को पुराने भंडारण क्षेत्र के पीछे जमीन में फेंक दिया जाता है। इस कचरे को जमीन के अंतर दबा दिया जाता है ताकि क्षेत्र में दुर्गंध न फैले। गड्ढों को पूरी तरह से अनुपयोगी कचरे से भरने के बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है।

परियोजना स्थलों पर इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है।

10. क्या संस्था में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्रम सं.	प्रचालन/कार्यालयों का स्थान	प्रचालन के प्रकार	क्या पर्यावरण के अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है?(हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो।
1.	हेलंग में बांध स्थल और हाट गांव, चमोली जिले में पावर हाउस साइट के साथ विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी, पीपलकोटी	निर्माणाधीन एचईपी (444 मेगावाट)	विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर नहीं आता है, लेकिन केदारनाथ वन्य जीवन अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में स्थित है, इसलिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और शर्तों का पालन किया गया है।

11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

नाम और परियोजना का संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है	(हां / नहीं) सार्वजनिक डोमेन में परिणाम संचार	(हां / नहीं) प्रासंगिक वेबलिंक
हां, संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।					

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती हैय (हां /नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	कानून/विनियम / दिशानिर्देश निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर- अनुपालन का विवरण दें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक एजेंसियों या न्यायालय द्वारा द्वारा लगाया गया जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
लागू नहीं				

सिद्धांत 7 व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

टीएचडीसीआईएल दो संघों का सदस्य है।

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों /संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची प्रस्तुत करें, जो संस्था के सदस्य हैं / इससे संबद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
2	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

–लागू नहीं

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

1. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां /नहीं)	सार्वजनिक डोमेन परिणाम संप्रेषित किए गए (हां/ नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
नही					

2. निम्नलिखित प्रारूप में ऐसी परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसके/जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) जारी है:

एस. एन.	परियोजना का नाम, जिसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आरएंडआर के तहत कवर किए गए पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
1	वीपीएचईपी परियोजना	उत्तराखंड	चमोली	559	94 %	2.83 करोड़
2	खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	1725	91.76 %	शून्य
3	अमेलिया	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	576	84.7 %	33.00 करोड़

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।

फीडबैक फॉर्म सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे https://www.thdc.co.in/content/feedback-form पर आसानी से पहुँचा जा सकता है । टीएचडीसीआईएल द्वारा अंतिम रूप दी गई संचार कार्यनीतियों के अनुपालन में सभी प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है और इसे https://www.thdc.co.in/content/communication-strategy पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, टीएचडीसी ने परियोजना स्तर पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी) की स्थापना की है। दायर की गई सभी शिकायतों को जीआरसी की आवश्यकता अनुसार समय–समय पर आयोजित बैठक में निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे ली गई सामग्री	48.90%	66.39%
सीधे जिले के भीतर से और पड़ोसी जिलों से ली गई सामग्री	लागू नही	

सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका प्रत्युत्तर देने के लिए विद्यमान तंत्र का वर्णन करें।

मेल के माध्यम से मानक फीडबैक प्रारूप पर लाभार्थियों से पूरे वर्ष शिकायत और प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है।

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक मानदंड	टीएचडीसीआईएल विद्युत का उत्पादन कर रहा है और संबंधित राज्यों की वितरण कंपनियों को आपूर्ति कर रहा है। इसलिए लागू नहीं है।
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डाटा प्राइवेसी	शून्य					
विज्ञापन						
साइबर सुरक्षा						
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी						
प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं						
अनुचित व्यापार व्यवहार						
अन्य						

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापिसी मंगाने की घटनाओं का विवरण:**

	संख्या	वापिस मंगाने के कारण
स्वेच्छा से वापिस मंगाने की घटना	लागू नही	
विवशता से वापिस मंगाने की घटना		

5. **क्या संस्था में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई फ्रेमवर्क/नीति है? (हां /नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।**

टीएचडीसीआईएल ने अपनी वेबसाइट के कर्मचारी खंड में आईटी और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश प्रदर्शित किए हैं। टीएचडीसीआईएल में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिम के संबंध में ढांचा/नीति नहीं है।

हालाँकि, साइबर सुरक्षा से संबंधित भारत सरकार और उसकी एजेंसियों जैसे सीईआरटी–इन/एनसीआईआईपीसी/सीएसके के सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

अपने कर्मचारियों और संविदाकारों के डाटा वाले सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन की सीईआरटी–इन पैनलबद्ध एजेंसियों द्वारा संपरीक्षा की जाती है और लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई संवेदनशीलताओं को बंद कर दिया जाता है।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डाटा गोपनीयता; उत्पाद वापिस मंगाने की घटनाओं का पुन:होना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई शास्ति/ की गई कार्रवाई पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

–लागू नहीं–

फार्म नं. एमआर-3

सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढ़वाल, टिहरी-249001

हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ("कंपनी")द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छी कॉर्पोरेट परिपाटियों के पालन के संबंध में सचिवालीय लेखा परीक्षा की है। सचिवालीय लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई जो हमें कॉर्पोरेट आचारण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए तथा उन पर अपनी राय देने के लिए सार्थक आधार प्रदान करती है।

कंपनी के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों तथा कंपनी द्वारा दायर की गई विवरणियों तथा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन तथा सचिवालीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर हम एत–द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नांकित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद दी गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन तथा उसी प्रकार समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र भी विद्यमान है।

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, प्रपत्रों तथा कंपनी द्वारा दर्ज की गई विवरणियों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम **- लागू नहीं**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अन्तर्गत निर्धारित विनियम एवं उपनियम;

(iv) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाहरी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी व्यावसायिक उधारियों की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियमय **(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर मात्र बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधारियां हैं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय अधिनियम, 1992 **(सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश:**

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं);**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं);**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम 2021;

(च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ सौदे के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतर अभिकर्ता) विनियम, 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम, 2021; और **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्अधिप्रापण) विनियम, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(vi). कंपनी पर लागू अन्य कानूनों के तहत अनुपालन/प्रक्रियाओं/प्रणालियों को बोर्ड को प्रस्तुत अनुपालन प्रमाणपत्र के अनुसार सत्यापित किया जा रहा है।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानक

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

(iii) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट सुशासन दिशानिर्देश

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त विषयो का निम्नलिखित प्रेक्षणों के अध्यधीन अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 21(3क) के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3. कंपनी की लेखापरीक्षा समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24(2) के अनुसार असूचीबद्ध सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा नहीं की।

   (यह भी उल्लेख किया जाता है कि उपरोक्त तीन विनियम कंपनी पर अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर लागू होते हैं)।

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 62 के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक कंपनी की नीति कंपनी की वेबसाइट पर नहीं डाली गई थी।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी का निदेशक मंडल, विधिवत कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन से मिलकर बना हुआ है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है।

सामान्यत:, सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक के निर्धारण की पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए थे और बैठकों से पहले कार्यसूची की मदों की जानकारी तथा स्पष्टीकरण के लिए तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे और समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त में कोई विसम्मति नहीं थी।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार एवं संचालनों के अनुरूप तथा लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर दिनांक 14.09.2022 और दिनांक 27.12.2022 को क्रमशः 8,00,00,00,000 रुपये और 6,00,00,00,000 रुपये के अप्रतिभूत/प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तनीय, गैर–संचयी डिबेंचर जारी किए थे।

ह0/–
कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड: P2003DE049100
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नम्बर: 2725/2022

सीएस अंजली
साझेदार
एसीएस नम्बर: 65330
सीपी नम्बर: 26496

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.07.2023
यूडीआईएन: A065330E000604770

इस रिपोर्ट को हमारे समान तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

''अनुलग्नक क''

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल, टिहरी-249001

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालीय रिकार्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व, लेखापरीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों की जांच के आधार पर इन सचिवालीय रिकार्ड पर राय अभिव्यक्त करना है।

2. हमने सचिवालीय रिकार्ड अंतर्वस्तु की यथार्थता के बारे में सार्थक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवालीय रिकार्डों में सही तथ्यों के परिलक्षित होने को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था। हमें विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है वे हमारी राय को उचित आधार प्रदान करती है।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डो तथा बही खातों की सत्यता एवं औचित्य को सत्यापित नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले से इंगित प्रेक्षणों/टिप्पणियों/कमजारियों को कवर नहीं किया गया है।

4. जहां आवश्यक हुआ, हमने विधि, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन तथा हो रही घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन से विवरण प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारे द्वारा की गई जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन और हमारी इस राय तक सीमित थी कि कंपनी में समुचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र मौजूद है अथवा नहीं।

6. सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में है, जिनके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

ह0/–
कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोडः P2003DE049100
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नम्बरः 2725/2022

सीएस अंजली
साझेदार
एसीएस नम्बरः 65330
सीपी नम्बरः 26496

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.07.2023

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण - 2022-2023

वित्तीय विवरण 2022-2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां एवं प्रबंधन का उत्तर

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
परिसंपत्ति					
गैर-चालू परिसंपत्ति					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		6,182.61		6,343.47
(ख) परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकारी	2		404.53		411.72
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	2		0.54		0.25
(घ) पूंजीगत कार्य–प्रगति	3		13,990.63		9,447.39
(ङ) वित्तीय परिसंपत्ति					
(i) सहायक कंपनी में निवेश	4	25.9		14.80	
(ii) ऋण	5	32.00		36.12	
(iii) अन्य	6	3.70	61.60	0.00	50.92
(च) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	7		818.54		836.29
(छ) गैर चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	8		17.56		43.21
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	9		2,097.80		2,042.24
चालू परिसंपत्ति					
(क) इन्वेंट्री	10		78.80		40.94
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति					
(i) व्यापार प्राप्तियां	11	695.92		723.72	
(ii) नकदी और नकदी समकक्ष	12	93.65		87.77	
(iii) ऋण	13	8.97		9.59	
(iv) अग्रिम	14	8.47		8.89	
(v) अन्य	15	506.65	1,313.66	849.21	1,679.18
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	16		93.51		60.82
(घ) अन्य चालू परिसंपत्ति	17		69.32		42.78
विनियामक आस्थिगत खाता डेबिट शेष	18		133.42		98.69
कुल			**25,262.52**		**21,097.90**
इक्विटी और देयता					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19		3,665.88		3,665.88
(ख) अन्य इक्विटी	20		6,762.90		6,640.27
कुल इक्विटी			**10,428.78**		**10,306.15**
गैर-चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	21	10,289.09		6,653.98	
(ii) पट्टा देयताएं	22	35.73		29.99	
(iii) गैर चालू वित्तीय देयताएं	23	365.49	10,690.31	162.40	6,846.37
(ख) अन्य गैर–चालू देयताएं	24		807.50		816.23

राशि ₹ करोड़ में

(ग) प्रावधान चालू देयताएं (क) वित्तीय देयताएं	25		170.98		176.46
(i) उधार	26	1,334.47		1,352.73	
(ii) पट्टा देयताएं	27	3.39		4.17	
(iii) व्यापार देय					
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		2.35		0.60	
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		42.66		27.34	
(iii) अन्य	28	824.44	2,207.31	616.44	2,001.28
(ख) अन्य चालू देयताएं	29		97.29		87.59
(ग) प्रावधान	30		353.07		348.62
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31		9.82		0.00
विनियामक आस्थिगत खाता क्रेडिट शेष	32		497.46		515.20
कुल			**25,262.52**		**21,097.90**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटी. करण	42				
लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 तक लेखाओं का अभिन्न अंग है					

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–
(रश्मि शर्मा)	**(जे. बेहेरा)**	**(आर.के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) / सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 026692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08534217

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः ऋषिकेश

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्याः- 014335

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः लखनऊ

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए
लाभ एवं हानि का विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
आय					
सतत प्रचालन से राजस्व	33		1,974.30		1,921.49
अन्य आय	34		29.35		305.85
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		10.47		16.24	
घटाएंरू सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	10.47	0.00	16.24	0.00
कुल आय			**2,003.65**		**2,227.34**
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35		336.74		354.11
वित्त लागत	36		181.37		134.11
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		273.90		302.65
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	37		428.20		287.06
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और पुर्जों के लिए प्रावधान	38		0.00		0.00
कुल व्यय			**1,220.21**		**1,077.93**
विनियामक आस्थिगत खाता शेष, अपवादात्मक मद और कर पूर्व लाभ			**783.44**		**1,149.41**
अपवादात्मक मद– (आय)/व्यय– निवल			0.00		0.00
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित खाता शेष			**783.44**		**1,149.41**
कर व्यय					
चालू कर					
आयकर	39		136.55		189.34
आस्थगित कर– (परिसंपत्ति)/देयता			17.10		35.57
विनियामक आस्थगित खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ			**629.79**		**924.50**
विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन शेष आय/(व्यय)– कर का निवल	40		43.30		(29.72)
I सतत प्रचालन से अवधि के लिए लाभ			**673.09**		**894.78**
II अन्य व्यापक आय					
(I) मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:					
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	41		(1.87)		1.59
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आस्थगित कर– आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)			(0.65)		0.55
अन्य व्यापक आय			**(2.52)**		**2.14**
कुल व्यापक आय (I+II)			**670.57**		**896.92**
प्रति इक्विटी शेयर आय (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
मूल (₹)			183.61		244.08

राशि ₹ करोड़ में

तनुकृत (₹) प्रति इक्विटी शेयर आय (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन को छोड़कर)			183.61		244.08
मूल (₹) तनुकृत (₹) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी टिप्पणी 1 से 43, लेखाओं का अभिन्न अंग है	 1 42 43		171.80 171.80		252.19 252.19

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या:- 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि ₹ करोड़ में

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कमी को दर्शाते हैं)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अपवादात्मक मदों और कर पूर्व लाभ		**783.44**		**1,149.41**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-				
मूल्यह्रास	273.90		302.65	
मूल्यह्रास–सिंचाई घटक	10.47		16.24	
प्रावधान	-		-	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(7.60)		(7.60)	
विलंबित भुगतान अधिभार	(17.70)		(225.46)	
वित्तीय लागत	181.37		134.11	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	1.06		0.33	
बैंक जमा पर ब्याज	(0.73)		(0.34)	
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(1.87)		1.59	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	-		-	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन	(43.30)		29.72	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन पर कर	(9.17)	386.43	6.29	257.53
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,169.87**		**1,406.94**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-				
माल सूची	(37.86)		(6.00)	
व्यापार प्राप्तियां (बिल न किए गए राजस्व सहित)	377.70		278.29	
अन्य परिसंपत्तियां	(39.60)		13.65	
ऋण और अग्रिम (चालू + गैर चालू)	(2.30)		(8.08)	
माइनोरिटी ब्याज	-		-	
व्यापार देय और देयताएं	459.41		290.15	
प्रावधान (चालू + गैर चालू)	(1.03)		(6.92)	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन	43.3	799.62	(29.72)	531.37
प्रचालन गतिविधियों से कर-पूर्व नकदी प्रवाह		1,969.49		1,938.31
कारपोरेट कर		(136.55)		(189.34)
प्रचालन से निवल नकद (क)		**1,832.94**		**1,748.97**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन :-				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और सीडब्ल्यूआईपी	(4,659.85)		(3,134.42)	
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(1.06)		(0.33)	
पूंजी अग्रिम	(57.01)		(136.52)	
बैंक जमा पर ब्याज	0.73		0.34	
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	-		-	
सहायक कंपनी में निवेश	(11.10)		(7.40)	

राशि ₹ करोड़ में

निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(4,728.29)**		**(3,278.33)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	-		-	
उधार – गैर चालू	3,635.11		1,639.76	
उधार– चालू	(40.49)		(806.88)	
पट्टा देयता	(7.90)		(7.33)	
ब्याज और वित्त प्रभार	(181.37)		(134.11)	
अनुदान	-		-	
विलंबित भुगतान अधिभार	21.59		282.71	
लाभांश और लाभांश पर कर	(547.94)		(508.20)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**2,879.00**		**465.95**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(16.35)**		**(1,063.41)**
ङ. आरम्भिक नकद और नकद समतुल्य		**(838.33)**		**225.08**
च. अंतिम नकद और नकद समकक्ष (घ+ङ)		**(854.68)**		**(838.33)**

टिप्पणी:

1. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित/पुनदर्शित किया गया है।
2. नकद और नकद समकक्षों का समाधान टिप्पणी संख्या 43.26 (क) में किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः ऋषिकेश

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्याः- 014335

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**3,665.88**

(2) 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		**0.00**
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**3,665.88**

ख. अन्य इक्विटी-

(1) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

			आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023		अन्य व्यापक आय			
विवरण	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
अथशेष (I)		**0.00**	**6,527.77**	**128.00**	**(15.50)**	**6,640.27**	**0.00**	**6,640.27**
अवधि के लिए लाभ			673.09			673.09	0.00	673.09
अन्य व्यापक आय					(2.52)	(2.52)		(2.52)
कुल व्यापक आय			673.09		(2.52)	670.57	0.00	670.57

			आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023		अन्य व्यापक आय			
विवरण	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
गैर–नियंत्रित ब्याज का इक्विटी अंशदान							0.00	0.00
लाभांश			547.94			547.94		547.94
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			**125.15**			**122.63**		**122.63**
डिबेंचर मोचन आरक्षिति में/से अंतरण/समायोजन (III)			(58.50)			(58.50)		(58.50)
अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती वृद्धि/(उपयोग/समायोजित) (IV)				58.50		58.50		58.50
अंत शेष (I+II+III+IV)		**0.00**	**6,594.42**	**186.50**	**(18.02)**	**6,762.90**	**0.00**	**6,762.90**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या:- 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

(2) 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण		आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022		अन्य व्यापक आय			
	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
अथ शेष (I)	**0.00**	**6,189.69**	**79.50**	**(17.64)**	**6,251.55**	**0.00**	**6,251.55**
वर्ष के लिए लाभ		894.78			894.78	0.00	894.78
अन्य व्यापक आय				2.14	2.14		2.14
कुल व्यापक आय		**894.78**		**2.14**	**896.92**	**0.00**	**896.92**
गैर–नियंत्रित ब्याज का इक्विटी अंशदान						0.00	0.00
लाभांश		508.20			508.20		508.2
लाभांश पर कर		0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)		**386.58**			**388.72**		**388.72**
डिबेंचर मोचन आरक्षिती में अंतरण (III)		(48.50)			(48.50)		(48.50)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती वृद्धि/(उपयोग) (IV)			(48.50)		48.50		48.50
अंत शेष (I+II+III+IV+V)	**0.00**	**6,527.77**	**128.00**	**(15.50)**	**6,640.27**	**0.00**	**6,640.27**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या:- 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

टिप्पणी संख्या-1

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्ट करने वाली संस्था (रिपोर्टिंग संस्था)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएन : यू45203 यूआर 1988 जीओआई 009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। कंपनी प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1. ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 15.05.2023 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

2 ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। (₹) में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को, अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। ये लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में निहित सभी अवधियों पर सतत रूप से लागू की गई हैं।

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

2.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

2.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्वार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आनेवाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

2.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष उठाव राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृह्द निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृह्द निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

2.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

2.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

2.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं।

जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

3. चल रहे पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

3.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

3.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

3.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

3.5 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

3.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

4. कोयला खानों के विकास पर व्यय

4.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत कोयला खानों के विकास को हस्तांतरित कर दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे या तो विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है या मौजूदा विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के हिस्से को इससे प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित हिस्से से संबद्ध किसी भी शेष लागत का व्यय किया जाता है।

पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निष्कर्षित कोयले का निवल मूल्य है।

एकीकृत कोयला खानों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का निर्धारण सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों में यथा उपबंधित निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर यथाशीघ्र किया जाएगा:

1) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें खनन योजना के अनुसार पीक रेटेड क्षमता का 25% हासिल किया जाता है; या

2) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें उत्पादन का मूल्य उस वर्ष के कुल व्यय से अधिक हो जाता है; या

3) उत्पादन शुरू होने की तारीख से दो वर्ष बाद की तारीख;

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पर, प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को खनन संपत्ति के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि, निवल विक्रय आय, यदि कोई हो, और संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

4.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि संबंधी व्यय/समायोजन

कोयले के भंडार को निकालने के लिए आवश्यक खान अपशिष्ट सामग्री (ओवरबर्डन) को हटाने पर किए गए व्यय को स्ट्रिपिंग लागत कहा जाता है। कंपनी को खान की सक्रियता पर तकनीकी रूप से अनुमानित व्यय करना पड़ता है।

स्ट्रिपिंग लागत को खानों को राजस्व के अधीन किए जाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात–भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर प्रभारित किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात भिन्नता के शेष का निवल गैर–चालू परिसंपत्ति/गैर–चालू प्रावधान शीर्ष के तहत शस्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में दर्शाया गया है, और सीईआरसी प्रशुल्क विनियम में यथाउपबंधित के अनुसार समायोजित किया गया है।

4.3 खानों को बंद करना, स्थल पुनरूद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

भूमि सुधार और संरचना को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्वों में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार खानों पर व्यय करना शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य के लिए भावी नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खान बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग के लिए अपने दायित्वों का अनुमान लगाती है और खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इसके लिए प्रावधान करती है। मुद्रास्फीति के अनुसार व्यय के अनुमान में वृद्धि की जाती है और फिर एक पूर्व–कर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन और जोखिम के तत्समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को इस प्रकार दर्शाती है कि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत संबंधित संपत्ति को इस तरह के दायित्व से संबद्ध लागत के लिए एक अलग मद के रूप में मान्यता देती है। राजस्व में लाए जाने पर, खानों को बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग दायित्वों को खान के शेष उपयोगी–काल पर ऋजुरेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ दायित्व के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसे वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो खाता बनाए रखा जाता है। खान बंद करने की समग्र बाध्यता के हिस्से के रूप में खान बंद करने के लिए वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किए गए उत्तरोत्तर व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद एस्क्रो खाते से आहरित की जाती है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों के लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

6.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

7. उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देयताओं को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8. वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देयताओं अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 प्रारंभिक मान्यता और माप: सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत

को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 **अनुवर्ती माप:** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 **सहायक कंपनी में निवेश:** सहायक कंपनियो में इक्विटी के निवेश को लागत रहित हानि में लेखाकिंत किया जाता है, यदि कोई हो ।

8.8 **अमान्य करना (डी रिकागनिशन)** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

10. माल-सूची

10.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

10.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

11. वित्तीय देयताएं

11.1 कंपनी की वित्तीय देयताएं अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देयताएं संविदागत दायित्व है।

11.2 कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

11.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

11.3.1 वित्तीय देयताएं प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देयताओं से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

11.3.2 उधार को चालू देयताओं के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

11.4 अनुवर्ती माप

11.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताएं तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देयताओं को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

11.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 अमान्य करना : किसी वित्तीय देयता को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देयता का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

12. सरकारी अनुदान

12.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदानध्सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

13.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

13.2 आकस्मिक देयताएं प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

14. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

14.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हंस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हंस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों

के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

14.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

14.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

14.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

14.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/ गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

14.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

14.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

14.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

14.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

14.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

14.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

15. व्यय

15.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

15.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटिया पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विक्टी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

15.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

15.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

15.5 आर एंड डी पत व्यय कंपनी के पूर्व अनुमोदित आर एंड डी योजना के अनुसार किए जाते हैं।

15.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा।

15.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

16. कर्मचारियों के हितलाभ

16.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देयता निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

16.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देयता, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

16.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

17. ऋण लागत

17.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

17.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना

वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

18. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

18.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

18.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों परियोजना के उपयोगी–काल के अनुसार ऋजुरेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देयता के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए परियोजनाओं का उपयोगी–काल जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, को 25% वर्ष माना गया है और मूल्यह्रास दरों को तदनुसार परिकलित किया गया है ।

18.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

18.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रूपये 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

18.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/–रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

18.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

18.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

18.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

18.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

19. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

19.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

20. पट्टे

20.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिलाभ के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती।

क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

21. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

21.1 **वर्तमान आयकर -** आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

21.2 **आस्थगित कर**

21.2.1 तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देयताओं में अंतर तथा तुलन–पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

21.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देयताएं परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देयताएं और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

21.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देयताओं के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

21.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

22. नकदी प्रवाह विवरण

22.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन–पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन–पत्र की वर्तमान देयताओं में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

23. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन–पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देयताएं प्रस्तुत करती है।

23.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देयता निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.2 किसी देयता को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देयताओं के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देयताओं को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देयताओं में वर्गीकृत किया गया है।

24. विनियामक आस्थगित खाता शेष

24.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय / आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को विनियामक आस्थगित ' लेखा शेष ' के रूप में मान्यता दी जाती है।

24.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

24.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूलयांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

25. प्रति शेयर आय

25.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

26. लाभांश

26.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

27. प्रचालन खंड

27.1 एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" या "सीओडीएम" कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड संबंधी है परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

28. विविध

28.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। आसमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

टिप्पणी :- 2

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 अनुसार
क- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	43.79	7.15	-	50.94	-	-	-	-	50.94	43.79
2. जलमग्न भूमि	1,723.35	63.52	(0.02)	1,786.85	747.87	40.06	-	787.93	998.92	975.48
3. भवन	1,111.58	17.78	(1.20)	1,128.16	358.75	35.84	(0.51)	394.08	734.08	752.83
4. अस्थायी भवन ढांचे	26.55	1.88	-	28.43	26.55	1.88	-	28.43	-	-
5. सड़क, पुल और पुलिया ड्रेनेज, सिवरेज	190.69	9.84	-	200.53	59.17	6.68	-	65.85	134.68	131.52
6 ड्रेनेज, सीवरेज व्यवस्था तथा जलापूर्ति	26.89	3.98	-	30.87	11.3	0.87	-	12.17	18.70	15.59
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	-	-	24.47	17.43	1.06	-	18.49	5.98	7.04
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,433.11	4.62	(2.28)	3,435.45	1,700.13	79.06	-	1,779.19	1,656.26	1,732.98
9. ईडीपी मशीनें	22.94	5.60	(1.31)	27.23	15.54	3.23	(1.13)	17.64	9.59	7.40
10. विद्युत प्रतिष्ठान	46.56	0.25	-	46.81	12.81	1.13	-	13.94	32.87	33.75
11. पारेषण लाइनें	32.20	0.47	-	32.67	18.81	1.35	-	20.16	12.51	13.39
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	74.61	10.55	(0.51)	84.65	56.20	4.23	(0.24)	60.19	24.46	18.41
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	38.40	7.41	(0.36)	45.45	21.56	2.69	(0.07)	24.18	21.27	16.84
14. वाहन	23.74	4.51	(0.23)	28.02	13.49	1.91	(0.16)	15.24	12.78	10.25
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.67	0.07	-	0.74	0.48	0.55
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध और स्पिलवे	5,190.62	-	(0.62)	5,190.00	3,273.88	104.62	-	3,378.50	1,811.50	1,916.74
17. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	1,606.21	-	-	1,606.21	939.3	9.32	-	948.62	657.59	666.91
उप योग	**13,616.93**	**137.56**	**(6.53)**	**13,747.96**	**7,273.46**	**294.00**	**(2.11)**	**7,565.35**	**6,182.61**	**6,343.47**
पिछली अवधि के आंकड़े	**13,507.73**	**113.91**	**(4.71)**	**13,616.93**	**6,945.88**	**329.07**	**(1.49)**	**7,273.46**	**6,343.47**	**6,561.85**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.18	0.51	-	5.69	4.93	0.22	-	5.15	0.54	0.25

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 अनुसार
उप योग	**5.18**	**0.51**	**-**	**5.69**	**4.93**	**0.22**	**-**	**5.15**	**0.54**	**0.25**
पिछली अवधि के आंकड़े	**5.10**	**0.08**	**-**	**5.18**	**4.74**	**0.19**	**-**	**4.93**	**0.25**	**0.36**
ग. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	384.03	0.17	(0.22)	383.98	40.47	14.01	(0.22)	54.26	329.72	343.56
2. उपयोग का अधिकार – कोयला आधारित भूमि	60.6	11.41	-	72.01	1.04	2.59	-	3.63	68.38	59.56
3. उपयोग का अधिकार – भवन	9.07	0.57	(0.15)	9.49	1.05	2.28	(0.15)	3.18	6.31	8.02
4. उपयोग का अधिकार – वाहन	8.72	0.21	(3.78)	5.15	8.14	0.67	(3.78)	5.03	0.12	0.58
उप योग	**462.42**	**12.36**	**(4.15)**	**470.63**	**50.70**	**19.55**	**(4.15)**	**66.10**	**404.53**	**411.72**
पिछली अवधि के आंकड़े	**445.81**	**69.15**	**-52.54**	**462.42**	**35.31**	**18.49**	**(3.10)**	**50.70**	**411.72**	**410.50**
मूल्यह्रास का विवरण					**चालू वर्ष**		**गत वर्ष**			
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास					29.40		28.86			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					273.9		302.65			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास –उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					10.47	313.77	16.24	347.75		
वर्ष के दौरान 1500.00 रूपये से अधिक परंतु 5000.00 रूपये से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्य ह्रास किया गया					0.36		0.14			

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4X100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित 14.37 एकड़ भूमि को 01/– रुपए की सांकेतिक मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अप्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, के हक विलेख के बारे में ब्यौरा टिप्पणी संख्या 43.5 में प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 43.6 में दिए गए है।

टिप्पणी :- 2

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 अनुसार
क- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	39.83	3.96	-	43.79	-	-	-	-	43.79	39.83
2. जलमग्न भूमि	1,698.23	25.13	(0.01)	1,723.35	708.48	39.39	-	747.87	975.48	989.75
3. भवन	1,069.34	43.38	(1.14)	1,111.58	321.50	37.25	-	358.75	752.83	747.84
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.64	1.99	(0.08)	26.55	24.50	2.05	-	26.55	-	0.14
5. सड़क, पुल और पुलिया	186.68	4.01	-	190.69	51.71	7.46	-	59.17	131.52	134.97
6 ड्रेनेज, सिवरेज तथा जलापूर्ति	22.67	4.22	-	26.89	10.24	1.06	-	11.30	15.59	12.43
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	-	-	24.47	16.10	1.33	-	17.43	7.04	8.37
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,418.64	14.47	-	3,433.11	1,607.83	92.30	-	1,700.13	1,732.98	1,810.81
9. ईडीपी मशीनें	19.20	4.43	(0.69)	22.94	13.46	2.67	(0.59)	15.54	7.40	5.74
10. विद्युत प्रतिष्ठान	46.55	1.21	(1.20)	46.56	11.55	1.26	-	12.81	33.75	35.00
11. पारेषण लाइनें	32.21	-	(0.01)	32.20	17.44	1.37	-	18.81	13.39	14.77
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	69.86	4.84	(0.09)	74.61	52.30	3.94	(0.04)	56.20	18.41	17.56
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	34.05	4.61	(0.26)	38.40	19.37	2.38	(0.19)	21.56	16.84	14.68
14. वाहन	23.32	1.54	(1.12)	23.74	12.49	1.67	(0.67)	13.49	10.25	10.83
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.59	0.08	-	0.67	0.55	0.63
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध और स्पिलवे	5,190.62	-	-	5,190.62	3,168.59	105.29	-	3,273.88	1,916.74	2,022.03
17. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	1,606.20	0.12	(0.11)	1,606.21	909.73	29.57	-	939.30	666.91	696.47
उप योग	**13,507.73**	**113.91**	**(4.71)**	**13,616.93**	**6,945.88**	**329.07**	**(1.49)**	**7,273.46**	**6,343.47**	**6,561.85**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.10	0.08	-	5.18	4.74	0.19	-	4.93	0.25	0.36
उप योग	**5.10**	**0.08**	**-**	**5.18**	**4.74**	**0.19**	**-**	**4.93**	**0.25**	**0.36**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौ. रान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 अनुसार
ग. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	433.05	0.02	(49.04)	384.03	28.22	12.25	-	40.47	343.56	404.83
2. उपयोग का अधिकार – कोयला आधारित भूमि	-	60.6	-	60.60	-	1.04	-	1.04	59.56	-
3. उपयोग का अधिकार – भवन	3.99	8.43	(3.35)	9.07	2.40	1.59	(2.94)	1.05	8.02	1.59
4. उपयोग का अधिकार – वाहन	8.77	0.10	(0.15)	8.72	4.69	3.61	(0.16)	8.14	0.58	4.08
उप योग	**445.81**	**69.15**	**(52.54)**	**462.42**	**35.31**	**18.49**	**(3.10)**	**50.70**	**411.72**	**410.50**
मूल्यह्रास का विवरण					**गत वर्ष**		-			
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास					28.86		23.95			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					302.65		317.33			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास – उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					16.24	347.75	18.80	360.08		
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्य ह्रास किया गया					0.14		0.16			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 x 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि को 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अप्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, के हक विलेख के बारे में ब्यौरा टिप्पणी संख्या 43.5 में प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 43.6 में दिए गए है।

टिप्पणी:-3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए 01-अप्रैल-2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान वृद्धि	01-अप्रैल-2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान समायोजन	01-अप्रैल-2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन और अन्य सिविल कार्य		123.30	52.81	(0.13)	(19.24)	156.74
सड़कें, पुल और पुलिया		222.33	194.11	(0.07)	(9.84)	406.53
जल आपूर्ति, सीवरेज और जलनिकासी		23.01	140.39	-	(3.80)	159.60
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		4,441.52	2,979.52	-	(0.30)	7,420.74
हाइड्रोलिक वर्क्स, डैम, स्पिलवे, वाटर चैनल्स, वियर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक वर्क्स		3,838.01	923.82	(2.46)	-	4,759.37
वनीकरण जलग्रहण क्षेत्र		106.77	1.89	-	-	108.66
विद्युत प्रतिष्ठान और उप–स्टेशन उपकरण		82.11	41.00	-	(0.47)	122.64
परियोजना निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य अन्य व्यय		233.83	176.99	(0.77)	0.00	410.05
कोयला खदान विकास		218.51	71.37	(35.75)	0.00	254.13
अन्य		1.67	2.07	(0.08)	(1.75)	1.91
लंबित आवंटन व्यय						
सर्वेक्षण और विकास व्यय		77.22	-	-	-	77.22
निर्माण के दौरान व्यय	32.1	2.70	314.98			317.68
घटाएं: निर्माण के दौरान आबंटित/ पी एंड एल में प्रभारित व्यय	32.1		316.07			316.07
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		76.41	94.49	-	(59.47)	111.43
कुल		**9,447.39**	**4,677.37**	**(39.26)**	**(94.87)**	**13,990.63**
पिछली अवधि के आंकड़े		**6,414.30**	**3,136.01**	**(4.92)**	**(98.00)**	**9,447.39**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं जैसे टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और खुर्जा आदि के मूल्य को शामिल किया गया है क्योंकि निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, कोई हानि नहीं हुई है।

3.2 सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.8 (i) के तहत किया गया है।

3.3 अतिदेय परियोजनाओं के पूरा होने का समय या लागत में वृद्धि टिप्पणी संख्या 43.8 (ii) के तहत प्रकट किया गया है।

टिप्पणी:-4

गैर चालू परिसंपत्तियां - सहायक कंपनी में निवेश

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
सहायक कंपनी में निवेश					
टुस्को			25.90		14.80
कुल			**25.90**		**14.80**

टिप्पणी:- 5

गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		12.56		14.82	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		7.80		8.82	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		18.47		21.01	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		1.87		1.63	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**40.70**		**46.28**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		6.86		8.17	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.88	31.96	2.03	36.08
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		0.01		0.03	
निदेशकों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		0.03		0.02	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.04**		**0.05**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.01	0.04
उप-योग			**32.00**		36.12
घटाएं:– अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुलयोग - ऋण			**32.50**		**36.12**
टिप्पणी :– निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.01		0.03	
ब्याज		0.03		0.02	

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
कुलयोग		**0.04**		**0.05**	
घटाः उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.01	0.04
टिप्पणी :- अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.12		0.16	
ब्याज		0.03		0.02	
कुलयोग		**0.15**		**0.18**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.02	0.13	0.03	0.15

5.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऐसा कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

5.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी:- 6

गैर चालू- वित्तीय परिसंपत्तियां-अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
आबंटन लंबित रहते हुए सहायक कंपनी में शेयर आवेदन धनराशि					
टुस्को			3.70		0.00
कुल			**3.70**		**0.00**

टिप्पणी : 7

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
आस्थगित कर परिसंपत्ति			818.54		836.29
कुल			**818.54**		**836.29**

टिप्पणी : 8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
जमा कर			17.56		43.21
कुल			**17.56**		**43.21**

टिप्पणी : 9

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			8.75		10.20
उप योग			**8.75**		**10.20**
पूंजी अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के सापेक्ष (₹ 853.96 रूपए की बैंक गारंटी के लिए)		702.78		823.75	
ii) विभिन्न सरकारी एजेंसियों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन और भुगतान		437.95		455.58	
iii) अन्य		760.40		654.06	
iv) अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		310.00	2,211.13	221.52	2,154.91
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			122.08		122.87
उप योग- पूंजी अग्रिम			**2,089.05**		**2,032.04**
कुल			**2,097.80**		**2,042.24**

टिप्पणी : 10

इन्वेंट्री

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
इन्वेंट्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		0.98		1.62	
यांत्रिक एवं विद्युत स्टोर एवं पुर्जे		32.06		33.63	
कोल इन्वेंट्री		40.18		0.00	
अन्य (स्टोर और पुर्जे सहित)		5.48		3.77	
परिवहनाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.10		0.00	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.00	78.80	1.92	40.94
घटाएं: अन्य स्टोरों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**78.80**		**40.94**

टिप्पणी : 11

व्यापार प्राप्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
(i) छह माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		131.79		229.46	
क्रेडिट क्षतिग्रस्त		0.00	131.79	0.00	229.46
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		329.67		321.69	
क्रेडिट क्षतिग्रस्त		0.00	329.67	0.00	321.69
(iii) अबिलीकृत देनदार			234.46		172.57
कुल			**695.92**		**723.72**

11.1 व्यापार प्राप्तियों का अवधिवार विश्लेषण टिप्पणी संख्या 43.9 के तहत प्रदर्शित किया गया है

टिप्पणी : 12

नकदी और नकदी समतुल्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
नकद और नकद समतुल्य					
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ लचीला जमा सहित)			93.65		**87.76**
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट			0.00		0.01
कुल			**93.65**		**87.77**

टिप्पणी : 13

चालू वित्तीय परिसम्पत्तियाँ-ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		5.42		6.18	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2.94		3.16	
कर्मचारियों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		2.12		1.99	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.08		0.07	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**10.56**		**11.4**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.10		1.28	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.43	9.03	0.47	9.65
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.02		0.02	
निदेशकों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
उप-कुल			**9.05**		**9.67**
घटाएं:– अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल ऋण			**8.97**		**9.59**
टिप्पणी :- निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.02		0.02	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
टिप्पणी :- अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.04		0.04	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.04**		**0.04**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.00	0.04

13.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऐसा कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

13.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी : 14

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - अग्रिम

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) (नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		6.08		6.44	
अन्यों को		2.39	8.47	2.45	8.89
कुल			**8.47**		**8.89**

14.1 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी : 15

चालू - वित्तीय परिसंपत्तियां-अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
जमा					
प्रतिभूति जमा राशि		24.18		15.19	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		482.46		480.16	
अन्य जमा		0.01	506.65	0.07	495.42
अन्य					
संविदा परिसंपत्तियां			0.00		353.79
कुल			**506.65**		**849.21**

15.1 संविदा परिसपत्तियों में शून्य (पिछला वर्ष 353.79 करोड़ रुपए) (वसूलनीय) 370.27 करोड़ रुपए और देय 16.48 करोड़ रुपए) की लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों का शेष शामिल है।

टिप्पणी : 16

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
जमा कर			93.51		60.82
कुल			**93.51**		**60.82**

टिप्पणी : 17

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
पूर्व–संदत्त व्यय			41.57		31.12
उपार्जित ब्याज			0.04		0.03
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां			0.40		0.33
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1.53		1.75
उप-योग			**43.54**		**33.23**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों को			0.41		0.52
खरीद के लिए			8.28		3.74
अन्य को			31.50		19.70
			40.19		**23.96**
घटाएं: वसूलियों के विविध प्रावधान			14.41		14.41
उपयोग - अन्य अग्रिम			**25.78**		**9.55**
कुल			**69.32**		**42.78**

टिप्पणी : 18

विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
अथ शेष			98.69		169.72
वर्ष के दौरान निवल संचलन			34.73		(71.03)
अंत शेष			**133.42**		**98.69**
18.1 विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष 133.42 करोड़ रूपये के विनिमय दर परिवर्तन के कारण है।					

टिप्पणी : 19

शेयर पूंजी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
1000/- रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,000.00	4,00,00,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी 1000/- रूपये प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
कुल		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 54.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर पर 197.94 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 190.84 रूपये) के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वर्ष के दौरान ₹ 350.00 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 171.44 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 142.24 रुपये (पिछले वर्ष 140.56 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कुल लाभांश 521.44 करोड़ रुपये है। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

टिप्पणी : 19.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		शेयर की संख्या	%	शेयर की संख्या	%
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**

टिप्पणी : 19.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		शेयर की संख्या	%	शेयर की संख्या	%
अथ शेष		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
जारी किए गए		0.00	0.00	0.00	0.00
अंत शेष		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**
19.2क. कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के शेयर हैं जो प्रति शेयर 1000/–रूपये सम मूल्य के हैं इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयर धारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मताधिकार के हकदार हैं।					

टिप्पणी : 19.3

प्रमोटरों की शेयरधारिता

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार				
		शेयरों की संख्या (आरम्भ में)	%	शेयरों की संख्या (अंत में)	%	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496	0.00
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504	0.00
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**	

टिप्पणी : 20

अन्य इक्विटी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
आबंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन धनराशि			0.00		0.00
प्रतिधारित आय			6,594.42		6,527.77
डिबेंचर मोचन आरक्षिती			186.50		128.00
अन्य व्यापक आय			(18.02)		(15.50)
कुल			**6,762.90**		**6,640.27**

20.1 – नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और दिनांक 16.08.2019 के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में जी.एस.आर. 574(ई) के अनुसार कंपनी के लाभ में से विवेक सम्मत आधार पर बांडो के मूल्य के 10% की दर से डिबेंचर मोचन आरीक्षत का सृजन किया गया हे जो बांडो के मोचन के प्रयोजन से मोचन वर्ष से पूर्व वर्ष तक प्रत्येक वर्ष समान किस्तो में होगा।

टिप्पणी : 21

गैर -चालू- वित्तीय देयताएं - उधारियाँ

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
क. प्रतिभूत-बांड					
^ बांड निर्गम श्रृंखला-VI					
(7.60% की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 14.09.2032)			833.15		0.00
^ बांड निर्गम श्रृंखला-V					
(7.39% की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 25.08.2031)			1,253.21		1,253.21
^ बांड निर्गम श्रृंखला-IV					
(7.45% की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 20.01.2031)			760.87		760.87
*****बॉन्ड निर्गम श्रृंखला-III**					
(7.19% की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 24.07.2030)			839.55		839.55
****बॉन्ड निर्गम श्रृंखला-II**					
(8.75% की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 05.09.2029)			1,574.44		1,574.44
***बांड निर्गम श्रृंखला-I**					
(7.59% की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड)। (मोचन की तिथि 03.10.2026)			622.47		622.33
कुल (क)			**5,883.69**		**5,050.40**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
ख. प्रतिभूत					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण					
****** पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) -78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)**					
(15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.75 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			46.04		138.17
# रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) (केएचईपी के लिए)					
(यूए-जीई-पीएसयू-033-2010-3754)					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			0.00		17.52
@पंजाब नेशनल बैंक (पीएसपी के लिए)					
पीएनबी (तीन माह की एमसीएलआर पर वर्तमान में 8.10% की ब्याज दर के साथ 30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्ष के भीतर तिमाही किश्तों पर चुकाने योग्य)			139.61		281.38
@@ बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल-I)					
बैंक ऑफ बड़ौदा (वर्तमान में 8.20% की फ्लोटिंग ब्याज दर 1 माह के एमसीएलआर पर पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25% की चुकौती और अगली 20 तिमाही किस्त में 3.75% की चुकौती)			2,375.53		800.15
@@@ बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल-II)					
बैंक ऑफ बड़ौदा (वर्तमान में 8.20% की फ्लोटिंग ब्याज दर 1 माह के एमसीएलआर पर 2 वर्ष की ऋणस्थगन अवधि के बाद पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25% की चुकौती और अगली 20 तिमाही किस्त में 3.75% की चुकौती)			525.12		0.00
कुल (ख)			**3,086.30**		**1,237.22**
ग. अप्रतिभूत					
बांड निर्गम श्रृंखला - VII					
(7.88% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के अप्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 27.12.2032)			612.31		0.00
विदेशी मुद्रा ऋण					
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)					
$ विश्व बैंक ऋण-8078-आईएन (वीपीएचईपी के लिए)					
(15 नवंबर 2017 से 15 मई 2040 तक 23 वर्ष के भीतर छमाही किश्त में प्रतिदेय, ब्याज दर @एसओएफआर + परिवर्तनीय स्प्रेड अर्थात् वर्तमान में 5.31%)			1,365.72		1,001.65
कुल (ग)			**1,978.03**		**1,001.65**
कुल (क+ख+ग)			**10,948.02**		**7,289.27**
घटाएं:					
चालू परिपक्वता:					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण– प्रतिभूत			309.73		372.80
विदेशी मुद्रा ऋण– अप्रतिभूत			76.42		53.83
उधारियों पर उपार्जित किंतु अदेय ब्याज			272.78		208.66
कुल			**10,289.09**		**6,653.98**

* बांड श्रृंखला I, टिहरी एचपीपी चरण– I की चल परिसंपत्ति पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

** बांड श्रृंखला II, टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

*** बांड क्षृखंला III कोटेश्वर एचईपी एवं पाटन एवं द्वारका की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

^ बॉन्ड क्षृखंला IV, V और VI , टिहरी में स्थित पंप स्टोरेज प्लांट की चल सीडब्ल्यूआईपी और भविष्य की चल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

**** टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियां अर्थात बांध पावर हाउस, सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरुप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते है। टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी प्राधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

दीर्घकालिक ऋण कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

@ मध्यावधि ऋण टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए प्रतिभूत है।

@@ सावधि ऋण, कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र, खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समरूप आधार पहले शुल्क द्वारा प्रतिभूत है।

@@@ सावधि ऋण, खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समरूप आधार पहले शुल्क द्वारा प्रतिभूत है।

$ संबंधित ऋण रैंकिंग समरूप के तहत वित्तपोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित है।

21.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

21.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या समाधान का कोई मामला नहीं है।

21.3 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

21.4 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ के साथ कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी : 22

गैर चालू - वित्तीय देयताएं - पट्टा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
पट्टा देयताएं					
अप्रतिभूत			39.12		34.16
घटाएंः पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता– अप्रतिभूत			3.39		4.17
कुल			**35.73**		**29.99**

टिप्पणी : 23

गैर चालू वित्तीय देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
देयताएं					
संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि आदि।		413.18		206.52	
घटाएंः उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		47.69	365.49	44.12	162.40
कुल			**365.49**		**162.40**

टिप्पणी : 24

अन्य चालू वित्तीय देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			182.32		189.92
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान			577.49		582.19
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा /प्रतिधारण राशि			47.69		44.12
कुल			**807.5**		**816.23**

टिप्पणी : 25

गैर चालू प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए				31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2021 तक की स्थिति के अनुसार	योग	समायोजन	उपयोग	
I. कर्मचारियों से संबंधित संबंधित		173.91	2.82	(8.17)	0.00	168.56
II. अन्य		2.55	0.00	0.00	(0.13	2.42
कुलयोग		**176.46**	**2.82**	**(8.17)**	**(0.13)**	**170.98**
पिछली अवधि के लिए आंकड़ें		**190.37**	**3.59**	**(10.75)**	**(6.75)**	**176.46**

25.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 43.23 में किया गया हैं।

25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी : 26

चालू वित्तीय देयताएं - उधारियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण:					
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/नकद ऋण सुविधा					
** पंजाब नेशनल बैंक			848.56		650.33
***एचडीएफसी बैंक			19.98		195.92
**** बैंक ऑफ बड़ौदा			0.00		0.10
*भारतीय स्टेट बैंक			79.78		79.75
कुल (क)			**948.32**		**926.1**
ख. दीर्घकालीन ऋण की चालू परिपक्वता					
प्रतिभूत ^			309.73		372.80
अप्रतिभूत ^			76.42		53.83
कुल (ख)			**386.15**		**426.63**
कुल (क+ख)			**1,334.47**		**1,352.73**

कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्तियों के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

** परियोजना स्थल पर चल मशीनरी और मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, ईंधन स्टॉक, पुर्जे और सामग्री सहित टिहरी चरण –1 की परिसंपत्ति और कोटेश्वर एचईपी की अचल संपत्तियों / अन्य संपत्तियों पर दूसरे शुल्क के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

***कंपनी के संयंत्र– पाटन पवन ऊर्जा परियोजना, देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना, ढुकवां परियोजना और सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के देनदारों पर विशेष प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

**** बैंक ऑफ बड़ौदा से सावधि ऋण पर प्रभार के विस्तार द्वारा प्रतिभूत और सावधि ऋण की प्रतिभूति @@ के तहत टिप्पणी संख्या 21 में बताई गई है।

^ ब्याज दर के संबंध में विवरण और प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता की चुकौती की शर्तों का उल्लेख टिप्पणी –21 में किया गया है।

26.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

26.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या समाधान का कोई मामला नहीं है।

26.3 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

26.4 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ के साथ कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

26.5 चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधारों का अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.13 के तहत किया गया है।

टिप्पणी : 27

चालू- वित्तीय देयताएं- पट्टा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता					
अप्रतिभूत			3.39		4.17
कुल			**3.39**		**4.17**

टिप्पणी : 28

चालू- वित्तीय देयताएं- अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
देयताएं					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		0.89		2.03	
अन्य के लिए		268.60	269.49	131.50	133.53
संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि आदि		281.94		273.59	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		0.00	281.94	0.00	273.59
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
उपार्जित किंतु अदेय ब्याज					
बांडधारक और वित्तीय संस्थान		273.01		209.32	
अन्य देयताएं		0.00	273.01	0.00	209.32
कुल			**824.44**		**616.44**

टिप्पणी : 29

अन्य चालू देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास पर अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			79.22		63.75
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		863.69		858.99	
घटाएं:–					
मूल्यह्रास की ओर समायोजन		853.22	10.47	842.75	16.24
कुल			**97.29**		**87.59**

टिप्पणी : 30

चालू प्रवधान

राशि ₹ करोड़ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित हैं)

			31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए			
विवरण	टिप्पणी संख्या	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2023 के अनुसार
I. **कार्य**		24.53	29.25	0.00	(22.29)	31.49
II. **कर्मचारियों से संबंधित**		311.76	64.18	(24.25)	(57.98)	293.71
III. **अन्य**		12.33	78.48	(57.09)	(5.85)	27.87
कुल		**348.62**	**171.91**	**(81.34)**	**(86.12)**	**353.07**
पिछली अवधि के लिए आंकड़े		**341.63**	**184.75**	**(17.74)**	**(160.02)**	**348.62**

30.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 43.23 में किया गया है।
30.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय और कार्यों का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी : 31

चालू कर देयताएं (निवल)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
आयकर					
अथशेष			0.00		0.00
अवधि के दौरान वृद्धि			112.38		207.42
अवधि के दौरान समायोजन			(2.82)		(7.16)
अवधि के दौरान उपयोग			(99.74)		(200.26)
अंत शेष			**9.82**		**0.00**

टिप्पणी : 32

विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
अथशेष			515.20		550.22
अवधि के दौरान निवल संचलन			(17.74)		(35.02)
अंतशेष			**497.46**		**515.20**
32.क. विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष लाभार्थियों से वसूलनीय आस्थगित कर समायोजन के कारण है।					

टिप्पणी : 32.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		157.18		168.12	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		12.54		12.34	
पेंशन निधि		11.68		13.11	
उपहार		2.43		6.46	
कल्याण		5.88		5.35	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.34	190.05	0.03	205.41
अन्य व्यय	36				
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		1.03		0.26	
कर्मचारी निवास के लिए किराया		0.48	1.51	0.83	1.09
दर और कर			0.77		0.01
जल उपयोग शुल्क			0.00		0.00
ऊर्जा और ईंधन			11.02		10.15
बीमा			0.17		0.15
संचार			1.53		1.57
मरम्मत एवं रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी		0.00		0.00	

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत		0.00		0.00	
भवन		0.64		0.75	
अन्य		8.40	9.04	3.58	4.33
यात्रा और वाहन			3.61		1.34
वाहन किराया			9.15		6.37
सुरक्षा			10.98		9.20
प्रचार और जनसंपर्क			0.10		0.49
अन्य सामान्य व्यय			31.49		17.45
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि			0.12		0.01
खदान संचालन लागत			19.27		0.00
सर्वेक्षण और निरीक्षण व्यय			0.61		12.84
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			0.68		0.11
ब्याज अन्य			68.04		3.08
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, उधारों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		0.00		0.29	
स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान		0.00	0.00	0.00	0.29
मूल्यह्रास	2		29.40		28.86
कुल व्यय (क)			**387.54**		**302.75**
प्राप्तियां					
अन्य आय	34				
ब्याज					
कर्मचारियों से		0.64		0.74	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम– प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		0.34		0.03	
अन्य से		0.21	1.19	0.20	0.97
मशीन किराया प्रभार			0.04		0.06
किराया प्राप्तियां			1.25		0.95
विविध प्राप्तियां			4.09		3.83
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.03		0.35
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			65.83		1.55
कुल प्राप्तियां (ख)			**72.43**		**7.71**
कराधान से पहले निवल व्यय			**315.11**		**295.04**
कराधान के लिए प्रावधान	**38**				
कराधान सहित निवल व्यय			**315.11**		**295.04**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	40		0.12		0.21
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष			2.70		70.66
कुल ईडीसी			**317.69**		**365.49**
घटाएं:-					
सीडब्ल्यूआईपी/परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी		307.74		362.79	
अनुमोदनाधीन परियोजनाओं का ईडीसी, जो लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।		8.33	316.07	0.00	362.79
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेषित शेष			**1.62**		**2.70**

टिप्पणी : 33

सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
विद्युत बिक्री के बदले लाभार्थियों से आय		1,937.67		1,880.62	
जोड़ें:					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.60		7.60	
घटाएं:					
ग्राहकों को छूट		8.98	1,936.29	6.31	1,881.91
विचलन व्यवस्थापन / संकुचन प्रभार			29.03		25.35
परामर्श आय			8.98		14.23
कुल			**1,974.30**		**1,921.49**

33.1 माननीय सीईआरसी ने 2014–19 और 2019–24 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी की प्रशुल्क याचिकाओं का निपटान कर दिया है तथा अपने दिनांक 10.05.2022 और 13.05.2022 के आदेश के तहत प्रशुल्क की अनुमति दी है। माननीय सीईआरसी ने 2014–19 और 2019–24 की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी की प्रशुल्क याचिकाओं का निपटान कर दिया है तथा अपने दिनांक14.09.2022 और 03.10.2022 के आदेश के तहत प्रशुल्क की अनुमति दी है। पिछले वर्ष के संबंध में इन प्रशुल्क आदेशों के प्रभाव को चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व में शामिल किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए राजस्व को क्रमशः दिनांक 13.05.2022 और 03.10.2022 के उक्त आदेशों के आधार पर मान्यता दी गई है।

इसके अतिरिक्त माननीय सीईआरसी ने 01.01.2016 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) में कर्मचारियों के वेतन संशोधन, न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) के 61.09 करोड़ रुपए की राशि के प्रभाव की वसूली के लिए दिनांक 25.11.2022 का आदेश जारी किया है और इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

33.2 दिनांक 21.12.2022 के माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, टीएचडीसीआईएल को अगस्त, 2022 से जल खपत प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित है, इसलिए सीईआरसी विनियम, 56 के संदर्भ में टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए ₹ 45.89 करोड़ और ₹ 36.12 करोड़ की राशि वसूलनीय है और इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

33.3 टिहरी चरण 1 परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के 12 वर्ष पूरे होने के कारण, पूर्व में आस्थिगत आय के रूप में अनुमत और विचारित एएडी को अब परियोजना के शेष उपयोग अवधि अर्थात् 28 वर्ष के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

33.4 लाभार्थियों से आय में, चालू वर्ष के लिए 57.93 करोड़ रुपए की माध्यमिक ऊर्जा (बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की बिक्री) और 28.49 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन तथा पिछले वर्ष के लिए 33.98 करोड़ रुपए की माध्यमिक ऊर्जा और 25.70 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन शामिल है

टिप्पणी : 34

अन्य आय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
ब्याज					
बैंक जमा पर (इसमें 1175408.00 रुपए (पिछली अवधि 255756.00 रुपए) शामिल हैं)		0.73		0.34	
कर्मचारियों से		1.87		1.94	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम– प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		5.32		2.06	
अन्य		0.26	8.18	0.23	4.57
मशीन किराया प्रभार			0.04		0.06
किराया प्राप्तियां			2.72		1.97
विविध प्राप्तियां			6.96		6.18
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			1.18		73.88
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ			0.03		0.03
विलंबित भुगतान अधिभार			17.70		225.46

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			65.79		1.74
कुल			**102.6**		**313.89**
घटाएंः					
लाभार्थियों के साथ साझा की गई गैर–टैरिफ आय			0.82		0.33
ईडीसी में अंतरित	32.1		72.43		7.71
कुल			**29.35**		**305.85**

टिप्पणी : 35

कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			411.10		426.49
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशधान			39.61		35.16
पेंशन निधि			32.07		38.68
उपहार			16.24		16.65
कल्याण व्यय			22.45		40.48
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			5.32		2.06
कुल			**526.79**		**559.52**
घटाएंः					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		190.05		205.41
कुल			**336.74**		**354.11**

टिप्पणी : 36

वित्त लागत

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
वित्त लागत					
बांड पर ब्याज			424.32		343.75
घरेलू ऋणों पर ब्याज			171.10		100.25
विदेशी ऋणों पर ब्याज			50.27		9.25
नकद ऋण पर ब्याज			52.54		13.50
एफईआरवी			107.48		18.47
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			0.00		0.00
ब्याज अन्य			69.12		4.62
कुल			**874.83**		**489.84**
घटाएंः–					
सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित और पूंजीकृत			625.43		352.65
ईडीसी को अंतरित अन्य ब्याज			68.03		3.08
कुल			**181.37**		**134.11**

टिप्पणी : 37

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		1.33		0.35	
कर्मचारी निवास के लिए किराया		0.91	2.24	1.59	1.94
दर और कर			2.80		2.05
जल उपयोग प्रभार			82.41		0.30
ऊर्जा और ईंधन			23.92		21.39
बीमा			31.42		31.07
संचार			6.02		6.05
मरम्मत एवं रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी		66.88		55.16	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत		8.56		5.95	
भवन		24.48		22.57	
अन्य		37.62	137.54	25.16	108.84
यात्रा और वाहन			7.74		3.50
वाहन किराया एवं चलाना			19.58		10.84
सुरक्षा			69.99		62.61
प्रचार और जनसंपर्क			3.84		1.52
अन्य सामान्य व्यय			74.98		49.84
लेखा परीक्षकों को भुगतान			0.35		0.30
परिसंपत्ति की बिक्री पर नुकसान			1.21		0.36
खदान संचालन लागत			19.27		0.00
सर्वेक्षण और निरीक्षण व्यय			9.30		12.84
अनुसंधान एवं विकास			2.70		3.46
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			9.86		8.06
सीएसआर और सततता विकास गतिविधियों पर व्यय			23.09		27.20
कुल			**528.26**		**352.17**
घटाएं:–					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		100.06		65.11
कुल			**428.20**		**287.06**

37.1 सीएसआर के संबंध में विस्तृत जानकारी का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.19 (i) के तहत किया गया है।

टिप्पणी : 38
प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
अशोध्य ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान			0.00		0.29
स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.29**
घटाएं:–					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		0.00		0.29
कुल			**0.00**		**0.00**
38.1 स्टोर का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण होता है।					

टिप्पणी : 39
कराधान के लिए प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			136.55		189.34
उप योग			**136.55**		**189.34**
कुल			**136.55**		**189.34**

टिप्पणी : 40
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन			52.47		(36.01)
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर			(9.17)		6.29
कुल			**43.30**		**(29.72)**

टिप्पणी : 41
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			(1.75)		1.80
उप-योग			**(1.75)**		**1.80**
घटाएं:-					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		0.12		0.21
कुल			**(1.87)**		**1.59**

42.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंडएएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्‌भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन में गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), ओर तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम यह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज पर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम- यह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम- यह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल- कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पढ़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधान के प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।
3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।
4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उदृत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुमय पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।
6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।
7. रिपोर्ट की जाने की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी, साख–पत्र और टीपीए धारण किए रहने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

42.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 (पूर्व में वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया गया था) में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और एफपीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कलांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो संख्या 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त ईसीएल प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

42.3 परिसंपत्तियों की क्षति

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि दोनों परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है।

42.4 लेखांकन संबंधी हालिया घोषणाएं: मानक जारी किए गए किंतु अभी तक प्रभावी नहीं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, जिसमें कतिपय लेखांकन मानकों को संशोधित किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं। उक्त अधिसूचना में, 10 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) नामतः इंड एएस 101, 102, 103, 107, 109, 115, 1, 8, 12 और 34 को संशोधित किया गया है और इन संशोधनों का सार निम्नानुसार है:

1. इंड एएस 1, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

इस संशोधन में 'महत्वपूर्ण '(significant)' शब्द को 'सारवान (material)' शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें संस्था को अपने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की बजाय सारवान लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है चूंकि 'सारवान' को इंड एएस में परिभाषित किया गया है और इसे हितधारकों द्वारा भली–भांति समझा जाता है। इसके साथ ही, यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है कि लेखांकन नीति संबंधी जानकारी सारवान है अथवा नहीं।

2. इंड एएस 8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां

संशोधनों में 'लेखांकन अनुमान में किसी परिवर्तन' की परिभाषा को 'लेखांकन अनुमानों' की परिभाषा से प्रतिस्थापित किया गया है और संस्थाओं को लेखांकन नीतियों में परिवर्तन से लेखांकन अनुमानों में विशिष्ट परिवर्तन में सहायता करने हेतु 'लेखांकन अनुमानों' की परिभाषा पेश की गई है। निर्दिष्ट किया गया है कि नई जानकारी या नए विकास से लेखांकन अनुमान में कोई परिवर्तन हो सकता है और यह किसी त्रुटि का सुधार नहीं है; और किसी लेखांकन अनुमान में किसी इनपुट या किसी माप तकनीक में किसी परिवर्तन के प्रभाव लेखांकन अनुमानों में परिवर्तित हो जाते हैं, जब तक कि वे पूर्व अवधि त्रुटियों के सुधार के परिणामस्वरूप न हों।

3. इंड एएस 12, आयकर

संशोधन में मान्यता में छूट के दायरे को कम किया गया है ताकि यह अब ऐसे लेन–देन पर लागू न हो जो प्रारम्भिक मान्यता पर, समान करयोग्य और कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों में वृद्धि करती हैं, उदाहरणार्थ – पट्टा और डिकमीशनिंग दायित्वों के मामले में।

4. इंड एएस 101,102, 103, 109 और 115 - संपादकीय सुधार

ये ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन है जिनमें ऐसे संदर्भों और शब्दावली आदि को अद्यतन करना शामिल होता है जिनके परिणामस्वरूप इंड एएस के सिद्धांतों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

कंपनी ने उपरोक्त संशोधनों की अपेक्षाओं को समझा है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव सारवान नहीं है।

2. आकस्मिक देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	स्थिति के अनुसार	
		31.03.2023	31.03.2022
क	पूंजीगत कार्य	1446.41	1010.57
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	71.38	67.99
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1314.95	1235.32
घ	अन्य	2947.74	2823.21
ड.	उपरोक्त 'क' से 'घ' तक के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	-	-
च	विवादित कर संबंधी मामले	1.72	1.72
छ	**कुलयोग**	**5782.20**	**5138.81**
ज	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर मामलों कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	462.35	460.06

3. ईएमडी/ एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों / वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर/सी डी आर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने 2.09 करोड़ रुपये तथा 3.92 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1.17 करोड़ रुपये एवं 4.08 करोड़ रुपये) की एफडीआर/ सीडीआर क्रमशः ईएमडी/ प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 23 एवं 28 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 695.12 करोड़ रुपये (गत वर्ष 480.11 करोड़ रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 0.83 करोड़ रुपये (गत वर्ष 0.40 करोड़ रुपये) के समायोजन के बाद वर्ष के दौरान पंजीकृत उधारी लागत ईडीसी को हस्तांतरित क्रमशः 625.43 करोड़ रुपये और 68.03 करोड़ रुपये (गत वर्ष 352.65 करोड़ रुपये और 3.08 करोड़ रुपये) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, अस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में 78.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 12.70 करोड़ रुपये) को मान्य किया गया है।

5 (i)टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोडेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/ टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23– सी–4/टी –18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं।

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.5	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है , इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था।

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0.01	सरकारी /वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार /वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार/यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	6.88	0.96	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	91	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.5	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी /वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था।
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0.01	सरकारी /वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र ,उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र ,उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार /वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार /यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	14.28	1.99	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 16 फ्लैट (गत वर्ष 18 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य 0.04 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.04 करोड़ रूपये) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.001 करोड़ रूपये की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7.(i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसें प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एच सी सी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी परिणाम के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेमर्स एचपीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 195.51 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था। डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 448 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने जून 2023 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तो के अनुसार डेट सर्विसिंग की गई है।

(ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल ठेकेदार मैमर्स एच सी सी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैमर्स एच सी सी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

(iii) अमेलिया कोयला खदान ने दिनांक 18.02.2023 को कोयला आरक्षित भंडार का निष्कर्षण आरम्भ कर दिया है। कोयला खदान के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) सीईआरसी विनियम में निर्दिष्ट शर्तो को पूरा करने के बाद घोषित की जाएगी। समझौते के अनुसार, खदान विकासक और संचालक (एमडीओ), मैसर्स अमेलिया कोल माइन लिमिटेड, अनुमोदन खदान संवरण योजना के अनुसार भूमि पुनरूद्धार, संरचना की डिकमीशनिंग और खदान संवरण (उत्तरोत्तर और अंतिम) गतिविधियों पर वहन किए जाने वाले व्यय के दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। तदनुसार अनुमोदित खदान संवरण योजना के अनुसार आंकी गई ₹ 4.14 करोड़ की राशि को एमडीओ द्वारा एस्क्रो खाते में जमा कर दी गई है।

8. (i) दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग समय–सारणी निम्नानुसार हैः

राशि ₹ करोड़ में

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	4,607.32	3,147.83	1,414.98	4,820.50	13,990.63
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	3,161.54	1,427.06	965.95	3,892.83	9,447.39
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

(ii) 31.03.2023 और 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार अपनी मूल लागत और पूर्णता अनुसूची से अधिक हो चुकी परियोजनाओं के लिए पूर्णता कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

राशि ₹ करोड़ में

परियोजना	निम्न अवधि में पूरा किया जाना है				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	850.00	298.86	-	-	1148.86
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	560.00	470.00	316.05	-	1346.05
31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	569.61	153.20	-	-	722.81
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	500.00	500.00	406.00	-	1406.00

9. दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2022 के अनुसार व्यापार प्राप्य एजेइंग समय–सारणी

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ङ)					कुल (च) = (ग+घ+ङ)
				6 माह से कम	6 माह -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य –शोध्य समझा गया	634.46	234.46	247.73	20.53	41.49	72.32	0.03	17.90	634.46
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	61.46	-	-	61.46	-	-	-	-	61.46
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	695.92	234.46	247.73	81.99	41.49	72.32	0.03	17.90	695.92

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ङ)					कुल (च) = (ग+घ+ङ)
				6 माह से कम	6 माह -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य –शोध्य समझा गया	669.69	172.57	130.76	143.54	57.59	140.97	4.29	19.98	669.69
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	54.03	-	-	54.03	-	-	-	-	54.03
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**723.72**	**172.57**	**130.76**	**197.57**	**57.59**	**140.97**	**4.29**	**19.98**	**723.72**

10. दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2022 के अनुसार व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	भुगतान की देय तिथि (लेन-देन की तिथि) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	2.35	-	-	-	2.35
(ii) अन्य	40.18	1.11	0.86	0.51	42.66
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-

31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	भुगतान की देय तिथि (लेन-देन की तिथि) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
(ii) अन्य	25.19	1.42	0.60	0.12	27.34
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-

11. स्ट्रक–ऑफ कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरणः

राशि ₹ करोड़ में

स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम (पैन)	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष ₹ करोड़ में		स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण
		31-03-2023	31-03-2022	
अनंतश्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (AAPCA3824J)	देय	0.02	0.04	व्यापार देय
नवेली डेकोर प्राइवेट लिमिटेड (AAFCN8799K)	देय	-	-	व्यापार देय

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधान के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

13. चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधार के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरणः

राशि ₹ करोड़ में

वित्त वर्ष 2022-23	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगतियों का कारण
		प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक /विवरण में रिपोर्ट की गई राशि		
जून–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	201.48	201.26	0.22	यह अंतर विचलन के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	3.64	0.00	3.64	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
सितम्बर–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	199.80	199.80	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	8.41	0.04	8.37	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
दिसंबर–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	262.74	262.74	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	6.05	0.00	6.05	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
मार्च–23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	244.88	244.88	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	1.22	1.22	-	शून्य

14. इंडएएस 24 के अंतर्गत प्रकटन ''सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण''

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) सहायक कंपनी : टुस्को लिमिटेड

: ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (25.03.2023 को निगमित) और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सहायक कंपनी के साथ कोई वित्तीय लेन–देन नहीं किया गया है।

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्रमांक	नाम	धारित पद	अवधि
क.	**पूर्णकालिक निदेशक**		
1	श्री. आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	जारी
2	श्री जे. बेहरा	निदेशक (वित्त)**	जारी
ख.	**नामित निदेशक**		
1	श्री यू. के. भट्टाचार्य	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
2	श्री ए. के. गौतम	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.05.2022 तक
3	श्री जितेश जॉन	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
4	श्री अनिल गर्ग	गैर – कार्यकारी निदेशक	26.04.2022 से
5	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर – कार्यकारी निदेशक	17.08.2022 से
ग.	**स्वतंत्र निदेशक**		
1	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	जारी
2	डॉ बजलकारिया जयप्रकाश नाईक	स्वतंत्र निदेशक	जारी
3	श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला	स्वतंत्र निदेशक	जारी
घ.	**मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव**		
1	श्री जे. बेहेरा	**मुख्य वित्तीय अधिकारी**	जारी
2	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	जारी

(*) 06.08.2021 से निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार

(**) 24.03.2023 से निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा, टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को शुरु करने के लिए सोसाइटी अधिनियम,1860 के अंतर्गत किया गया है।

संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों के छोड़कर) सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 22.11 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संवद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.4960 प्रतिशत)
3	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(i) संबंधित पक्षकारों (सहायक कंपनी) के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सहायक कंपनी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और परिसंपत्तियों का हस्तांतरण	0.05	0.78
किया गया इक्विटी अंशदान (लंबित आबंटन सहित)	14.80	7.40
अन्य	0.00	2.22
सीपीएफ पेंशन आदि के सापेक्ष जमा	0.72	0.56

(ii) संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (सेवोपरांत लाभ योजनाएं) निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार	2022-23	2021-22
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	46.28	29.43
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी निश्चित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	40.26	24.04
टीएचडीसीआईएल सेवोपरांत चिकित्सा लाभ एवं न्यास	5.98	4.36

(ii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति: स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय 1.91 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 2.76 करोड़ रूपये) है।

राशि ₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
	प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को मुआवजा		
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	1.65	2.40
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.26	0.36
3	सेवांत लाभ	-	-
4	शेयर आधारित भुगतान	-	-
	कुलयोग	**1.91**	**2.76**

(iv) उसी सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा /संव्यवहार की प्रकृति	समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2023	31.03.2022
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिजली की बिक्री और अन्य प्रभार	801.06	630.89
बी एच ई एल	सेवा संविदा के साथ उपस्करों और स्पेयर की खरीद	559.77	255.41
एनटीपीसी	लाभांश का भुगतान	408.20	378.59
एनटीपीसी लिमिटेड	परामर्शी सेवा	20.45	18.47
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया	आईएसटीएस और अन्य प्रभार	112.64	-
पीजीसीआईएल	एचटी लाइनों की शिफ्टिंग, परामर्श प्रभार पावर लाइन डायवर्जन	72.17	84.88
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	निर्माण कार्य	62.76	25.33

राशि ₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा /संव्यवहार की प्रकृति	समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2023	31.03.2022
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	विद्युत प्रभार	7.73	6.47
यू.पी. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	सुरक्षा प्रभार	4.46	3.67
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	विद्युत प्रभार	0.49	0.40
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एसएलडीसी प्रभार	0.01	0.01
आरआईटीईएस	परामर्शी सेवाएं	23.81	15.48
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी लिमिटेड	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	10.49	11.25
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड – एनटीपीसी एवं रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति आपूर्ति	3.88	0.94
आईओसीएल	ईंधन की खरीद	2.74	2.37
बीपीसीएल	ईंधन की खरीद	0.91	0.62
सीएमपीडीआईएल	परामर्शिता	0.60	12.14
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	अभिदान शुल्क	0.02	0.01
सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसईसीआई)	परामर्शिता	0.11	5.61
अन्य	विविध	5.40	2.34

(v) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूलनीय राशि		
एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी) से	शून्य	शून्य
टुस्को लिमिटेड (सहायक कंपनी) से	शून्य	शून्य
ख वसूलनीय राशि		
–मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.29	0.29
–सहायक कंपनी	2.07	2.11
–अन्य	0.33	शून्य
ग. देय राशि		
–रोजगार पश्चात् हितलाभ योजनाएं	19.98	16.22

(vi) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

15. इंड एएस 27 – पृथक वित्तीय विवरण – के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार
टुस्को लिमिटेड (12.09.2020 को निगमित)	भारत	74%	74%

16. इंडएएस 33 – 'प्रति शेयर आय (ईपीएस)' – के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	2022-23	2021-22
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (करोड़ रुपये)	629.79	924.50
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ रुपये)	673.09	894.78
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिकः 36658817 तनुकृतः 36658817	बेसिकः 36658817 तनुकृतः 36658817
प्रति शेयर आय रूपये बेसिक जिसमें विनियामक आय तनुकृत शामिल नहीं हैं। रूपया बेसिक रूपया तनुकृत	 171.80 171.80	 252.19 252.19
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है रूपया बेसिक रूपया तनुकृत	 183.61 183.61	244.08 244.08
प्रति शेयर अंकित मूल्य रूपये	₹ 1000	₹ 1000

17. (क) आय कर व्यय

(i) लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	145.72	183.05
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन		
विनियामक आस्थगित लेख शेष से संबंधित (क)	(9.17)	6.29
कुल चालू कर व्यय (ख)	136.55	189.34

(ख) भविष्य में कंपनी को एमएटी क्रेडिट उपलब्ध है परंतु मान्य नहीं है।

भविष्य में कंपनी को उपलब्ध परंतु 31 मार्च, 2023 को मान्य नहीं एमएटी क्रेडिट 334.16 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2022 – 487.72 करोड़ रुपये) है।

(ii) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस 12 आयकर के अनुसरण में 17.75 करोड़ रुपये की आस्थगित कर परिसंपत्ति (पिछले वर्ष 35.02 करोड़ रुपये) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में दर्ज किया गया है।

18. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

19. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) दिनांक 22.01.2021 को अधिसूचित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसरण में किसी जारी परियोजना के क्रम में किसी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित किया जाएगा, जो ऐसे अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग की जाएगी। किसी जारी परियोजना के अलावा किसी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनूसची VII में निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी सांविधि के तहत अपेक्षित से अधिक राशि व्यय करती है, तो अतिरिक्त राशि को अग्रेणीत किया जाएगा और अनुवर्ती तीन वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली राशि के सापेक्ष सेट–ऑफ किया जाएगा।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली और नकदी में व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है

राशि ₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2022-22
i.	आरम्भिक अव्ययित / (अधिशेष) राशि	(0.97)	0.00
ii.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार व्यय की जाने वाली राशि	23.61	26.23
iii.	वर्ष के दौरान आरम्भिक अव्ययित / (अधिशेष) राशि के सापेक्ष सेट–ऑफ के लिए विचारित राशि	(0.52)	0.00
iv.	वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा उपरोक्त (ii) में से व्यय किए जाने के लिए अनुमोदित राशि	23.09	26.23

राशि ₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2022-22
v.	सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष	0.00	0.00
vi.	पूर्ववर्ती वर्ष के अधिक व्यय को सेट–ऑफ करने बाद व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि	23.09	26.23
vii.	वर्ष के दौरान नकदी में व्यय की गई राशि	22.11	27.20
viii.	जारी परियोजना के सापेक्ष अंत में अव्ययित शेष, जिसे भविष्य में व्यय किया जाना है	0.98	0.00
ix.	भविष्य में सेट–ऑफ किए जाने के लिए अंतिम (अधिशेष) राशि	(0.45)	(0.97)

टिप्पणी:- अनुवर्ती वर्ष में उपलब्ध सेट–ऑफ को, भावी वर्षों में इसके समायोजन में शामिल अनिश्चितताओं पर विचार करत हुए, विवेकपूर्ण मामले के रूप में किसी परिसंपत्ति के रूप में मान्य नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा

राशि ₹ करोड़ में

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अथशेष		वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अंतशेष		जारी परियोजनाओं का ब्यौरा
कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते से	कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में	
शून्य	शून्य	23.09	22.11	शून्य	0.98*	शून्य	सौर ऊर्जा, स्वच्छता, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका आदि के समर्थन के लिए विभिन्न परियोजनाएं
(*) दिनांक 26.04.2023 को पंजाब नेशनल बैंक में मौजूद अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित							

(घ) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि –

राशि ₹ करोड़ में

क्र.स.	विवरण	नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	कुलयोग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण			
(ii)	क्रम सं (i) के अलावा, अन्य प्रयोजन के लिए	22.11	0.00	22.11

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि –

राशि ₹ करोड़ में

क्र.स.	विवरण	नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	कुलयोग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण			
(ii)	क्रम सं (i) के अलावा, अन्य प्रयोजन के लिए	27.20	0.00	27.20

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सेवा–टीएचडीसी, जो कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ–निरपेक्ष सोसायटी है, के माध्यम से किए गए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
1	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	2.88	6.13
2	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	10.34	10.09
3	महिला सशक्तीकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.22	0.25
4	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	0.62	1.68

5	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	0.72	2.21
6	सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के लाभ के लिए उपाय	-	0.10
7	खेलकूद का संवर्धन	0.06	0.32
8	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	4.00	4.05
9	अनुसूचित जाति का कल्याण	-	0.00
10	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	2.38	1.03
11	आपदाएं	-	0.60
12	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	0.89	0.74
	वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (1 से 12)	22.11	27.20
	जोड़ें: अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की जाने वाली राशि	0.98	-
	स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित सीएसआर व्यय	23.09	27.20
	अधिशेष राशि के लिए अंत शेष	0.45	0.97

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटनः

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 2.70 करोड़ रूपये (राजस्व– 2.70 करोड़ रूपये) (गत वर्ष 3.46 करोड़ रूपये) (राजस्व– 3.46 करोड़ रूपये) व्यय किए हैं।

20. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम इस एम ई डी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2023 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

राशि ₹ करोड़ में

	2022-23	2021-22
क. किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i) मूल धन	3.24	2.63
ii) उस पर ब्याज	-	
ख. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि		
ग. देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।		
घ. प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका		
ड. अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।		

21. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के प्रभाव

क्रम सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव/टिप्पणी
1.	1 नीति संख्या 8.7 शामिल करते हुए नीति संख्या 8 – **वित्तीय परिसंपत्तियां** – को संशोधित किया गया है	नीति को प्रकटीकरण में सुधार करने के लिए संशोधित किया गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

22. एएस 116 - 'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा', को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अपनाया गया है।

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैंप और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें पस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित कर सकती जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैं:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आदि शेष	34.16	13.25
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	9.52	25.35
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	3.34	2.89
–पट्टा देयताओं का भुगतान	7.90	7.33
अंत शेष	39.12	34.16
चालू	3.39	4.17
गैर–चालू	35.73	29.99

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

राशि ₹ करोड़ में

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
3 माह या कम	1.10	1.65
3–12 माह	5.25	4.98
1–2 वर्ष	7.77	7.88
2–5 वर्ष	10.74	10.52
5 वर्ष से अधिक	57.38	40.80
पट्टा देयताएं	82.24	65.82

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है;

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	14.93	17.27
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	3.34	2.89
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	2.23	1.94

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है;

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	7.90	7.33
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	2.23	1.94

23. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटन इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना:-

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास के भविष्य निधि को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिलाभ सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों के वर्तमान मूल्य, योजनागत परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से 10.25 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 25.56 करोड़ रुपए) अधिक हो गया और इसे बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकालों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वस्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों / पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देयता, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है

और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथाअभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से 9.65 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 5.91 करोड़ रूपये) अधिक हो गया है और इसे बहियों में दर्ज किया गया है।

(V) अन्य (असबाब/ एलएसए/ एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2023 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तदनुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.03.2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी -1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमानः

विवरण	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2006–08)
छूट की दर	7.40%	7.00%	6.75%	6.75%	7.75%
भावी वेतन वृद्धि	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	8.00%

जोखिम अनावरण (एक्सपोजर) का ब्यौराः मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि-वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देयता बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देयता भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम- यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देयताएं बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिलाभ होने पर देयताओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर- उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देयता बढ़ा सकती हैं।

(घ) मृत्यु और विकलांगता- मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देयताओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ड) आहरण- वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देयता पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी - 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य बैगेज भत्ता/ दीर्घ सेवा एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	183.38 {189.99}	76.88 {66.18}	118.64 {116.13}	95.51 {87.30}	14.26 {14.29}
ब्याज लागत	12.84 {12.82}	5.38 {4.47}	8.30 {7.84}	6.69 {5.89}	1.00 {0.96}
पिछली सेवा की लागत					
वर्तमान सेवा लागत	3.29 {3.95}	18.00 {13.66}	4.51 {4.23}	2.64 {2.61}	1.20 {1.13}
लाभ का भुगतान	(19.85) {(20.49)}	(20.33) {(15.59)}	(5.96) {(6.34)}	(7.56) {(4.71)}	(1.79) {(2.34)}
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(4.90) {(2.89)}	5.34 {8.15}	(8.36) {(3.21)}	8.52 {4.42}	(0.35) {0.22}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	105.80 {95.51}	14.33 {14.26}

सारणी -3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य- बैगेज भत्ता/ दीर्घ सेवा एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	105.80 {95.51}	14.33 {14.26}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	96.15 {89.61}	लागू नहीं
वित्त पोषित देयता/प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	96.15 {89.61}	लागू नहीं
गैर वित्त पोषित देयता/प्रावधान	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	9.65 {5.91}	14.33 {14.26}
मान्य न हुए बीमांकिक लाभ/हानि				(7.01) {(3.29)}	
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	9.65 {5.91}	14.33 {14.26}

सारणी- 4 लाभ और हानि, ओसीआई/ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य- बैगेज भत्ता/ दीर्घ सेवा एवार्ड/एफबीएस
चालू सेवा लागत	3.29 {3.95}	18.00 {13.66}	4.51 {4.23}	2.64 {2.61}	1.20 {1.13}
सेवापरांत लागत	-	-	-	-	0.00 {0.00}
ब्याज लागत	12.84 {12.82}	5.38 {4.47}	8.30 {7.83}	- {0.00}	1.00 {0.96}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.90) {(2.89)}	5.34 {8.15}	(8.36) {(3.21)}	7.01 {3.29}	(0.35) {0.22}
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	16.13 {16.77}	28.72 {26.28}	4.46 {8.85}	2.64 {2.61}	2.20 {2.09}

सारणी -5 संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि ₹ करोड़ में

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अस्वस्थता अवकाश एचपीएल)		पीआरएमवी		अन्य	
	31.03.23	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(4.09)	(4.62)	(2.36)	(2.27)	(2.72)	(3.00)	(13.14)	(12.32)	(0.35)	(0.36)
0.50% की धटोत्तरी	4.30	4.86	2.52	2.41	2.86	3.14	14.10	12.54	0.37	0.37
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	0.81	1.02	2.53	2.41	2.87	3.14	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की धटोत्तरी	(0.87)	(1.09)	(2.39)	(2.29)	(2.76)	(3.02)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चिकित्सा लागत/ समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14.36	12.62	0.15	0.16
0.50% की धटोत्तरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(13.71)	(12.38)	(0.14)	(0.16)

अन्य प्रकटीकरण:-

राशि ₹ करोड़ में

उपदान	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	174.76	183.38	189.99	191.01	178.93
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(4.90)	(2.89)	(1.05)	8.74	(0.12)
बीमांकिक (लाभ/हानि) ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(4.90)	(2.89)	(1.05)	8.74	(0.12)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	16.13	16.77	17.97	19.68	19.35

अर्जित छुट्टी (ई एल)	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	85.27	76.88	66.18	56.07	43.04
बीमांकिक (लाभ/हानि)	5.34	8.15	6.26	11.60	11.38
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	28.72	26.28	23.42	27.71	25.85

बीमारी (एचपीएल) छुट्टी	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	117.13	118.64	116.13	109.06	98.83
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(8.36)	(3.21)	(0.88)	0.83	1.78
वर्ष के लिए लाभएवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	4.46	8.85	11.18	13.00	12.79

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	105.80	95.51	87.30	79.85	70.02
अमान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ/हानि)	7.01	3.29	1.34	2.76	3.85
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.64	2.61	2.95	3.07	6.94

अन्य असबाब भत्ता/दीर्घ सेवा अवार्ड/एफबीएस	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.33	14.26	14.29	12.63	12.43
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(0.35)	0.22	(0.20)	0.43	(0.29)
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ/हानि)	(0.35)	0.22	(0.20)	0.43	(0.29)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.20	2.09	3.19	2.14	5.16

24. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 संशोधित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधन की राय में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

25. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

राशि ₹ करोड़ में

क्रामांक	विवरण	2022-23	2021-22
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.15	0.15
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.03
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए	-	-
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	-	-
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.12	0.07
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.05

लेखापरीक्षकों को भुगतान में पिछले वर्ष के संबंध में शून्य रूपये (पिछले वर्ष से संबंधित 0.01 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

26. (क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार हैः

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2023	31.03.2022
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	93.65	87.77
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष एम टी एल सहित	26	948.33	926.10
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		(854.68)	(838.33)

मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन–पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

राशि ₹ करोड़ में

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2022-23	अथशेष	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
निर्गत शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88	-	3665.88	-	
गैर–चालू उधारियाँ (बाँड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	6653.98	-	10289.09	3635.11	**वृद्धि- बांड** – ₹ 1400.00 करोड, सावधि ऋण (बीओबी) ₹ 2225.00 करोड़, विश्व बैंक (निवल) ₹ 384.24 करोड़, **चुकौती -** सावधि ऋण (बीओबी) – ₹ 125.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹ 139.58 करोड़, सावधि ऋण (पीएफसी) – ₹ 45.14 करोड़, विश्व बैंक – ₹ 64.41 करोड़
उधारियां–चालू	426.63	-	386.14	(40.49)	**वृद्धि-**, विश्व बैंक (निवल) ₹ 22.58 करोड़, **चुकौती -** सावधि ऋण (पीएफसी) – ₹ 45.14 करोड़, सावधि ऋण (आरईसी) – ₹ 17.51 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) – ₹ 0.42 करोड़
पट्टा देयताएं	-	(7.90)	-	(7.90)	पट्टा देयता का भुगतान
भुगतान की गई वित्तीय लागत घटा पूँजीकृत सीडब्ल्यूआईपी	-	874.83 (693.46)	-	(181.37)	लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित
विलंबित भुगतान अधिभार	-	21.59	-	21.59	अन्य आय
भुगतान किया गया लाभांश	-	(547.94)	-	(547.94)	लाभांश का भुगतान
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह	-		-	2879.00	

27. अनुपात

क्रमांक	विवरण	अंश	हर	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष		% भिन्नता	भिन्नता का कारण*
				31.03.2023	31.03.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
क	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्ति	चालू देयताएं	0.58	0.75	(22.07%)	
ख	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	निवल मूल्य	1.11	0.78	43.47%	
ग	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(करोपरांत निवल लाभ + ऋण पर ब्याज + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + अपवादात्मक मद)	(ऋण पर ब्याज + पट्टा भुगतान + दीर्घकालिक ऋण की मूलधन चुकौती)	1.84	1.98	(7.03%)	
घ	इक्विटी पर प्रतिलाभ अनुपात	करोपरांत निवल लाभ	हितधारक की इक्विटी का औसत	6.49%	8.85%	(26.63%)	कर पश्चात् लाभ में कमी के कारण
ङ	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री	32.98	50.65	(34.89%)	कोल इन्वेंट्री के नामे इन्वेंट्री में कमी कारण
च	ऋण–टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्तियां	2.78	2.04	36.48%	व्यापार प्राप्य में कमी के कारण
छ	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	2.57	2.19	17.24%	
ज	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	कार्यशील + पूंजी लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता	(2.72)	(10.27)	73.52%	कार्यशील पूंजी में कमी के कारण
झ	निवल लाभ मार्जिन	करोपरांत निवल लाभ	कुल बिक्री	34.09%	46.57%	(26.79%)	कर पश्चात् लाभ में कमी कारण
ञ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	ब्याज और कर–पूर्व आय	नियोजित पूंजी	4.54%	7.34%	(38.13%)	ईबीआईटी में कमी और नियोजित पूंजी में वृद्धि के कारण
ट	निवेश पर प्रतिलाभ	निवेश से आय	निवेश	(0.81%)	(8.41%)	90.34%	सहायक कंपनी की हानि में कमी के कारण

(*) पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25% से अधिक किसी भी परिवर्तन के लिए भिन्नता के कारण आवश्यक है।

28. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ा को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयी बनाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या:- 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियो के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड ए एस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यो की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणो की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। हमने नीचे दिए गए मामले को लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्त्वपूर्ण मामला माना है जिसे हमारी रिपोर्ट में संसूचित किया जाए।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
1	**ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड ए एस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुडा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन क्रिया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सी ई आर सी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियायें अपनाई है। • ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। • सी ई आर सी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
2	**आकास्मिक देयताएँ** कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उन में मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन का निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 13 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें)	हमने आकश्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में कंपनी के आतंरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं : – लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है। – प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। – विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। – प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। – जिन मामलों का प्रकटन नही किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। – प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

हम स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

(क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 7 (i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएससी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) टीएचडीसीआईएल द्वारा परियोजना कार्यों के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 1327.695 हेक्टेयर भूमि के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 5(ii)। इन भूमि का स्वामित्व विलेख अभी निष्पादित किया जाना शेष है।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचनाएं

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट, अनुलग्नक, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण, व्यापारिक दायित्व और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियां सहित निदेशक की रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है। परंतु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी अपेक्षित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिहिन्त अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम उपरोक्त उल्लिखित 'अन्य सूचना' पढ़ते हैं, तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और लागू विधियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख करें।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा स्टैंडएलोन सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नगदी प्रवाह सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधक कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे। कंपनी की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमनेः

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूपमें जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में उस गलतबयानी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है जो एकल रूप में या समग्र रूप में वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने को संभव बनाता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा के विस्तार क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किन्ही चिहिन्त गलतबयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) में यथाअपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में लागू सीमा तक एक विवरण **अनुलग्नक ''क''** में दिया है।
2. भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने निदेश जारी किए हैं जिनमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसका **अनुलग्नक ''ख''** में दिया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं किः–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय, में उक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण, कंपनी यथासंशोधित (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक ''ग''** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें और

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) के अनुसरण में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें।

ii. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv. क. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थ') सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ख. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थ') सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगाय;

ग. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी है।

v. जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 19 में उल्लेख किया गया है: –

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए पिछले वर्ष का अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, यथालागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में है।

vi. अकाउंटिंग साफ्टवेयर, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) की रिकॉर्डिंग की सुविधा है, का उपयोग करते हुए लेखाबही बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक 01 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू होता है और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0/–
(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 15.05.2023
यूडीआईएन: 23014335BGXXFD2239

अनुलग्नक ''क''

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग

(दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक "क")

हम रिपोर्ट करते हैं कि–

i) (क) (अ) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। परिसम्पत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ब) कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रख रही है।

(ख) वर्ष के दौरान सम्पत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारो की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है तथा सत्यापन के दौरान कोई विसंगति, जो भले ही बड़ी न हो, का लेखा – बही में उपयुक्त रूप से निपटान किया है। हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है। यह भी सूचित किया जाता है कि उत्पादन सयंत्र और मशीनरी का वास्तविक सत्यापन, उनकी अचल प्रकृति टिहरी/कोटेश्वर/पाटन/देवभूमि/ ढुकवां/कासरगोड के कारण नहीं किया जाता है।

(ग) निम्नलिखित को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर है:

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या कर्मचारी है	धारित करने की अवधि- सीमा बताए	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6
फ्रीहोल्ड भूमि	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
फ्रीहोल्ड भूमि		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
फ्रीहोल्ड भूमि	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है
फ्रीहोल्ड भूमि	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था
फ्रीहोल्ड भूमि	0 .01	सरकारी / वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
जलमग्न भूमि	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	(*)	सरकार /वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार/ यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	0.96	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	9.77	निजी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान प्रबंधक वर्ग ने माल सूचियों का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर त्रैमासिक विवरणी या विवरण, कंपनी की लेखाबहियों के अनुरूप नहीं थे। विवरण इस प्रकार हैं:–

राशि ₹ करोड़ में

वित्त वर्ष 2022-23	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			अंतर की मात्रा	ठोस विसंगतियों का कारण
		प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक / विवरण में रिपोर्ट की गई राशि		
जून–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	201.48	201.26	0.22	यह अंतर विचलन के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	3.64	0.00	3.64	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
सितम्बर–22	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	8.41	0.04	8.37	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
दिसंबर–22	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	6.05	0.00	6.05	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनी 'टुस्को लिमिटेड' में 14.82 करोड़ रुपये (3.70 करोड़ रुपए के लंबित आबंटन सहित) का निवेश किया है जो कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है। हालांकि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षकारों को कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम, प्रतिभूत या अप्रतिभूत नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड (iii) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) का लागू नहीं होते है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा –73 से 76 तक तथा उसमे निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014, यथासंशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डो का रख–रखाव निर्धारित किया है और हमारी यह राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखाओं और रिकॉर्डों को तैयार किया गया है और बनाए रखा गया है। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्डों की विस्तृत जांच नहीं की है कि क्या ये सटीक और सत्य है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रकियाधीन है।

(vii) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है, जिनमें माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2023 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर 31 मार्च, 2023 के अनुसार विवादित बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्यवर्धित कर और किसी अन्य सांविधिक देय का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:–

संविधि का नाम	ड्यूटी की प्रकृति	राशि (रूपये लाख में)	जिस वित्त वर्ष से संबंधित हैं	विरोध के तहत जमा (रूपये लाख में)	मंच जहां मामला लंबित हैं
विद्युत उत्पादन अधिनियम, 2012 पर उत्तराखंड जल कर	जल उपकर	790.60	2015–16 से 2022–23	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	269.18	2015–16 से 2022–23	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम,1996	कामगार उपकर	2.80	2004–05 से 2014–15	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 234 बीसी के अंतर्गत ब्याज	1.72	2006–07	1.72	एसीआईटी, देहरादून
कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995	पेंशन अंशदान	3.53	जुलाई 1991 से 2010	शून्य	सीजीआईटी, लखनऊ
कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 एवं ईडीएलआई स्कीम, 1976	विलंबित भुगतान /निरीक्षण प्रभार	14.84	जुलाई 1991 से 2010	शून्य	सीजीआईटी, लखनऊ

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

(ix) (क) हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी ऋणदाता को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों की चुकौती या इन पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की। अतः आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण या अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधियां नहीं ली है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों के रेहन पर ऋण नहीं लिया है और इसलिए खंड 3 (ix) (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(x) (क) कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण लिखितों अर्थात् निजी प्लेसमेंट आधार पर कारपोरेट बांड (श्रृंखला–VI और श्रृंखला VII) के माध्यम से जुटाए गए धन का इस्तेमाल पहले से किए जा चुके व्यय और सावधि ऋणों को पूरा करने सहित निर्माणाधीन चल रही परियोजनाओं की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या संपरिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ख) के संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xi) (क) भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत विनिर्दिष्ट प्रपत्र एडीटी –4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, ।

(ग) हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को सूचना प्रदाता (व्हिसलब्लोअर) से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों के सभी लेन देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप हैं तथा ऐसी लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की

टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में, कंपनी में एक पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(ख) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, हमने वर्ष के दौरान कंपनी को जारी की गई लेखा परीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने के आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xvii) कंपनी को, हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान और तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, एजेइंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, और अवधारणाओं के समर्थन में प्रदान किए गए साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण अनियमितता है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख को मौजूद अपनी देयताओं और तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उत्पन्न होने वाली ऐसी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम रिपोर्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देयताएं, जब भी वे देय होती हैं, कंपनी द्वारा पूरी कर दी जाएंगी।

(xx) (क) जारी परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में ऐसी कोई अव्ययित राशियां नहीं हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो। तदनुसार, आदेश के खंड (xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं होती है।

(ख) जारी परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में, वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि में से तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में राशि उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में अंतरित कर दी है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0/–
(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 15.05.2023
यूडीआईएन: 23014335BGXXFD2239

अनुलग्नक ''ख''

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 143(5) के क्रम में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश
(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट
के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

क्र म . सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो लेखांकन संबंधी लेन–देन सुचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की अखंडता के साथ–साथ वित्तीय विवरणों पर पडने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन कंपनी द्वारा कार्यान्वित एफएमएस प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं।
2.	क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ब्याज को बट्टे खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसा मामलों का उपयुक्त लेखा–जोखा दिया जाता है? (यदि, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होता है।)	हमें दी गई जानकारी और विवरणों तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या उधारी/ऋण/ब्याज को कंपनी की ऋण चुकाने की अक्षतमा के कारण बट्टे खाते डालने का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों का हिसाब किताब इसकी शर्तों के अनुसार रखा गया /उपयोग किया गया। विचलन के मामलों की सूची	लेखा परीक्षा प्रक्रिया और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर केंद्र सरकार से विशिष्ट स्कीमों (परियोजनाओं) के लिए प्राप्त की गई निधियों (इक्विटी) का लेखांकन भली–भांति किया गया तथा संबंधित निबंधनों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0/–
(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 15.05.2023
यूडीआईएन: 23014335BGXXFD2239

अनुलग्नक ''ग''

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के ''अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 3((च) में संदर्भित अनुलग्नक ''ग'')

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ–साथ उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल हैं। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने,लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी (द गाइडंस टिप्पणी) और लेखांकन के मानक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी, के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ, वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना शामिल हैं, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, भावी अवधि हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक संघटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड के आधार पर 31 मार्च, 2023 को प्रभावी ढंग से लागू हैं।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0/–
(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 15.05.2023
यूडीआईएन: 23014335BGXXFD2239

अनुपालन प्रमाण पत्र

जिस किसी से संबंधित है

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। यह लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के सी एंड ए जी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के अनुसरण में की गई है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें दिए गए सभी निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन किया है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म का आई सीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 15.05.2023

निदेशक
प्रमुख निदेशक का कार्यालय
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं एक्स ओफिसियों
सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III
भारत के सीएजी का कार्यालय
नई दिल्ली–110 002

DGA ()E/R/01-154/AC-THDC/CPS/2023-24/155

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 31.07.2023

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

विषय: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 2022-2023 के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(संजय कु. झा)
महानिदेशक

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक को अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 15.05.2023 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतरू सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणियां या पूरक करने की आवश्यकता उत्पन्न होती हो।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
(संजय कु. झा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31/07/2023

समेकित वित्तीय विवरण 2022-23

वित्तीय विवरण 2022-23

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की
अभ्युक्तियां एवं प्रबंधन का उत्तर

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
परिसंपत्तियां					
गैर-चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		6,183.31		6,343.91
(ख) परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकारी	2		490.93		461.53
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	2		0.56		0.28
(घ) पूंजीगत कार्य–प्रगति	3		14,037.51		9,467.50
(ड.) वित्तीय परिसंपत्ति					
(i) सहायक कंपनी में निवेश	4	0.00		0.00	
(ii) ऋण	5	32.00		36.12	
(iii) अग्रिम	6	0.00	32.00	0.00	36.12
(च) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	7		819.19		836.80
(छ) गैर चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	8		17.60		43.22
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां)	9		2,101.08		2,042.24
चालू परिसंपत्ति					
(क) इन्वेंट्री	10		78.80		40.94
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति					
(i) व्यापार प्राप्तियां	11	695.92		723.72	
(ii) नकदी और नकदी समकक्ष	12	93.66		90.33	
(ii) (क) उपरोक्त ii के अलावा बैंको में शेष	12.1	18.77		0.00	
(iii) ऋण	13	8.97		9.59	
(iv) अग्रिम	14	6.41		6.78	
(v) अन्य	15	506.66	1,330.39	849.21	1,679.63
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	16		93.51		60.83
(घ) अन्य चालू परिसंपत्ति	17		72.64		42.84
विनियामक आस्थिगत खाता डेबिट शेष	18		133.42		98.69
कुल			**25,390.94**		**21,154.53**
इक्विटी और देयता					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19		3,665.88		3,665.88
(ख) अन्य इक्विटी	20		6,761.77		6,639.31
धारक कंपनी के स्वामियों को आरोप्य कुल इक्विटी			**10,427.65**		**10,305.19**
गैर–नियंत्रित ब्याज			8.70		4.87
कुल इक्विटी			**10,436.35**		**10,310.06**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
गैर-चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	21	10,289.09		6,653.98	
(ii) पटटा देयताएं	22	123.45		77.77	
(iii) गैर चालू वित्तीय देयताएं	23	365.49	10,778.03	162.40	6,894.15
(ख) अन्य गैर–चालू देयताएं	24		832.00		816.73
(ग) प्रावधान	25		170.98		176.46
चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	26	1,334.47		1,352.73	
(क) पट्टा देयताएं	27	9.49		7.91	
(ii) व्यापार देय					
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		2.38		0.60	
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		42.66		27.34	
(iii) अन्य	28	826.81	2,215.81	616.96	2,005.54
(ख) अन्य चालू देयताएं	29		97.40		87.75
(ग) प्रावधान	30		353.09		348.64
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31		9.82		0.00
विनियामक आस्थिगत खाता क्रेडिट शेष	32		497.46		515.20
कुल			**25,390.94**		**21,154.53**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 तक लेखाओं का अभिन्न अंग है।					

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–
(रश्मि शर्मा)	**(जे. बेहेरा)**	**आर.के. विश्नोई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 026692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
आय					
सतत प्रचालन से राजस्व	33		1,974.30		1,921.49
अन्य आय	34		29.75		305.95
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		10.47		16.24	
घटाएं: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	10.47	0.00	16.24	0.00
कुल आय			**2,004.05**		**2,227.44**
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35		337.50		355.65
वित्त लागत	36		181.37		134.11
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		273.90		302.65
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	37		428.22		287.09
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और पुर्जों के लिए प्रावधान	38		0.00		0.00
कुल व्यय			**1,220.99**		**1,079.50**
विनियामक आस्थिगत खाता शेष, अपवादात्मक मद और कर पूर्व लाभ			**783.06**		**1,147.94**
अपवादात्मक मद–(आय)/व्यय–निवल			0.00		0.00
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित खाता शेष			**783.06**		**1,147.94**
कर व्यय					
चालू कर					
आयकर	39		136.55		189.34
आस्थगित कर–(परिसंपत्ति)/देयता			16.96		35.14
विनियामक आस्थगित खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ/हानि			**629.55**		**923.46**
विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन शेष आय/(व्यय)–कर का निवल	40		43.30		(29.72)
I सतत प्रचालन से अवधि के लिए लाभ			**672.85**		**893.74**
II अन्य व्यापक आय					
(I) मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:					
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन	41		(1.87)		1.59
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर पर आस्थगित कर–आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)			(0.65)		0.55
अन्य व्यापक आय			**(2.52)**		**2.14**
कुल व्यापक आय (I+II)			**670.33**		**895.88**
निम्नलिखित को आरोप्य लाभ					
धारक कंपनी के स्वामियों को			672.91		894.01

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
गैर–नियंत्रणीय ब्याज			(0.06)		(0.27)
कुल			**672.85**		**893.74**
निम्नलिखित को आरोप्य अन्य व्यापक आय					
धारक कंपनी के स्वामियों को			(2.52)		2.14
कुल			**(2.52)**		**2.14**
निम्नलिखित का आरोप्य कुल अन्य					
धारक कंपनी के स्वामियों को			670.39		896.15
गैर–नियंत्रित ब्याज			(0.06)		(0.27)
कुल			**670.33**		**895.88**
प्रति इक्विटी शेयर आय (विनियामक) आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
मूल (₹)			183.55		243.88
तनुकृत (₹)			183.55		243.88
प्रति इक्विटी शेयर आय (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन को छोड़कर)					
मूल (₹)			171.75		251.98
तनुकृत (₹)			171.75		251.98
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43, लेखाओं का अभिन्न अंग है।					

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएन: 08536589

ह0/–
आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अपवादात्मक मदें और कर पूर्व लाभ		**783.06**		**1,147.94**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
मूल्यह्रास	273.90		302.65	
मूल्यह्रास–सिंचाई घटक	10.47		16.24	
प्रावधान	-		-	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(7.60)		(7.60)	
विलंबित भुगतान अधिभार	(17.70)		(225.46)	
वित्तीय लागत	181.37		134.11	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	1.06		0.33	
बैंक जमा पर ब्याज	(1.14)		(0.44)	
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(1.87)		1.59	
एसओसीआईआई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	-		-	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन	(43.3)		29.72	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन पर कर	(9.17)	386.02	6.29	257.43
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,169.08**		**1,405.37**
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
माल सूची	(37.86)		(6.00)	
व्यापार प्राप्तियों (बिल न किए गए राजस्व सहित)	377.70		278.29	
अन्य परिसंपत्तियां	(39.22)		12.14	
ऋण और अग्रिम (चालू + गैर चालू)	(2.32)		(8.08)	
माइनोरिटी ब्याज	0.06		0.27	
व्यापार देय और देयताएं	508.69		343.65	
प्रावधान (चालू + गैर चालू)	(1.03)		(6.92)	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन	43.30	849.32	(29.72)	583.63
प्रचालन गतिविधियों से कर-पूर्व नकदी प्रवाह		**2,018.40**		**1,989.00**
कारपोरेट कर		(136.55)		(189.34)
प्रचालन से निवल नकद (क)		**1,881.85**		**1,799.66**
ख. निवेश गतिविधयों से नकदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और सीडब्ल्यूआईपी	(4,723.45)		(3,197.85)	
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(1.06)		(0.33)	
पूंजी अग्रिम	(60.29)		(136.52)	
बैंक जमा पर ब्याज	1.14		0.44	

नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	(18.77)		-	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(4,802.43)**		**(3,334.26)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	-		-	
उधार–गैर चालू	3,635.11		1,639.76	
उधार–चालू	(40.49)		(806.88)	
पट्टा देयता	(13.05)		(9.59)	
ब्याज और वित्त प्रभार	(181.37)		(134.11)	
अनुदान	24.00		0.50	
विलंबित भुगतान अधिभार	21.59		282.71	
गैर–नियंत्रणीय ब्याज से पूंजी अंशदान	3.83		2.34	
लाभांश और लाभांश पर कर	(547.94)		(508.20)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**2,901.68**		**466.53**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(18.90)**		**(1,068.07)**
ड. आरम्भिक नकद और नकद समतुल्य		**(835.77)**		**232.30**
च. अंतिम नकद और नकद समकक्ष (घ+ड.)		**(854.67)**		**(835.77)**

टिप्पणी:

1. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित/पुनदर्शित किया गया है।
2. नकद और नकद समकक्षों का समाधान टिप्पणी संख्या 43.26 (क) में किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–
(रश्मि शर्मा)	**(जे. बेहेरा)**	**आर.के. विश्नोई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 026692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**3,665.88**

(2) 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 तक
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**3,665.88**

ख. अन्य इक्विटी-

(1) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण			आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023		अन्य व्यापक आय			
	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकिक लाभ / (हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
अथशेष (I)		**0.00**	**6,526.82**	**128.00**	**(15.50)**	**6,639.32**	**4.87**	**6,644.19**
अवधि के लिए लाभ			672.91			672.91	(0.06)	672.85
अन्य व्यापक आय					(2.52)	(2.52)		(2.52)
कुल व्यापक आय			**672.91**		**(2.52)**	**670.39**	**4.81**	**670.33**
गैर–नियंत्रित ब्याज का इक्विटी अंशदान							3.90	3.90

विवरण			आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023		अन्य व्यापक आय			
	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकिक लाभ / (हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
लाभांश			547.94			547.94		547.94
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			**124.97**			**122.45**		**126.29**
डिबेंचर मोचन आरक्षिति में/से अंतरण/समायोजन (iii)			(58.50)			(58.50)		(58.50)
अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती वृद्धि/(उपयोग/समायोजित) (IV)				58.50		58.50		58.50
अंत शेष (I+II+III+IV)		**0.00**	**6,593.29**	**186.50**	**(18.02)**	**6,761.77**	**8.71**	**6,770.48**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 026692

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

(2) 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछला रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण		आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022		अन्य व्यापक आय			
	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
प्रारंभिक शेष राशि (I)	**0.00**	**6,189.50**	**79.50**	**(17.64)**	**6,251.36**	**2.53**	**6,253.89**
वर्ष के लिए लाभ		894.01			894.01	(0.27)	893.74
अन्य व्यापक आय				2.14	2.14		2.14
कुल व्यापक आय		**894.01**		**2.14**	**896.15**	**2.26**	**895.88**
गैर–नियंत्रित ब्याज का इक्विटी अंशदान						2.60	2.60
लाभांश		508.20			508.20		508.2
लाभांश पर कर		0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (III)		**385.81**			**387.95**		**390.28**
डिबेंचर मोचन आरक्षिती में अंतरण (III)		(48.50)			(48.50)		(48.50)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती वृद्धि/(उपयोग) (iv)			48.50		48.50		48.50
अंत शेष (I+II+III+IV+V)	**0.00**	**6,526.81**	**128.00**	**(15.50)**	**6,639.31**	**4.86**	**6,644.17**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

टिप्पणी संख्या-1

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. समूह की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

टीएचडीसी लिमिटेड ("कंपनी" या "धारक कंपनी") भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएनः यू45203यूआर1988जीओआई009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। समूह प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामशी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1.1 ये समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 15.05.2023 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

1.2 ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को, अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. समेकन का आधार

समेकन के प्रयोजन से सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक के लिए तैयार किए गए हैं जिसके लिए कंपनी के तैयार किए गए हैं।

सहायक कंपनी

सहायक कंपनी वह संस्था है जिस पर समूह का नियंत्रण है। समूह किसी संस्था को तब नियंत्रित करता है जब समूह का उस संस्था में शामिल होने से अस्थिर प्रतिलाभ का अधिकार होता है या योग्य होता है और निवेशी की संगत गतिविधियों को निर्देशत करने के लिए अपने अधिकारों के माध्यम से ऐसे प्रतिलाभ को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनी समूह द्वारा नियंत्रण के अधिग्रहण की तारीख से पूर्ण समेकित है और तब तक समेकित रहेगी जब तक की ऐसे नियंत्रण समाप्त न हो जाए।

समूह, मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों जैसे परिसंपत्तियों की मदें, इक्विटी, आय और व्यय को एक साथ पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकीकृत करता है। समूह की कंपनियों के बीच संव्यवहारों पर अंतर–कंपनी लेन–देन, शेष और अप्राप्य लाभों को निकाल दिया जाता है। अप्राप्य हानियों को भी निकाल दिया जाता है जब तक कि लेन–देन स्थानांतरित परिसंपत्ति की हानि के साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। आवश्यकता पड़ने पर, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए उनके वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई) को क्रमशः लाभ और हानि के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलनपत्र में अलग से दर्शाया जाता है।

सहायक कंपनी में समूह के इक्विटी हित में परिवर्तन, जिनके परिणामस्वरूप कोई नियंत्रण हानि नहीं होती है, को इक्विटी लेन–देन के रूप में दर्ज किया जाता है।

जब किसी सहायक कंपनी से समूह का नियंत्रण हट जाता है, तो यह सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं और किसी संबंधित एनसीआई एवं इक्विटी के अन्य घटकों को अमान्य कर देता है। पूर्ववर्ती सहायक कंपनी में बरकराक किसी अन्य हित को नियंत्रण हटने की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी परिणामी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। उस सहायक कंपनी के संबंध में पूर्व में अन्य विस्तृत आय में मान्य अन्य सभी राशियों को ऐसे दर्ज किया जाता है जैसे समूह ने प्रत्यक्ष रूप से सहायक कंपनी की संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं को निस्तारित किया है अर्थात् लागू इंड एएस द्वारा यथानिर्दिष्ट लाभ और हानि के समेकित विवरण में पुनःवर्गीकृत किया है या इक्विटी में अंतरित किया है। यह उचित मूल्य सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में प्रतिधारित हित के लिए अनुवर्ती लेखांकन के प्रयोजनों के लिए आरम्भिक वहन राशि बना जाता है।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई

में काम आनेवाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष उठाव राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृह्द निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृह्द निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

3.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4. चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

4.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.5 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

5. कोयला खानों के विकास पर व्यय

5.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत कोयला खानों के विकास को हस्तांतरित कर दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे या तो विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है या मौजूदा विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के हिस्से को इससे प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित हिस्से से संबद्ध किसी भी शेष लागत का व्यय किया जाता है।

पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निष्कर्षित कोयले का निवल मूल्य है।

एकीकृत कोयला खानों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का निर्धारण सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों में यथा उपबंधित निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर यथाशीघ्र किया जाएगा:

1) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें खनन योजना के अनुसार पीक रेटेड क्षमता का 25% हासिल किया जाता है या

3) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें उत्पादन का मूल्य उस वर्ष के कुल व्यय से अधिक हो जाता है; या

3) उत्पादन शुरू होने की तारीख से दो वर्ष बाद की तारीख;

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पर, प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को 'खनन संपत्ति' के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि, निवल विक्रय आय, यदि कोई हो, और संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रेणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.2 **स्ट्रिपिंग गतिविधि संबंधी व्यय/समायोजन**

कोयले के भंडार को निकालने के लिए आवश्यक खान अपशिष्ट सामग्री (ओवरबर्डन) को हटाने पर किए गए व्यय को स्ट्रिपिंग लागत कहा जाता है। कंपनी को खान की सक्रियता पर तकनीकी रूप से अनुमानित व्यय करना पड़ता है।

स्ट्रिपिंग लागत को खानों को राजस्व के अधीन किए जाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात–भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर प्रभारित किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात भिन्नता के शेष का निवल 'गैर–चालू परिसंपत्ति/गैर–चालू प्रावधान' शीर्ष के तहत 'स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन' के रूप में दर्शाया गया है, और सीईआरसी प्रशुल्क विनियम में यथाउपबंधित के अनुसार समायोजित किया गया है।

5.3 **खानों को बंद करना, स्थल पुनरूद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व**

भूमि सुधार और संरचना को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्वों में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार खानों पर व्यय करना शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य के लिए भावी नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खान बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग के लिए अपने दायित्वों का अनुमान लगाती है और खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इसके लिए प्रावधान करती है। मुद्रास्फीति के अनुसार व्यय के अनुमान में वृद्धि की जाती है और फिर एक पूर्व–कर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन और जोखिम के तत्समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को इस प्रकार दर्शाती है कि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत संबंधित संपत्ति को इस तरह के दायित्व से संबद्ध लागत के लिए एक अलग मद के रूप में मान्यता देती है। राजस्व में लाए जाने पर, खानों को बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग दायित्वों को खान के शेष उपयोगी–काल पर ऋजुरेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ दायित्व के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसे वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो खाता बनाए रखा जाता है। खान बंद करने की समग्र बाध्यता के हिस्से के रूप में खान बंद करने के लिए वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किए गए उत्तरोत्तर व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद एस्क्रो खाते से आहरित की जाती है।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

6.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

6.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों के लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

6.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

6.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

7.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

7.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

8. उचित मूल्य माप

8.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

8.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

8.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

8.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देयताओं को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित

कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

9. वित्तीय परिसंपत्तियां

9.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देयताओं अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

9.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

9.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

9.4 प्रारंभिक मान्यता और मापः सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

9.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

9.6 **अनुवर्ती मापः** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

9.7 **अमान्य करना (डी रिकागनिशन)-** किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

10. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं–बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

11. माल-सूची

11.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

11.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

12. वित्तीय देयताएं

12.1 कंपनी की वित्तीय देयताएं अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देयताएं संविदागत दायित्व है।

12.2 कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

12.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

12.3.1 वित्तीय देयताएं प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देयताओं से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

12.3.2 उधार को चालू देयताओं के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

12.4 **अनुवर्ती माप**

12.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताएं तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देयताओं को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

12.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

12.5 **अमान्य करना :** किसी वित्तीय देयता को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देयता का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

13. सरकारी अनुदान

13.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर–प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी

अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

14.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन–पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

14.2 आकस्मिक देयताएं प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

15. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

15.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हंस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हंस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

15.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

15.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

15.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

15.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

15.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

15.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

15.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

15.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

15.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

15.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

16. व्यय

15.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

16.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटिया पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

16.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

16.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

16.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा।

16.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

17. कर्मचारियों के हितलाभ

17.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देयता निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

17.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देयता, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

17.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि

को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

18. ऋण लागत

18.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

18.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपप्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

19. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

19.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

19.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों परियोजना के उपयोगी–काल के अनुसार ऋजुरेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देयता के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए परियोजनाओं का उपयोगी–काल जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, को 25 वर्ष माना गया है और मूल्यह्रास दरों को तदनुसार परिकलित किया गया है।

19.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

19.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रूपये 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

19.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/–रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

19.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

19.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

19.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

19.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

20. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

20.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

21. पट्टे

21.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिलाभ के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या:

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई

पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई (सी जी यू) के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

22. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

22.1 **वर्तमान आयकर**-आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन–पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

22.2 **आस्थगित कर**

22.2.1 तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देयताओं में अंतर तथा तुलन–पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

22.2.2 प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देयताएं परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन–पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देयताएं और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

22.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देयताओं के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

22.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली–भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

23.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)–7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन–पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन–पत्र की वर्तमान देयताओं में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

24. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन–पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देयताएं प्रस्तुत करती है।

24.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देयता निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.2 किसी देयता को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देयताओं के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देयताओं को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देयताओं में वर्गीकृत किया गया है।

25. विनियामक आस्थगित खाता शेष

25.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय/आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को विनियामक आस्थगित 'लेखा शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है।

25.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

25.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

26. प्रति शेयर आय

26.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

27. लाभांश

27.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

28. प्रचालन खंड

28.1 एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" या "सीओडीएम" कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड संबंधी है परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

29. विविध

29.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। आसमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

टिप्पणी :- 2

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	43.79	7.15	-	50.94	-	-	-	-	50.94	43.79
2. जलमग्न भूमि	1,723.35	63.52	(0.02)	1,786.85	747.87	40.05	-	787.92	998.93	975.48
3. भवन	1,111.58	17.78	(1.20)	1,128.16	358.75	35.86	(0.53)	394.08	734.08	752.83
4. अस्थायी भवन ढांचे	26.55	1.88	-	28.43	26.55	1.88	-	28.43	-	-
5. सड़क, पुल और पुलिया	190.69	9.84	-	200.53	59.17	6.68	-	65.85	134.68	131.52
6. ड्रेनेज, सीवरेज, व्यवस्था तथा जलापूर्ति	26.89	3.98	-	30.87	11.30	0.87	-	12.17	18.70	15.59
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	-	-	24.47	17.43	1.06	-	18.49	5.98	7.04
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,433.11	4.62	(2.28)	3,435.45	1,700.13	79.06	-	1,779.19	1,656.26	1,732.98
9. ईडीपी मशीनें	23.15	5.72	(1.33)	27.54	15.61	3.28	(1.13)	17.76	9.78	7.54
10. विद्युत प्रतिष्ठान	46.56	0.25	-	46.81	12.81	1.13	-	13.94	32.87	33.75
11. पारेषण लाइनें	32.20	0.47	-	32.67	18.81	1.35	-	20.16	12.51	13.39
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	74.73	10.70	(0.54)	84.89	56.20	4.25	(0.23)	60.22	24.67	18.53
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	38.59	7.60	(0.41)	45.78	21.58	2.71	(0.06)	24.23	21.55	17.01
14. वाहन	23.75	4.51	(0.23)	28.03	13.49	1.91	(0.16)	15.24	12.79	10.26
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.67	0.07	-	0.74	0.48	0.55
16. हाइड्रोलिक कार्य–बांध और स्पिलवे	5,190.62	-	(0.62)	5,190.00	3,273.88	104.62	-	3,378.50	1,811.50	1,916.74
17. हाइड्रोलिक कार्य–टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	1,606.21	-	-	1,606.21	939.30	9.32	-	948.62	657.59	666.91
उप योग	**13,617.46**	**138.02**	**(6.63)**	**13,748.85**	**7,273.55**	**294.10**	**(2.11)**	**7,565.54**	**6,183.31**	**6,343.91**
पिछली अवधि के आंकड़े	**13,507.94**	**114.25**	**(4.73)**	**13,617.46**	**6,945.90**	**329.12**	**(1.47)**	**7,273.55**	**6,343.91**	**6,562.04**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.22	0.51	-	5.73	4.94	0.23	-	5.17	0.56	0.28
उप योग	**5.22**	**0.51**	**-**	**5.73**	**4.94**	**0.23**	**-**	**5.17**	**0.56**	**0.28**
पिछली अवधि के आंकड़े	**5.13**	**0.09**	**-**	**5.22**	**4.74**	**0.20**	**-**	**4.94**	**0.28**	**0.39**

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
ग. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
1. उपयोग का अधिकार–भूमि	434.73	40.32	(0.22)	474.83	41.62	17.49	(0.23)	58.88	415.95	393.11
2. उपयोग का अधिकार–कोयला आधारित भूमि	60.60	11.41	-	72.01	1.04	2.59	-	3.63	68.38	59.56
3. उपयोग का अधिकार–भवन	9.45	0.57	(0.15)	9.87	1.18	2.36	(0.15)	3.39	6.48	8.27
4. उपयोग का अधिकार–वाहन	8.72	0.21	(3.78)	5.15	8.14	0.67	(3.78)	5.03	0.12	0.58
उप योग	**513.5**	**52.51**	**(4.15)**	**561.86**	**51.98**	**23.11**	**(4.16)**	**70.93**	**490.93**	**461.52**
पिछली अवधि के आंकड़े	446.19	119.85	(52.54)	513.50	35.36	19.71	(3.10)	51.97	461.53	410.83
मूल्यह्रास का विवरण					**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**			
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास					33.07		30.14			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					273.9		302.65			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास–उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					10.47	317.44	16.24	349.03		
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्य ह्रास किया गया					0.36		0.14			

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित 14.37 एकड़ भूमि को ₹1/– की सांकेतिक मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अप्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, के हक विलेख के बारे में ब्यौरा टिप्पणी संख्या 43.5 में प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 43.6 में दिए गए है।

टिप्पणी :- 2

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	39.83	3.96	-	43.79	-	-	-	-	43.79	39.83
2. जलमग्न भूमि	1,698.23	25.13	(0.01)	1,723.35	708.48	39.39	-	747.87	975.48	989.75
3. भवन	1,069.34	43.38	(1.14)	1,111.58	321.50	37.25	-	358.75	752.83	747.84
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.64	1.99	(0.08)	26.55	24.50	2.05	-	26.55	-	0.14
5. सड़क, पुल और पुलिया	186.68	4.01	-	190.69	51.71	7.46	-	59.17	131.52	134.97
6. ड्रेनेज, सीवरेज, व्यवस्था तथा जलापूर्ति	22.67	4.22	-	26.89	10.24	1.06	-	11.30	15.59	12.43
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	-	-	24.47	16.10	1.33	-	17.43	7.04	8.37
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,418.64	14.47	-	3,433.11	1,607.83	92.30	-	1,700.13	1,732.98	1,810.81
9. ईडीपी मशीनें	19.30	4.55	(0.7)	23.15	13.48	2.70	(0.57)	15.61	7.54	5.82
10. विद्युत प्रतिष्ठान	46.55	1.21	(1.2)	46.56	11.55	1.26	-	12.81	33.75	35.00
11. पारेषण लाइनें	32.21	-	(0.01)	32.20	17.44	1.37	-	18.81	13.39	14.77
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	69.87	4.95	(0.09)	74.73	52.30	3.94	(0.04)	56.20	18.53	17.57
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	34.15	4.71	(0.27)	38.59	19.37	2.40	(0.19)	21.58	17.01	14.78
14. वाहन	23.32	1.55	(1.12)	23.75	12.49	1.67	(0.67)	13.49	10.26	10.83
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.59	0.08	-	0.67	0.55	0.63
16. हाइड्रोलिक कार्य–बांध और स्पिलवे	5,190.62	-	-	5,190.62	3,168.59	105.29	-	3,273.88	1,916.74	2,022.03
17. हाइड्रोलिक कार्य–टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	1,606.20	0.12	(0.11)	1,606.21	909.73	29.57	-	939.30	666.91	696.47
उपयोग	**13,507.94**	**114.25**	**(4.73)**	**13,617.46**	**6,945.90**	**329.12**	**(1.47)**	**7,273.55**	**6,343.91**	**6,562.04**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.13	0.09	-	5.22	4.74	0.20	-	4.94	0.28	0.39
उपयोग	**5.13**	**0.09**	**-**	**5.22**	**4.74**	**0.20**	**-**	**4.94**	**0.28**	**0.39**
ग. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1. उपयोग का अधिकार–भूमि	433.05	50.72	(49.04)	434.73	28.22	13.39	-	41.61	393.12	404.83
2. उपयोग का अधिकार–कोयला आधारित भूमि	-	60.0	-	60.60	-	1.04	-	1.04	59.56	-
3. उपयोग का अधिकार–भवन	4.37	8.43	(3.35)	9.45	2.45	1.67	-2.94	1.18	8.27	1.92
4. उपयोग का अधिकार–वाहन	8.77	0.10	(0.15)	8.72	4.69	3.61	-0.16	8.14	0.58	4.08
उप योग	**446.19**	**119.85**	**-52.54**	**513.50**	**35.36**	**19.71**	**-3.1**	**51.97**	**461.53**	**410.83**
मूल्यह्रास का विवरण					**चालू वर्ष**					
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास					30.14		24.00			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					302.65		317.33			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास–उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					16.24	349.03	18.80	360.13		
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्य ह्रास किया गया					0.14		0.16			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4X100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अप्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, के हक विलेख के बारे में ब्यौरा टिप्पणी संख्या 43.5 में प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 43.6 में दिए गए है।

टिप्पणी :- 3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए				
विवरण	**टिप्पणी संख्या**	**01 अप्रैल, 2022 के अनुसार**	**01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान वृद्धि**	**01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान समायोजन**	**01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान पूंजीकरण**	**31 मार्च, 2023 के अनुसार**
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन और अन्य सिविल कार्य		123.74	57.05	(0.13)	(19.24)	161.42
सड़कें, पुल और पुलिया		222.33	194.12	(0.07)	(9.84)	406.54
जल आपूर्ति, सीवरेज और जलनिकासी		23.01	140.39	-	(3.80)	159.60
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		4,441.52	2,979.52	-	(0.30)	7,420.74
हाइड्रोलिक वर्क्स, डैम, स्पिलवे, वाटर चैनल्स, वियर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक वर्क्स		3,838.01	923.82	(2.46)	-	4,759.37
वनीकरण जलग्रहण क्षेत्र		106.77	1.89	-	-	108.66
विद्युत प्रतिष्ठान और उप–स्टेशन उपकरण		82.11	41.00	-	(0.47)	122.64
परियोजना निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य अन्य व्यय		233.83	176.99	(0.77)	0.00	410.05
कोयला खदान विकास		218.51	71.37	(35.75)	0.00	254.13
अन्य		1.67	2.07	(0.08)	(1.75)	1.91
लंबित आवंटन व्यय						
सर्वेक्षण और विकास व्यय		79.31	0.27	-	-	79.58
निर्माण के दौरान व्यय	32.1	20.28	337.23			357.51
घटाएं: निर्माण के दौरान आबंटित/पीएंडएल में प्रभारित व्यय	32.1		316.07			316.07
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		76.41	94.49	-	(59.47)	111.43
कमः सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		**9,467.50**	**4,704.14**	**(39.26)**	**(94.87)**	**14,037.51**
पिछली अवधि के आंकड़े		**6,420.71**	**3,149.70**	**(4.91)**	**(98.00)**	**9,467.50**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं जैसे टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और खुर्जा आदि के मूल्य को शामिल किया गया है क्योंकि निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, कोई हानि नहीं हुई है।

3.2 सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.8 (i) के तहत किया गया है।

3.3 अतिदेय परियोजनाओं के पूरा होने का समय या लागत में वृद्धि टिप्पणी संख्या 43.8 (ii) के तहत प्रकट किया गया है।

टिप्पणी :- 4

गैर चालू परिसंपत्तियां - सहायक कंपनी में निवेश

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	**टिप्पणी संख्या**	**31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार**		**31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार**	
सहायक कंपनी में निवेश					
टुस्को			25.90		14.80
घटाएं: सहायक कंपनी–टुस्को द्वारा आबंटित शेयर पूंजी			25.90		14.80
कुल			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी :- 5
गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		12.56		14.82	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		7.80		8.82	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		18.47		21.01	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		1.87		1.63	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**40.70**		**46.28**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		6.86		8.17	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.88	31.96	2.03	36.08
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		0.01		0.03	
निदेशकों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		0.03		0.02	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.04**		**0.05**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.01	0.04
उप योग			**32.00**		**36.12**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुलयोग - ऋण			**32.00**		**36.12**
टिप्पणी:– निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.01		0.03	
ब्याज		0.03		0.02	
कुल योग		**0.04**		**0.05**	
घटा: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.01	0.04
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.12		0.16	
ब्याज		0.03		0.02	
कुल योग		**0.15**		**0.18**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.02	0.13	0.03	0.15

5.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऐसा कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

5.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी :- 6

गैर चालू-वित्तीय परिसंपत्तियां-अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
आबंटन लंबित रहते हुए सहायक कंपनी में शेयर आवेदन धनराशि					
टुस्को			3.70		0.00
घटाएं: सहायक कंपनी– टुस्को द्वारा शेयर पूंजी का लंबित आबंटन			**3.70**		**0.00**
कुल			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी :- 7

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			819.19		836.80
कुल			**819.19**		**836.80**

टिप्पणी :- 8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
जमा कर			17.60		43.22
कुल			**17.60**		**43.22**

टिप्पणी :- 9

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित देय कर्मचारी लागत			8.75		10.20
उप योग			**8.75**		**10.20**
पूंजी अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के सापेक्ष (853.96 करोड़ रूपए की बैंक गारंटी के लिए)		702.78		823.75	
ii) पुनर्वास पुनर्स्थापन और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		437.95		455.58	
iii) अन्य		763.68		654.06	
iv) अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		310.00	2,214.41	221.52	2,154.91
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			122.08		122.87
उप योग-पूंजी अग्रिम			**2,092.33**		**2,032.04**
कुल			**2,101.08**		**2,042.24**

टिप्पणी :- 10
इन्वेंट्री

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
इन्वेंट्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		0.98		1.62	
यांत्रिक एवं विद्युत स्टोर एवं पुर्जे		32.06		33.63	
कोल इन्वेंट्री		40.18		0.00	
अन्य (स्टोर और पुर्जे सहित)		5.48		3.77	
परिवहनाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.10		0.00	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.00	78.80	1.92	40.94
घटाएं: अन्य स्टोरों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**78.80**		**40.94**

टिप्पणी :- 11
व्यापार प्राप्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
(i) छह माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		131.79		229.46	
क्रेडिट क्षतिग्रस्त		0.00	131.79	0.00	229.46
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		329.67		321.69	
क्रेडिट क्षतिग्रस्त		0.00	329.67	0.00	321.69
(iii) अबिलीकृत देनदार			234.46		172.57
कुल			**695.92**		**723.72**
11.1 व्यापार प्राप्तियों का अवधिवार विश्लेषण टिप्पणी संख्या 43.9 के तहत प्रदर्शित किया गया है					

टिप्पणी :- 12
नकदी और नकदी समतुल्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
नकद और नकद समतुल्य					
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप) बैंक के साथ लचीला जमा सहित)			93.66		90.32
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट			0.00		0.01
कुल			**93.66**		**90.33**

टिप्पणी :- 12.1
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
अन्य बैंक शेष					
तीन माह से अधिक की मूल परिपक्वता और एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली जमा राशियां			18.77		0.00
कुल			**18.77**		**0.00**

टिप्पणी :- 13

चालू वित्तीय परिसम्पतियां-ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		5.42		6.18	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2.94		3.16	
कर्मचारियों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		2.12		1.99	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.08		0.07	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**10.56**		**11.4**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.10		1.28	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.43	9.03	0.47	9.65
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.02		0.02	
निदेशकों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
उप-कुल			**9.05**		**9.67**
घटाएं:– अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल ऋण			**8.97**		**9.59**
टिप्पणी :- निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.02		0.02	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
टिप्पणी :- अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.04		0.04	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.04**		**0.04**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.00	0.04

13.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऐसा कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

13.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी :- 14

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां-अग्रिम

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		6.08		6.44	
अन्यों को		0.33	6.41	0.34	6.78
कुल			**6.41**		**6.78**

14.1 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी :- 15

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
जमा					
प्रतिभूत जमा राशि		24.19		15.19	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		482.46		480.16	
अन्य जमा		0.01	506.66	0.07	495.42
अन्य					
संविदा परिसंपत्यियां			0.00		353.79
कुल			**506.66**		**849.21**

15.1 संविदा परिसपत्तियों में शून्य (पिछला वर्ष 353.79 करोड़ रुपए) (वसूलनीय) 370.27 करोड़ रुपए और देय 16.48 करोड़ रुपए) की लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों का शेष शामिल है।

टिप्पणी :- 16

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
जमा कर			93.51		60.83
कुल			**93.51**		**60.83**

टिप्पणी :- 17

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
पूर्व–संदत्त व्यय			44.88		31.12
उपार्जित ब्याज			0.04		0.03
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां			0.40		0.33
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1.53		1.75
उप-योग			**46.85**		**33.23**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों को			0.42		0.58
खरीद के लिए			8.28		3.74
अन्य को			31.50		19.70
			40.2		**24.02**
घटाएं: वसूलियों के विविध प्रावधान			14.41		14.41
उपयोग- अन्य अग्रिम			**25.79**		**9.61**
कुल			**72.64**		**42.84**

टिप्पणी :- 18

विनियामक आस्थगित लेखा डेबित शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
अथ शेष			98.69		169.72
वर्ष के दौरान निवल संचलन			34.73		(71.03)
अंत शेष			**133.42**		**98.69**
18.1 विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष 133.42 करोड़ रूपये के विनिमय दर परिवर्तन के कारण है।					

टिप्पणी :- 19

शेयर पूंजी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
1000/– रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,000.00	4,00,00,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
1000/– प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 54.00 रूपये प्रति इक्विटी शेयर की दर पर 197.94 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 190.84 रूपये) के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वर्ष के दौरान ₹ 350.00 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 171.44 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 142.24 रुपये (पिछले वर्ष 140.56 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कुल लाभांश 521.44 करोड़ रुपये है। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

टिप्पणी :- 19.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504
कुल		**3,66,58,817**	**100.00**	**3,66,58,817**	**100.00**

टिप्पणी :- 19.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
आरम्भिक		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
जारी किए गए		0.00	0.00	0.00	0.00
अंत		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

19.2 क. कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर हैं जो प्रति शेयर 1000/–रूपये सम मूल्य के हैं। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयर धारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मताधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी :- 19.3

प्रमोटरों की शेयरधारिता

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार				
		शेयरों की संख्या (आरंभ में)	%	शेयरों की संख्या (अंत में)	%	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496	0.00
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504	0.00
कुल		**3,66,58,817**	**100.00**	**3,66,58,817**	**100.00**	

टिप्पणी :- 20

अन्य इक्विटी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
आबंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन धनराशि			0.00		0.00
प्रतिधारित आय			6,593.29		6,526.81
डिबेंचर मोचन आरक्षिती			186.50		128.00
अन्य व्यापक आय			(18.02)		(15.50)
कुल			**6,761.77**		**6,639.31**

20.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और दिनांक 16.08.2019 के कारपोरेट कार्य मंत्रालय सं.जी.एस.आर 574(अ) के अनुरुप कंपनी के लाभ में से विवेक सम्मत आधार पर बांडों के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से डिबेंचर मोचन आरक्षित का सृजन किया है जो बांडों के मोचन के प्रयोजन से बांडों के मोचन की वर्ष से पूर्व वर्ष तक प्रत्येक वर्ष समान किश्तों में होगा।

टिप्पणी :- 21

गैर -चालू- वित्तीय देयताएं - उधारियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
क. प्रतिभूत - बांड					
^ बांड निर्गम श्रृंखला-VI					
(7.60% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 14.09.2032)			833.15		0.00
^ बांड निर्गम श्रृंखला-V					
(7.39% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के गैर–प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 25.08.2031)			1,253.21		1,253.21
^ बांड निर्गम श्रृंखला-IV					
(7.45% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 20.01.2031)			760.87		760.87
*****बॉन्ड निर्गम श्रृंखला-III**					
(7.19% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 24.07.2030)			839.55		839.55

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
****बॉन्ड निर्गम श्रृंखला-II** (8.75% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 05.09.2029)			1,574.44		1,574.44
***बॉन्ड निर्गम श्रृंखला-I** (7.59% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड)। (मोचन की तिथि 03.10.2026)			622.47		622.33
कुल (क)			**5,883.69**		**5,050.40**
ख. प्रतिभूत **वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण** ******पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)-78302003 टिहरी एचपीपी के लिए)** (15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.75 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			46.04		138.17
# रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी (केएचईपी के लिए) **(यूए-जीई-पीएसयू-033-2010-3754)** (30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			0.00		17.52
@पंजाब नेशनल बैंक (पीएसपी के लिए) पीएनबी (तीन माह की एमसीएलआर पर वर्तमान में 8.10% की ब्याज दर के साथ 30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्ष के भीतर तिमाही किश्तों पर चुकाने योग्य)			139.61		281.38
@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल-I) बैंक ऑफ बड़ौदा (वर्तमान में 8.20% की फ्लोटिंग ब्याज दर 1 माह के एमसीएलआर पर पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25% की चुकौती और अगली 20 तिमाही किस्त में 3.75% की चुकौती)			2,375.53		800.15
@@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल-II) बैंक ऑफ बड़ौदा (वर्तमान में 8.20% की फ्लोटिंग ब्याज दर 1 माह के एमसीएलआर पर 2 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि के बाद पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25% की चुकौती और अगली 20 तिमाही किस्त में 3.75% की चुकौती)			525.12		0.00
कुल (ख)			**3,086.30**		**1,237.22**
ग. अप्रतिभूत **बांड निर्गम श्रृंखला-VII** (7.88% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के अप्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 27.12.2032) **विदेशी मुद्रा ऋण** **(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)** **$ विश्व बैंक ऋण-8078-आईएन (वीपीएचईपी के लिए)**			612.31		0.00
(15 नवंबर 2017 से 15 मई 2040 तक 23 वर्ष के भीतर छमाही किश्त में प्रतिदेय, ब्याज दर @एसओएफआर + परिवर्तनीय स्प्रेड अर्थात् वर्तमान में 5.31%)			1,365.72		1,001.65
कुल (ग)			**1,978.03**		**1,001.65**
कुल (क+ख+ग)			**10,948.02**		**7,289.27**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
घटाएं:					
चालू परिपक्वता:					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण–प्रतिभूत			309.73		372.80
विदेशी मुद्रा ऋण–अप्रतिभूत			76.42		53.83
उधारियों पर उपार्जित किंतु अदेय ब्याज			272.78		208.66
कुल			**10,289.09**		**6,653.98**

* बांड श्रृंखला I, टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्ति पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

** बांड श्रृंखला II, टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

*** बांड श्रृंखला III कोटेश्वर एचईपी एवं पाटन एवं द्वारका की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

^ बॉन्ड श्रृंखला IV, V और VI टिहरी में स्थित पंप स्टोरेज प्लांट की चल सीडब्ल्यूआईपी और भविष्य की चल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

**** टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियां अर्थात बांध पावर हाउस, सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरुप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते है। टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी प्राधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

दीर्घकालिक ऋण कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

@ मध्यावधि ऋण टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए प्रतिभूत है।

@@ सावधि ऋण, कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र, खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समरूप आधार पहले शुल्क द्वारा प्रतिभूत है।

@@@ सावधि ऋण, खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समरूप आधार पहले शुल्क द्वारा प्रतिभूत है।

$ संबंधित ऋण रैंकिंग समरूप के तहत वित्तपोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित है।

21.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

21.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या समाधान का कोई मामला नहीं है।

21.3 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

21.4 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ के साथ कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी :- 22

गैर चालू वित्तीय देयताएं-पट्टा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
पट्टा देयताएं					
अप्रतिभूत			132.94		85.68
पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता – अप्रतिभूत			9.49		7.91
कुल			**123.45**		**77.77**

टिप्पणी :- 23

गैर चालू वित्तीय देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
देयताएं					
संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि आदि।		413.18		206.52	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि		47.69	365.49	44.12	162.40
कुल			**365.49**		**162.40**

टिप्पणी :- 24
अन्य गैर चालू देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			182.32		189.92
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान			577.49		582.19
एमएनआरई से अनुदान					
प्रारंभिक जमा		0.50		0.00	
जोड़ेः वर्ष के दौरान प्राप्त		24.00		0.50	
घटाएंः वर्ष के दौरान उपयोग		0.00	24.50	0.00	0.50
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			47.69		44.12
कुल			**832.00**		**816.73**

टिप्पणी :- 25
गैर चालू प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
			योग	समायोजन	उपयोग	
I. कर्मचारियों से संबंधित		173.91	2.82	(8.17)	0.00	168.56
II. अन्य		2.55	0.00	0.00	(0.13)	2.42
कुलयोग		**176.46**	**2.82**	**(8.17)**	**(0.13)**	**170.98**
पिछली अवधि के लिए आंकड़े		**190.37**	**3.59**	**(10.75)**	**(6.75)**	**176.46**

25.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19 के तहत अपेक्षित प्रकट टिप्पणी सं. 43.23 में किया गया हैं।

25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी :- 26
चालू वित्तीय देयताएं -उधारियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण:					
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/नकद ऋण सुविधा					
**पंजाब नेशनल बैंक			848.56		650.33
***एचडीएफसी बैंक			19.98		195.92
****बैंक ऑफ बड़ौदा			0.00		0.10
*भारतीय स्टेट बैंक			79.78		79.75
कुल (क)			**948.32**		**926.1**
ख. दीर्घकालीन ऋण की चालू परिपक्वता					
प्रतिभूत ^			309.73		372.80
अप्रतिभूत ^			76.42		53.83
कुल (ग)			**386.15**		**426.63**
कुल (क+ख)			**1,334.47**		**1,352.73**

* कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्तियों के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

** परियोजना स्थल पर चल मशीनरी और मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, ईंधन स्टॉक, पुर्जे और सामग्री सहित टिहरी चरण–1 की परिसंपत्ति और कोटेश्वर एचईपी की अचल संपत्तियों/अन्य संपत्तियों पर दूसरे शुल्क के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

***कंपनी के संयंत्र–पाटन पवन ऊर्जा परियोजना, देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना, ढुकवां परियोजना और सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के देनदारों पर विशेष प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

**** बैंक ऑफ बड़ौदा से सावधि ऋण पर प्रभार के विस्तार द्वारा प्रतिभूत और सावधि ऋण की प्रतिभूति @@ के तहत टिप्पणी संख्या 21 में बताई गई है।

^ ब्याज दर के संबंध में विवरण और प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता की चुकौती की शर्तों का उल्लेख टिप्पणी–21 में किया गया है।

26.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

26.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या समाधान का कोई मामला नहीं है।

26.3 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कॉमपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

26.4 चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधारों का अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.13 के तहत किया गया है।

टिप्पणी :- 27

चालू - वित्तीय देयताएं - पट्टा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता					
अप्रतिभूत			9.49		7.91
कुल			**9.49**		**7.91**

टिप्पणी :- 28

चालू-वित्तीय देयताएं-अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
देयताएं					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		0.89		2.07	
अन्य के लिए		269.44	270.33	131.83	133.90
संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि आदि		283.47		273.74	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		0.00	283.47	0.00	273.74
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
उपार्जित किंतु अदेय ब्याज					
बांडधारक और वित्तीय संस्थान		273.01		209.32	
अन्य देयताएं		0.00	273.01	0.00	209.32
कुल			**826.81**		**616.96**

टिप्पणी :- 29
अन्य चालू देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास पर अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			79.33		63.91
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		863.69		858.99	
घटाएं:					
मूल्यह्रास की ओर समायोजन		853.22	10.47	842.75	16.24
कुल			**97.40**		**87.75**

टिप्पणी :- 30
चालू प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च, 2023 के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	उपयोग	
I. **कार्य**		24.53	29.25	0.00	(22.29)	31.49
II. **कर्मचारियों से संबंधित**		311.76	64.18	(24.25)	(57.98)	293.71
III. **अन्य**		12.35	78.49	(57.09)	(5.86)	27.89
कुल		**348.64**	**171.92**	**(81.34)**	**(86.13)**	**353.09**
पिछली अवधि के लिए आंकड़ें		**341.65**	**184.77**	**(17.74)**	**(160.04)**	**348.64**

30.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 43.23 में किया गया है।

30.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय और कार्यों का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी :- 31
चालू कर देयताएं (निवल)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
आयकर					
अथशेष			0.00		0.00
अवधि के दौरान वृद्धि			112.38		207.42
अवधि के दौरान समायोजन			(2.82)		(7.16)
अवधि के दौरान उपयोग			(99.74)		(200.26)
अंत शेष			**9.82**		**0.00**

टिप्पणी :- 32
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
अथशेष			515.20		550.22
अवधि के दौरान निवल संचलन			(17.74)		(35.02)
अंतशेष			**497.46**		**515.20**

32.क. विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष लाभार्थियों से वसूलनीय आस्थगित कर समायोजन के कारण है।

टिप्पणी :- 32.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		163.89		172.35	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		13.12		12.68	
पेंशन निधि		12.20		13.56	
उपहार		2.55		6.59	
कल्याण		5.99		5.45	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.34	198.09	0.03	210.66
अन्य व्यय	36				
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		1.06		0.26	
कर्मचारी निवास के लिए किराया		0.48	1.54	0.83	1.09
दर और कर			0.77		0.01
जल उपयोग शुल्क			0.00		0.00
ऊर्जा और ईंधन			11.03		10.16
बीमा			0.17		0.15
संचार			1.62		1.62
मरम्मत एवं रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी		0.00		0.00	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत		0.00		0.00	
भवन		0.65		0.97	
अन्य		8.45	9.10	3.63	4.60
यात्रा और वाहन			3.76		1.47
वाहन किराया एवं चालन			9.69		6.76
सुरक्षा			10.98		9.20
प्रचार और जनसंपर्क			0.12		0.49
अन्य सामान्य व्यय			33.46		18.64
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि			0.14		0.01
खदान संचालन लागत			19.27		0.00
सर्वेक्षण और निरीक्षण व्यय			0.61		12.84
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			0.68		0.11
ब्याज अन्य			75.72		7.51
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, उधारों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		0.00		0.29	
स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान		0.00	0.00	0.00	0.29
मूल्यह्रास	2		33.07		30.14
कुल व्यय (क)			**409.82**		**315.75**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
प्राप्तियां					
अन्य आय	34				
ब्याज					
कर्मचारियों से		0.64		0.74	
कर्मचारियों ऋण और अग्रिम–प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		0.34		0.03	
अन्य से		0.21	1.19	0.20	0.97
मशीन किराया प्रभार			0.04		0.06
किराया प्राप्तियां			1.29		0.95
विविध प्राप्तियां			4.09		3.83
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.03		0.35
उचित मूल्य लाभ–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			65.83		1.55
कुल प्राप्तियां (ख)			**72.47**		**7.71**
कराधान से पहले निवल व्यय			337.35		308.04
कराधान के लिए प्रावधान	38				
कराधान सहित निवल व्यय			337.35		308.04
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	40		0.12		0.21
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष			20.28		75.24
कुल ईडीसी			**357.51**		**383.07**
घटाएंः					
सीडब्ल्यूआईपी/परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी		307.74		362.79	
अनुमोदनाधीन परियोजनाओं की ईडीसी, जो लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।		8.33	316.07	0.00	362.79
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेषित शेष			**41.44**		**20.28**

टिप्पणी :- 33

सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
विद्युत बिक्री के बदले लाभार्थियों से आय		1,937.67		1,880.62	
जोडेंः					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.60		7.60	
घटाएंः					
ग्राहकों को छूट		8.98	1,936.29	6.31	1,881.91
विचलन व्यवस्थापन/संकुचन प्रभार			29.03		25.35
परामर्श आय			8.98		14.23
कुल			**1,974.30**		**1,921.49**

33.1 माननीय सीईआरसी ने 2014–19 और 2019–24 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी की प्रशुल्क याचिकाओं का निपटान कर दिया है तथा अपने दिनांक 10.05.2022 और 13.05.2022 के आदेश के तहत प्रशुल्क की अनुमति दी है। माननीय सीईआरसी ने 2014–19 और 2019–24 की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी की प्रशुल्क याचिकाओं का निपटान कर दिया है तथा अपने दिनांक14.09.2022 और 03.10.2022 के आदेश के तहत प्रशुल्क की अनुमति दी है। पिछले वर्ष के संबंध में इन प्रशुल्क आदेशों के प्रभाव को चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व में शामिल किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए राजस्व को क्रमशः दिनांक 13.05.2022 और 03.10.2022 के उक्त आदेशों के आधार पर मान्यता दी गई है।

इसके अतिरिक्त माननीय सीईआरसी ने 01.01.2016 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) में कर्मचारियों के वेतन संशोधन, न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) के 61.09 करोड़ रुपए की राशि के प्रभाव की वसूली के लिए दिनांक 25.11.2022 का आदेश जारी किया है और इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

33.2 दिनांक 21.12.2022 के माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, टीएचडीसीआईएल को अगस्त, 2022 से जल खपत प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित है, इसलिए सीईआरसी विनियम, 56 के संदर्भ में टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए ₹ 45.89 करोड़ और ₹ 36.12 करोड़ की राशि वसूलनीय है और इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

33.3 टिहरी चरण 1 परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के 12 वर्ष पूरे होने के कारण, पूर्व में आस्थिगत आय के रूप में अनुमत और विचारित एएडी को अब परियोजना के शेष उपयोग अवधि अर्थात् 28 वर्ष के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

33.4 लाभार्थियों से आय में, चालू वर्ष के लिए 57.93 करोड़ रुपए की माध्यमिक ऊर्जा (बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की बिक्री) और 28.49 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन तथा पिछले वर्ष के लिए 33.98 करोड़ रुपए की माध्यमिक ऊर्जा और 25.70 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन शामिल है।

टिप्पणी :- 34

अन्य आय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
ब्याज					
बैंक जमा पर (इसमें 1583376.00 रुपए (पिछली अवधि 417640.00 रुपए) शामिल हैं)		1.14		0.44	
कर्मचारियों से		1.87		1.94	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम– प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		5.32		2.06	
अन्य		0.26	8.59	0.23	4.67
मशीन किराया प्रभार			0.04		0.06
किराया प्राप्तियां			2.75		1.97
विविध प्राप्तियां			6.96		6.18
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			1.17		73.88
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ			0.03		0.03
विलंबित भुगतान अधिभार			17.70		225.46
उचित मूल्य लाभ–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			65.80		1.74
कुल			**103.04**		**313.99**
कमः					
लाभार्थियों के साथ साझा की गई गैर–टैरिफ आय			0.82		0.33
ईडीसी में अंतरित	32.1		72.47		7.71
कुल			**29.75**		**305.95**

टिप्पणी :- 35

कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			418.57		432.27
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान			40.19		35.49
पेंशन निधि			32.59		39.12
उपहार			16.35		16.78
कल्याण व्यय			22.57		40.59
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			5.32		2.06
कुल			**535.59**		**566.31**
घटाएं:					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		198.09		210.66
कुल			**337.5**		**355.65**

टिप्पणी :- 36

वित्त लागत

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
वित्त लागत					
बांड पर ब्याज			424.32		343.75
घरेलू ऋणों पर ब्याज			171.1		100.25
विदेशी ऋणों पर ब्याज			50.27		9.25
नकद ऋण पर ब्याज			52.54		13.50
एफईआरवी			107.47		18.47
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			0.00		0.00
ब्याज अन्य			76.82		9.05
कुल			**882.52**		**494.27**
घटाएं.					
सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित और पूंजीकृत			625.43		352.65
ईडीसी को अंतरित अन्य ब्याज			75.72		7.51
कुल			**181.37**		**134.11**

टिप्पणी :- 37

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		1.35		0.35	
कर्मचारी निवास के लिए किराया		0.91	2.26	1.59	1.94
दर और कर			2.80		2.05
जल उपयोग शुल्क			82.41		0.30
ऊर्जा और ईंधन			23.93		21.41
बीमा			31.42		31.07
संचार			6.11		6.11
मरम्मत एवं रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी		66.88		55.16	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत		8.56		5.95	
भवन		24.49		22.79	
अन्य		37.68	137.61	25.20	109.10
यात्रा और वाहन			7.89		3.63
वाहन किराया एवं चलाना			20.12		11.23
सुरक्षा			70.00		62.61
प्रचार और जनसंपर्क			3.85		1.52
अन्य सामान्य व्यय			76.94		51.03
लेखा परीक्षकों को भुगतान			0.37		0.32
परिसंपत्ति की बिक्री पर नुकसान			1.23		0.36
खदान संचालन लागत			19.27		0.00
सर्वेक्षण और निरीक्षण व्यय			9.30		12.84
अनुसंधान एवं विकास			2.70		3.46
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			9.86		8.06
सीएसआर और सततता विकास गतिविधियों पर व्यय			23.09		27.20
कुल			**531.16**		**354.24**
घटाएं:– ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		102.94		67.15
कुल			**428.22**		**287.09**
37.1 सीएसआर के संबंध में विस्तृत जानकारी का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.20 (i) के तहत किया गया है।					

टिप्पणी :- 38

प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
अशोध्य ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान			0.00		0.29
स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.29**
घटाएं:–					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		0.00		0.29
कुल			**0.00**		**0.00**
38.1 स्टोर का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण होता है।					

टिप्पणी :- 39

कराधान के लिए प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			136.55		189.34
उप योग			136.55		189.34
कुल			**136.55**		**189.34**

टिप्पणी :- 40

विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन			52.47		(36.01)
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर			(9.17)		6.29
कुल			**43.30**		**(29.72)**

टिप्पणी :- 41

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन: मापन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			(1.75)		1.80
उप-योग			**(1.75)**		**1.80**
घटाएं:-					
ईडीसी मे स्थानांतरित	32.1		0.12		0.21
कुल			**(1.87)**		**1.59**

42.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंडएएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालम गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), ओर तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम यह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज पर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम- यह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम- यह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल- कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधान के प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।
3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।
4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उदृत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुमय पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।
6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।
7. रिपोर्ट की जाने की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी, साख–पत्र और टीपीए धारण किए रहने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

42.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 (पूर्व में वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया गया था) में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और एफपीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत

दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कलांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो संख्या 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त ईसीएल प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

42.3 परिसंपत्तियों की क्षति

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि दोनों परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है।

42.4 लेखांकन संबंधी हालिया घोषणाएं: मानक जारी किए गए किंतु अभी तक प्रभावी नहीं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, जिसमें कतिपय लेखांकन मानकों को संशोधित किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं। उेत अधिसूचना में, 10 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) नामतः इंड एएस 101, 102, 103, 107, 109, 115, 1, 8, 12 और 34 को संशोधित किया गया है और इन संशोधनों का सार निम्नानुसार है:

1. **इंड एएस 1, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति**

इस संशोधन में 'महत्वपूर्ण (significant)' शब्द को 'सारवान (material)' शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें संस्था को अपने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की बजाय सारवान लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है चूंकि 'सारवान' को इंड एएस में परिभाषित किया गया है और इसे हितधारकों द्वारा भली–भांति समझा जाता है। इसके साथ ही, यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है कि लेखांकन नीति संबंधी जानकारी सारवान है अथवा नहीं।

2. **इंड एएस 8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां**

संशोधनों में 'लेखांकन अनुमान में किसी परिवर्तन' की परिभाषा को 'लेखांकन अनुमानों' की परिभाषा से प्रतिस्थापित किया गया है और संस्थाओं को लेखांकन नीतियों में परिवर्तन से लेखांकन अनुमानों में विशिष्ट परिवर्तन में सहायता करने हेतु 'लेखांकन अनुमानों' की परिभाषा पेश की गई है। निर्दिष्ट किया गया है कि नई जानकारी या नए विकास से लेखांकन अनुमान में कोई परिवर्तन हो सकता है और यह किसी त्रुटि का सुधार नहीं है, और किसी लेखांकन अनुमान में किसी इनपुट या किसी माप तकनीक में किसी परिवर्तन के प्रभाव लेखांकन अनुमानों में परिवर्तित हो जाते हैं, जब तक कि वे पूर्व अवधि त्रुटियों के सुधार के परिणामस्वरूप न हों।

3. **इंड एएस 12, आयकर**

संशोधन में मान्यता में छूट के दायरे को कम किया गया है ताकि यह अब ऐसे लेन–देन पर लागू न हो जो प्रारम्भिक मान्यता पर, समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों में वृद्धि करती हैं, उदाहरणार्थ–पट्टा और डिकमीशनिंग दायित्वों के मामले में।

4. **इंड एएस 101, 102, 103, 109 और 115 संपादकीय सुधार**

ये ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन है जिनमें ऐसे संदर्भों और शब्दावली आदि को अद्यतन करना शामिल होता है जिनके परिणामस्वरूप इंड एएस के सिद्धांतों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

कंपनी ने उपरोक्त संशोधनों की अपेक्षाओं को समझा है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव सारवान नहीं है।

43. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 4462.36 करोड़ रूपये (गत वर्ष 5724.92 करोड़ रूपये) है।

2. आकस्मिक देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क	पूंजीगत कार्य	1446.41	1010.57
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	71.38	67.99
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1314.95	1235.32
घ	अन्य, मध्यस्तकर के मामलों सहित	2947.74	2823.21
ड.	उपरोक्त 'क' से 'घ' तक के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	-	-
च	विवादित कर संबंधी मामले	1.72	1.72
छ	**कुलयोग**	**5782.20**	**5138.81**
ज	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर मामलों कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	462.35	460.06

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर/सी डी आर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने 2.09 करोड़ रूपये तथा 3.92 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1.17 करोड़ रुपये एवं 4.08 करोड़ रूपये) की एफडीआर/सीडीआर क्रमशः ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 23 एवं 28 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 696.65 करोड़ रुपये (गत वर्ष 480.26 करोड़ रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 0.83 करोड़ रूपये (गत वर्ष 0.40 करोड़ रूपये) के समायोजन के बाद वर्ष के दौरान पंजीकृत उधारी लागत ईडीसी को हस्तांतरित क्रमशः 625.43 करोड़ रुपये और 75.72 करोड़ रूपये (गत वर्ष 219.31 करोड़ रूपये और 3.12 करोड़ रूपये) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, अस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में 78.52 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 12.70 करोड़ रूपये) को मान्य किया गया है।

5 (i) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफसी द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं.8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोडेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23–सी–4/टी–18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं।

अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं है, के स्वामित्व विलेखों का विवरण निम्नानुसार हैः

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.50	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।

संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50		नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0.01	सरकारी / वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार / यूपीएस आईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	6.88	0.96	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	91	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹ 49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.5	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50		नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था।
संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0.01	सरकारी / वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार / यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	14.28	1.99	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹ 49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया ।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 16 फ्लैट (गत वर्ष 18 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य 0.04 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.04 करोड़ रूपये) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.001 करोड़ रूपये की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7.(i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसें प्रतिकूल भूगर्मीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एच सी सी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी परिणाम के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेमर्स एचपीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 195.51 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था। डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 448 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने जून 2022 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तो के अनुसार डेट सर्विसिंग की गई है।

ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल ठेकेदार मैमर्स एच सी सी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैमर्स एच सी सी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

iii) अमेलिया कोयला खदान ने दिनांक 18.02.2023 को कोयला आरक्षित भंडार का निष्कर्षण आरम्भ कर दिया है। कोयला खदान के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) सीईआरसी विनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद घोषित की जाएगी। समझौते के अनुसार, खदान विकासक और संचालक (एमडीओ), मैसर्स अमेलिया कोल माइन लिमिटेड, अनुमोदन खदान संवरण योजना के अनुसार भूमि पुनरुद्धार, संरचना की डिकमीशनिंग और खदान संवरण (उत्तरोत्तर और अंतिम) गतिविधियों पर वहन किए जाने वाले व्यय के दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। तदनुसार अनुमोदित खदान संवरण योजना के अनुसार आंकी गई ₹ 4.14 करोड़ की राशि को एमडीओ द्वारा एस्क्रो खाते में जमा कर दी गई है।

8. (i) दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग समय–सारणी निम्नानुसार है:

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	**4,634.09**	**3,161.53**	**1,421.38**	**4,820.51**	**14,037.51**
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	**3,175.24**	**1,433.47**	**965.95**	**3,892.84**	**9,467.50**
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

(ii) 31.03.2023 और 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार अपनी मूल लागत और पूर्णता अनुसूची से अधिक हो चुकी परियोजनाओं के लिए पूर्णता कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

परियोजना	निम्न अवधि में पूरा किया जाना है				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	850.00	298.86	-	-	1148.86
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	560.00	470.00	316.05	-	1346.05
31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	569.61	153.20	-	-	722.81
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	500.00	500.00	406.00	-	1406.00

9. दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2023 के अनुसार व्यापार प्राप्य एजेइंग समय–सारणी

31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (46 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ड.)					कुल (च)= (ग+घ +ङ)
				6 माह से कम	6 माह 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	634.46	234.46	247.73	20.53	41.49	72.32	0.03	17.90	634.46
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	61.46	-	-	61.46	-	-	-	-	61.46
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**695.92**	**234.46**	**247.73**	**81.99**	**41.49**	**72.32**	**0.03**	**17.90**	**695.92**

31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (46 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ङ)					कुल (च)= (ग+घ +ङ)
				6 माह से कम	6 माह 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	669.69	172.57	130.76	143.54	57.59	140.97	4.29	19.98	669.69
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य–क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	54.03	-	-	54.03	-	-	-	-	54.03
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**723.72**	**172.57**	**130.76**	**197.57**	**57.59**	**140.97**	**4.29**	**19.98**	**723.72**

10. दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2022 के अनुसार व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	2.38	-	-	-	2.38
(ii) अन्य	40.18	1.11	0.86	0.51	42.66
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया–अन्य	-	-	-	-	-

31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
(ii) अन्य	25.19	1.42	0.60	0.12	27.34
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया–अन्य	-	-	-	-	-

11. स्ट्रक–ऑफ कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरण:

राशि ₹ करोड़ में

स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम पैन	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ लेन देन की प्रकृति	बकाया शेष ₹ करोड़ में		स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण
		31-03-2023	31-03-2022	
अनंतश्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (AAPCA3824J)	देय	0.02	0.04	व्यापार देय
नवेली डेकोर प्राइवेट लिमिटेड (AAFCN8799K)	देय	-	-	व्यापार देय

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधान के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

13. चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधार के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण।

राशि ₹ करोड़ में

वित्त वर्ष 2022-23	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगितयों का कारण
		प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक/विवरण में रिपोर्ट की गई राशि		
जून–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	201.48	201.26	0.22	यह अंतर विचलन के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	3.64	0.00	3.64	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
सितम्बर–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	199.80	199.80	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	8.41	0.04	8.37	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
दिसंबर–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	262.74	262.74	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	6.05	0.00	6.05	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
मार्च–23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	244.88	244.88	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	1.22	1.22	-	शून्य

14. इंडएएस 24 के अंतर्गत प्रकटन ''सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण''

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) सहायक कंपनी : टुस्को लिमिटेड

: ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (25.03.2023 को निगमित) और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सहायक कंपनी के साथ कोई वित्तीय लेन–देन नहीं किया गया है।

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्रमांक	नाम	धारित पद	अवधि
क.	**पूर्णकालिक निदेशक**		
1	श्री आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	जारी
2	श्री जे. बेहरा	निदेशक (वित्त)**	जारी
ख.	**नामित निदेशक**		
1	श्री यू. के. भट्टाचार्य	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
2	श्री ए. के. गौतम	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.05.2022 तक
3	श्री जितेश जॉन	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
4	श्री अनिल गर्ग	गैर – कार्यकारी निदेशक	26.04.2022 से
5	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर – कार्यकारी निदेशक	17.08.2022 से
ग.	**स्वतंत्र निदेशक**		
1	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	जारी
2	डॉ बजलकारिया जयप्रकाश नाईक	स्वतंत्र निदेशक	जारी
3	श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला	स्वतंत्र निदेशक	जारी
घ.	**मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव**		
1	श्री जे. बेहेरा	मुख्य वित्त अधिकारी	जारी
2	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	जारी
सहायक कंपनी-टुस्को लिमिटेड			
1	श्री. आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष	जारी
2	श्री जे. बेहरा	नामिती निदेशक	जारी
3	श्री अनुपम शुक्ला	नामिती निदेशक	12.07.2022 से
4	श्री भवानी सिंह खंगारूट	नामिती निदेशक	10.06.2022 तक
5	श्री शैलेन्द्र सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	31.07.2022 तक
6	श्री मृदुल दुबे	मुख्य वित्त अधिकारी	06.01.2023 से
7	श्री के. के. श्रीवास्तव	मुख्य वित्त अधिकारी	29.08.2022 से
8	श्री हिमांशु बाजपेई	कंपनी सचिव	जारी
सहायक कंपनी - ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड			
1	श्री राजीव विश्नोई	अध्यक्ष	25.03.2023 से
2	श्री ललित वर्मा	नामिती निदेशक	25.03.2023 से
3	श्री दिनेश कुमार शर्मा	नामिती निदेशक	25.03.2023 से
4	श्री कुमार शरद	नामिती निदेशक	25.03.2023 से
5	श्री अतुल जैन	नामिती निदेशक	25.03.2023 से

(*) 06.08.2021 से निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार

(**) 24.03.2023 से निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को शुरु करने के लिए सोसाइटी अधिनियम,1860 के अंतर्गत किया गया है।

संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों के छोड़कर– सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 22.11 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबंध का नाम और प्रकृति

राशि ₹ करोड़ में

क्र .सं.	समबद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बंध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2.	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.4960 प्रतिशत)
3.	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यहार इस प्रकार है:

(i) संबंधित पक्षकार के साथ संव्यहवार (सेवोपरांत लाभ योजनाएं) निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

संबंधित पक्षकार के साथ संव्यहार	2022-23	2021-22
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	46.28	29.43
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी निश्चित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	40.26	24.04
टीएचडीसीआईएल सेवोपरांत चिकित्सा लाभ एवं न्यास	5.98	4.36

(ii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति: स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय 2.67 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 4.30 करोड़ रूपये) है।

राशि ₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	2.30	3.67
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.37	0.63
3	सेवांत लाभ	-	-
4	शेयर आधारित भुगतान	-	-
	कुल योग	**2.67**	**4.30**

(iii) उसी सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा/संव्यवहार की प्रकृति	समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2023	31.03.2022
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिजली की बिक्री और अन्य प्रभार	801.06	630.89
बीएचईएल	सेवा संविदा के साथ उपस्करों और स्पेयर की खरीद	559.77	255.41
एनटीपीसी लिमिटेड	लाभांश का भुगतान	408.20	378.59
एनटीपीसी लिमिटेड	परामर्शी सेवा	20.45	18.47
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया	आईएसटीएस और अन्य प्रभार	112.64	-
पीजीसीआईएल	एचटी लाइनों की शिफ्टिंग, परामर्श प्रभार	72.17	84.88
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	पावर लाइन डायवर्जन	62.76	25.33
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	निर्माण कार्य	7.73	6.47
यू.पी. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	विद्युत प्रभार	4.46	3.67
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	सुरक्षा प्रभार	0.49	0.40
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	विद्युत प्रभार	0.01	0.01
आरआईटीईएस	एसएलडीसी प्रभार	23.81	15.48
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी लिमिटेड	परामर्शी सेवाएं	10.49	11.25
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड – एनटीपीसी एवं रिलायंस का संयुक्त उद्यम	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	3.97	0.94
आईओसीएल	जनशक्ति आपूर्ति	2.74	2.37
बीपीसीएल	ईंधन की खरीद	0.91	0.62
सीएमपीडीआईएल	परामर्शिता	0.60	12.14
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	अभिदान शुल्क	0.02	0.01
सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसईसीआई)	परामर्शिता	0.11	5.61
अन्य	विविध	5.54	2.34

(ग) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री /खरीद के लिए वसूलनीय राशि		
एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी) से	शून्य	शून्य
टुस्को लिमिटेड (सहायक कंपनी) से	शून्य	शून्य
ख. वसूलनीय राशि		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.29	0.29
–सहायक कंपनी	2.07	2.11
–अन्य	0.33	शून्य
ग. देय राशि		
–रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं	19.98	16.22

(घ) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(अ) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ब) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

15. इंड एएस 110 – समेकित वित्तीय विवरण – के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष 2021–22 के दौरान, दिनांक 12.09.2020 को यूपीनेडा के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में मैसर्स टुस्को लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें टीएचडीसी के पास 74% और यूपीनेडा के पास 26% के रूप में 74:26 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। इंड–एएस 110 और कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों का अनुपालन करते हुए, टीएचडीसी ने वर्ष के दौरान समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) का अनुपालन किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, और लेखाओं के संबंध में टिप्पणी अग्रलिखित शामिल हैं।

16. इंड एएस 112 – अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण – के अनुसार प्रकटीकरण

क) मैसर्स टुस्को लिमिटेड, टीएचडीसी की एक सहायक कंपनी है, जिसे यूपीएनईडीए के साथ 74:26 (कंपनी:यूपीएनईडीए) के इक्विटी अनुपात में प्रमोट किया गया है। निगमन या पंजीकरण का देश भी इसके मुख्य व्यवसाय का स्थान है।

i) महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के ब्यौरे

जब तक यूपीएनईडीए के साथ आपसी सहमति न बन जाए, टीएचडीसीआईएल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे सहायक कंपनी में शेयरधारिता 51% से कम हो जाए।

ii) गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई)

सहायक कंपनी के लिए वित्तीय सूचना, जिसमें गैर–नियंत्रणीय हित शामिल है, का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। मैसर्स टुस्को लिमिटेड के लिए प्रकट की गई राशि अंतर–कंपनी निर्मूलन से पहले है:

संक्षिप्त तुलनपत्र

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टुस्को लिमिटेड	
	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
चालू परिसंपत्तियां	22.11	2.62
चालू देयताएं	10.70	6.55
निवल चालू परिसंपत्तियां /(देयताएं)	11.41	(3.93)
गैर–चालू परिसंपत्तियां	137.97	70.92
गैर–चालू देयताएं	112.22	48.28
निवल परिसंपत्तियां	37.16	18.71
संचयी एनसीआई	8.70	4.87

लाभ एवं हानि का संक्षिप्त विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
कुल आय	0.41	0.10
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(0.25)	(1.03)
अन्य विस्तृत आय /(व्यय)	-	-
एनसीआई को आबंटित लाभ / (हानि)	(0.06)	(0.27)
एनसीआई को संदत्त लाभांश	-	-

निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह का संक्षिप्त विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टुस्को लिमिटेड	
	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
प्रचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	45.16	50.44
निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	(85.26)	(63.33)
वित्तपोषण गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	37.54	8.23
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	(2.56)	(4.66)

iii) **सहायक कंपनी में मूल कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	स्वामित्व हित		माइनोरिटी		कुल	
	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी छोड़कर	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार	14.80	(0.95)	5.20	(0.34)	20.00	(1.29)
अवधि के दौरान इक्विटी निवेश	14.80		3.90		18.70	
अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में शेयर		(0.19)		(0.06)		(0.25)
स्वामित्व हित में परिवर्तन का प्रभाव						
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	29.60	(1.14)	9.10	(0.40)	38.70	(1.54)

(ख) मैसर्स ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, को कंपनी और आरआरईसीएल के बीच 74:26 की इक्विटी साझेदारी के साथ आरआरईसीएल के साथ संवर्धित किया गया है। निगमन या रजिस्ट्रेशन का देश ही इसके प्रमुख व्यवसाय का स्थान है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, इस सहायक कंपनी द्वारा कोई वित्तीय लेन–देन नहीं किया गया है।

- महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के ब्यौरे

जब तक आरआरईसीएल के साथ आपसी सहमति न बन जाए, टीएचडीसीआईएल ऐसी को कार्रवाई नहीं करेगा जिससे सहायक कंपनी में शेयरधारिता 51% से कम हो जाए।

17. इंडएएस 33 – प्रति शेयर आय (ईपीएस) – के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2022-23
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ रूपये)	629.61	923.73
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	672.91	894.01
डिनोमिनेटर रूप में प्रयोग किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या का भरित औसत	बेसिक : 36658817 बेसिक : 36658817	तनुकृत : 36658817 तनुकृत: 36658817
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है रूपया बेसिक रूपया तनुकृत	 171.75 171.75	 251.98 251.98
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है रूपया बेसिक रूपया तनुकृत	 183.55 183.55	 243.88 243.88
प्रति शेयर अंकित मूल्य रूपये	₹ 1000	₹ 1000

18 (क) आय कर व्यय

(i) लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	145.72	183.05
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन		
विनियामक आस्थगित लेखा शेष से संबंधित (क)	(9.17)	6.29
कुल चालू कर व्यय (ख)	136.55	189.34

(ख) भविष्य में कंपनी को एमएटी क्रेडिट उपलब्ध है परंतु मान्य नहीं है।

भविष्य में कंपनी को उपलब्ध परंतु 31 मार्च, 2023 को मान्य नहीं एमएटी क्रेडिट 334.16 करोड़ रूपये (31 मार्च, 2022 को 487.72 करोड़ रूपये) है।

(ii) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस 12 आयकर के अनुसरण में 17.61 करोड़ रूपये की आस्थगित कर परिसंपत्ति (पिछले वर्ष 34.59 करोड़ रूपये) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में बुक किया गया है।

19. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

20. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) दिनांक 22.01.2021 को अधिसूचित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसरण में किसी जारी परियोजना के क्रम में किसी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित किया जाएगा, जो ऐसे अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग की जाएगी। किसी जारी परियोजना के अलावा किसी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनूसची VII में निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी सांविधि के तहत अपेक्षित से अधिक राशि व्यय करती है, तो अतिरिक्त राशि को अग्रेणीत किया जाएगा और अनुवर्ती तीन वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली राशि के सापेक्ष सेट–ऑफ किया जाएगा।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली और नकदी में व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
i.	आरम्भिक अव्ययित / (अधिशेष) राशि	(0.97)	0.00
ii.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार व्यय की जाने वाली राशि	23.61	26.23
iii.	वर्ष के दौरान आरम्भिक अव्ययित/(अधिशेष) राशि के सापेक्ष सेट–ऑफ के लिए विचारित राशि	(0.52)	0.00
iv.	वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा उपरोक्त (ii) में से व्यय किए जाने के लिए अनुमोदित राशि	23.09	26.23
v.	सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष	0.00	0.00
vi.	पूर्ववर्ती वर्ष के अधिक व्यय को सेट–ऑफ करने बाद व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि	23.09	26.23
vii.	वर्ष के दौरान नकदी में व्यय की गई राशि	22.11	27.20
viii.	जारी परियोजना के सापेक्ष अंत में अव्ययित शेष, जिसे भविष्य में व्यय किया जाना है	0.98	0.00
ix.	भविष्य में सेट–ऑफ किए जाने के लिए अंतिम (अधिशेष) राशि	(0.45)	(0.97)

टिप्पणी:–अनुवर्ती वर्ष में उपलब्ध सेट–ऑफ को, भावी वर्षों में इसके समायोजन में शामिल अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए, विवेकपूर्ण मामले के रूप में किसी परिसंपत्ति के रूप में मान्य नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा

राशि ₹ करोड़ में

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अथशेष		वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अंतशेष		जारी परियोजनाओं का ब्यौरा
कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते से	कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में	
शून्य	शून्य	23.09	22.11	शून्य	0.98*	शून्य	सौर ऊर्जा, स्वच्छता, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका आदि के लिए विभिन्न परियोजनाएं
(*) दिनांक 26.04.2023 को पंजाब नेशनल बैंक में मौजूद अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित							

(घ) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि –

राशि ₹ करोड़ में

क्र.स.	विवरण	नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	कुलयोग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
(ii)	क्रम सं. (i) के अलावा, अन्य प्रयोजन के लिए	22.11	0.00	22.11

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि –

राशि ₹ करोड़ में

क्र.स.	विवरण	नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	कुलयोग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
(ii)	क्रम सं (i) के अलावा, अन्य प्रयोजन के लिए	27.20	0.00	27.20

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सेवा–टीएचडीसी, जो कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ–निरपेक्ष सोसायटी है, के माध्यम से किए गए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय-शीर्ष	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
1	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	2.88	6.13
2	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	10.34	10.09
3	महिला सशक्तिकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.22	0.25
4	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	0.62	1.68
5	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	0.72	2.21
6	सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के लाभ के लिए उपाय	-	0.10
7	खेलकूद का संवर्धन	0.06	0.32
8	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	4.00	4.05
9	अनुसूचित जाति का कल्याण	-	-
10	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	2.38	1.03
11	आपदाएं	-	0.60
12	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	0.89	0.74
	वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (1 से 12)	22.11	27.20
	जोड़ें: अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की जाने वाली राशि	0.98	-
	स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित सीएसआर व्यय	23.09	27.20
	अधिशेष राशि के लिए अंत शेष	0.45	0.97

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटन:
कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 2.70 करोड़ रूपये (राजस्व–2.70 करोड़ रूपये) (गत वर्ष 3.46 करोड़ रूपये) (राजस्व–3.46 करोड़ रूपये) व्यय किए हैं।

21. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम इस एम ई डी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2023 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	2022-23	2021-22
क. किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i) मूल धन	3.27	2.67
ii) उस पर ब्याज	-	-
ख एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि।	-	-
ग देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।	-	-
घ प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका।	-	-
ड. अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।	-	-

22. एएस 116 - 'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा', को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अपनाया गया है।

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैव और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें पस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित कर सकती जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैं:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आदि शेष	85.68	13.59
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	49.27	74.36
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	11.04	7.32
–पट्टा देयताओं का भुगतान	13.05	9.59
अंत शेष	132.94	85.68
चालू	9.49	7.91
गैर–चालू	123.45	77.77

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषणः

राशि ₹ करोड़ में

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
3 माह या कम	2.63	2.76
3–12 माह	9.83	8.31
1–2 वर्ष	13.88	12.31
2–5 वर्ष	29.42	24.27
5 वर्ष से अधिक	237.83	178.01
पट्टा देयताएं	293.59	225.66

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है।

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	18.50	18.49
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	11.04	7.32
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	2.26	1.94

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह		9.59
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	2.26	1.94

23. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटन इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएंः

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदानः

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास के भविष्य निधि को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिलाभ सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों के वर्तमान मूल्य, योजनागत परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से 10.25 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 25.56 करोड़ रुपए) अधिक हो गया और इसे बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकालों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरणः

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देयता, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथा अभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से 9.65 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 5.91 करोड़ रूपये) अधिक हो गया है और इसे बहियों में दर्ज किया गया है।

(v) अन्य (असबाब/एलएसए/ एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2023 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.03.2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी -1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2006-08)
छूट की दर	7.40%	7.00%	6.75%	6.75%	7.75%
भावी वेतन वृद्धि	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	8.00%

जोखिम अनावरण (एक्सपोजर) का ब्यौरा: मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि-वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देयता बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देयता भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम- यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देयताएं बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिलाभ होने पर देयताओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर- उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देयता बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता- मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देयताओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ड़) आहरण- वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देयता पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी - 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	183.38 {189.99}	76.88 {66.18}	118.64 {116.13}	95.51 {87.30}	14.26 {14.29}
ब्याज लागत	12.84 {12.82}	5.38 {4.47}	8.30 {7.84}	6.69 {5.89}	1.00 {0.96}
पिछली सेवा की लागत					
वर्तमान सेवा लागत	3.29 {3.95}	18.00 {13.66}	4.51 {4.23}	2.64 {2.61}	1.20 {1.13}
लाभ का भुगतान	(19.85) {(20.49)}	(20.33) {(15.59)}	(5.96) {(6.34)}	(7.56) {(4.71)}	(1.79) {(2.34)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.90) {(2.89)}	5.34 {8.15}	(8.36) {(3.21)}	8.52 {4.42}	(0.35) {0.22}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	105.80 {95.51}	14.33 {14.26}

सारणी -3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (सीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	105.80 {95.51}	14.33 {14.26}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नही	लागू नही	लागू नही	96.15 {89.61}	लागू नही
वित्त पोषित देयता/प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	96.15 {89.61}	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता/प्रावधान	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	9.65 {5.91}	14.33 {14.26}
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ/हानि				(7.01) {(3.29)}	
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	9.65 {5.91}	14.33 {14.26}

सारणी- 4 लाभ और हानि, ओसीआई/ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	3.29 {3.95}	18.00 {13.66}	4.51 {4.23}	2.64 {2.61}	1.20 {1.13}
सेवा उपरांत लागत	-	-	-	-	0.00 {0.00}
ब्याज लागत	12.84 {12.82}	5.38 {4.47}	8.30 {7.83}	- {0.00}	1.00 {0.96}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.90) {(2.89)}	5.34 {8.15}	(8.36) {(3.21)}	7.01 {3.29}	(0.35) {0.22}
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	16.13 {16.77}	28.72 {26.28}	4.46 {8.85}	2.64 {2.61}	2.20 {2.09}

सारणी -5 संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि ₹ करोड़ में

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अस्वस्थता अवकाश एचपीएल)		पीआरएमवी		अन्य	
	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(4.09)	(4.62)	(2.36)	(2.27)	(2.72)	(3)	(13.14)	(12.32)	(0.35)	(0.36)
0.50% की वृद्धि	4.30	4.86	2.52	2.41	2.86	3.14	14.10	12.54	0.37	0.37
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	0.81	1.02	2.53	2.41	2.87	3.14	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की वृद्धि	(0.87)	(1.09)	(2.39)	(2.29)	(2.76)	(3.02)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चिकित्सा लागत/ समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14.36	12.62	0.15	0.16
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(13.71)	(12.38)	(0.14)	(0.16)

अन्य प्रकटीकरण

राशि ₹ करोड़ में

उपदान	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	174.76	183.38	189.99	191.01	178.93
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(4.90)	(2.89)	(1.05)	8.74	(0.12)
बीमांकिक (लाभ/हानि) ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(4.90)	(2.89)	(1.05)	8.74	(0.12)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	16.13	16.77	17.97	19.68	19.35

राशि ₹ करोड़ में

अर्जित छुट्टी	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	85.27	76.88	66.18	56.07	43.04
बीमांकिक (लाभ/हानि)	5.34	8.15	6.26	11.60	11.38
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी केविवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	28.72	26.28	23.42	27.71	25.85

राशि ₹ करोड़ में

बीमारी (एचपीएल) छुट्टी	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	117.13	118.64	116.13	109.06	98.83
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(8.36)	(3.21)	(0.88)	0.83	1.78
वर्ष के लिए लाभएवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	4.46	8.85	11.18	13.00	12.79

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	105.80	95.51	87.30	79.85	70.02
अमान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ/हानि)	7.01	3.29	1.34	2.76	3.85
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.64	2.61	2.95	3.07	6.94

अन्य असबाब भत्ताध्सेवानिवृत्ति अवार्ड/एफबीएस	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.33	14.26	14.29	12.63	12.43
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(0.35)	0.22	(0.20)	0.43	(0.29)
बीमांकिक (लाभ/हानि) ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(0.35)	0.22	(0.20)	0.43	(0.29)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.20	2.09	3.19	2.14	5.16

24. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 संशोधित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधन की राय में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

25. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

राशि ₹ करोड़ में

क्रमांक	विवरण	2022-23	2021-22
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.17	0.17
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.03
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए	-	-
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	-	-
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.12	0.07
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.05

लेखापरीक्षकों को भुगतान में पिछले वर्ष के संबंध में शून्य रूपये (पिछले वर्ष से संबंधित 0.01 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

26. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2023	31.03.2022
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	93.66	90.33
घटायें: ओवर ड्राफ्ट शेष, एस टी एल सहित	26	948.33	926.10
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		(854.67)	(835.77)

मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन–पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

राशि ₹ करोड़ में

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2022-23	अथशेष	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
निर्गत शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88	-	3665.88	-	
गैर–चालू उधारियाँ (बॉड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	6653.98	-	10289.09	3635.11	**वृद्धि-** बांड – ₹1400.00 करोड़, सावधि ऋण (बीओबी) ₹ 2225.00 करोड़, विश्व बैंक (निवल) ₹ 384.24 करोड़, **चुकौती -** सावधि ऋण (बीओबी) – ₹125.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹ 139.58 करोड़, सावधि ऋण (पीएफसी) – ₹ 45.14 करोड़, विश्व बैंक – ₹ 64.41 करोड़
उधारियां– चालू	426.63	-	386.14	(40.49)	**वृद्धि-**, विश्व बैंक (निवल) ₹ 22.58 करोड़, **चुकौती -** सावधि ऋण (पीएफसी) – ₹ 45.14 करोड़, सावधि ऋण (आरईसी) – ₹ 17.51 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) – ₹ 0.42 करोड़

राशि ₹ करोड़ में

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2022-23	अथशेष	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
पट्टा देयताएं	-	(13.05)	-	(13.05)	पट्टा देयता का भुगतान
भुगतान की गई वित्तीय लागत घटा पूँजीकृत सीडब्ल्यूआईपी	-	882.52 (701.15)	-	(181.37)	लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित
अनुदान	-	24.00	-	24.00	
विलंबित भुगतान अधिभार	-	21.59	-	21.59	अन्य आय
गैर नियंत्रित हित से पूंजीगत अंशदान	-	3.83	-	3.83	
भुगतान किया गया लाभांश		(547.94)		(547.94)	लाभांश का भुगतान
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				2901.68	

27. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण

राशि ₹ करोड़ में

समूह में शामिल संस्था का नाम	निवल परिसंपत्ति अर्थात् कुल परिसंपत्ति - कुल देयताएं		समाप्त वर्ष के लिए लाभ या हानि में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	करोड़ रुपये में	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	करोड़ रुपये में	समेकित अन्य विस्तृत आय के % के रूप में	करोड़ रुपये में	समेकित कुल विस्तृत आय के % के रूप में	करोड़ रुपये में
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड								
31 मार्च, 2023	99.92%	10427.65	100.01%	672.91	100%	(2.52)	100.01%	670.39
31 मार्च, 2022	99.95%	10305.20	100.03%	894.01	100%	2.14	100.05%	896.15
सहायक कंपनी								
टुस्को लिमिटेड								
31 मार्च, 2023	0.08%	8.70	-0.01%	(0.06)			0.01%	(0.06)
31 मार्च, 2022	0.05%	4.86	-0.03%	(0.26)			0.05%	(0.26)
कुल								
31 मार्च, 2023	100%	10436.35	100%	672.85	100%	(2.52)	100%	670.33
31 मार्च, 2022	100%	10310.06	100%	893.75	100%	2.14	100%	895.89

28. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ा को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएन: 08536589

ह0/–
आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

फॉर्म एओसी-1

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम, 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

भाग 'क': सहायक कंपनियां

राशि ₹ करोड़ में

1	सहायक कंपनी का नाम	टुस्को लिमिटेड
2	सहायक कंपनी के अधिग्रहण करने की तारीख	12.09.2020*
3	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि (01.04.2022 – 31.03.2023) के समान
4	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
5	शेयर पूंजी	35.00
6	आरक्षित एवं अधिशेष	2.16
7	कुल परिसंपत्तियां	160.08
8	कुल देयताएं	122.92
9	निवेश	0.00
10	टर्नओवर / अन्य आय	0.41
11	कुल व्यय	0.79
12	कराधान पूर्व लाभ/(हानि)	(0.38)
13	कराधान के लिए प्रावधान	(0.13)
14	कराधान पश्चात् लाभ/(हानि)	(0.25)
15	प्रस्तावित लाभांश	0.00
16	शेयरधारिता का %	0.74

(*) निगमन की तारीख

भाग ''ख'' सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम

शून्य

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–
(रश्मि शर्मा)	**(जे. बेहेरा)**	**आर.के. विश्नोई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 026692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ इसमें इसके बाद "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियो के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (जिन्हें इसमें इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) सहित समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड ए एस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, समूह के कार्यो की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में समेकित परिवर्तन और इसके समेकित नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणओं की लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ–साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। नीचे दिए गए लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्त्वपूर्ण मामले धारक कंपनी से संबंधित हैं क्योंकि घटक के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में लेखा परीक्षा संबंधी कोई महत्वपूर्ण मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है:

क्र. सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
1.	**ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड ए एस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। तथापि जिन मामलों में जहाँ प्रशुल्क दर तय की जानी है, वहाँ लागू सी ई आर सी प्रशुल्क विनियमों को लागू कर अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं। सी ई आर सी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुडा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन किया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 15 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सी ई आर सी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियायें अपनाई है। • ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। • सी ई आर सी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। • उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
2.	**आकस्मिक देयताएँ** कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन का निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें)	हमने आकस्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में धारक कंपनी के आतंरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं: –लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है। –प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। –विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। –प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। –जिन मामलों का प्रकटन नहीं किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। –प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

महत्व सहित "अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" संबंधी लेखांकन मानक (एसए 600) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

(क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से धारक कंपनी की वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 7 (i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएससी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) टीएचडीसीआईएल द्वारा परियोजना कार्यों के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 1327.695 हेक्टेयर भूमि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 5(ii)। इन भूमि का स्वामित्व विलेख अभी निष्पादित किया जाना शेष है।

(ग) चालू परिसंपत्तियों के अधीन दर्शाए गए शेषों सहित व्यापार / अन्य प्राप्य राशियों और ऋण एवं अग्रिम आदि के खाते में शेषों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.24 (क) ऋण एवं अग्रिम और चालू देयताएं पुष्टि और समाधान के अध्यधीन हैं। वित्तीय विवरणों में पुष्टि और समाधान प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकने वाले समायोजन, यदि कोई हो, के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य मामले

हमने समेकित वित्तीय विवरणों में समाहित किए गए सहायक कंपनी, जिसके वित्तीय विवरणों में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, 160.08 करोड़ रूपये की कुल परिसंपत्ति 0.41 करोड़ रूपये का कुल राजस्व और 0.004 करोड़ रूपये की राशि का निवल नकदी प्रवाह, जिस पर समेकित वित्तीय विवरणओं में विचार किया गया है, दर्शाया गया है, के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा इसके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई है और जहां तक सहायक कंपनी का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और महत्व सहित "अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" संबंधी लेखांकन मानक (एसए 600) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखने के बाद लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड में यथाउल्लिखित हमारे द्वारा निष्पादित की गई प्रक्रियाओं पर आधारित है।

इस मामले पर हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य की सूचनाएं

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरणों और हमारी लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और, यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त कार्रवाई करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की अपेक्षाओं के संदर्भ में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य विस्तृत आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

समूह में शामिल सभी कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रणों, जिन्हें धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया है, के लिए जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, कार्यरत कंपनी के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन समूह को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

समूह की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख भी, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत अश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमनेः

- समेकित वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो समूह के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां समूह को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं या व्यापार गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्थाओं, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण करने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अन्य संस्थाओं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

हम उन्हें, जिन्हें धारक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्था, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, के सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओ पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकं की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, हम, यथालागू सीमा तक, यह रिपोर्ट करते हैं कि:—

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित की गई संगत खाता—बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में उक्त समेकित वित्तीय विवरण, यथासंशोधित, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ड) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नही होते हैं।

(च) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक ''क''** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नही होते हैं। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसरण में रिपोर्टिंग, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है—समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें।

ii. समूह का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv. क. कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनी है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या इसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थ'') सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि को अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी या इसकी किसी सहायक कंपनी (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगाय:

ख. कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनी है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के प्रबंधन ने हमें और एसी सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या इसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थ'') सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि को अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा ।

ग. हमारे और सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनी है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं

जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे या अन्य लेखापरीक्षकों के संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण में कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी है।

v. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 19 में उल्लेख किया गया है: –

(क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए पिछले वर्ष का अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में हितधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, यथालागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में है।

vi. अकाउंटिंग साफ्टवेयर, जिसमं ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) की रिकॉर्डिंग की सुविधा है, का उपयोग करते हुए लेखाबही बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों, जो भारत में निगमित कंपनिया हैं, पर 1 अप्रैल, 2023 से लागू होता है और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं होती है।

2. अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश''/''सीएआरओ'') के पैराग्राफ 3 (xxi) में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों, जिसके लिए सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू है, में शामिल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि इन सीएआरओ रिपोर्टों में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। तथापि, सहायक कंपनी की सीएआरओ रिपोर्ट के पैरा 1(x) के अनुसार, यह संसूचित किया गया था कि "पट्टे पर ली गई और वित्तीय विवरणों में उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों के रूप में प्रकट की गई अचल संपत्तियों के संबंध में, 3953.45 एकड़ भूमि के लिए 2675 पट्टा करार कंपनी के नाम पर है, तथापि किसी भी करार को कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित नहीं किया गया है।"

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545 सी

ह0/–

(सीए एस.एन. कपूर)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 15.05.2023

यूडीआईएन: 23014335BGXXFE8500

अनुलग्नक 'क'

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 1(च) में संदर्भित अनुलग्नक)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के क्रम में, हमने उसी तारीख को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (इसमें आगे "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनी (इसमें आगे धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल, अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चत करना शामिल हैं। इसमें अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी (द गाइडंस टिप्पणी) के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। हमारे समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य और भारत में निगमित अन्य सहायक कंपनी के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किया गया उनकी रिपोर्ट के 'अन्य मामले' पैराग्राफ में संदर्भित लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना शामिल हैं, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, भावी अवधि हेतु समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, में सहायक कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा इस आक्षेप कि "कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने लेखाबही में पट्टा किराया के लिए भू–स्वामियों को संदत्त अग्रिमों के मिलान के लिए विद्यमान प्रणाली में महत्वपूर्ण कमजोरियां पाईं, चूंकि कंपनी ने पट्टा भुगतानों को भू–स्वामी–वार लेखांकित किया है, तथापि, देय पट्टा किराया और पट्टे के अग्रिम भुगतान को व्यक्तिगत भू–स्वामी बहीखाते में लेखांकित नहीं किया गया है।" तथापि, सहायक कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक ने यह भी रिपोर्ट किया है कि "हमने कंपनी के 31 मार्च, 2023 तक के वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में उपरोक्त अभिचिह्नित और वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरियों पर विचार किया है, और ये महत्वपूर्ण कमजोरियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।"के आधार पर की गई आपत्ति के सिवाय सभी महत्वपूर्ण संबंधों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मानदंड पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर 31 मार्च, 2023 को प्रभावी तरीके से लागू हैं।

अन्य मामले

धारक कंपनी, जहां तक यह सहायक कंपनी से संबंधित है, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, भारत में निगमित ऐसी कंपनी के लेखापरीक्षक की संगत रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह0/–

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं. 001545सी

(सीए एस.एन. कपूर)

साझेदार

सदस्यता संख्याः 014335

स्थानः लखनऊ

दिनांकः 15.05.2023

DGA ()E/R/01-150/AC-THDC/CPS/2023-24/157

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 31.07.2023

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

विषयः 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के Consolidated Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(इ) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(संजय कु. झा)
महानिदेशक

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 15.05.2023 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है किंतु टुस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणियां या पूरक करने की आवश्यकता उत्पन्न होती हो।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

के लिए एवं उनकी ओर से

ह०/-

(संजय कु. झा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31.07.2023

टिहरी डैम का एरियल दृश्य

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

THDC INDIA LIMITED

Schedule-A Mini Ratna PSU

CIN : U45203UR1988GOI009822

कारपोरेट कार्यालय: गंगा भवन, प्रगतिपुरम बाईपास रोड, ऋषिकेश-249201

Corporate Office: Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bypass Road, Rishikesh - 249201

वेबसाईट/ Website : www.thdc.co.in

Designed & Printed by Continental Advertising Services